SBI

भारतीय स्टेट बैंक

अग्रसर भारत को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

वार्षिक रिपोर्ट | 2017-18

विषय सूची

1 सूचना

2 भारतीय स्टेट बैंक के बारे में

3 भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

4 अग्रसर भारत को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

16 एसबीआई समूह संरचना

18 पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

19 रेटिंग्स

20 केंद्रीय निदेशक बोर्ड

22 बोर्ड की समितियां/केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/ स्थानीय बोर्ड के सदस्य/ बैंक के लेखा-परीक्षक

26 अध्यक्ष की कलम से

32 **निदेशकों की रिपोर्ट**

32 (i) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

34 (ii) वित्तीय निष्पादन

35 (iii) प्रमुख परिचालन

35 खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग समूह

35 वैयक्तिक बैंकिंग

38 सर्वसमय चैनल

41 लघु एवं मध्यम उद्यम

43 ग्रामीण बैंकिंग

44 अन्य नई व्यवसाय पहलें

46 सरकारी व्यवसाय

47 दक्षता एवं लागत नियंत्रण

47 **कॉरपोरेट बैंकिंग समूह**

47 कॉरपोरेट बैंकिंग

48 लेनदेन बैंकिंग इकाई

48 परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय

49 मिड कॉरपोरेट समूह

50 अंतरराष्ट्रीय परिचालन

54 दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन

56 ट्रेजरी परिचालन

58 **(IV) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन**

58 मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

61 सूचना प्रौद्योगिकी

65 जोखिम प्रबंधन

68 राजभाषा

69 विपणन एवं सम्प्रेषण

69 सतर्कता तंत्र

70 आस्ति एवं देयता प्रबंधन

70 आचरण नीति एवं व्यवसाय संचालन

71 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

73 **(V) अनुषंगियां**

80 **कॉरपोरेट अभिशासन**

101 **व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में**

102 **वित्तीय विवरण**

तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

102 भारतीय स्टेट बैंक (एकल)

163 भारतीय स्टेट बैंक (समेकित)

205 **स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)**

231 ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण

233 **प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची**

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 63वीं वार्षिक महासभा "वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम", वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र) में गुरुवार, 28 जून 2018 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :

"भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2018 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।"

कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021
दिनांक : 22 मई 2018

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में

वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित भारत का सबसे पहला बैंक बाद में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। 200 वर्षों से अधिक की समृद्ध परंपरा वाला यह भारतीय उप-महाद्वीप का पहला वाणिज्यिक बैंक राष्ट्र की हजार खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण और इसकी विशाल जनसंख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति में निरंतर सेवारत है।

भारतीय स्टेट बैंक परिसंपत्तियों, जमाराशियों, शाखा, ग्राहक और कर्मचारी संख्या में देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यह करोड़ों ग्राहकों के निरंतर विश्वास के साथ आज हर भारतीय का बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह अपनी विभिन्न शाखाओं और आउटलेटों, संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों के माध्यम से व्यक्तिगत ग्राहकों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थात्मक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है।

लक्ष्य

अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना

ध्येय

सरल, उत्तरदायी, और अभिनव वित्तीय समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध

मूल्य

सेवा
पारदर्शिता
सदाचार
शिष्टता
निरंतरता

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

भारत का सबसे बड़ा बैंक (जमाराशियाँ, अग्रिम, ग्राहकों की संख्या और बैंकिंग सेवा केंद्र)

संख्या (करोड़ में)
ग्राहक **42.42**

%
बाजार अंश:
जमाराशियाँ **22.84**
अग्रिम **19.92**

संख्या
कुल शाखाएं **22,414**

संख्या
देश भर में एटीएम, सीडीएम और रीसाइकलर **59,541**

संख्या
व्यवसाय प्रतिनिधि सेवा केंद्र **58,274**

%
वैकल्पिक चैनल वाले लेनदेनों का अंश **80.00**

%
पीओएस की संख्या में बाजार अंश **20.20**

%
डेबिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च में बाजार अंश **30.40**

संख्या (करोड़ में)
वित्तीय समावेशन खाते **13.42**

राशि (₹ करोड़ में)
वित्तीय समावेशन जमाराशियाँ **23,982**

संख्या (करोड़ में)
वित्तीय समावेशन लेनदेन **31.22**

गृह ऋण

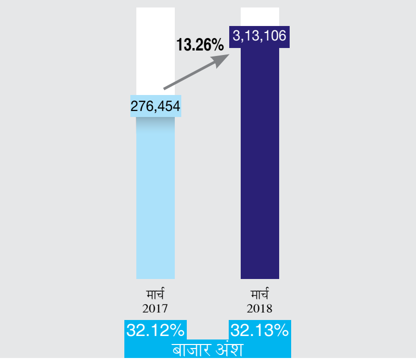

ऑटो ऋण

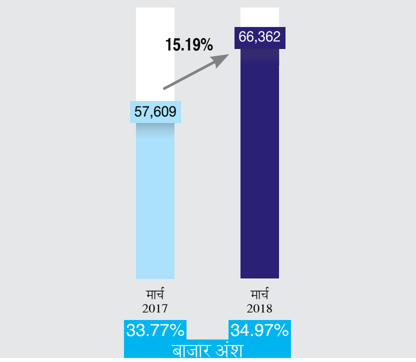

वैयक्तिक खंड के अन्य ऋण

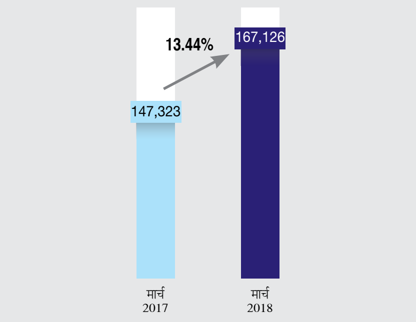

अग्रसर भारत को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में हम 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मंत्र में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम आगे बढ़ते भारत की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति में अग्रसर हैं और चिरस्थायी मूल्य सृजन की ओर अग्रसर होने में अदम्य प्रतिबद्धता हमारी मार्गदर्शक है।

भारत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। व्यवसाय की सुगमता (इज़ ऑफ बिजनेस), बड़े कर सुधार, वित्तीय समायोजन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, व्यापक डिजिटलीकरण, आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार तथा निर्माण क्षेत्र की वृद्धि, बहुत से परिवर्तन कारकों में से कुछ कारक हैं। इसके साथ-साथ इस समय देश में सुदृढ़ वित्तीय स्थितियाँ, स्थिर मुद्रास्फीति, बढ़ते व्यापार और सतत रोजगार सृजन, स्थायी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को आगे बढ़ाने में सहायक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वभर की निगाहें हमारे देश पर हैं।

मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने कोर व्यवसाय को मजबूत करने के लिए कार्यनीतिक निवेश किया है। पिछले 5 वर्षों में हमने एसबीआई को अधिकतम परिचालन दक्षता तथा 'प्रसन्न ग्राहक' के साथ तकनीकी रूप से उन्नत सार्वभौमिक संस्थान बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं।

आज इन परिवर्तन पहलों ने एसबीआई को अत्यधिक प्रतियोगी तथा अपने व्यापक ग्राहक आधार के लिए उपयुक्त स्थान बनाया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी संवृद्धि के माध्यम से बेहतर मूल्य सृजन के लिए आदर्श स्थिति में हैं। अपने परिचालनों को उत्कृष्टता के उच्चतम स्तरों तक ले जाकर हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे यह उधार देने का निष्पादन हो, आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो, हमारी लाभकारिता को बढ़ाना हो और अंततः पूंजी संरचना वृद्धि व धन संपदा (वेल्थ) सृजन है।

इन प्रयासों को बल देने के लिए संपूर्ण मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण ढाँचे की स्थापना और प्रतिबद्ध कार्यदल की शक्ति के बल पर हमने अपनी अधिसंरचना को मजबूती प्रदान की है। इसे समर्थन देने के लिए हमने अपने जोखिम प्रबंधन में सुधार तथा संवृद्धि को गति प्रदान करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की पुनर्रचना की है। अपनी ऋण बही की गुणवता में सुधार के लिए हम लगातार अपनी ऋण कार्यनीतियों की पुनर्रचना कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में हम इसका और अधिक प्रतीक बनाने के लिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था में लौच तथा स्थायी स्पंदन विकसित कर रहे हैं।

तकनीकी उन्नयन का उपयोग लगातार बैकएंड (ग्राहक से आमने सामने व्यवहार न करने वाली) प्रक्रियाओं व दक्ष ग्राहक सेवा सुपुर्दगी चैनलों दोनों के किए किया जा रहा है। साथ ही साथ जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, नैतिकता तथा अभिशासन सदैव हमारे हितधारकों के हितों की रक्षा करते है। इस उन्नत ढाँचे के माध्यम से हमने स्थायी दीर्घकालीन संवृद्धि के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखी है तथा हम लगातार अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी लागत तथा नवोन्मेष संचालित संगठन की ओर बढ़ रहे हैं।

अपने सहयोगी बैंकों के साथ विलय के बाद उच्चतम मानकों तथा साथ-साथ बेहतर सीनिर्जिक निष्पादन के लिए एकल बहु-परिचालनों के लाभ के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। बड़े स्तर पर परिचालन, श्रेष्ठ कार्यपद्धतियों को साझा करने तथा समान (कॉमन) लागतों को तर्कसंगत बनाने से सार्थक बचत की अपेक्षा है। इससे टिकाऊ मूल्य सृजन के मिशन को और बल मिलेगा।

हम भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। एसबीआई द्वारा भारत में अब तक के सबसे बड़े क्यूआईपी की सफलता हमारे निवेशकों तथा हमारी पूंजी जुटाने की उच्च क्षमता का प्रमाण है। क्यूआईपी में विविध प्रकार के गुणवत्ता निवेशकों ने भाग लिया। इसके आगे एसबीआई लाइफ के आरंभिक पब्लिक प्रस्ताव (आईपीओ) ने महत्वपूर्ण मूल्य खोज की ओर ले गया तथा आने वाले समय में मूल्य सृजन के लिए सुदृढ़ संभावना के साथ भविष्य के उद्योग-लीडर्स पैदा करने व उन्हें आगे बढ़ाने की बैंक की क्षमता का मजबूत संकेत है।

बैंक व्यापक स्तर पर समाज के सहयोग के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। हम सभी आय वर्ग के लोगों की संवद्धि तथा आर्थिक प्रगति में सहायक उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराकर अपने सभी हितधारकों के लिए विश्वसनीय सहभागी के रूप में सेवा देना जारी रखेंगे। नोटबंदी तथा कर सुधारों के माध्यम से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने जैसे हाल ही में सरकार द्वारा किए गए उपायों के माध्यम से देखे गए प्रमुख परिवर्तन सुधारों के दौरान बैंक गुणवत्ता संवृद्धि की राह पर अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

अपनी बैंकिंग लीडरशिप की मजबूती के लिए तकनीकी उन्नयन को शामिल करना

परिवर्तनशील भारत डिजिटल प्रेमी है तथा उसे बैंकिंग उद्योग से बहुत अपेक्षाएँ है। हम स्थायी, विश्वसनीय तथा तकनीकी समाधान विकसित, स्थापित व बनाये रखने तथा ग्राहक संतुष्टि को अधिकतम करने व मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

"हम तकनीकी सक्षम बैकएंड परिचालनों द्वारा समर्थित डिजिटलीकृत संगठन में परिवर्तित होने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

600 आधार अंक — पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल बैंकिंग में संवृद्धि

37% — कुल लेनदेनों में डिजिटल लेनदेनों का अंश

1.96 मिलियन — मर्चेन्ट भुगतान स्वीकृति टच बिंदु

भारत डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है तथा नवोन्मेष व तकनीकी अपनाने की गति को बढ़ाने का साक्षी बन रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ बैंक भी तकनीकी उन्नयन की प्रगति में आगे बढ़ रहा है और स्वयं को आगे रखते हुए बहु-चैनल प्लेटफॉर्मों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अपनी डिजिटल पहलों के परिणामस्वरूप हमने अपने डिजिटल लेनदेनों में अपने हिस्से को बढ़ाया है। वर्ष के दौरान डिजिटल लेनदेन के कुल प्रतिशत में हमारा हिस्सा 600 आधार अंक बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान, हमने अपने डिजिटल अभियान के अभिन्न अंग के रूप में एकल-चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म YONO शुरू किया। सभी B2C (व्यवसाय से ग्राहक) मार्किट स्थल को शामिल करके अपने ग्राहकों की बैंकिंग व जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा देने वाला भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म है। बैंकिंग सेवाओं के अलावा, इस अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) में अन्य वित्तीय उत्पादों, जैसे निवेश, बीमा तथा क्रेडिट कार्ड को शामिल किया गया है।

इस अग्रणी उत्पाद का विकास नवीनतम डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किया गया है।

हम स्वयं को प्रौद्योगिकी सक्षम बैकएंड परिचालन द्वारा समर्थित डिजिटलकृत संगठन में बदलने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। उपभोक्ता से सीधे आमना-सामना करने वाले परिचालनों के डिजिटलीकरण के साथ-साथ, दक्षता में सुधार, परिचालन की लागत को कम करने और राजस्व बढ़ाने वाली भूमिकाओं में कर्मचारियों की पुनः तैनाती के लिए हमने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन में निवेश करना जारी रखा हैं।

एक सर्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन से हम अपनी परिचालन संस्कृति में अनेक तकनीकों को एकीकृत और अवशोषित करने के लिए अत्यधिक प्रेरित हैं।

ब्लॉक शृंखला, मशीन ज्ञानार्जन, कृत्रिम बुद्धि और आईओटी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की संभाव्यता और उत्पादकता को उनके डेटा और विश्लेषण के आधार के रूप में बैंक द्वारा मान्यता दी गई है। बेहतर ग्राहक जुड़ाव, बैंक की उत्पादकता बढ़ाने और कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के लाभों का उपयोग करने और फायदा उठाने लिए उत्कृष्टता के केंद्र, अवधारणा के प्रमाण तथा फिनटेक कंपनियों और विक्रेताओं के साथ एक सहयोगी और निश्चित समयबद्ध योजना बनाई गई है। अपने कर्मचारियों को तकनीकी मोर्चे पर अद्यतन रखने के लिए हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं और इससे वे आकांक्षा भरे और परिवर्तनशील भारत को आधुनिक बैंकिंग प्रदान करने में सक्षम होते हैं।

कुशल जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, आस्ति गुणवत्ता और प्रक्रियाओं में प्रगतिशील वृद्धि

बदलते भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनने के लिए हमें सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ मजबूत बैंक बनना होगा। आगे बढ़ते हुए, पुरानी तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए परिश्रमपूर्वक काम करते हुए हम जोखिम आकलन व प्रबंधन में विश्वसनीय प्रगति कर रहे हैं।

“

हमारा मानना है कि ऋण आकलन की हमारी कठोर प्रक्रियाएँ लंबी अवधि की टिकाऊ गुणवत्ता के विकास और बेहतर शेयरधारक रिटर्न का मुख्य कारक होंगी।

भारतीय बैंकिंग उद्योग के विकास के लिए तनावग्रस्त आस्तियां सबसे बड़ी चुनौती रही हैं। एसबीआई में, हम इन चुनौतियों से परिचित हैं तथा अपनी बहियों में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने संपत्ति चयन के लिए तकनीकी रूप से उन्नत आकलन (अंडरराइटिंग) पद्धतियों को अपनाकर नई हानि को रोकने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। हमारा मानना है कि हमारी कठोर ऋण आकलन प्रक्रियाएँ दीर्घकालिक टिकाऊ गुणवत्ता वृद्धि और बेहतर शेयरधारक प्रतिलाभ का मुख्य चालक होंगी। इसके अलावा, हम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से संभावित हानि को रोकने और उससे बचने के लिए अपनी जोखिम निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों को मजबूत कर रहे हैं।

यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि हमारे व्यापारिक परिचालन निर्धारित प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करें। समय के साथ, हमने नियामक मानकों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक मजबूत जोखिम प्रबंधन मॉडल विकसित किया है।

हमारे पूरे पोर्टफोलियो में, व्यवस्थित रूप से जोखिमों के मापन, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करके हमने पूरे संगठन में जोखिम और अनुपालन संस्कृति के विकास के लिए पहल की है।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई संस्था भली भांति जोखिम-मुक्त हो, हम सक्रिय रूप से पुराने ऋण मुद्दों की पहचान और उनका समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा, हमारी तनावग्रस्त आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न समाधान प्रक्रियाओं में है। ये अंतिम समाधान हमारी आस्ति गुणवत्ता मानदंडों को अर्थपूर्ण ढंग से बेहतर बनाएंगे, और ऋण बढ़ोतरी तथा संवृद्धि का रास्ता खोलेंगे।

एसबीआई में, हम बैंकिंग प्रणाली को कुशल और विश्वसनीय बनाने की दिशा में सक्रिय रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से हमारे देश के मजबूत आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वशर्त है।

हितधारकों के लिए भावी मूल्य सृजन हेतु मूल्यवान व्यवसाय की सृजन क्षमता।

"

राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली में हमारी स्थिति हमें वित्तीय ईकोसिस्टम में बड़े और लाभप्रद व्यावसायिक मॉडल बनाने में सक्षम बनाती है।

समय-समय पर पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वैश्विक जोखिम मानदंडों को पूरा करने की कार्यनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने चुनिंदा सहायक कंपनियों की हिस्सेदारी में आंशिक विनिवेश करके कुछ संपत्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा है।

वर्ष के दौरान, हमने अत्यधिक सफल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एसबीआई लाइफ में अपनी हिस्सेदारी के एक भाग का विनिवेश किया। पिछले सात वर्षों में सबसे बड़े सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में, 3 अक्टूबर 2017 को सूचीबद्ध होने के समय, नव व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) के मामले में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2010 से हर वर्ष भारत की सबसे बड़ी निजी जीवन बीमा कंपनी बनाने में उल्लेखनीय प्रतिभा प्रदर्शित की है।

एसबीआई ने एसबीआई लाइफ के आईपीओ में ₹ 70,000 करोड़ की अपनी 8% हिस्सेदारी बेची, जिससे एसबीआई अपनी संवृद्धि के समर्थन हेतु पूंजी जुटाने में सक्षम हुआ। यह आईपीओ, संस्था निर्माण और मूल्य खोज में एसबीआई की क्षमताओं का मजबूत प्रमाण है।

इसी प्रकार की बैंक की अनेक सहायक कंपनियाँ हैं जो भविष्य के मूल्य देने की क्षमता रखती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, बैंक ने अपनी सहायक कंपनियों और गैर-कोर आस्तियों में निवेश के माध्यम से व्यवसाय में मूल्य सृजन किया है। ये गैर-कोर आस्तियां देश के वित्तीय बाजारों के बुनियादी ढांचे के लिए आधार हैं।

₹67,825 करोड़ — 31 मार्च, 2018 को एसबीआई लाइफ की बाज़ार पूंजी

62.10% — एसबीआई लाइफ में बैंक की वर्तमान हिस्सेदारी

₹5,436 करोड़ — आईपीओ के माध्यम से एसबीआई लाइफ के 8% हिस्से को बेचकर उगाही

बदलते भारत को केवल बैंकिंग संस्थान ही नहीं बल्कि मजबूत वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है। कई गैर-बैंकिंग सहायक अनुषंगियों का स्वामित्व और प्रबंधन एसबीआई के पास है। ये कंपनियां अपने अधिकार क्षेत्र में अग्रणीय (लीडर) हैं। हम मानते हैं कि वित्त वर्ष 2018 में एसबीआई लाइफ में आंशिक विनिवेश तथा उसके बाद के आईपीओ के समान ही हम इन व्यवसायों से भारी मूल्य प्राप्त (अनलॉक) करने में सक्षम होंगे।

संरचित कौशल विकास के माध्यम से, अपनी मानव पूंजी की संभावित अनलॉकिंग।

“

हम अपने प्रयासों को कौशल विकास तथा रोजगार की जानकारी बढ़ाने वाले लगातार प्रशिक्षण की ओर ले जा रहे हैं।

कर्मचारी हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और उनकी क्षमता को पोषित करना व्यावसायिक उत्कृष्टता तथा बदलते भारत की मांगों को पूरा करने का मूल है। बैंक की लाभप्रदता और दक्षता में सुधार के लिए, हमारा चिंतन भी अपनी उत्पादकता में सुधार की दिशा में हैं। हम अपने प्रयासों को कौशल विकास तथा जॉब की जानकारी बढ़ाने वाले लगातार प्रशिक्षण की ओर ले जा रहे हैं। इससे हमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा लक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में, हमने बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोलकाता में एक अत्याधुनिक संस्थान “स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप” (एसबीआईएल) की स्थापना की है।

इसके अलावा, हमारे पास एक मजबूत व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली भी विद्यमान है, जो बैंक के सभी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकता पूरी करती है और उन्हें उद्योग में आगे रहने के लिए तैयार करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, जोखिम, विपणन, ग्रामीण बैंकिंग, आईटी, लीडरशिप तथा मानव संसाधन के क्षेत्रों में विशेषीकृत आंतरिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है।

वर्ष के दौरान, हमने पुरस्कार व मान्यता योजना लागू की जिसमें उच्च निष्पादन करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को भी तर्कसंगत बनाया गया है तथा अपनी प्रगति का पता लगाने के लिए सभी कर्मचारियों को डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है।

पदानुक्रम में नेतृत्व पाइपलाइन विकसित करने के लिए हमारा बल संभावित लीडरों की पहचान तथा उनके विकास में निवेश करना है। इसके अतिरिक्त, सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया के कारण अधिकारियों और सहयोगियों की औसत आयु घट रही है। बैंक का उद्देश्य, संपूर्ण मानवशक्ति को इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए लाभ और लागत अनुमानों के आधार पर युवाओं को शामिल करना है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है, हम नवाचार और ज्ञान के मार्ग पर अधिक स्फूर्ति से आगे बढ़ रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हम भारत की परिवर्तन की यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।

50 घंटे

प्रति कर्मचारी औसत प्रशिक्षण मानव-घंटे

बदलते भारत को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए आधुनिक और सक्षम संस्थानों की आवश्यकता है। एसबीआई के लिए, इसका अर्थ है कि हमारे कर्मचारियों में सुदृढ़ क्षमताएँ तथा मूल्य आधारित संस्कृति हो। हम पूरे संगठन में लगातार नैतिकता और मूल्य आधारित संस्कृति को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह हमारी कार्यनीति और प्रक्रियाओं के मूल में है।

स्थायी संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संचालक परिवर्तन

बदलते भारत की सेवा करने में सक्षम होने के लिए, हमें मजबूत और उच्च निष्पादन करने वाला बैंक बनने के लक्ष्य हेतु एक सुदृढ़ आत्ममंथन संस्कृति की आवश्यकता है। अपनी नई आंतरिक बजट प्रक्रियाओं के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे व्यवसाय के हर पहलू से हमारे ग्राहक सेवा स्तर, हमारे जोखिम प्रबंधन और शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम किया जा सके। इस परिणाम उन्मुख अनुशासन से हम भारत के बदलाव को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

"जोखिम समायोजित अधिकतम प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित कर हमने अपनी बजट प्रक्रियाओं को पूरी तरह से संशोधित किया है।

एसबीआई में, हम जोखिम समायोजित लाभ के साथ-साथ ग्राहक केंद्रित बजटिंग की एक सुदृढ़ संस्कृति तैयार कर रहे हैं। जोखिम समायोजित प्रतिफल के आधार पर अपने व्यवसाय को चलाने के पीछे हमारा इरादा अधिकतम प्रतिलाभ, जोखिम न्यूनीकरण व पूंजी संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना है।

यह परिवर्तन, यह जाँचने की पूर्व-आवश्यकता है कि क्या चारों ओर चुनौतियों से जूझता बैंकिंग क्षेत्र दबाव में रह कर दक्षता और लाभप्रदता के मानकों के साथ कार्य कर सकता है। हमने प्रमुख मानदंडों पर लक्ष्य निर्धारित करके अपनी बजट प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित किया है। हमारे दक्षता मानकों में अन्य चीजों के अलावा मध्यम अवधि के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ; इक्विटी पर प्रतिलाभ; लागत-आय अनुपात; निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम); क्रेडिट-जमा अनुपात शामिल है। व्यावसायिक इकाइयों से भी अपेक्षित है कि वे भी जोखिम भारित आस्तियों पर प्रतिलाभ पर ध्यान केंदित करें। परिभाषित कार्यनीतियों के साथ हमारा प्रयास मध्यम अवधि के दौरान प्रत्येक मानदंड पर सकारात्मक परिणाम लाने का है।

एसबीआई समूह संरचना

31 मार्च, 2018 को

गैर- बैंकिंग अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
  - एसबीआई कैप (यू के लि.)
  - एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
- 69.04% एसबीआई डीएफएचआई लि.
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- 60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
- 63% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
  - एसबीआई फंडस मैनेजमैंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि .
- 74% एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
- 62.10% एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
- 65% एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.
- 74% एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
- 74% एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि .
- 49% सी-एज टेक्नोलोजीज लि.
- 45% मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
  - मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्ट्मेंट फंड मैनेजमैंट कंपनी प्रा. लि.
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 100% एसबीआई फाउंडेशन
- 100% एसबीआई इंफ्रा मैनेजमैंट सॉलूशन्स प्रा. लि.
- 30% जियो पेमेंट्स बैंक लि.

स्वामित्व हिस्सेदारी का %

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम

- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)
- 100% एसबीआई कनाडा बैंक
- 60% सीआईबीएल - मास्को
- 96.60% एसबीआई मॉरिशस लि.
- 99% बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
- 55.37% नेपाल एसबीआई बैंक लि.
- 100% बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.
- 20% बैंक ऑफ भूटान लि.
- 8.86% स्टर्लिंग बैंक पीएलसी
- 19.50% कुकुज परियोजना विकास कंपनी

विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगी

- 99.99% एसबीआई सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राज़ील

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	635	635	635	671	684	747	747	776	797	892
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498	187,489	2,18,236
जमाराशियां (करोड़ ₹)	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751	27,06,344
उधारियां (करोड़ ₹)	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694	3,62,142
अन्य (करोड़ ₹)	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235	1,67,138
कुल (करोड़ ₹)	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990	10,60,987
अग्रिम (करोड़ ₹)	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078	19,34,880
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898	4,58,885
कुल (करोड़ ₹)	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	20,873	23,671	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015	57,195	61,860	74,854
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368	14,224	17,908	26,984	32,247	70,680
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082	32,109	39,537	43,258	50,848	59,511
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314	13,774	14,855	-15,528
निवल लाभ (करोड़ ₹)	9121	9,166	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102	9,951	10,484	-6,547
औसत आस्तियों से आय (%)	1.04	0.88	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68	0.46	0.41	-0.19
ईक्विटी से आय (%)	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17	7.74	7.25	-3.78
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	46.62	52.59	47.6	45.23	48.51	52.67	49.04	49.13	47.75	50.18
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	474	446	385	531	645	485	602	470	511	-243
प्रति शेयर आय (₹)	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55	12.98	13.43	-7.67
प्रति शेयर लाभांश (₹)	29	30	30	35	41.5	30	3.5	2.60	2.60	निरंक
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25	293.40	249.90
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21	20.28	20.11	लागू नहीं
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II (₹ करोड़ में)	85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685	2,34,056
बासेल-II (%)	14.25	13.39	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79	13.94	13.56	12.74
टियर I (₹ करोड़ में)	56,257	64,177	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506	1,84,146
टियर I (%)	9.38	9.45	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1	10.41	10.27	10.02
टियर II (₹ करोड़ में)	29,136	26,798	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466	46,043	50,179	49,910
टियर II (%)	4.87	3.94	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69	3.53	3.29	2.72
बासेल-III (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731	2,38,154
बासेल-III (%)						12.44	12	13.12	13.11	12.60
टियर I (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644	1,95,820
टियर I (%)						9.72	9.6	9.92	10.35	10.36
टियर II (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30,604	29,362	42,868	43,087	42,334
टियर II (%)						2.72	2.4	3.20	2.76	2.24
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.79	1.72	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12	3.81	3.71	5.73
देश में शाखाओं की संख्या	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333	16,784	17,170	22,414
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	92	142	156	173	186	190	191	198	195	206

*22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपए प्रति शेयर से 1 रुपया प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15 से आँकड़े 1 रुपए प्रति शेयर और शेष पिछले वर्ष के लिए 10 रुपए प्रति शेयर के अनुसार हैं।

रेटिंग्स

31 मार्च 2018 को

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए 2/पी-2/स्टेबल बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3 बीबीबी-/एफ़ 3/ स्टेबल	मूडीस एस एण्ड पी फिच

₹ मूल्यवर्ग में लिखत

नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	एएए/ स्टेबल केयर एएए	क्रिसिल केयर
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	एएए/ स्टेबल केयर एएए	क्रिसिल केयर
निम्नतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल केयर एएए (आईसीआरए) एएए	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III टियर II	एएए/स्टेबल केयर एएए/स्टेबल (आईसीआरए) एएए (एचवाईबी) (स्टेबल)	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III एटी 1 नवोन्मेषी बेमियादी ऋण	क्रिसिल 'एए +/स्टेबल' "केयर एए+'	क्रिसिल केयर

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एस एंड पी : स्टेंडर्ड एण्ड पुअर

केंद्रीय निदेशक बोर्ड
31 मार्च 2018 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक

श्री संजीव मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

श्री भास्कर प्रमाणिक
शेयरधारक निदेशक

श्री बसंत सेठ
शेयरधारक निदेशक

डॉ. गिरीश के. अहूजा
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पुष्पेंद्र रॉय
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजीव कुमार
सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग,
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री चंदन सिन्हा
अपर निदेशक, सीएएफआरएएल
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार

प्रबंध निदेशक
श्री बी. श्रीराम
श्री पी. के. गुप्ता
श्री दिनेश कुमार खारा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री भास्कर प्रमाणिक
श्री बसंत सेठ

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. गिरीश के. अहूजा
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
श्री राजीव कुमार

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
श्री चंदन सिन्हा

बोर्ड की समितियां
(31 मार्च 2018 को)

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)
अध्यक्ष, **श्री रजनीश कुमार**

प्रबंध निदेशक
श्री बी. श्रीराम, श्री पी. के. गुप्ता और
श्री दिनेश कुमार खारा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती), अर्थात **श्री चंदन सिन्हा, और सभी या अन्य कोई निदेशक जो सामान्यत:** भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित रहे ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक - सदस्य
श्री चंदन सिन्हा, आरबीआई के नामित निदेशक - सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - सीएण्डजीबी -सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - सीएण्डजीबी -सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - सीएण्डजीबी -सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - आरएण्डडीबी - सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - सीएण्डजीबी - सदस्य (पदेन)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - आरएण्डडीबी - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - आरएण्डडीबी - सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामिती निदेशक - सदस्य (पदेन)
श्री चंदन सिन्हा, आरबीआई नामिती निदेशक - सदस्य (पदेन)
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

बोर्ड की नामांकन समिति
डॉ. गिरीश के. अहूजा, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री चंदन सिन्हा, आरबीआई नामिती निदेशक - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)
श्री रजनीश कुमार - अध्यक्ष
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - सीएण्डजीबी - सदस्य (पदेन)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - आरएण्डडीबी - सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामिती निदेशक - सदस्य (पदेन)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - आरएण्डडीबी - समिति के अध्यक्ष
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक - आर,आईटीएण्डएस - सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रमाणिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के निर्धारण हेतु समीक्षा समिति
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - (सीएण्डबीजी) - समिति के अध्यक्ष
बैंक के अन्य दो स्वतंत्र निदेशक

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य
दिनांक 31 मार्च 2018 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री सुनील श्रीवास्तव
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री अरिजीत बसु
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री सिद्धार्थ सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्रीमती अंशुला कांत
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

डॉ. एम. एस. शास्त्री
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री जे. पकरीसामी
उप प्रबंध निदेशक
(मिड कॉरपोरेट ग्रुप)

श्री मृत्युंजय महापात्र
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य सूचना अधिकारी

श्री शेखर कर्णम
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य ऋण अधिकारी

श्री सी. वेंकट नागेश्वर
उप प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल मार्केट्स)

श्री पल्लव महापात्र
उप प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

श्री बी. सी. दास
उप प्रबंध निदेशक
(निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा)

श्री नीरज व्यास
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य परिचालन अधिकारी

श्री प्रशांत कुमार
उप प्रबंध निदेशक (मा. सं.) एवं
कॉरपोरेट विकास अधिकारी

श्रीमती पद्मजा चुंदुरु
उप प्रबंध निदेशक
(डिजिटल बैंकिंग एवं नव व्यवसाय)

श्री के. वी. हरिदास
उप प्रबंध निदेशक
(रिटेल व्यवसाय)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) से भिन्न

31.03.2018 को

अहमदाबाद
श्री दुखबंधु रथ
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

अमरावती
श्री मणि पालवेसन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलूरु
श्री एस. एम. फारूकी साहब
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री के. टी. अजित
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्रीमती प्रवीणा काला
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री अनिल किशोरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई
श्री बी. रमेश बाबु
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

गुवाहाटी
श्री पी.वी.एस.एल.एन. मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री स्वामीनाथन जे.
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

जयपुर
श्री विजय रंजन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्री पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्री गौतम सेनगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री बसंत सेठ*

मुंबई
श्री अजय कुमार व्यास
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा*

नई दिल्ली
श्री आलोक कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री भास्कर प्रमाणिक*
डॉ. गिरीश के अहूजा*
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय*
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता*

पटना
श्री संदीप तिवारी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवनंतपुरम
श्री एस. वेंकटरमन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स वर्मा एण्ड वर्मा
कोच्चि

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड शाह
मुंबई

मेसर्स रे एण्ड रे
कोलकाता

मेसर्स एस.के मित्तल एण्ड कंपनी
नई दिल्ली

मेसर्स राव एण्ड कुमार
विशाखापट्टनम

मेसर्स ब्रहम्य्या एण्ड कंपनी
चेन्नई

मेसर्स चटर्जी एण्ड कंपनी
कोलकाता

मेसर्स मनुभाई एण्ड शाह एलएलपी
अहमदाबाद

मेसर्स बंसल एण्ड कं
नई दिल्ली

मेसर्स मित्तल गुप्ता एण्ड कंपनी
कानपुर

मेसर्स एम. भास्कर राव एण्ड कंपनी
हैदराबाद

मेसर्स अमित रे एण्ड कंपनी
इलाहाबाद

मेसर्स एल एल छाजेड़ एण्ड कंपनी
भोपाल

मेसर्स जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
नई दिल्ली

अध्यक्ष की कलम से

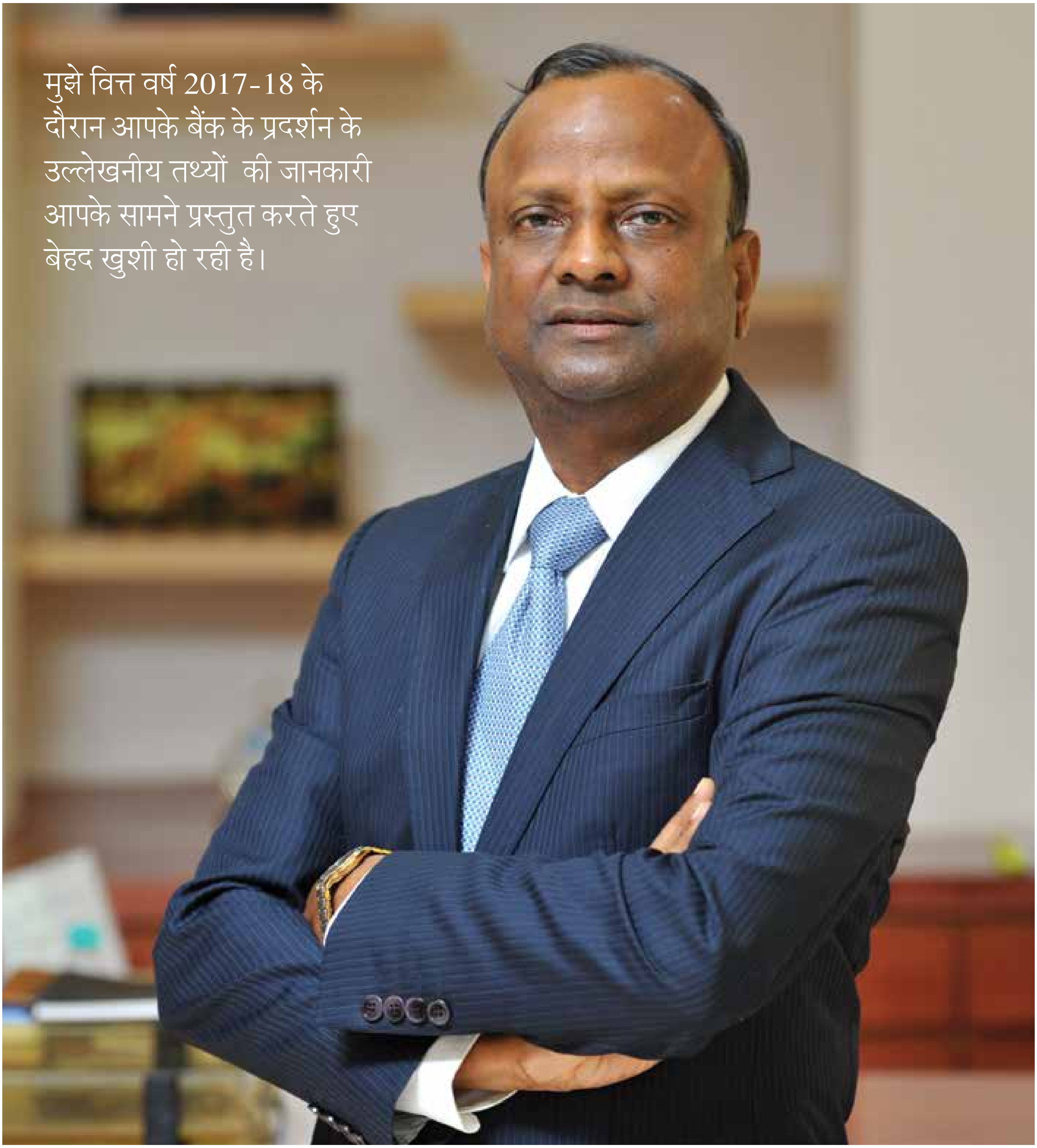
मुझे वित्त वर्ष 2017-18 के
दौरान आपके बैंक के प्रदर्शन के
उल्लेखनीय तथ्यों की जानकारी
आपके सामने प्रस्तुत करते हुए
बेहद खुशी हो रही है।

प्रिय शेयरधारको,

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक के प्रदर्शन के उल्लेखनीय तथ्य मैं सहर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके बैंक द्वारा की गई पहलों तथा उपलब्धियों का विवरण संलग्न वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में उपलब्ध है।

आर्थिक परिदृश्य

विश्व अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग वृद्धि दर दर्ज की गई। विशेषकर, यूएस तथा यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। इस बीच, उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, उभरते यूरोप में वृद्धि के गति पकड़ने और उभरते एशिया की निरंतर वृद्धि इस वृद्धि के प्रमुख कारण रहे हैं। तेल की कीमतों के नीचे रहने और भौगोलिक राजनीतिक संघर्षों के कारण मध्य-पूर्व की वृद्धि दर धीमी रही है। अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने और अमेरिका एवं चीन के बीच व्यापार युद्ध के भय से वर्ष 2018 में वित्तीय अस्थिरता बढ़ी है। जो भी हो, दोनों देशों के बीच हुए कुछ समझौतों के बाद अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ लगाए जाने वाले टैरिफ को रद्द कर दिया गया है, जिससे बड़े व्यापार युद्ध की आशंका अब टल गई है। कुल मिलाकर विश्व की जीडीपी के 2018 में 3.9% की दर से बढ़ने की संभावना है जिसमें विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा क्रमशः 2.5% तथा 4.9% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। इन सबके बावजूद, अधिकतर संरक्षणवादी नीतियों को अपनाए जाने, भौगोलिक राजनीतिक अनिश्चितता और यूएस द्वारा ईरान पर बढ़ाए गए प्रतिबंधों तथा उसके कारण तेल की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव विश्व वृद्धि दर के बढ़ने में बड़े खतरे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त वर्ष 2018 की 6.7% वृद्धि दर के मुकाबले वित्त वर्ष 2019 में 7.4% वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण विश्व स्तर पर बेहतर माँग, अच्छे मानसून की संभावनाएं, ऋण व्यवसाय में तेजी और सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सुधार हैं। इनसॉलवेंसी एवं बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान से अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।

आपके बैंक का प्रदर्शन

कासा जमा राशियों के निरंतर बढ़ने से जमा वृद्धि दर में मजबूती

विगत वर्ष हुए विमुद्रीकरण के कारण, आपके बैंक की कुल जमा राशियों में 4.68% ठीकठाक वृद्धि हुई और ये ₹ 27,06,343 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई जो पिछले वर्ष ₹ 25,85,320 करोड़ थी। कुल जमा राशियों में बढ़ोत्तरी मुख्यतया बचत बैंक जमा राशियों में वृद्धि 7.88% और विदेश स्थित कार्यालयों की जमा राशियों में 17.07% वृद्धि होने के कारण आपके बैंक का कासा अनुपात बढ़कर 45.68% हो गया है, जो पिछले वर्ष के 44.40% के मुकाबले 128 आधार अंक अधिक है।

रिटेल ऋणों से ऋण वृद्धि दर को गति

आपके बैंक के कुल ऋण ₹ 20,00,000 करोड़ के स्तर को पार कर चुके हैं। 4.91% की वृद्धि के साथ ये पिछले वर्ष के ₹ 19,52,507 करोड़ के स्तर से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 20,48,387 करोड़ पर पहुँच गए हैं। देश में कुल ऋणों में वैयक्तिक, एसएमई और कृषि रिटेल ऋणों का हिस्सा 57.5% (₹17,46,389 करोड़) है। अग्रिमों में अधिकांश वृद्धि गृह ऋण और ऑटो ऋण खुदरा क्षेत्र से आयी। कुल मिलाकर, रिटेल ऋणों में वित्त वर्ष 2018 में 13.55% की वृद्धि हुई। यह इस क्षेत्र में जोरदार वृद्धि करने की बैंक की रणनीति के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2018 में गृह ऋण 13.26% बढ़कर ₹3,13,106 करोड़ के हो गए जबकि वित्त वर्ष 2017 में ये ₹ 2,76,454 करोड़ के थे। आपके बैंक के पर्सनल रिटेल ऋणों में वित्त वर्ष 2018 में 57% हिस्सा गृह ऋण का है। आपका बैंक मार्च 31 मार्च 2018 को एएससीबी के बीच 32% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा ऋण प्रदाता है।

चैनल बढ़ाने की नीति

अग्रसर भारत की गतिशीलता को बढ़ाने और इसे निरंतर गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने सर्वाधिक संख्या में टच प्वाइंट, शाखाएं तथा अन्य माध्यम जनता तक पहुंचने के लिए स्थापित किए हैं। आज देश भर में हमारी 22,414 शाखाएं, 59,541 एटीएम, सीडीएम, रीसायक्लर्स, 6.10 लाख पीओएस मशीने और 58,274 व्यवसाय प्रतिनिधि केंद्र हैं। कस्टमर एक्सपीरियेंस एक्सलेंस प्रोग्राम सीईईपी पूरे देश में पाँच हजार से अधिक शाखाओं के लिए आरंभ किया गया है। इसमें एटीएम, सीडीएम/ रीसायक्लर, पासबुक प्रिंटिंग के लिए स्वयं इलेक्ट्रॉनिक चेक ड्रॉप बॉक्स तथा इंटरनेट समर्थित पीसी जैसी स्वयं सहायता मशीनें शामिल हैं।

आपका बैंक देश भर में विश्वसनीयता का प्रतीक है। एनआरआई समुदाय, भारतीय कॉरपोरेट, निर्यातकों और आयातकों के साथ ही स्थानीय समुदायों एवं कॉरपोरेट के लिए वित्तीय उत्पादों के साथ इसने अपने पंख पूरी दुनिया में फैलाए हैं। वर्तमान में आपके बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या 206 है। ये सभी महाद्वीपों के 35 देशों में स्थित हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान आपके बैंक ने मालदीव्स में एक नई शाखा खोली है। नेपाल एसबीआई बैंक लि., जो एसबीआई की सहायक कंपनी है, ने अपनी सात शाखाएं खोली हैं। इसी अवधि में, सिलहट शाखा (बांग्लादेश) और दोहा शाखा (कतर) को बंद कर दिया गया। दो मैनेज्ड एक्सचेंज कंपनियाँ और दो प्रतिनिधि कार्यालय भी (दुबई और अबू धाबी में) एसोसिएट बैंकों के मर्जर से एसबीआई में शामिल हो गए हैं।

तकनीक एवं डिजिटल बैंकिंग

आपका बैंक भारत में अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रबल समर्थक है। आपका बैंक अपने ग्राहकों को अभिनव तथा अत्याधुनिक उत्पाद इस उद्देश्य से उपलब्ध करा रहा है कि वे कभी भी और कहीं से भी उपलब्ध रहें।

करीब 27.83 करोड़ डेबिट कार्ड के साथ मार्च 2018 में आपका बैंक देश में डेबिट कार्ड जारीकर्ताओं में 32.3% बाजार शेयर के साथ शिखर पर था। अगस्त 2017 में, आपके बैंक ने तुरंत उपलब्ध व्यक्तिगत फोटो डेबिट कार्ड-'क्विक फोटो डेबिट कार्ड' नाम से शुरू किए हैं, पाँच मिनट के भीतर जारी करने की यह सुविधा स्टेट बैंक के किसी भी शाखा के बचत खाता धारक के लिए उपलब्ध है।

आपके बैंक का एटीएम नेटवर्क 31 मार्च 2018 को 59,541 एटीएम, कैश जमा मशीन (सीडीएम) और रीसायक्लर के साथ विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। आपके बैंक के पास भारत में एटीएम नेटवर्क का 28.8% बाजार शेयर है (भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े)। एसबीआई एटीएम नेटवर्क के द्वारा भारत के कुल एटीएम लेनदेन का 47.2% लेनदेन होता है। औसतन प्रतिदिन हमारे एटीएम नेटवर्क के द्वारा एक करोड़ लेनदेन होते हैं।

मोबाइल बैंकिंग चैनल में अब 305 लाख से अधिक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं। वित्त वर्ष 2018 में ₹ 6,00,000 करोड़ मूल्य के लेनदेन हुए। आपके बैंक ने लेनदेन की मात्रा (21.2%) और लेनदेन के मूल्य (19.8%) दोनों वर्गों में सभी बैंकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

एसबीआई ऑनलाइन विश्व की 5वीं सबसे अधिक लोकप्रिय वित्तीय वेबसाइट है, इसके 4.79 करोड़ प्रयोक्ताओं ने वर्ष के दौरान 159 करोड़ लेनदेन किए।

भारत डिजिटल क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है। नवोन्मेषन एवं नूतन तकनीक को अधिकाधिक अपनाने का साक्षी बन रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। आपका बैंक भी तकनीकी उन्नति के साथ प्रगति कर रहा है। मल्टी चैनल प्लेटफार्म पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में स्वयं को आगे रखे हुए है। वर्ष के दौरान अपनी डिजिटल पहल के तहत हमने कुल लेनदेन के प्रतिशत में डिजिटल लेनदेन के प्रतिशत को 600 आधार अंक बढ़ाया है।

24 नवंबर 2017 को, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के प्रथम सर्वसुविधा संपन्न डिजिटल सेवा प्लेटफार्म योनो यानी 'यू ओनली नीड वन' का आरंभ किया। एक सर्वांगीण सर्व-सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म चैनल 'योनो' बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय उत्पादों के साथ भारत के सबसे बड़े B2C मार्केट प्लेस पर अपने ग्राहकों की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप 16 वर्गों में उपलब्ध है। 31 मार्च 2018 तक 4 मिलियन आवेदनकर्ताओं ने इसे डाउनलोड किया जिसमें 1.36 लाख डिजिटल और इंस्टा बचत खाता खोले गए।

हम स्वयं को ऐसे डिजिटल संगठन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसके बैक एंड परिचालन तकनीक समर्थित हों। ग्राहकों से संबंधित परिचालन के डिजिटलीकरण के साथ-साथ हम अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन में निवेश करते रहेंगे। इससे परिचालन खर्च में कमी आएगी। हम अपने कर्मचारियों को आय बढ़ाने के कार्यों में लगा सकेंगे। लेनदेन के डिजिटल भुगतान के ऐसे निरंतर प्रयासों से न केवल लेनदेन के खर्च में कमी आएगी बल्कि इससे कागज के कम प्रयोग के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिलेगी।

लाभप्रदता

शुद्ध लाभ के मामले में वर्ष 2017-18 एक कठिन वर्ष रहा। इसके प्रमुख कारण ऋण हानि प्रावधान, सरकारी सिक्योरिटीज के सीधे बाजार में कारोबार से नुकसान और बड़े पैमाने पर किए गए प्रावधान तथा बैंक कर्मियों को भुगतान रहे।

बैंक का परिचालन लाभ और बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 18 में क्रमशः ₹59,511 करोड़ और ₹74,854 करोड़ के स्तर पर स्थिर रही, जिसका प्रमुख कारण ऋण सम्पत्तियों की गुणवत्ता पर निरंतर तनाव रहा।

गैर-ब्याज आय और शुल्क आय में वित्त वर्ष 18 में क्रमशः 4.61% और 10.51% प्रतिशत की वृद्धि हुई। बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली में 34.56% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई और इस प्रवृत्ति के अभी जारी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 18 में स्टाफ खर्चों में 2.34% कमी आई। 3,211 नए कर्मचारियों ने बैंक सेवा ग्रहण की जबकि 18,973 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। वर्ष के दौरान कुल कार्यबल में 15,762 व्यक्तियों की कमी आई। इसी तरह, पूरे संगठन में सुदृढ़ जागरूकता उत्पन्न होने और विभिन्न लागत इष्टतमीकरण उपायों को लागू किए जाने के कारण, ऊपरी खर्च में बढ़ोतरी को 10% से कम तक नियंत्रित रखा गया।

ट्रेडिंग पक्ष चौथी तिमाही में, घरेलू बॉण्ड के प्रतिफल में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अप्रत्याशित रहा। इसका मुख्य कारण, कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, यूएस की ब्याज दरों में तेजी और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक जोखिमों का बढ़ना है। परिणामस्वरूप ट्रेडिंग आय में कमी आई और एमटीएम में भारी घाटा हुआ। हालांकि आरबीआई द्वारा व्यापार बही के नुकसान को चार तिमाहियों में परिशोधित करने की छूट दी थी, पर हमने आरबीआई की इस छूट का लाभ नहीं लिया।

ऋण संपत्ति गुणवत्ता

बैंक का सकल एनपीए मार्च 2017 के ₹ 1,77,866 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 2,23,427 करोड़ हो गया जबकि समान अवधि में नेट एनपीए ₹ 96,978 करोड़ से बढ़कर ₹1,10,855 करोड़ हो गया। आरबीआई की फरवरी 2018 की अधिसूचना के बाद कॉरपोरेट तनावग्रस्त ऋण-संपत्तियों की पहचान की पद्धति में पर्याप्त बदलाव हुए। वित्त वर्ष 2018 में स्लिपेज अनुपात घटकर 4.85% हो गया जो पिछले वर्ष 5.78% था। कुल मिलाकर सकल एनपीए अनुपात 10.91% रहा। वित्त वर्ष 2018 की समाप्ति पर निवल एनपीए अनुपात 5.73% रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में 464 आधार अंक की वृद्धि के साथ यह मार्च 2017 के 61.53% से बढ़कर मार्च 2018 में 66.17% हो गया।

आरबीआई द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निदेश जारी करने के बाद बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क किया। मार्च 2018 में बैंक की ₹ 77,626 करोड़ की राशि एनसीएलटी रिजोल्यूशन के लिए सूचीबद्ध की गई है। इन खातों का पीसीआर 63% है। हमें वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में एनसीएलटी की सूची 1 के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाधान की उम्मीद है। एनसीएलटी सूची 2 का समाधान वित्त वर्ष 2019 के अंत तक होने की संभावना है।

इस अवधि के दौरान रिटेल ऋण सम्पत्तियों की गुणवत्ता बेहतर हुई है। कॉरपोरेट क्रेडिट साइकल भी लगभग समाप्ति पर है। वित्त वर्ष 2019 से इसमें और अधिक सुधार देखने को मिलेगा।

पूंजी संरचना

पहले की तुलना में अधिक प्रावधान करने के कारण लाभप्रदता प्रभावित होने के बावजूद बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात सीएआर में पोर्टफोलियो पुनर्संरचना से सुधार होने के कारण क्रेडिट रिस्क वेटेड की तुलना में ग्रौस क्रॉस एडवांस अनुपात 780 आधार अंक घटकर 31 मार्च 2018 को 71.14% हो गया। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹15,000 करोड़ क्यूआईपी इक्विटी के द्वारा अर्जित किए। यह भारत में अब तक का सर्वाधिक और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा क्यूआईपी है। सरकार ने भी ₹ 8,800 करोड़ का पूंजी निवेश किया। ₹ 5,436 करोड़ एसबीआई लाइफ के आईपीओ के माध्यम से 8% हिस्सेदारी के विनिवेश द्वारा प्राप्त हुए। परिणामस्वरूप बैंक का सीईटी 1 अनुपात 27 बेसिस प्वांइट सुधरकर मार्च 2018 में 9.68% हो गया। कुल सीएआर 12.60% रहा जो विनियामक आवश्यकताओं से पर्याप्त अधिक है।

नए व्यावसायिक प्रयास

वित्त वर्ष 2018 के दौरान आपके बैंक ने अनेक नवोन्मेषी और नए प्रयास प्रत्येक व्यवसाय को गति देने के लिए किए। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्न प्रकार हैं:

- आपके बैंक ने एसबीआई के साथ इसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का ऐतिहासिक मर्जर 1 अप्रैल 2017 को पूरा किया। हमारी टीम ने अथक प्रयास किए। पूरी प्रक्रिया निर्बाध पूरी कर ली गई। न तो टेक्नोलोजी और न ही एचआर के काम में कोई बाधा आई। ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने का कार्य सुचारु रूप से चला। मर्जर का लाभ अब एक नहीं अनेक क्षेत्रों में मिल रहा है।

- भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप आपके बैंक ने किफ़ायती आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की पहलें की हैं। आवास ऋण क्षेत्र में बेहतर और शीघ्र ऋण मिलने की ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए आपके बैंक ने कम समय में ऋण देना सुनिश्चित करने का एक अभियान चलाया। इस कारण आवास ऋण मंजूरी का औसत समय मार्च 2018 तक घट कर मात्र 9 दिन रह गया। यह इंडस्ट्री स्तर पर सबसे कम समय है।

- आपके बैंक ने दो नई वेबसाइट शुरू की हैं, इनमें से एक केवल एसबीआई होम लोन के लिए है (https://homeloans.sbi) यह ग्राहकों को बैंक के होम लोन उत्पादों के विषय में त्वरित जानकारी देती है। दूसरी एसबीआई रियल्टी है (www.sbirealty.in) यह वेबसाइट ग्राहकों को बैंक द्वारा अनुमोदित भारत भर की परियोजनाओं की जानकारी घर खरीदने वालों को देती है। यह डेवलपर्स और खरीदारों को एक प्लेटफार्म पर लेकर आता है जिससे ग्राहकों को एसबीआई की अनुमोदित परियोजनाओं की जानकारी मिलती है।

- किफ़ायती हाउसिंग के क्षेत्र में "एसबीआई गृहनिर्माण अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस योजना" लांच की गई है। इसका उद्देश्य किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना है। पहली बार घर खरीद रहे ग्राहकों की इसमें सहायता करना है। आपका बैंक क्रेडाई के एक इवेंट में पार्टनर बना जिसमें 375 अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को पूरे भारतवर्ष में एक साथ लॉन्च किया गया।

- शिक्षा ऋण आवेदनों की ट्रैकिंग और उसकी तत्काल संस्वीकृति के लिए आपके बैंक ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल, भारत सरकार के साथ लोन ओरिजिनेशन सिस्टम को परस्पर जोड़ा है ताकि शिक्षा ऋण के आवेदनों की ट्रैकिंग और त्वरित संस्वीकृति सुनिश्चित की जा सके।

- वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग निरंतर शुल्क आय का अब सशक्त माध्यम बन गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं के तहत आपके बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान 5 नए केंद्र और 55 विशेष नए वेल्थ को जोड़ा है। इसके ग्राहकों की संख्या मार्च 2018 में 24,168 पर पहुँच गई जो मार्च 2017 में 3,772 थी। एयूएम यानी प्रबंध अधीन खातों की राशि मार्च 2018 में ₹14,284 करोड़ पर जा पहुंची है जो मार्च 2017 में ₹ 2,996 करोड़ थी। आपके बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए भी वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ शुरू की हैं। ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग यूनिट (टीबीयू) टेक्नोलोजी संचालित इकाई है। इसके प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए उत्पादों और समाधानों से संबंधित अनेक प्रकार के लेनदेन किए जा सकते हैं।

- ट्रांजेक्शन बैंकिंग यूनिट (टीबीयू) टेक्नोलोजी संचालित इकाई है। इसके प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए उत्पादों और समाधानों से संबंधित अनेक प्रकार के लेनदेन किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान टीबीयू की शुल्क आय में वर्ष-दर-वर्ष 33.6% की वृद्धि हुई और टर्नओवर राशि बढ़कर 67.3% तक हो गई। बाजार में आ रही नई तकनीकों पर नजर रखते हुए, आपका बैंक ग्राहकों को भविष्य के लिए टेक्नोलोजी आधारित समाधान उपलब्ध कराता है।

- आपके बैंक ने देश के पहले व्यापक डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म योनो "YONO" यानी (You Only Need One) की शुरुआत की है जो ग्राहकों की दैनिक जीवनशैली की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके लिए अन्य वित्तीय उत्पादों के साथ-साथ भारत के सबसे बड़े B2C मार्केटप्लेस तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

- अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनने के लक्ष्य के साथ आपके बैंक ने एनएचएआई की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आईटीसी सफलतापूर्वक लागू की है। आपका बैंक एसबीआई फास्ट टैग जारी कर रहा है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी आरएफआईडी पर आधारित है। ग्राहकों को देशभर के टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिकली टोल भुगतान में सक्षम भी बनाता है। एसबीआई फास्ट टैग का उपयोग कर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिकली टोल का भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक एसबीआई फास्ट टैग वॉलेट को ऑनलाइन टॉपअप या रिचार्ज करने के लिए कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है।

अनुषंगियां

अपनी अनुषंगियों के माध्यम से एसबीआई अपने ग्राहकों को विस्तृत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। वित्त वर्ष में अनुषंगियों के द्वारा अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹ 327 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है जो वित्त वर्ष 2017 में ₹ 252 करोड़ था। एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 2018 में भी बाजार में अपनी लीडरशिप को जारी रखा है। निजी बीमा कंपनियों में वैयक्तिक न्यू बिजनेस प्रीमियम में यह प्रथम है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018 में ₹1150 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह ₹ 955 करोड़ था। एसबीआई कार्ड ने वर्षानुवर्ष 37% की वृद्धि दर्ज की है। कार्ड के द्वारा किए जा रहे खर्चों में वर्षानुवर्ष 73% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2018 में कंपनी ने ₹ 363 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह ₹ 390 करोड़ था। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 7.8 मिलियन निवेशक आधार के साथ वित्त वर्ष 2018 में ₹ 331 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह ₹ 224 करोड़ था। साथ ही वर्ष के दौरान एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार किया।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक प्रमुख फैक्टरिंग सेवा प्रदाता है जिसने वित्त वर्ष 2018 में ₹ 3,555 करोड़ का टर्नओवर किया है जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह ₹ 3,047 करोड़ था। 31 मार्च 2018 को एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड का कुल एयूएम ₹ 89,283 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 66723 करोड़ था। इसमें 34% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसका कुल एयूएम बाजार अंश निजी क्षेत्र में 58% और सरकारी क्षेत्र में 35% है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 17.5% की इंडस्ट्री स्तरीय वृद्धि के मुकाबले सकल लिखित प्रीमियम में 36.1% (वित्त वर्ष 2018 के लिए ₹ 3,553 करोड़) की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2018 में कर पश्चात लाभ ₹ 396 करोड़ रहा जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह ₹ 153 करोड़ रहा था। पीएमएफबीवाई योजनाओं में सहभागिता और भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार करके कंपनी ने वित्त वर्ष 2018 में फसल बीमा में 124.8% की वृद्धि दर्ज की है।

सम्मान और पुरस्कार

आपके बैंक द्वारा प्राप्त किए गए कुछ पुरस्कारों के बारे में बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2018 में हमें सर्वाधिक स्वयं सहायता ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके बैंक को 2017 में जोखिम प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल ट्रेड रिव्यू, लंदन के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ ट्रेड फाइनेंस बैंक फॉर साउथ एशिया रीजन घोषित किया गया। एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा आपके बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है कि हमें गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन सीएसआर तथा ईटी नाउ सीएसआर लीडरशिप अवार्ड विभिन्न वर्गों में दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन में तकनीक के प्रयोग के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बड़े बैंकों में आई डी आर बी टी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड से भी हमें सम्मानित किया गया। आपके बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017 में 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी 'प्रयास' पत्रिका को वर्ष 2017 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है।

अनुषंगियों में, एसबीआई लाइफ को भारत की लीडिंग बीमा कंपनी लाइफ (निजी क्षेत्र) से डुन एंड ब्रॉड स्ट्रीट बीएफएसआई सम्मिट 2018 में सम्मानित किया गया। इसे लगातार 7 वें वर्ष द इकनोमिक टाइम्स ब्रांड इक्विटी नीलसन सर्वे के द्वारा सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रांड 2017 से सम्मानित किया गया। एसबीआई पेंशन फंड को पेंशन फंड हाउस वर्ग में आउटलुक मनी द्वारा वित्त वर्ष 2017 का विजेता घोषित किया गया है। एसबीआई जनरल ने ईटी बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड अवार्ड 2018 और फ्निटेकिटल द्वारा आयोजित बैंकाएश्योरेंस लीडर अवार्ड, इंश्योरेंस अवॉर्ड्स जीता है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

आपके बैंक का मानना है कि समाज के पिछड़े तथा कम भाग्यशाली लोगों के जीवन में निरंतर परिवर्तन लाना उसका दायित्व है। आपके बैंक ने जन-साधारण व्यक्ति की चिंताओं विशेषकर सबसे पिछड़े लोगों को केंद्र में रखा है। आपके बैंक ने पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ के 1% को सीएसआर के इस वर्ष के बजट के लिए निर्धारित किया है। इसकी सीएसआर गतिविधियां व्यापक हैं। इसकी जड़ें गहरी हैं। इसने हजारों गरीबों और पिछड़े समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आपका बैंक सीएसआर समाज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाकर समग्र समाज के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने 151 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 68% की रोजगार दर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 6,13,020 युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 23,007 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।

वित्त वर्ष 2018 में आपके बैंक का सीएसआर का खर्च ₹ 112.96 करोड़ रहा। यह लगातार छठा वर्ष है जब बैंक का सीएसआर खर्च ₹ 100.00 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया।

पर्यावरण एवं अस्तित्व संरक्षण

आपका बैंक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भी सकारात्मक योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहल हैं- (i) कचरे से सोना- एक ऐसी परियोजना है जो आशंकित युवाओं को प्रोत्साहित और दक्ष बनाती है जिससे शहर के कचरा प्रबंधन और इसके जरिए निरंतर आजीविका के लिए छोटे-छोटे व्यवसायों को चलाने में मदद मिले, और (ii) एसबीआई कॉर्बेट- इस परियोजना के अंतर्गत एसबीआई फाउंडेशन गांवों को निरंतर कचरा प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराता है। स्वयं सहायता समूह के कामगारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पास के विद्यालयों और होटलों में प्रशिक्षण देता है।

पर्यावरण के साथ जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन और अवनति ना हो। बैंक की प्राथमिकता है कि इसकी गुणवत्ता लंबे समय के लिए संरक्षित रहे। आपके बैंक ने निम्न के लिए ₹ 2.05 करोड़ का सहयोग दिया है- (क) सौर ऊर्जा प्लांट, सौर वाटर हीटर और सौर स्ट्रीट लैंप खरीदना, (ख) वृक्षारोपण तथा पार्कों को एवं बागानों का प्रबंधन एवं रखरखाव और (ग) बैटरी चालित वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करना।

आपके बैंक ने न केवल अक्षय ऊर्जा के वित्तपोषण की शुरुआत करके अपितु पवन ऊर्जा और सोलर रूफ टोप के माध्यम से अपनी स्वयं की अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करके भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आपके बैंक ने अब तक 6.23 मेगावाट क्षमता वाली 151 सोलर रूफ टोप साइट्स स्थापित की हैं।

भावी रणनीति

गत वित्त वर्ष भारतीय बैंकिंग उद्योग के इतिहास में असाधारण रहा है। वर्ष के दौरान बाद में बैंकों का कारोबार और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, खासकर बॉण्ड व्यवसाय के अधिक लाभप्रद होने से चुनौतियां और बढ़ी हैं। वित्तीय क्षेत्र की अनिश्चितता भी बढ़ी है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी बड़ी चुनौती है। व्यापार युद्ध का खतरा फिर से बढ़ने लगा है।

इस पृष्ठभूमि में बैंक की भावी रणनीति को स्पष्टतया तैयार और लागू करना होगा। अलगे दो वर्षों में बैंक की रणनीति रहेगी कि वर्ष 2020 तक 10-12% की अच्छी ऋण वृद्धि दर्ज की जाए। व्यवसाय वृद्धि की रणनीति बनाने में दो मोर्चों पर काम करना होगा। ऋण व्यवसाय को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए एक तो कुल ऋणों की तुलना में जोखिम पूंजी (सीआरडब्ल्यूए) अनुपात में कमी लानी होगी और दूसरा कॉरपोरेट बैंकिंग का आंतरिक पुनर्गठन करना होगा।

बैंक के भीतर कॉरपोरेट ऋण संरचना और व्यवस्था का पुनर्गठन करने की दिशा में बैंक आगे बढ़ेगा। ग्राहक आधार को और व्यापक बनाया जाएगा। नए व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कॉरपोरेट लेखा समूह (सीएजी) उच्च प्राथमिकता वाले और गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों एवं व्यवसाय समूह पर फोकस करेगा। व्यवसाय समूहों से संबंध विकसित करने के लिए समन्वयक व्यवस्था लागू की जाएगी। सीएजी शुल्क आय, प्रोजेक्ट फाइनैंस और बड़े कॉरपोरेटो से जुड़ी सप्लाई चेनों को संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी और ऋण प्रस्ताव मूल्यांकन व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा।

पिछले वर्ष के बैंकिंग उद्योग के अनुभवों से सीख लेते हुए, बैंक ने समग्र आंतरिक लेखा-परीक्षा और नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों की चुनौती को हलके से नहीं लिया जा सकता। इसके लिए बैंक अपनी बैलेंस शीट के सुदृढ़ आधार और कीमत निर्धारण क्षमता का उपयोग करेगा जिससे निवेश के जोखिम की तुलना में अधिकतम लाभ लिया जा सके।

समय के साथ चलने के लिए बैंक के मानव संसाधन पर भी नई दृष्टि डालने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक में आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस और बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के कौशल को बेहतर बनाने की आवश्यकता है जिससे वे बदलते कारोबारी माहौल में और अच्छे से काम कर सकें। अगले 5 वर्ष में सेवानिवृत्तियों की अधिक संख्या को देखते हुए, हमें भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाने की भी जरूरत है। भावी नेतृत्व विकास के लिए उपयुक्त चयन और आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था करनी होगी। इस पर कुछ कार्य चल रहा है। अगले दो वर्षों में एक संपूर्ण कार्य-योजना लागू की जाएगी।

युवा भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र की रूपरेखा में भी बदलाव आ रहा है। युवापीढ़ी अत्यधिक तकनीक प्रेरित है। बैंक की डिजिटल क्षेत्र में पहले से ही एक अग्रणी उपस्थिति है। हम सभी डिजिटल चैनलों पर अपनी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए बैंक आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई), क्लाउड प्लेटफॉर्म के उपयोग और फिनटेक के सहयोग की पूरी सक्रियता के साथ संभावना तलाश रहा है। आपके बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिलेगा जैसे-जैसे एक बार आस्ति गुणवत्ता के मामले सुलझते जाएंगे। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि वित्त वर्ष 2019 उम्मीदों का वर्ष होगा और वित्त वर्ष 2020 खुशियों का वर्ष होगा।

एक अज्ञात के शब्दों में, "*भूतकाल को बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी भी आपके हाथ में है।*"

मैं अपने सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी शक्ति और क्षमताओं पर लगातार विश्वास किया है। ग्राहकों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और हममें भरोसा किया। कर्मचारियों का भी आभार जिन्होंने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए।

आपका अपना,

(रजनीश कुमार)

निदेशकों की रिपोर्ट

I. आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और यह, वर्ष 2018 में भी जारी है। विश्व जीडीपी वृद्धि पिछले वर्ष 3.2% की तुलना में सुधर कर 2017 में अनुमानतः 3.8% हो गई है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों ने क्रमशः 2.3% और 4.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए अच्छा निष्पादन किया। उपभोग में अच्छी वृद्धि व निवेश में बढ़त के साथ पूर्व विनिमय दरों की बढ़ोतरी में कमी तथा तेल की कीमतों में हलचल की पृष्ठभूमि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने आशा से अधिक वृद्धि दर्ज की। पिछले एक दशक में विकास की सबसे तेज गति और 2017 में अमेरिकी वृद्धि दर को पार करके यूरो क्षेत्र ने भी सुखद आश्चर्य दिया। ब्रेक्सिट की अनिश्चितता ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया, हालांकि वर्ष के अंतिम महीनों में सुधार देखा गया। जापान में, तकनीकी उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि ने ऑटो, मशीनरी, रोबोट और सेमी-कंडक्टर सहित उच्च स्तरीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया।

उभरती और विकासशील दुनिया में, रूस और ब्राजील में आर्थिक संकुचन समाप्त हुआ, जिससे वृद्धि को सहारा मिला। हालांकि, तेल कीमतों में सुधार के बावजूद सऊदी अरब में तेल के कम उत्पादन और गैर-तेल क्षेत्र के सुस्त प्रदर्शन के कारण नकारात्मक वृद्धि देखी गई। यहां तक कि मेक्सिको ने एनएएफटीए के आस-पास अनिश्चितता और राष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि में मुश्किलों का सामना किया। इस बीच, पिछले चार वर्षों की सबसे तेज गति से बढ़े निर्यात के कारण चीन ने 2010 के बाद से पहली बार वार्षिक तेजी देखी।

वित्तीय वर्ष 2018 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तक सिमटने की आशा है। हालांकि, यह स्थिति अल्पकालिक ही रहने की संभावना है। इस बीच, कुल मांग को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारी सुधार जारी हैं।

आईएमएफ अनुमानों के अनुसार आशा है कि 2018 तथा 2019 वर्षों के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था 3.9% की दर से बढ़ेगी। हालांकि, अमेरिका द्वारा मूल्यों में वृद्धि और चीन द्वारा बदले की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में व्यापारिक युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, यह वैश्विक विकास के जोखिमों में से एक है। निर्यात और आयात में क्रमशः 10% और 11% की वृद्धि दर्ज करते हुए, विश्व व्यापार 2017 में शानदार तरीके से उबर रहा है। किंतु बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापारिक युद्ध, व्यापार और आर्थिक विकास को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, रूस, इटली, हंगरी समेत कई यूरोपीय देशों में चुनावों से संबंधित अनिश्चितता तथा ईरान पर प्रतिबंधों में वृद्धि अन्य प्रमुख जोखिम हैं, जो विकास संभावनाओं को कम कर सकती हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला एक अन्य बड़ा कारक तेल की कीमत है जो हाल ही में 80 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। इससे आगे, मध्य-पूर्व में भौगोलिक-राजनैतिक तनाव के साथ रूस पर संभावित प्रतिबंधों से तेल कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

अनुकूल घरेलू और वैश्विक वातावरण से लाभान्वित हो रही भारत की आर्थिक वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019 में गति से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2018 में 6.7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में 7.4% जीडीपी वृद्धि हासिल करने में मदद करने वाले कारक हैंः (i) जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लिया गया है (ii) ऋण उठाव में सुधार हुआ है और इसका आधार व्यापक हो रहा है, (iii) प्राथमिक बाजार से बढ़ी मांग के कारण संसाधनों के संग्रह से निवेश गतिविधियों में मजबूती बढ़त (iv) पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया और ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता के अंतर्गत संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान से व्यापार और निवेश वातवरण में सुधार, (v) वैश्विक व्यापार विकास में तेजी आई है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहित होना चाहिए और शुद्ध निर्यात में रुकावट कम होनी चाहिए, और (vi) केंद्रीय बजट 2018-19 में ग्रामीण और आधारभूत क्षेत्रों पर जोर, ग्रामीण क्षेत्र में मांग को फिर से बढ़ा सकता है और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति पूरे वित्त वर्ष 2018 में नियंत्रण में रही। वित्त वर्ष 2017 में 4.5% की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के औसत सीपीआई 3.6% था। जबकि इसी अवधि में डबल्यूपीआई के संबंध में ये आंकड़े क्रमशः 2.9% और 1.8% थे। सामान्य मॉनसून और कोई बड़ा बाह्य/नीतिगत झटका न लगने की उम्मीद करते हुए, वित्त वर्ष 2019 में सीपीआई 4.0-4.5% की सीमा में और वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के कुछ महीनों में 3.5% से भी कम रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति की संभावना में प्रमुख जोखिम कच्चे तेल तथा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर पण्य की कीमतें और राजकोषीय गिरावट है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वानुमान किया है कि लगातार तीसरे वर्ष 2018 में मानसून 'सामान्य' रहेगा यानि लंबी अवधि औसत (एलपीए) का 97% रहने की संभावना है जिसमें ± 5% का उतार-चढ़ाव हो सकता है। वर्षा का वितरण पूरे देश के बड़े हिस्से में होने की संभावना है।

2017 के मानसून के दौरान सामान्य वर्षा के परिणामस्वरूप और सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के कारण, वित्त वर्ष-2018 के दौरान देश में 27.95 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ, यह वित्त वर्ष 2017 में (27.51 करोड़ टन) के पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 1.6% अधिक है। वर्ष के दौरान चावल, दालों और मोटे अनाज के उत्पादन ने नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन गेहूं का उत्पादन घट गया।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्य में वृद्धि हुई जिसकी आधार कीमतें वित्त वर्ष 2017 के 9.8% से गिरकर वित्त वर्ष 2018 में 6.8% हो गई। वित्त वर्ष 2018 में मंदी का कारण खनन और उत्खनन में तेज गिरावट थी। खनन क्षेत्र में वृद्धि में गिरावट प्रमुख कारण इसके प्रमुख घटक कोयला और प्राकृतिक गैस उत्पादन में कमी तथा कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट था। दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र में, जीएसटी के संक्रमणकालीन प्रभाव में कमी के कारण सुधार हुआ है।

बाहरी मोर्चे पर, चालू खाता घाटा (सीएडी) एक साल पहले जीडीपी के 1.4% (8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में 2.0% (13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया। हमें विश्वास है कि वित्त वर्ष 2017 में सीएडी, जीडीपी का 0.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में जीडीपी का लगभग 1.8% होगा। वित्त वर्ष 2018 के दौरान सीएडी में यह मामूली वृद्धि 156.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार संतुलन के कारण है, जो कि 5 साल का उच्चतम है।

बैंकिंग परिवेश

वित्त वर्ष 2018 बैंकिंग क्षेत्र के लिए घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। आस्ति गुणवत्ता, दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और एच1 में धीमी क्रेडिट वृद्धि वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकांश बैंकों के लिए बड़ी चुनौतियों के रूप में जारी रही। उच्च एनपीए ने ब्याज आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और बढ़े हुए प्रावधानों का कारण बना, परिणामस्वरूप बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव पड़ा। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को आरबीआई ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है, इस कार्रवाई से लाभांश भुगतान, शाखा विस्तार इत्यादि क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगता है।

लगभग दो वर्षों तक सुस्त रहने के बाद, बैंक क्रेडिट में जून 2017 के आसपास तेजी आनी शुरू हुई और दिसंबर 2017 में यह दो अंकों तक पहुँच गई। क्रेडिट उठाव में यह वापसी सभी बैंकों में देखी गई, हालांकि उनकी वृद्धि की गति अलग-अलग है। 30 मार्च, 2018 को वर्ष दर वर्ष आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की

क्रेडिट वृद्धि दर 10% रही। निजी क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट वृद्धि पीएसबी से अधिक रही, जबकि विदेशी बैंकों में, लंबी घटत के बाद क्रेडिट उठाव सकारात्मक क्षेत्र में लौट आया। ऋण उठाव पर चले आ रहे लंबे समय के दबाव के बाद, उद्योगों द्वारा ऋण उठाव के ऋण क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। अन्य क्षेत्रों में निरंतर दबाव के कारण अधिकांश बैंकों ने खुदरा क्षेत्र को उधार देने के प्रयास किए, जिससे काफी हद तक अच्छी वृद्धि दर्ज की गई और ज्यादातर बैंकों की खुदरा ऋण बहियों में विस्तार हुआ। हालांकि, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समाधानों के माध्यम से उम्मीद है गतिशीलता और वैश्विक विकास और भारत में निजी निवेश में बढ़ोतरी होने से क्रेडिट मांग में आशा की किरणें दिखाई देने लगी है दूसरी ओर आधारभूत कारकों और जनता द्वारा मुद्रा आहरण के कारण कुल जमा वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) में गिरावट जारी रही और 54 वर्षों के निम्नतम स्तर 6.2% पर है।

वित्त वर्ष 2018 की आखिरी तिमाही के दौरान, बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती बनी रही, जिसने बैंकों द्वारा किए गए निवेश में नुकसान के कारण बैंकों की बैलेंस शीट को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में, बैंकों ने धीमी क्रेडिट वृद्धि के कारण सरकारी बॉन्ड्स में बड़ी राशि का निवेश किया है। वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही के परिणामों में, अधिकांश बैंकों ने सरकारी बॉन्ड के निवेश में प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार भाव (मार्क-टू-मार्केट) में हानि के उच्च प्रावधान के कारण हानि रिपोर्ट की। दबाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को अगली चार तिमाहियों में दैनिक बाजार भाव हानि (मार्क-टू-मार्केट लॉस) प्रावधान की सलाह दी है।

इस वर्ष के दौरान एक सकारात्मक संकेत के साथ, सरकार ने क्रेडिट वृद्धि और रोजगार सृजन के समर्थन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीकृत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, इसमें अगले दो वर्षों में करीब ₹ 2.11 लाख करोड़ पूंजी संग्रहण किया जाएगा जिसमें बजटीय प्रावधान के द्वारा ₹18,319 करोड़ करीब ₹1.35 लाख करोड़ बॉन्ड का पुनर्पूंजीकरण तथा शेष पूंजी बैंकों द्वारा बाजार से गैर-सरकारी इक्विटी (अनुमानित क्षमता ₹ 58,000 करोड़) से हासिल की जाएगी। दूसरी संभावना राइट इश्यू के द्वारा वित्त जुटाने की है जिससे धारिता (होल्डिंग) में संतुलन बना रहे। वित्त मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, 1.35 लाख करोड़ रुपये का पैकेज काफी हद तक पर्याप्त लगता है। वित्तीय वर्ष 2018 में, सरकार ने अपनी नियामक पूंजी आवश्यकता और वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीकृत करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड अधिसूचित किए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने 1 अप्रैल 2017 से पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को अपने में विलय कर लिया है। इतने बड़े पैमाने पर भारतीय बैंकिंग उद्योग में यह पहला एकीकरण है। इस विलय के साथ, जुलाई 2017 में "द बैंकर" द्वारा वैश्विक रैंकिंग के अनुसार एसबीआई को शीर्ष 1000 वैश्विक बैंकों में 54वां स्थान दिया गया है। इस विलय ने एसबीआई को लगभग 1,805 शाखाओं को कम करने और 244 प्रशासनिक कार्यालयों के तार्किक रूप से पुनर्गठन में सहायता की है, जिसे प्रतिवर्ष लगभग ₹ 1,099 करोड़ की बचत होगी। हमारा मानना है कि विलय का दीर्घकालिक लाभ निकट अवधि की चुनौतियों से काफी अधिक होगा और विलय के माध्यम से उत्पन्न क्षमताओं से बैंकों को एक स्थायी मूल्य सृजन के लक्ष्य को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

इस बीच, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत, बैंकों ने 31.4 करोड़ खाते खोलकर 04 अप्रैल 2018 तक 79,012 करोड़ रुपये की जमाराशियाँ (एएससीबी की कुल मांग जमा का लगभग 6%) प्राप्त की हैं। 31.4 करोड़ खातों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 25.4 करोड़ खाते खोले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 5.1 करोड़ खाते खोले, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने केवल 0.9 करोड़ खाते खोले हैं। यह इस बात का संकेत है कि पीएसबी ने जिम्मेदारी स्वीकार की और निश्चित समय में अपने वादों को पूरा किया। एक सकारात्मक संकेत के साथ, पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष राशि वाले खाते सितंबर 2014 में 76.8% से अब लगातार 20% घटते जा रहे हैं। पीएमजेडीवाई ने पिछले 3 वर्षों में 11.96 करोड़ लाभार्थियों को ₹ 5.28 लाख करोड़ वितरित कर मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में भी मदद की है। एसबीआई के आंतरिक अध्ययन में, हमने पाया है कि जन धन और मुद्रा खातों में एक आकर्षण है।

प्रतिस्पर्धा के संबंध में, भुगतान और लघु वित्त बैंकों की नई पीढ़ी ने काम करने के बावजूद वे अभी भी अपने व्यापार मॉडल में सुधार लाने तथा ग्राहकों को विप्रेषण, क्रेडिट, बचत आदि विशेष सुविधाओं को सुलझाने की क्षमता रखने वाली तकनीक-समृद्ध कंपनियां (फिनटेक कंपनीज) भी बैंकिंग सिस्टम की उभरती हुई चुनौतियां सामने हैं।

भविष्य की संभावनाएं

आने वाले वर्ष बैंकिंग प्रणाली के लिए पूर्ण रूप से चुनौतीपूर्ण रहेंगे। परिचालन वातावरण तेजी से जटिल हो गया है। हालांकि, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में संतोषजनक प्रगति हुई है, परंतु लाभ एवं हानि पर इसका अंतिम परिणाम आने में अभी कुछ और समय लगेगा। इस देरी का मुख्य कारण नए कानूनों के लागू होने में परिपक्वता आने में कुछ समय लगेगा। फिर भी बैंकों के संरचनात्मक परिवर्तन को एनपीए समाधान से आगे बढ़ना होगा तथा अन्य अत्यावश्यक मुद्दों जैसे धोखाधड़ी, ग्राहक प्रतिधारण और सेवा, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा और अभिशासन आदि को सुलझाना।

नीतिगत पहलों ने पिछले चार वर्षों में सभी क्षेत्रों में दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन में गति पकड़ी है। ई-वेज़ मॉड्यूल की शुरुआत के साथ जीएसटी अगले चरण में प्रवेश करने जा रहा है। आधारभूत संरचनात्मक वृद्धि ने सड़कों, नागरिक उड्डयन और रेलवे में उल्लेखनीय वृद्धि आरंभ की है। कृत्रिम बुद्धि पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण भी स्पष्ट रूप से गति पकड़ेगा। यह संभव नहीं है कि बैंक इन परिवर्तनों से दूर रहें। अगले वर्ष के दौरान भी बैंकिंग प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एवं नए उन्नत परिष्कृत सेवा अनुभव जारी रहेंगे। पूंजी के अंतःप्रवाह के साथ, अवसर का लाभ तथा ऊपर उल्लिखित कुछ अत्यावश्यक मुद्दों को सुलझाने के लिए तकनीक को प्रभावशाली तरीके से प्रयुक्त करना अब बैंको पर निर्भर करता है।

विकास पर सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद बाहरी वातावरण अनिश्चित ही है। व्यापार युद्ध जो पुराने ढंग लेनदेन का संकेत है, अधिक तीव्र हो गया है। यह स्थिति 2018 में भी उसी दिशा में जारी रहेगी। इस प्रकार दुनिया भर में, बैंकों ने बढ़ते जोखिमों के अनुरूप अपनी विदेशी व्यापार कार्यनीति का पुनरीक्षण आरंभ कर दिया है। भारतीय बैंकों के बीच भी इस तरह की सावधानी जरूरी है। भारत सरकार ने भारतीय बैंकों को अपनी विदेश स्थित शाखाओं को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी है। हालांकि इसका अर्थ व्यापक वापसी की स्थिति नहीं है बल्कि देश के बदलते व्यापार पैटर्न के अनुरूप और अधिक यथार्थवादी कार्यनीति है। इसलिए विदेशी व्यापार में यह तर्कसंगतता जारी रहेगी।

आगामी वर्ष, आने वाले आम चुनावों से पहले का आखिरी वर्ष है। हालांकि, हम उम्मीद नहीं करते कि नीतिगत निर्णय लोकप्रिय नहीं होंगे। क्षणिक उतार-चढ़ाव के बावजूद राजकोषीय और मौद्रिक स्थितियां स्थिर रहेंगी। लेकिन बढ़ती अनिश्चितता के बीच निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर एनपीए समाधान पर दृष्टि रहेगी अतः यह समय कठिन और कार्यनीतिक निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है।

II. वित्तीय निष्पादन

पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (e-DBS) तथा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण

आपके बैंक ने एसबीआई की पाँच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) तथा भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल) का अधिग्रहण 01 अप्रैल 2017 से किया है।

बैंक में डीबीएस तथा बीएमबीएल के विलय की गणना लेखांकन मानक 14 (एएस 14) "एकीकरण के लिए लेखांकन" तथा अधिग्रहण की अनुमोदित योजना के अनुसार 'ब्याज का समूहन (पूलिंग)' पद्धति के अंतर्गत लेखांकित किया गया। इसके अनुसरण में, अंतरणकर्ता बैंकों की सभी आस्तियो एवं देयताओं को प्रभावी तारीख को उन बैंकों की उस समय की राशि पर एसबीआई की बहियों में दर्ज किया गया तथा आंशिक पात्रताओं का नकद भुगतान किया गया। सहयोगी बैंकों में बैंक का निवेश प्रभावी तारीख से समाप्त हो गया। अधिग्रहित निवल चिह्नित आस्तियों के मूल्य तथा प्रतिफल के बीच के अंतर को आरक्षित राशि में क्रेडिट किया गया है।

अधिग्रहित कुल आस्तियाँ निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	32,743.73
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	66,680.19
निवेश	1,76,603.55
अग्रिम	2,97,884.25
अचल आस्तियाँ	6,987.51
अन्य आस्तियाँ	38,012.45
कुल आस्तियाँ	**6,18,911.68**

वर्तमान अवधि के आंकड़ों में इन बैंकों की शाखाओं के परिणाम भी शामिल हैं, अतः पूर्व अवधि के आंकड़े किसी भी प्रकार से तुलनीय नहीं हैं।

आस्तियां एवं देयताएं

बैंक की कुल आस्तियां मार्च 2017 को ₹ 27,05,966.3 करोड़ की तुलना में मार्च 2018 के अंत में 27.67% की वृद्धि के साथ ₹ 34,54,752.00 करोड़ हो गई। इस अवधि में ऋण संविभाग 23.16% की वृद्धि के साथ ₹ 15,71,078.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 19,34,880.19 करोड़ हो गया। निवेश 38.51% की वृद्धि के साथ ₹ 7,65,989.63 करोड़ से बढ़ कर 31 मार्च 2018 को ₹ 10,60,986.71 करोड़ हो गया। अधिकतर निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए हैं।

बैंक की कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 28.52% बढ़ीं। ये 31 मार्च 2017 में ₹ 25,17,680.24 करोड़ थी और 31 मार्च 2018 में बढ़कर ₹ 32,35,623.44 करोड़ हो गईं। जमा राशियाँ 31 मार्च 2018 में 32.36% बढ़कर ₹ 27,06,343.28 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2017 में ₹ 20,44,751.39 करोड़ थीं। उधारियाँ 13.99% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2017 के अंत में ₹ 3,17,693.66 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 के अंत में 3,62,142.07 करोड़ रूपये हो गईं।

निवल ब्याज आय

निवल ब्याज-आय 21.01% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 61,859.74 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 74,853.71 करोड़ हो गई। कुल ब्याज आय में 25.63% की वृद्धि हुई जो मार्च 2017 में ₹ 1,75,518.24 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 2,20,499.31 करोड़ रूपये हो गई।

कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2017 में ₹ 1,13,658.50 करोड़ से बढ़कर 2018 में ₹ 1,45,645.50 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में जमा राशियों पर व्यय 28.53% बढ़ा।

ब्याज-इतर आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2018 में ब्याज-इतर आय 25.77% की वृद्धि के साथ ₹ 44,600.69 करोड़ हो गई जो मार्च 2017 में ₹ 35,460.93 करोड़ थी। वर्ष के दौरान आपके बैंक को भारत तथा विदेशों की अनुषंगियों और संयुक्त उपक्रमों से लाभांश के रूप में ₹ 448.52 करोड़ (वित्त वर्ष 2017 में ₹ 688.35 करोड़) की आय प्राप्त हुई तथा निवेशों के विक्रय से 24.87% की वृद्धि के साथ लाभ के रूप में ₹ 13,423.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10,749.62 करोड़) की आय प्राप्त हुई। आय की तुलना में व्यय का अनुपात वित्त वर्ष 2017 में 49.54% की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में 50.18% रहा।

परिचालन लाभ

आपके बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान परिचालन लाभ में 17.04% की वृद्धि दर्ज की। आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2018 में ₹ 59,510.95 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2017 में ₹ 50,847.90 करोड़ था। वित्त वर्ष 2018 में आपके बैंक को ₹ 6,547.45 करोड़ की निवल हानि हुई जबकि, वित्त वर्ष 2017 में निवल लाभ ₹ 10484.10 करोड़ था। इसका कारण अनर्जक आस्तियों पर उच्च प्रावधान, एचएफ़टी तथा एएफ़एस संविभागों में एमटीएम हानियाँ, अतिरिक्त कर्मचारी लाभ प्रावधान है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

वित्त वर्ष 2018 में किए गए प्रमुख प्रावधान:

अनर्जक आस्तियों के लिए ₹ 70,680.24 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 32,246.69 करोड़), मानक आस्तियों के लिए ₹ 3,603.66 करोड़ का अपलेखन (वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 2,499.64 करोड़ के प्रावधान की तुलना में), ₹ 8,087.57 करोड़ निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए (वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 298.39 करोड़) उपलब्ध कराए गए।

आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

चूंकि वित्त वर्ष 2018 में बैंक को हानि उठानी पड़ी इसलिए सांविधिक आरक्षित निधियों में कोई राशि अंतरित नहीं की गई (वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 3,145.23 करोड़)। पूंजीगत आरक्षित निधि में ₹ 3,288.88 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017 में ₹ 1,493.39 करोड़) की राशि अंतरित की गई। निवेश आरक्षित राशियों से ₹ 1,165.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 143.69 करोड़) की राशि राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में तथा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में ₹ 192.32 करोड़ का अंतरण किया गया।

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

आपके बैंक ने, पिछली अवधियों में किए गए पुनर्मूल्यांकन ₹ 11,210.94 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को पलट दिया, जिसका परिणाम ₹ 193.24 करोड़ के पिछले वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास का प्रतिलेखन हुआ। उपर्युक्त के कारण पूंजी उपयुक्तता अनुपात पर होने वाले परिणामी प्रभाव को मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में रखा गया है।

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के लागू करने की प्रगति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 5 अप्रैल 2018 की प्रेस विज्ञप्ति में Ind AS को लागू करने की अवधि को एक वर्ष लिए स्थगित करके 1 अप्रैल 2019 कर दिया है। इससे पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों में Ind AS को 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा-अवधि से आरंभ करने लिए रूपरेखा जारी की थी।

प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ) की अध्यक्षता में एक विषय-निर्वाचन समिति, निर्धारित समय अवधि में Ind AS को बिना किसी बाधा के लागू करने की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रही है।

III. प्रमुख परिचालन

1. खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग समूह

खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग समूह आपके बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय क्षेत्र है, जो 31 मार्च 2018 को कुल देशीय जमाओं के 96% एवं कुल देशीय अग्रिमों के 57.53% के साथ आपके बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। इस समूह में सात कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां शामिल हैं, और शाखा नेटवर्क एवं मानव संसाधन के अनुसार यह सबसे बड़ा समूह है।

रिटेल बैंकिंग ग्राहक अधिकरण एवं कासा संवृद्धि में एक वर्धमान भूमिका अदा कर रहा है। आपके बैंक के रिटेल जमा ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा ग्राहक आधार में एक साथ सतत वृद्धि हुई है। इस बढ़ते हुए ग्राहक आधार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, खुदरा ऋणों की संवृद्धि पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है जो कि कुल अग्रिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। खुदरा क्षेत्र में, होम और ऑटो लोन मुख्य योगदानकर्ता हैं। आपका बैंक शिक्षा ऋण का भी सबसे बड़ा प्रदाता है, जो बड़े स्तर पर इसकी समाज सेवा के लिए बेहिचक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

प्रौद्योगिकी संचालित निरंतर नवोन्मेष और ग्राहकों की बदलती हुई प्राथमिकता खुदरा बैंकिंग परिदृश्य को बदल रही है। आपके बैंक के पास सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई प्रकार के चैनल हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चैनल के माध्यम से कहीं भी, किसी भी समय अपने लेनदेन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2018 में, आपके बैंक ने शाखाओं, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों, के अलावा, विभिन्न चैनलों, जैसे- डिजिटल, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही अपनी सेवाओं में वृद्धि की है।

आपके बैंक ने, अपने कार्यों में, विशेषकर संचालनात्मक स्तर पर, सामूहिक प्रयास कर बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सुव्यवस्थित किया है। भावी विनियामक आवश्यकताओं, निधियों की लागत, तेजी से बदलती हुई ग्राहक प्राथमिकताओं, तीव्रतर होती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता के दवाब के बीच आपके बैंक ने इस दिशा में लाभप्रदता उन्मुख निष्पादन प्रबंधन की एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। इसे हासिल करने के उपाय के रूप में, आपके बैंक ने जोखिम भारित आस्तियां (RoRWA) बजटिंग, जिसमें बेंचमार्क दक्षता मापदंड भी शामिल हैं, आरंभ किए हैं।

लाभप्रदता और आस्तियों पर प्रतिफल(ROA) तथा उपरि व्ययों में कटौती पर सदैव ही आपके बैंक ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इस निहित लागत उद्देश्य के साथ, विशेषकर, विलय-पश्चात के इस परिदृश्य में, पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों की शाखाओं में आपके बैंक ने विभिन्न लेखा परीक्षण करवाएं हैं जैसे - स्थान लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, टेलीफोन लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा उनमें से कुछ नाम हैं।

आपका बैंक सभी स्तरों पर वर्धित जोखिम जागरूकता का वातावरण पैदा करने की दिशा में उच्चतम प्राथमिकता के साथ सामंजस्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए समुचित सुरक्षा उपाय जिनमें साइबर सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, सतत रूप से किए जा रहे हैं। आपके बैंक की सभी शाखाएं और कार्यालय एक आपदा बहाली/ व्यावसायिक निरंतरता योजना (BCP) से सुसज्जित है जो किसी भी संभावित व्यवसाय विच्छेद की स्थिति में निरंतर सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

वित्तीय बाजार में हुए परिवर्तन इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत में बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों में विघटनकारी नवोन्मेषन ने बैंकों के लिए राजस्वों में संवर्धन और ग्राहक प्रसन्नता के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। इसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और परिणामतः जोखिम भी बढ़ा है। विदेशों से प्रवाह और नए उत्पादों के प्रवेश ने घरेलू बैंकिंग क्षेत्र पर काफी अधिक प्रभाव डाला है। इसके कारण मिश्रित नवोन्मेषी उत्पाद के लिए रास्ता बना है साथ ही प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रक्रिया और संचालन में तीव्र परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। इन परिवर्तनों ने उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्पों की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा बाद में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ वित्तीय क्षेत्र में एक सशक्त और पारदर्शी, विवेकपूर्ण, विनियामक, पर्यवेक्षी, तकनीकी और संस्थागत फ्रेमवर्क अपनाना आवश्यक हो गया है।

आपका बैंक वैयक्तिक बैंकिंग क्षेत्र में सेवाओं की एक व्यापक रेंज उपलब्ध कराता है जैसा कि नीचे उल्लिखित हैं-

1. होम लोन

आपके बैंक के पास देश का सबसे बड़ा होम लोन संविभाग है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) में इसका बाजार अंश 31 मार्च 2018 को 32.13% है। 31 मार्च 2018 को होम लोन संविभाग संपूर्ण बैंक अग्रिमों का 18% है।

31 मार्च 2018 को कुल होम लोन और होम लोन संबंधी ऋण संविभाग ₹ 3,41,081 करोड़ है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक के साथ पाँच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के विलय की आंतरिक चुनौतियाँ मौजूद थी। इसके अलावा, रेरा(RERA)के कार्यान्वयन में शुरुआती समस्याओं के कारण, परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में छाई मंदी ने वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान व्यवसाय को प्रभावित किया है। आपके बैंक ने विलय के पश्चात संचालनों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई नई पहलें आरंभ की हैं और जिसके कारण वर्ष की द्वितीय छमाही के दौरान होम लोन बाजार में मंदी के बावजूद फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष के दौरान एक घर ख़रीदार को बेहतर अनुभव प्रदान करने तथा सर्वाधिक पसंदीदा होम लोन प्रदाता की अपनी छवि को यथावत बनाए रखने के लिए विभिन्न पहलें अपनाई गई। वर्ष के दौरान आरंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें अधोलिखित हैं:

ग्राहक की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने और त्वरित ऋण संस्वीकृत करने के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

- होम लोन कस्टमर कनेक्ट प्रोग्राम जिसके माध्यम से बैंक, पूरे देश के 1 लाख से भी अधिक होम लोन ग्राहकों तक पहुंचा हैं। बैंक पर सतत विश्वास बनाए रखने और विक्रय पश्चात सेवाएँ देने के लिए उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
- एश्योड टर्न - अराउंड - टाईम ड्राइव के परिणामस्वरूप होम लोन स्वीकृति के एवरेज टर्न अराउंड टाईम (टेट) माह मार्च 2018 के लिए 9 दिन रहा। यह 'टेट' तुलनात्मक रूप से बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम है।
- फीट-ऑन-स्ट्रीट की संख्या बढ़ाई गई जिससे 25 से अधिक केंद्रों पर घर के दरवाजे पर सेवा प्रदान की गई।

इंटरनेट की पहुँच में हुई वृद्धि तथा तेजी से इंटरनेट को अपनाए जाने के कारण यह आवश्यक हो गया कि सभी सूचनाएँ ग्राहकों को त्वरित उपलब्ध करवाई जाए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके बैंक ने इस वित्त वर्ष में दो वेबसाइटें आरंभ की हैं।

- एसबीआई होम लोन्स वेबसाइट (https:// homeloans.sbi): यह होम लोन्स के लिए एक विशिष्ट वेबसाइट है जो बैंक के होम लोन उत्पादों की त्वरित जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है। यह ग्राहकों को विक्रय पूर्व एवं उपरांत सेवाएँ, जिसमें संवितरण हेतु आवेदन, खाते के विवरण, अगली किश्त, देय दिनांक और ब्याज दर इतिहास आदि की जानकारियाँ शामिल हैं, प्रदान करती है।

- एसबीआई रियलटी वेबसाईट (www.sbirealty.in): यह वेबसाइट हमारे बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए देशभर के संभावित होम खरीदारों को दर्शाती है। यह होम खरीदारों को एसबीआई के अनुमोदित परियोजनाओं में सौदा करने की पहुँच देती है और डेवलपर्स और खरीदारों को एक प्लेटफॉर्म पर एकसाथ लाने में सहायता करती है।

भारत में मकानों की मांग और पूर्ति के बीच के भारी अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा सस्ते आवास उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर है। आपका बैंक 2022 तक "सबके लिए आवास" अभियान को सफल बनाने के लिए एक साथ मिलकर होम खरीदारों को वहनीय आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस दिशा में की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- "एसबीआई गृह निर्माण एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फायनेंस स्कीम", सस्ती आवासीय परियोजनाओं की उभरती हुई क्षमता को वित्तपोषण करने पर पकड़ बनाने के लिए आकर्षक सुविधाओं के साथ आरंभ की गई और यह विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वाले के लिए चलाई गई।
- क्रेडाई (CREDAI) के साथ भागीदारी करते हुए बिल्डर्स ने पूरे देश में 375 सस्ती आवासीय परियोजनाओं को प्रारंभ किया।
- वित्त वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत ₹ 7,997 करोड़ समग्र राशि के 37,007 गृह ऋण स्वीकृत किए गए।

2. ऑटो लोन

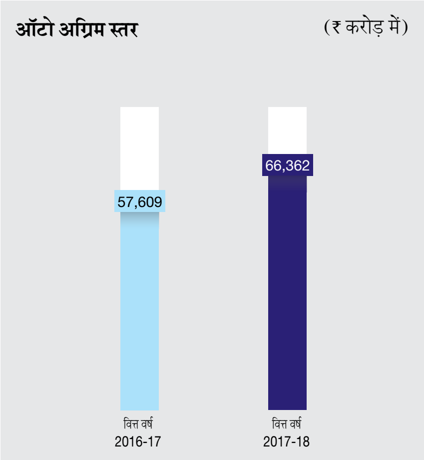

आपका बैंक ऑटो ऋण प्रदान कर अपने ग्राहकों के जीवन स्तर में उन्नयन लाते हुए अपनी वहनीय कार खरीदने में सहयोग कर रहा है। आपके बैंक के ये ऑटो ऋण उत्पाद कई प्रकार के संस्करणों में विभिन्न ग्राहक वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं- वेतनभोगी, व्यवसायी, पेशेवरों, वरिष्ठ नागरिकों, एनआरआई, कृषकों तथा विद्यमान ग्राहक। प्रस्तावों की बहु-चैनल सोर्सिंग तथा तीव्रगामी टेट (TAT) ने ऑटो ऋण उत्पादों को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया है। इसने आपके बैंक की विभिन्न निर्माताओं जैसे कि- मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, जैसे कुछ नामों द्वारा बेची जा रही कारों के वित्तपोषण में अपनी पैठ बढ़ाने में सहायता की है। कार ऋणों में आपके बैंक का बाजार अंश 31 मार्च 2017 के 33.77% से बढ़कर 31 मार्च 2018 को 34.97% हो गया है।

3. शिक्षा ऋण

शिक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख वृद्धि चालक है क्योंकि यह कुशल और उत्पादक मानव संसाधन सृजित करने में सहायता करता है, जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपके बैंक को गर्व है कि वह देश का सबसे बड़ा शिक्षा ऋण प्रदाता है। इसने वित्तीय वर्ष के दौरान 56,042 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ₹ 4,949 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए (जिसका 35% ऋण लड़कियों को दिया गया) उनके सपने साकार करने में सहायता प्रदान की। शिक्षा ऋणों के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय को दर्ज किया गया और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए अनुसार, आपके बैंक ने कदम उठाए हैं:

- बैंक द्वारा शिथिलीकृत मानकों और रियायती ब्याज दरों पर पहचान कर 147 उच्च-स्तरीय, प्रीमियर तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान किए गए।

- चयनित केंद्रों पर उच्च-मूल्य के शिक्षा ऋण जुटाने के लिए घर पर जाकर सेवाएँ दी गई।
- नागरिक उड्डयन के महानिदेशक (डीजीसीए)/शिपिंग के महानिदेशक(डीजीएस) द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यक्रमों और संस्थानों में चल रहे शिक्षा ऋणों के अंतर्गत सूची में शामिल पात्र पाठ्यक्रमों को बैंक द्वारा वित्तपोषण योग्य माना गया।
- बैंक की ऋण संगठन प्रणाली को भारत सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) के साथ एकीकृत किया गया ताकि ऋण आवेदनों की बेहतर ट्रैकिंग तथा ऋणों की स्वीकृति में तीव्रता लाना सुनिश्चित किया जा सके।

4. वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण आपके बैंक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है और जो इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। आपका बैंक आक्रमकता के साथ वेतनभोगी (सरकारी और निजी दोनों), पेंशनरों और अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान, आपके बैंक ने ₹ 50,971 करोड़ राशि के वैयक्तिक ऋण 14 लाख ग्राहकों को प्रदान किए हैं। बैंक में इस क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पूरे उद्योग में सबसे कम में से एक है। यह आपके बैंक में ऋणियों के चयन में बहुत सावधानी बरतने और ध्यान से किए गए यथोचित परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया है।

आपके बैंक ने डिजिटल समझदार ग्राहकों के लिए नीचे लिखे विभिन्न तकनीकी नवोन्मेषन अपनाएं हैं।

- मौजूदा एक्सप्रेस क्रेडिट वैयक्तिक ऋणियों को शुरू से अंत तक एक डिजिटाइज्ड मोड में इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से टॉप-अप इंस्टा क्रेडिट ऋण।
- बैंक के मौजूदा बचत बैंक खाता धारकों को अपने योनो ऐप के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित इंस्टेंट वैयक्तिक ऋण।
- चयनित ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट से की गई खरीदारियों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा।
- असेवित और कम सेवित अवैतनिक ग्राहकों को चयनित मानकों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्काल ई-वैयक्तिक ऋण।
- भारत सरकार के सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्डों के सामने पायलट आधार पर वैयक्तिक ऋण।
- विभिन्न सीआईसी (CICs) के आवेदकों के साख इतिहास तथा साख सूचना रिपोर्ट (CIR) का मूल्यांकन कर गैर-ग्राहकों को वैयक्तिक ऋण।

श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष एर्नाकुलम में एनआरआई केंद्र का शुभारंभ करते हुए।

5. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व्यवसाय

31 मार्च 2018 को आपके बैंक के पास 33.34 लाख शक्तिशाली मौजूदा एनआरआई ग्राहकों का आधार है, जिन्हें देश भर में फैली 150 एनआरआई बहुल व्यवसाय वाली शाखाओं तथा 95 अनिवासी समर्पित शाखाओं द्वारा सेवाएँ दी जा रही है। आपके बैंक ने सभी एनआरआई से संबंधित सेवाएँ एक ही स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्रीकृत बैंक कार्यालय स्थापित किया है। एनआरआई सेवाओं में यह प्रमुख प्रक्रिया नवोन्मेष का कार्य गैर-वित्तीय सेवाओं जिसमें ग्राहक सहायता और क्वेरी प्रबंधन भी शामिल है, के आंतरिक विस्तार को संभालेगा। आपके बैंक ने मोबाइल ऐप-आधारित विप्रेषण सुविधा, यूएसए में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए $10,000 यूएस डॉलर के कैप के साथ भारत में निधियां भेजने के लिए आरंभ की है। एसबीआई इंटेलिजेंट असिस्टेंट (SIA) जो स्मार्ट चैट असिस्टेंट के रूप में भी जाना जाता है, का प्रादुर्भाव कटिंग एज तकनीकी से हुआ है, जो क्वेरीज़ का दक्षता के साथ उत्तर देता है, इसे एनआरआई के लिए विस्तारित किया है।

6. सैलरी पैकेज के लिए कॉरपोरेट एवं संस्थागत टाई-अप

एक समर्पित विक्रय संरचना आपके बैंक ने कॉरपोरेट कर्मचारियों, सशस्त्र बलों तथा अन्य केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सृजित की है। एक समर्पित मार्केटिंग फोर्स जिसका नाम "की एकाउंट मैनेजर"(KAM) है, वेतनभोगी के घर पर जाकर विभिन्न उत्पादों के साथ वैयक्तिक सेवा, कॉरपोरेट सेलरी पैकेज (सीएसपी) के अंतर्गत प्रदान कर रहा है। कुल वेतन खाता ग्राहक आधार वित्त वर्ष 2017 की तुलना में 38% वृद्धि के साथ 124.07 लाख पहुँच गया है। सीएसपी के अंतर्गत आपके बैंक ने पूरक दुर्घटना (मृत्यु) बीमा कवर अप ₹ 20 लाख का प्रस्ताव दे रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 37.77 करोड़ राशि के 763 बीमा दावे समायोजित किए हैं।

7. धन-संपदा प्रबंधन व्यवसाय-एसबीआई एक्सक्लुसिफ़

आपके बैंक की धन प्रबंधन सेवाएँ अब 13 केंद्रों पर 76 समर्पित वेल्थ हबों और 3 ई-वेल्थ केंद्रों के साथ उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान 5 नए केंद्र और 55 नए वेल्थ हब खोले गए हैं। वेल्थ हबों को बैंक के संचालन भूमिकाओं निभा रहे वरिष्ठ आंतरिक स्टाफ के साथ, संबंध प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों के एक समर्पित समूह जिन्हें बाजार और उत्पादों की गहन जानकारी हैं, के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

अत्याधुनिक तकनीकी तथा सही विक्रय दृष्टिकोण के साथ निवेश के लिए एक खुला मंच, जो जोखिम रूपरेखा पर आधारित है, आपके बैंक के ग्राहकों को एक्सक्लुसिफ़ की यात्रा के माध्यम से सर्वोत्तम संभावित अनुभव प्रदान कर रहा है।

ई-वेल्थ केंद्र, विस्तारित बैंकिंग घंटों के साथ, ऑन-वीडियों तथा ऑन-फोन लेन-देन क्रियान्वयन सुविधाओं से लैस हैं। आपके बैंक का प्रयास है कि ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव उपलब्ध करवाया जाए।

आपके बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए धन प्रबंधन सेवाएँ आरंभ की हैं। यू.ए..ई., बहरीन, कतर, कुवैत और सल्तनत ऑफ ओमान में रह रहे ग्राहक ऑन-बोर्ड वेल्थ ग्राहक के रूप में पात्र हैं। वे भारत यात्रा के दौरान ई-वेल्थ केन्द्रों अथवा वेल्थ हब के माध्यम से सेवाओं के लाभ ले सकते हैं।

आपके बैंक ने सिग्नेचर 'एनुअल इनवेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स' भी आयोजित किए हैं जिनमें वित्तीय उद्योग और बाजार के विशेषज्ञों द्वारा प्रचलित बाजार दशाओं और निवेश अवसरों के बारे में संबोधित किया है। इन कॉन्क्लेव्स में बड़ी संख्या में मौजूदा और संभावित ग्राहक उपस्थित थे। वित्त वर्ष 2018 के दौरान आपके बैंक ने धन प्रबंधन व्यवसाय में ग्राहक अधिग्रहण एवं शुद्ध धन उत्पादन के संबंध में तेजी से वृद्धि दर्शाई है। वेल्थ ग्राहकों की संख्या वर्ष के दौरान 528% वृद्धि के साथ 31 मार्च 2018 को 24,168 हो गई है। नई शुद्ध धन राशि 566% बढ़कर 1,998 करोड़ और एयूएम (AUM) 390% वृद्धि के साथ ₹ 14,284 करोड़ हो गई।

आपके बैंक की आकांक्षा है कि अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को अपनाते हुए निवेश को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए धन निर्माण को बढ़ाए।

ख. सर्वसमय चैनल्स

वित्त वर्ष	एटीएम	कियोस्क (एमएफके+ एसएसके)	कैश डिपोजिट मशीन (सीडीएम) रिसाइकलर्स	योग (एसबीआई)
31 मार्च 2015	42,454	2,595	1,849	46,898
31 मार्च 2016	42,733	1,231	5,760	49,724
31 मार्च 2017	42,222	986	6,980	50,188
31 मार्च 2018*	51,616	#	7,925	59,541

कियोस्क स्क्रेप किए गए हैं, उपयोग में नहीं हैं। *विलय पश्चात

1. एटीएम / रिसाइकलर्स

31 मार्च 2018 को आपके बैंक के पास विश्व का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसमें कैश डिपॉजिट मशीन, रीसाइकलर्स भी शामिल है तथा इनकी संख्या 59,541 से अधिक है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपके बैंक ने 6793 पुरानी एटीएम हटा कर उनकी जगह नई बेहतर सुविधाओं के साथ नवीनतम तकनीक वाली 3883 नई एटीएम स्थापित किए हैं।आपके बैंक ने 7925 रीसाइकलर्स तथा कैश डिपॉजिट मशीन लगाई हैं, जिनमें चौबीसों घंटे नकदी जमा और आहरण करने की सुविधा है। आपके बैंक ने नया सॉफ्टवेयर लिया है जो एटीएम मशीनों का उपयोग करते समय ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करेगा। इस नए सॉफ्टवेयर में बेहतर उपयोगकर्ता परस्पर क्रिया के लिए ई-रेज़ोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन, बैंकिंग उत्पादों के ग्राहकों को एक-एक विशिष्ट सलाह, अन्य डिजिटल चैनलों के साथ वास्तविक समय एकीकरण और कई नई सुविधाएं शामिल होंगी।

लगभग 80% वित्तीय लेनदेन बैंक के वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से होते हैं। एसबीआई के पास भारत में एटीएम नेटवर्क में 28.76% बाजार हिस्सेदारी (आरबीआई आंकडों के अनुसार) है। एसबीआई एटीएम नेटवर्क देश के कुल एटीएम लेनदेन के 47.21% का लेनदेन करता है। औसतन, प्रति दिन 1 करोड़ से अधिक लेनदेन हमारे एटीएम नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं।

देश भर में 2,000 से अधिक ई-कॉर्नर (250 हाई-टेक एसबीआई इनटच शाखाओं सहित) स्थापित किए गए हैं, जहां ग्राहक सेवाओं की पूरी श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहकों की रुचि सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के तहत कवरेज बढ़ाया जा रहा है।

2. स्वयं: बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क

आपके बैंक ने अपनी शाखाओं और ई-लॉबी/इंटच में 14,000 से अधिक स्वयं (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क) लगाये हैं। इन कियोस्क में ग्राहक बारकोड तकनीक का उपयोग करते हुए, स्वयं ही अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। इन कियोस्क में प्रतिमाह 3.2 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

3. ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी)

जीसीसी सभी शाखाओं में काउंटर पर स्थापित किया जाने वाला एक पीओएस टर्मिनल है। जीसीसी में लेनदेन एटीएम सह-डेबिट कार्ड के स्वाइप एवं पिन मान्यकरण के द्वारा किया जाता है। जीसीसी के माध्यम से एसबीआई में नकद आहरण, नकद जमा, निधि अंतरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जीसीसी प्रति लेनदेन सीमा ₹ 40,000/- तक है और दैनिक निकासी सीमा एटीएम निकासी सीमा (कार्ड संस्करणानुसार) के अन्तर्गत ही है। जीसीसी के माध्यम से औसतन 9.35 लाख लेनदेन प्रतिदिन किए जा रहे हैं।

4. ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

एसबीआई ग्रीन रिमिट कार्ड एक जमा कार्ड है,जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एसबीआई के निर्दिष्ट खाते में धन भेज सकता है, जो विशेष रूप से प्रवासी जमाकर्ताओं के लिए उपयोगी है। जीसीसी, सीडीएम और रीसाइक्लर्स के माध्यम से जीआरसी का उपयोग करके धन जमा किया जा सकता है। एक माह में अधिकतम ₹ 1 लाख की सीमा के साथ प्रति विप्रेषक लेनदेन सीमा ₹ 25,000/- है। जीआरसी के माध्यम से औसतन 1.50 लाख लेनदेन प्रतिदिन किए जा रहे हैं।

5. मोबाइल पर बैंकिंग

स्टेट बैंक एनीवेअर व्यक्तिगत: आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप रिटेल ग्राहकों के लिए सामान्य बैंकिंग के अलावा सुविधाओं की एक विशाल श्रृंखला प्रस्तुत करता है। इन सुविधाओं में अंतः/अंतर बैंक निधियों का अंतरण (एनईएफटी/आरटी जीएस/आईएमपीएस/यूपीआई), सावधि जमा/ई-मोड खाते खोलना/, लाभार्थियों को जोड़ना/प्रबंध करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएँ जैसे कि आधार को जोड़ना, वॉइस अस्सिस्टेड बैंकिंग, माई फिटनेस, ई-विवरण सबस्क्रिप्शन/डाऊनलोड, चेक अनुदेशों को रोकना/ वापस लेना तथा स्रोत पर कर कटौती से छूट के लिए फॉर्म 15 जी /15 एच ऑनलाइन प्रस्तुत करना शामिल हैं।

स्टेट बैंक एनीवेअर सरल: आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप साझेदारी फ़र्मों के लिए बैंकों के बीच निधि अंतरण, सावधि जमा खाते खोलना/संचालित करना, ईपीएफओ को भुगतान करना, खाता विवरण देखना, लेन-देनों को सारणीबद्ध करना और रीचार्ज/बिलों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।

स्टेट बैंक एनीवेअर कॉरपोरेट: आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप बड़ी कॉरपोरेट फ़र्मों के लिए एकाधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, व्यवसाय घरानों को खाते संचालित करने, एनईएफटी/आर टीजीएस के माध्यम से निधि अंतरण करने, बिलों का भुगतान/आपूर्तिकर्ता को भुगतान, ई-चेकों/ई-एसटीडीआर को अधिकृत करने, सावधि जमा खाते खोलना/संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है।

मोबाइल बैंकिंग चैनल: अब 305 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के पास है और वर्ष 2018 के दौरान ₹ 6,00,000 करोड़ राशि के लेन-देन संसाधित किए हैं। आरबीआई की नवीनतम बाजार अंश रिपोर्ट के अनुसार आपका बैंक सभी बैंकों के बीच लेनदेनों के आकार (21.20%) और लेनदेनों के मूल्य(19.81%) दोनों ही दृष्टि से अपनी प्राइम न्यूमेरो-यूनो स्थिति को कायम रख पाया है।

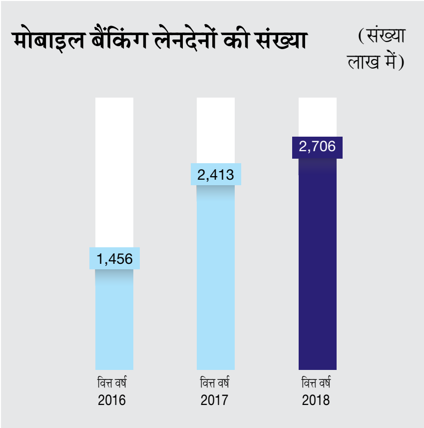

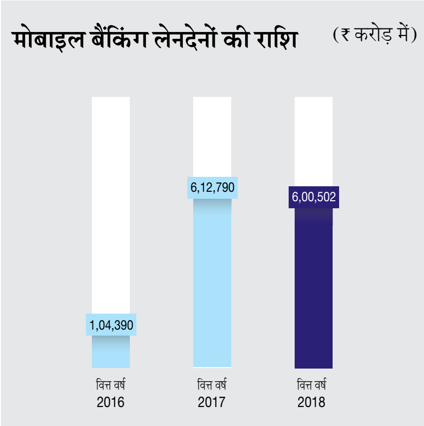

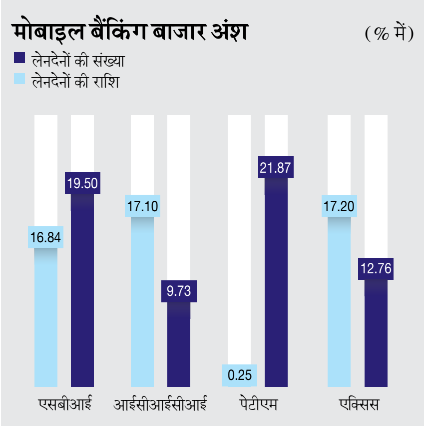

6. एसबीआई पे (भीम)

आपका बैंक एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित-ऐप के माध्यम से किसी भी पंजीकृत/ऑनब्रोडेड उपयोगकर्ता/मर्चेंट को अलग-अलग बैंकों के खातों में एकाधिक मोड्स (वर्चुअल भुगतान एड्रेस, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी, क्यूआर कोड की स्कैनिंग) से निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करते हुए, इसे वास्तव में अंतर-संचालित प्रस्ताव बना रहा है। 184 लाख से भी अधिक से उपयोगकर्ताओं ने एसबीआई यूपीआई प्रणाली पर पंजीकृत करवा रखा है और एसबीआई यूपीआई चैनल के माध्यम से ₹ 68,000 करोड़ राशि के लेनदेन सफलतापूर्वक संसाधित किए जा चुके हैं।

बड़े बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल भुगतानों को अपना लिया है। आपके बैंक ने इस अवसर को भुनाते हुए विभिन्न सहभागिता के माध्यम से नवीनतम डिजिटल भुगतान प्रस्ताव प्रदान किए हैं। आपके बैंक ने अपने यूपीआई एप्प मल्टी बैंक समेकन मॉडल के अंतर्गत गूगल इंडिया के साथ भी भागीदारी करते हुए उनके यूपीआई ऐप-गूगल तेज को पीएसपी सेवाओं का प्रस्ताव दिया है। 13 लाख से भी अधिक तेज उपयोगकर्ताओं ने एसबीआई द्वारा ऐप पर लेनदेन के लिए प्रस्ताव के अनुसार अपने बैंक खातों को अपने @OKSBIके साथ जोड़ा है। इसके अलावा, डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सेवाओं, P2P ऋण देने की सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत लाया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के पास अब बिलों के भुगतान, हवाई टिकिट की बुकिंग, रीचार्जिंग और खाने का ऑर्डर देने की सुविधाएं भीम एसबीआई-पे के माध्यम से उपलब्ध है। आपका बैंक यूपीआई भुगतानों का प्रयोग करते हुए आम जनता के लिए डिजिटल भुगतानों की सुविधा लेकर आया है और कर्नाटक राज्य में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एसकेडीआरडीपी) के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूहों के 37 लाख से भी अधिक सदस्यों तक इसे पहुंचाया है। इसे माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 29 अक्टूबर, 2017 को लांच किया गया।

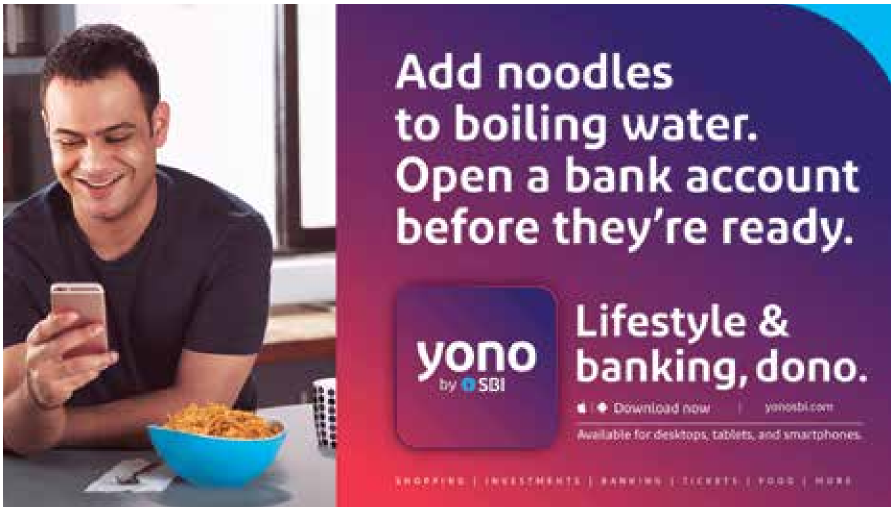

7. एसबीआई बडी

आपके बैंक का मोबाइल वालेट उपयोगकर्ताओं को धन प्रेषण और धन प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता; रेल, मूवी अथवा फ्लाइट के टिकिटों की बुकिंग के भुगतानों के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड- बडी कार्ड; एसबीआई के एटीएम पर नकद निकासी के लिए वालेट का उपयोग कर सकता है तथा और भी बहुत कुछ। साथ ही उपयोगकर्ता अब वालेट की वर्धित सीमाओं का लाभ लेने के लिए पूरी केवाईसी जांच पूर्ण कर सकता है। बडी ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और 31 मार्च, 2018 को इसका उपयोगकर्ता आधार 129 लाख का हो गया है। 31 मार्च, 2018 को इस वालेट ने ₹ 1,505.79 करोड़ की राशि के 496 लाख से अधिक लेन-देन को सुगम बनाया है।

फिनटेक कंपनियों के प्रवेश ने, डाटा को, ग्राहकों के लक्ष्य के लिए चुनिंदा और दक्षतापूर्ण बनाने का मुख्य केंद्र बना दिया है। बैंकों के डिजिटल उत्पादों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है। आपके बैंक ने डिजिटल सोल्युशंस स्थापित किए हैं जो ग्राहकों के लिए हर तरह से सर्वोत्तम ओमनी-चैनल का अनुभव प्रदान कर रहे हैं।

8. योनो

24 नवम्बर, 2017 को, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत का प्रथम व्यापक डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्मट 'योनो', जो 'यू ओनली नीड वन' का संक्षिप्त रूप है, का आरंभ किया गया। एक एकीकृत ओमनी-चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, योनो अपने ग्राहकों के लिए, उनकी जीवन शैली से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी 16 श्रेणियों, जिनमें फैशन और जीवन शैली, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, होम एवं फर्नीशिंग, यात्रा एवं आतिथ्य, कैब बुकिंग और किराये पर कार, मनोरंजन, फूड एवं डायनिंग, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत देखभाल एवं अन्य आवश्यकताएँ शामिल हैं, के लिए बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय उत्पाद भारत के सबसे बड़े B2C मार्केट प्लेस के साथ प्रदान करता है। आपके बैंक ने अपने ग्राहको को अनुकूलित प्रस्ताव और छूटें प्रदान करने के लिए 70+ उच्च ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी की है। योनो, के साथ, ग्राहक पा सकते हैं:

- डिजिटली एसबीआई बैंक खाता 4 मिनिट में खोल सकते हैं
- बिना किसी कागजी कार्रवाई के पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण 4 क्लिक में पा सकते हैं
- सावधि जमा के सामने ओवरड्राफ्ट सुविधा तुरंत ऑनलाइन पा सकते हैं
- एसबीआई समूह की बैंकिंग एवं वित्तीय पोर्टफोलियो की एक झलक पा सकते हैं
- विवेकपूर्ण व्यय विश्लेषक का लाभ

- चैटबोट 'एसआईए' का उपयोग
- लक्ष्य के लिए सपनें लेना और उनको साकार करने के लिए निधियाँ
- B2C मार्केट प्लेस की पहुँच
- नया डीमैट/व्यापार खाता खोलना
- डीमैट/व्यापार खाते को लिंक करना
- क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
- क्रेडिट कार्डों और पे क्रेडिट कार्ड बिलों को मूल रूप से लिंक करना
- बीमा उत्पाद ऑनलाइन प्राप्त करना

31 मार्च 2018 को योनो के निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ

- 4.37 मिलियन आवेदन का डाऊनलोड
- 1.36 लाख डिजिटल और इंस्टा बचत खाते खोलना
- 6.52 लाख निधि अंतरण निष्पादित
- 17,000+सावधि जमा खाते खोले गए
- 71,000+ बिल भुगतान किए गए
- 77,000+ एसबीआई क्रेडिट कार्ड लिंक किए गए : ₹ 43 करोड़ का भुगतान 41,000 कार्डों से किया गया; 33,000 नए कार्ड लीड्स बनाए गए
- 41,000+ एसबीआई कैप सिक्योरिटी पोर्टफोलियोज लिंक्ड; 9,000 नए डी मैट खाता लीड्स बनाए गए
- 11,000+एसबीआई लाईफ पॉलिसियाँ लिंक की गई
- 2,400+पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण ₹ 12 करोड़ का वितरण

9. उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव परियोजना (सीईईपी)

देश भर में 5,364 शाखाओं में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव परियोजना सीईईपी शुरू की गई है, जो स्वयं सेवा मशीनों जैसे एटीएम, सीडीएम/रीसाइक्लर्स, पासबुक प्रिंटिंग हेतु स्वयं, इलेक्ट्रॉनिक चेक ड्रॉप बॉक्स और इंटरनेट सक्षम पीसी से सुसज्जित हैं। इन शाखाओं में ग्राहकों को बिना कतार के तुरंत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) संस्थापित की गई है। क्यूएमएस में वरिष्ठ नागरिकों/विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्हें विशेष सेवा देने के लिए अलग टोकन की व्यवस्था है। ग्राहकों को शाखा की सेवाओं पर अपना फीडबैक देने के लिए इन शाखाओं में एक ग्राहक फ़ीडबैक टैब भी लगाया गया है। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा अनुभव देने के लिए इन शाखाओं में गति संयोजन तथा तात्कालिक निगरानी की व्यवस्था की गई है।

आपके बैंक का "स्टेट बैंक नो क्यू" मोबाइल ऐप ग्राहकों को सीईईपी शाखाओं में सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वयं को ई-टोकन उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्रकार के फोन पर उपलब्ध है और यह शाखा में ग्राहकों के प्रतीक्षा समय को कम करता है। यह शाखा में भीड़ को कम करता है, क्योंकि ग्राहक शाखा में आने से पहले ही टोकन निकाल लेता है और उसे कतार में लगे बिना ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। 31 मार्च 2018 को इस ऐप में 23,66,000 से अधिक (2.37 मिलियन) डाउनलोड पंजीकृत हुए हैं। इस ऐप का उपयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है। इन शाखाओं में एचएनआई ग्राहकों को प्राथमिकता प्राप्त ग्राहकों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर CEEP पहल का प्रभाव जानने हेतु चुनी हुई CEEP शाखाओं में ग्राहक सेवा फीडबैक सर्वे भी शुरू किया है। इससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग ग्राहक सेवा तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के लिए किया जा रहा है।

10. डिजिटल बैंकिंग

बैंकिंग क्षेत्र में नई अवधारणाओं के नवनिर्माण में आपका बैंक हमेशा अग्रणी रहा है। 7 हाई-टेक कदमों में से अपने आप में एक अद्भुद निर्णय, एसबीआई इनटच शाखाओं को लाना बैंकिंग क्षेत्र में एक नवीन प्रतिमान है। वर्तमान में, आपके बैंक की 262 एसबीआई इनटच शाखाएं अत्याधुनिक तकनीक सम्पन्न हैं। ये इनटच शाखाएं देश भर में 148 से अधिक जिलों में स्थित हैं।

आपका बैंक, एसबीआई इनटच शाखाओं मे बैंक खाते खोलना और अपने नाम वाला डेबिट कार्ड जारी करने जैसी बैंकिंग सेवाएं मात्र 15 मिनट में उपलब्ध कराता है। यह सब क्रांतिकारी टच तकनीक की सहायता से संभव हुआ है। आपके बैंक की कार्यनीति यह है कि इन भविष्यवादी शाखाओं में 'फिजिटल' बाजार का वातावरण तैयार किया जाए जहां ग्राहकों को (1) स्वयं सेवा कियोस्क और (2) अन्य बैंकिंग सहायकों जैसे जीवन बीमा, साधारण बीमा, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड और एसबीआई कैप सिक्योरिटी के माध्यम से ऑन लाइन व्यापार आदि की सुविधाएं ग्राहकों को प्रस्तुत की जा सकें। इनटच में हाई-डेफिनिशन ऑडियो विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पर ग्राहक वित्तीय विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं।

अगस्त, 2017 में आपके बैंक ने एसबीआई की किसी भी शाखा के बचत बैंक (एसबी) खाता धारक को व्यक्तिगत फोटो डेबिट कार्ड - 'क्विक' फोटो डेबिट कार्ड (5 मिनट मे) के तत्काल जारी करने की सुविधा भी शुरू की है। इस सुविधा के अंतर्गत, एक व्यक्तिगत बचत बैंक खाताधारक जिसका एसबीआई में खाता है, उसका डेबिट कार्ड खो जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर, यदि उसके पास आधार कार्ड है, वह किसी भी एसबीआई-इनटच शाखा में जा सकता है और डेबिट कार्ड प्रिंटिंग कियोस्क के माध्यम से अपनी फोटो वाला फोटो डेबिट कार्ड तत्काल प्राप्त कर सकता है।

11. परस्पर विक्रय

आपका बैंक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेश कंपनी लिमिटेड का कॉरपोरेट एजेंट है तथा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के उत्पादों के वितरण के लिए वितरण करार किया है, आपका बैंक यूटीआई, म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रेंकलिन टेंम्पलटन म्यूचुअल फंड, एलएंडटी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण भी करता है। इसके अलावा, सभी शाखाएं राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है।

निष्पादन की विशेषताएँ (आय)

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक		
जेवी	वाईटीडी	वाईटीडी	%वाईओवाई चेंज
	मार्च 2017	मार्च 2018	
एसबीआई लाईफ	575.97	714.75	24.10
एमएफ	185.24	560.51	202.59
एसबीआई जनरल	125.97	212.57	68.74
एसबीआई कार्ड्स	25.13	135.83	440.51
एसएसएल	2.43	5.14	111.52
एनपीएस	-	2.44	-
कुल	**914.74***	**1631.24**	**78.33**

*वाईटीडी मार्च 17 में ई-एबीएस के आंकड़े-776.61(एसबीआई)+138.13(ई-एबीएस) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018 की प्रमुख विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है:

- (एसबीआई म्यूचुअल फंड इस उद्योग के बैंक वितरकों में ₹ 54,000 करोड़ के एयूएम के साथ द्वितीय स्थान पर है।) आपका बैंक 14.6 लाख लाइव सिप्स (SIPs) के साथ सिप के बैंक वितरकों में भारत भर में प्रथम स्थान पर है। शुद्ध विक्रय मार्च 2017 के ₹ 11,464 करोड़ से बढ़कर वायटीडी मार्च 2018 में ₹ 24,374 करोड़ हो गया जो 113% की वृद्धि दर्शाता है।
- बांका (BANCA) चैनल के माध्यम से जारी कार्डों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है और सोर्सिंग सितंबर 2017 के औसत 35% से बढ़कर मार्च 2018 में 53% हो गई है।
- आपके बैंक को अपने नेशनल पेंशन सिस्टम अनुप्रयोग के लिए SKOCH अवार्ड - प्लेटिनम मिला है और PFRDA द्वारा मनाए जा रहे विभिन्न लॉगिन दिवस अभियानों के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) में प्रथम स्थान पर है।
- एसबीआई लाइफ के अंतर्गत, सीआईएफ वायटीडी मार्च, 2018 में बढ़कर 46,180 हो गया, जो वायटीडी मार्च, 2017 में 24,470 था, इसमें 89% की वृद्धि दर्ज हुई है। होम लोन बीमा की पैठ 45% से बढ़कर 58% हो गई है।
- एसबीआई जनरल के अंतर्गत एसपी संख्या वायटीडी मार्च, 2017 के 14,348 की तुलना में बढ़कर वायटीडी मार्च, 2018 में 20,646 हो गई है, जो 44% की वृद्धि दर्शा रही है। मार्च 2017 की तुलना में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की संख्या 11% वृद्धि के साथ 7.82 लाख हो गई है और प्रीमियम 16% बढ़कर ₹ 179.45 करोड़ हो गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी का अर्जित शुद्ध लाभ ₹ 380 करोड़ हो गया है जिसमें से ₹ 170 करोड़, लॉंग टर्म होम(LTH) पुनर्बीमा द्वारा अर्जित सीडिंग कमीशन से है।

12. इंटरनेट बैंकिंग और ई-कॉमर्स

आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा विविध बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए ऑन बोर्ड एक निर्बाध ऑनलाइन अनुभव है। सावधि जमाएँ/पीपीएफ खाते खोलने और संचालित करने, अंतःऔर अंतर बैंक आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण, फोरम 15एच/15जी प्रस्तुत करने, नामांकन अद्यतन करने की सुविधा, विदेशी अंतर राष्ट्रीय संप्रेषण जैसी उन काई सुविधाओं में से हैं, जो प्रदान की जा रही है। कुछ सेवाएँ/सुविधाएँ जो वर्ष के दौरान आरंभ की गई और जिनके कारण बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और अधिक सशक्त और ग्राहक हितैषी बना है, उनमें शामिल हैं -सिबिल स्कोर तक पहुँच, सीआईएफ को आधार के साथ जोड़ने, संप्रभु स्वर्ण बॉन्डों की खरीद, हिंदी में एसएमएस अलर्ट भेजना, जीएसटीएन का समेकन, आरआईएनबी के माध्यम से 15एच/15जी प्रस्तुत करना, व्यापार/विस्तार कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय जांच रिपोर्ट (एफएफआर-I और एफएफआर-II) प्रस्तुत करना और सीआईएनबी के माध्यम से ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की ई-टीडीआर और ई-एसटीडीआर बनाना। वर्ष 2018 के दौरान इस उच्च सुरक्षापूर्ण और किफ़ायती लागत वाले चैनल ने 159 करोड़ के लेनदेन संसाधित किए हैं, और पिछले वर्ष की तुलना में नए आईएनबी उपयोगकर्ताओं की संख्या में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है।

ई-कॉमर्स को नयापन देने के ईकोसिस्टम सक्रिय संबंधी पहलें विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तकनीकी भागीदारी करते हुए अपनाई गई जिससे उन्हें उनके ई-शासन चैनलों जैसे ई-नीलामी, ई-टेंडरिंग, ई-भाड़ा और कर देयों के ऑनलाइन संग्रहण को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। वर्ष 2018 के दौरान 17,515 मर्चेन्टों से अधिक एएसबीए मॉडल से जुड़े। भीम एसबीआई पे एसबीएमओपीएस (SBMOPS) एक विकल्प के रूप में जोड़ा जा चुका है।

नये जुडे आईएनबी उपयोगकर्ता (संख्या लाख में)

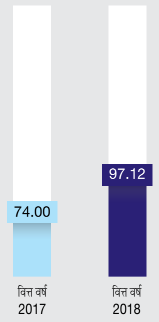

आईएनबी लेनदेनों की राशि (₹ करोड़ में)

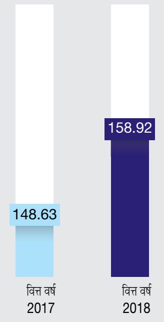

आईएनबी लेनदेनों की राशि (₹ करोड़ में)

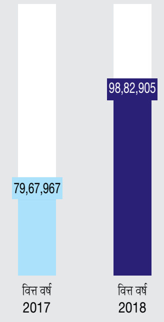

ग. लघु एवं मध्यम उद्यम

आपका बैंक लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण में अग्रणी एवं बाजार पथप्रदर्शक है। एक मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ, एसएमई पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2018 को ₹ 2,69,875 करोड़ था जो कि बैंक के कुल अग्रिमों का 13.17% रहा।

एसएमई के भारतीय अर्थव्यवस्था में, विनिर्माण उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में उनके योगदान के अनुरूप, महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, आपके बैंक ने एसएमई को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में माना है।

आपका बैंक सरल और नवोन्मेषी वित्तीय समाधान देने के प्रति प्रतिबद्ध है। एसएमई वृद्धि के लिए आपके बैंक का दृष्टिकोण निम्नलिखित तीन स्तंभों पर टिका है:

अ) ग्राहक सुविधा

ब) जोखिम न्यूनीकरण

स) प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल सेवाएँ

1. ग्राहक सुविधा

अग्रसर भारत को गति प्रदान करने और कायम रखने की दृष्टि से आपके बैंक ने शाखाओं और अन्य मोड्स में सर्वाधिक संपर्क केंद्र सृजित किए हैं जहां से जनता हमसे संपर्क कर सकती है, जिनमें RMSEs(866), RMMEs(775),CSOs(900),SMECs (89), RASMECs (81), और एसएमई प्रमुख शाखाएँ(1,248) शामिल हैं।

आपके बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों से अधिकतम संपर्क बनाने हेतु वर्तमान वितरण मॉडल-लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र (SMEC) में बदलाव करते हुए इनमें"आस्ति प्रबंधन टीमों" का गठन शुरू किया है ताकि ₹ 50 लाख तक के लघु मूल्य ऋणों के ग्राहकों से शुरू से अंत तक संबंध बनाए रखे जा सके। लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्रों को स्टाफ की संख्या की दृष्टि से और अधिक सबल बनाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सेवा में सुधार हुआ है।

वेब आधारित ऋण आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम: आपके बैंक में कॉरपोरेट वेबसाइट www.sbi.co.in पर एमएसएमई ऋणियों के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन एवं ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध है। यह एक अंतः-आधारित ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे "लीड प्रबंधन सिस्टम"(LMS) के नाम से जाना जाता है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन ऋण अनुरोध करने और आवेदन संदर्भ संख्या के रूप में प्राप्ति की सूचना देता है। ग्राहकों का डाटा तब स्वतः (संबंधित मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से) रिलेशन शिप केंद्र पर अग्रेषित हो जाता है जहां इन लीड्स को व्यवसाय में परिवर्तित कर लिया जाता है।

व्यापार सभाओं/शिखर सम्मेलनों में सहभागिता: उद्यमियों से संपर्क बनाने तथा उनकी आवश्यकताओं की जानकारी के लिए आपका बैंक व्यवसाय सभाओं एवं शिखर सम्मेलनों में सक्रियता से भाग लेता रहता है।

2) जोखिम न्यूनीकरण

आपका बैंक न्यूनीकृत जोखिम उत्पादों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनमें सप्लाई चैन फाइनेंस, आस्ति समर्थित ऋण, बैंक जमाओं/सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग सुविधा और सीजीटीएमएसआई बीमित ऋण एवं अन्य शामिल हैं।

आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन: अपनी अत्याधुनिक प्रद्योगिकी तथा शाखा नेटवर्क का उपयोग करते हुए आपका बैंक कॉरपोरेट जगत के साथ अपने संबंध अधिक सुदृढ़ कर रहा है और आपूर्ति शृंखला वित्तीयन में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 49 नए ई-डीएफएस और 8 नए ई-वीएफ एस (इलेक्ट्रोनिक वेंडर फाइनेंस स्कीम) के साथ गठबंधन किया है जिसमें 292 औद्योगिक प्रमुख एवं उनके 22,406 डीलर एवं 12,512 विक्रेता शामिल हैं। पिछले वित्त वर्ष में तेल डीलरों (पेट्रोल पंपों) की संख्या ई-डीएफएस के अंतर्गत 13,000 से अधिक हो गई है। ई-डीएफएस पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 19% की वृद्धि हुई है

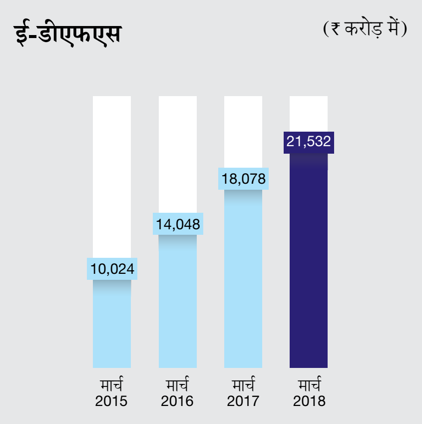

ई-डीएफएस संविभाग का बाजार खंडवार तथा क्षेत्रवार विवरण निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:

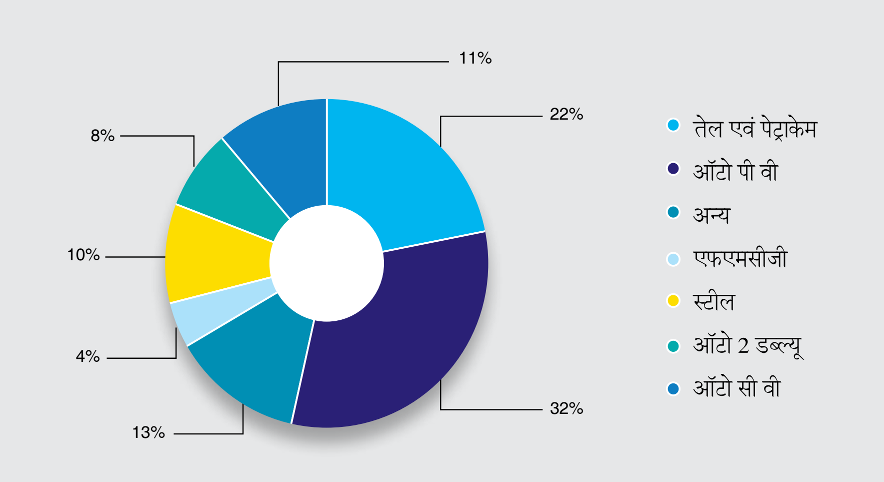

तमिलनाडु में पीतल के बर्तन निर्माता को मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तपोषण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: भारत सरकार की पहल के अनुसार आपके बैंक ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की पात्र इकाइयों को साख सुविधाएँ प्रदान करने में पर्याप्त जोर दिया है और वित्त वर्ष 2018 के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य ₹ 28,300 करोड़ के सामने ₹ 28,556 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रवाह: आपका बैंक एमएसएमई तथा सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय को सहयोग देने में अग्रणी रहा है। आपका बैंक बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के ₹ 2 करोड़ तक के ऋण सीजीटीएमएसई गारंटी के अंतर्गत प्रदान कर रहा है। एसबीआई का 31 मार्च 2018 को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ₹ 12,549 करोड़ का पोर्टफोलियो है।

एसएमई असिस्ट: जीएसटी का प्रादुर्भाव भारत सरकार का एक परिवर्तनकारी कदम है। आपके बैंक ने जीएसटी के संबंध में जानकारी का प्रसार करने की पहल के रूप में 91 मोड्यूल्स/केंद्रों पर कार्यशालाएँ आयोजित कर 4,087 एसएमई ऋणियों को शामिल किया। एमएसएमई ऋणियों के बीच जागरूकता लाने के लिए जिला मुख्यालयों पर भी टाउन हाल बैठकें आयोजित की गई।

आपके बैंक ने एसएमई असिस्ट नाम का एक नया उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान लंबित इनपुट क्रेडिट दावों के वित्तपोषण के लिए आरंभ किया है। 31 मार्च, 2018 को आपके बैंक ने 431 इकाइयों को कुल ₹ 228 करोड़ की सहायता प्रदान की है।

3) डिजिटल पेशकश

आपका बैंक व्यवसाय प्राप्ति, उत्पादों की रूपरेखा बनाने, प्रक्रिया को सुप्रवाही करने, सुपुर्दगी से निगरानी तक में सुधार करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के प्रत्येक पहलू के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

आपके बैंक ने एसएमई पोर्टफोलियो को न्यून जोखिम युक्त बनाने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिससे (i) उत्पाद शृंखला (ii) प्रक्रिया (iii) सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किए गए हैं।

ईकोसिस्टम वित्तपोषण (प्रोजेक्ट शिखर) अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए ई-कॉमर्स के प्रभाव का लाभ उठाने के लिए ईकोसिस्टम वित्तपोषण (प्रोजेक्ट शिखर) की शुरुआत की गई है।

क्लस्टर आधारित वित्तपोषण: क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण ने आपके बैंक को सुस्पष्ट और सुपरिचित समूहों के साथ व्यवहार करने और संवृद्धि क्षमता को पाने के लिए समर्थ बनाया है। चूंकि क्लस्टर से जुड़ी इकाइयां एक प्रकार की ही गतिविधि की होती हैं, जो उनकी आवश्यकता और समग्र पोर्टफोलियो की निगरानी में सहायता करती हैं। 31 मार्च, 2018 को आपके बैंक ने क्लस्टर वित्तपोषण के अंतर्गत 441 इकाइयों को ₹ 450 करोड़ की सहायता प्रदान की है।

वेयर हाउस रसीद वित्तपोषण: आपके बैंक ने माल के व्यापारियों/मालिकों/निर्माताओं को स्वयं प्रसंस्करण के लिए वित्तपोषण प्रदान करने के लिए वेयर हाउस रसीद के विरुद्ध 'वेयर हाउस वित्तपोषण योजना' (WHR) आरंभ की है ।वेयर हाउस रसीद संपार्श्विक प्रबंधकों जिनके साथ आपके बैंक का गठबंधन है, के द्वारा जारी की जाती है (वर्तमान में एनबीएचसी , एनसीएमएल, स्टार एग्री, ओरिगो)। इसके अलावा, केंद्रीय वेयर हाउसिंग(CWC)/राज्य वेयरहाउसिंग(SWC) द्वारा जारी वेयरहाउस रसीदें भी इस वेयर हाउस रसीद वित्त पोषण के अंतर्गत पात्र हैं। 31 मार्च, 2018 को वेयर हाउस रसीद वित्त पोषण ₹ 5,795 करोड़ का है।

परियोजना विवेक

परियोजना विवेक, आपके बैंक में परंपरागत तुलनपत्र आधारित हामीदारी के स्थान पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नकदी प्रवाह एवं अन्य सूचनाओं आधारित अपने अधिक उद्देश्यपूर्ण हामीदारी सिस्टम की ओर प्रतिमान रूप से विस्थापित होने की शुरुआत है। यह आपके बैंक द्वारा एसएमई क्षेत्र के अंतर्गत नए व्यवसाय के लिए प्रारम्भ की गई एक आशाजनक पहल है, जो बेहतर जोखिम आकलन में उद्देश्यपरकता लाती है। यह टर्न अराउंड टाइम(TAT) को कम कर देती है जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है। 31 मार्च, 2018 को कुल 13,713 प्रस्तावों को परियोजना विवेक के अंतर्गत संसाधित किया जा चुका है।

व्यापार प्राप्तियां बट्टाकरण प्रणाली (TReDS) : TReDS एमएसएमई को वित्तपोषण प्रवाह बढ़ाने का एक साधन है। आपका बैंक सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है जिसने TReDS प्लेटफॉर्म RXIL और M1xchange पर पंजीकृत किया है। आपका बैंक इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोलियों में सक्रिय सहभागिता कर रहा है और एमएसएमई के लाभार्थ बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तावित कर रहा है।

लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (LOS) तथा ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (LLMS): ऋण वितरण के एकसमान-मानक अपनाने तथा उनका पालन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कॉरपोरेट मेमोरी संरक्षित रखना आदि के लिए, लघु मूल्य तथा उच्च मूल्य ऋणों के लिए क्रमशः एलओएस एवं एलएलएमएस शुरू किए हैं।

डिजिटल निरीक्षण एप्लिकेशन (डीआईए-एसएमई): यह एसएमई इकाइयों की संस्वीकृति-पूर्व और संस्वीकृति-पश्चात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के रूप में एसएमई इकाइयों के निरीक्षण को रिकार्ड करने हेतु एक टैब एवं मोबाइल आधारित एप्लिकेशन है। इस डिजिटल एप्लिकेशन के माध्यम से आपका बैंक सम्पार्श्विक प्रतिभूति, संपत्तियों के स्थान और फोटो के साथ व्यवसाय स्थल एवं जिओ कोडिनेट्स का भी रिकार्ड रखता है।

घ. ग्रामीण बैंकिंग

1. कृषि व्यवसाय

संघ सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की पृष्ठभूमि पर आपके बैंक की ऋण गतिविधियों में कृषि और सहायक गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान दिया। आपका बैंक सम्पूर्ण भारत में 1.35 करोड़ किसान परिवारों को सेवा प्रदान कर रहा है। हमने वित्त वर्ष 2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण प्रवाह लक्ष्य को विगत कुछ वर्षों की उपलब्धियों के समान प्राप्त कर लिया है। इसका वर्णन नीचे तालिका में किया गया है:

कृषि ऋण प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	% उपलब्धि
वि.व. 2015	84,500	86,193	102%
वि.व. 2016	89,781	1,02,423	114%
वि.व. 2017	95,168	1,25,270	132%
वि.व. 2018	1,05,741	1,66,819	158%

कृषि में ऋण प्रवाह को सरल बनाने के लिए, आपके बैंक ने बंधक मुक्त फसल ऋण के नवीकरण की सीमा को ₹ 1 लाख से ₹ 1.5 लाख बढ़ा दिया है। हमने डेयरी इकाईयों को मुद्रा योजना के तहत उदारीकृत शर्तों के साथ वित्त प्रदान करने के लिए किसानों की कृषि संबंधी आय बढ़ाने के लिए ऋण को ₹10 लाख तक बढ़ा दिया है।

किसानों की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान गति को बनाते हुए एसेट बेक्ड एग्री लोन(एबीएएल) नाम से संपत्ती के संपार्श्विक पर एक नये उत्पाद की रचना की गई है तथा निम्न आधार होने पर भी इस उत्पाद के अंतर्गत वृद्धि 200% रही। इस उत्पाद की लोचनीयता के कारण ग्राहकों द्वारा इस उत्पाद को स्वीकार किया जा रहा है।

कृषि कॉरपोरेट्स के साथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर ताल-मेल में प्रवेश करते हुए आपका बैंक कृषि संविभाग की जोखिम को कम कर रहा है तथा इसके साथ ही किसानों की सहायता भी कर रहा है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला ऋणों के समय पर नवीकरण हेतु नकद प्रवाह को सुनिश्चित करेगा तथा किसानों की आय को बढ़ाएगा। आपका बैंक झींगा कृषि, डेयरी, मुर्गीपालन जैसी परम्परागत रूप से की जाने वाली गतिविधियों तथा अनानास व आम जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के क्षेत्रों तथा केंद्रों के इर्द-गिर्द अवसरों को पकड़ने के लिए क्लस्टर आधारित एप्रोच के अंतर्गत भी उधार दे रहा है।

देश की आर्थिक वृद्धि में ग्रामीण भारत के योगदान को पहचानते हुए, आपका बैंक विभिन्न नये चैनल एवं सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण भाग की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में बारी-बारी के समय तथा क्रेडिट मूल्यांकनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक हब-एंड-स्पोक मॉडल पर एक पायलट परियोजना देश भर में 80 से अधिक क्षेत्रों में शुरू की गई है।

बैंक में ग्राम्य स्तर पर आयोजित मेगा किसान सम्मेलन

जैसा कि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, किसानों द्वारा मांगों के जवाब में कृषि ऋणों की छूट की घोषणा करने वाले कुछ राज्यों के साथ कृषि क्षेत्र में कई विकास देखे गए। अपनी ओर से, आपके बैंक ने दो ऋण समाधान योजनाओं की घोषणा की, जिसमें कृषि क्षेत्र के ऋण भी शामिल थे और दोनों योजनाओं के तहत निर्धारित आंतरिक लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान छह अवसरों पर बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इस पहल के तहत, पूर्व निर्धारित दिन पर, आपके बैंक की सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं ने किसानों के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित की ताकि ग्राहक कनेक्ट हो सके और बैंक और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैल सके। अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 1.5 मिलियन किसानों ने इन बैठकों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में 71.66 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधारकर्ताओं को सरलता एवं संचालन संबंधी सुविधा हेतु केसीसी-एटीएम-रुपेकार्ड जारी करना है। केसीसी रूपे कार्ड एटीएम और पीओएस मशीनों में निर्बाध रूप से काम करते हैं, जो किसानों को 24x7 आधार पर अपनी दैनिक कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान क्रय में सक्षम बनाता है।

2. वित्तीय समावेशन

आपके बैंक को भारत के सबसे बडे बैंक के रूप में वित्तीय समावेशन की गतिविधियों को व्यवहार में लाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने की अपनी भूमिका का अहसास है। डिजिटल बैंकिंग चैनलों का प्रसार और व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के नेटवर्क का विस्तार हमारी कार्यनीतियों को फिर से शुरू करने के लिए लचीलेपन के माध्यम से बैंक को आगे बढ़ने की गति प्रदान कर रहा है। इस प्रकार, समावेशी विकास और वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, आपके बैंक ने हमारे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में घर बैठे वित्तीय सेवाओं से वंचित व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, हमारी अनेक कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कार्य किये हैं।

आपके बैंक की बैंकिंग सेवाओं के लिए सम्पूर्ण भारत में 58,274 परिचालन व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और 22,400 से अधिक शाखाएं हैं। बीसी चैनल द्वारा ₹ 1,24,930 करोड़ राशि के 31.21 करोड़ लेनदेन अर्थात 01 से 1.5 मिलियन लेनदेन प्रतिदिन दर्ज किये गये हैं। बीसी चैनल अपने चैनल के माध्यम से ग्राहकों को बिना शाखा में गये ही सभी बैंकिंग सेवाओं को उसके दायरे में लाकर आसानी से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत, आपके बैंक ने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अग्रणी होने के कारण सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके बैंक ने 31 मार्च 2018 तक 10 करोड़ खाते खोले हैं और योग्य ग्राहकों को 6.62 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। पिछले दशक में सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के एक भाग के रूप में इस अर्थव्यवस्था से बाहर व्यक्ति के लिए भी बैंक खाते को सुलभ बनाकर वित्तीय समावेशन के इन प्रयासों को प्रदान करना सुनिश्चित किया है, जिसमें आपके बैंक का एक बड़ा योगदान है।

पीएमजेडीवाई खातों की संख्या

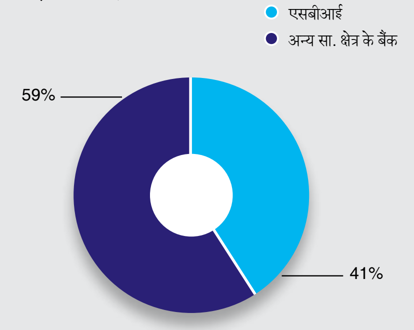

पीएमजेडीवाई खातों की राशि

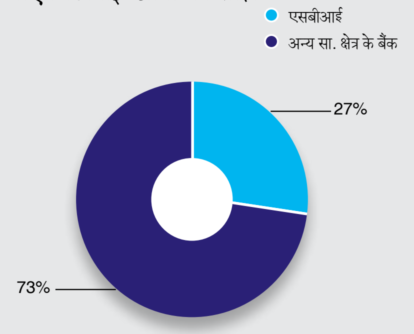

जारी रुपे कार्डों की संख्या (पीएमजेडीवाई)

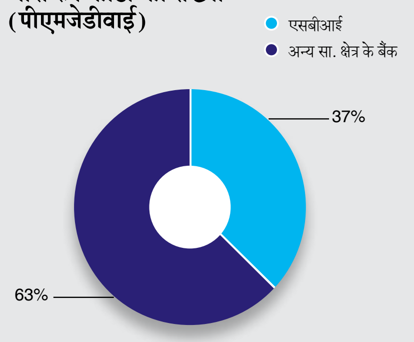

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सामाजिक सुरक्षा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, असंगठित क्षेत्र में ग्राहकों को कम लागत वाले माइक्रो बीमा उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाएं (एपीवाई) भी एक बड़े स्तर पर प्रदान की गई है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सम्मिलित किया गया है। ये प्रयास जनसंख्या को वित्तीय प्रणाली का लाभ उठाने और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाते हैं।

क. वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

इस उद्देश्य के साथ, आपके बैंक ने वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और आम आदमी द्वारा वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे देश में 336 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, देश भर में इन केंद्रों (एफएलसी) द्वारा कुल 23,962 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। आरबीआई द्वारा पायलट परियोजना लागू करने के तहत बैंक ने आरबीआई द्वारा निदेशित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर 15 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में प्रत्येक हेतु 5 की स्थापना की है।

ख. ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस)

ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) ग्रामीण युवाओं को व्यापक गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उनको सुविधा प्रदान करते हैं। आपके बैंक ने 27 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में विस्तारित 151 आरएसईटीआई स्थापित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीआई आरएसटीआई ने 1 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 63% महिलाएं हैंऔर 83% से अधिक प्रशिक्षित उम्मीदवार गैर-सामान्य श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक) से संबंधित हैं। एसबीआई-आरएसईटीआई द्वारा 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों को 7 साल की अवधि में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 67% लाभप्रद रूप से स्थापित हैं और इस प्रकार ग्रामीण भारत को बदलने के लिए गति प्रदान कर रहे हैं।

ङ अन्य नई व्यवसाय पहलें

1. भुगतान समाधान समूह

डिजिटल रूप से समर्थित नए लोगों के आ जाने से बैंकिंग प्रणाली के समक्ष पारंपरिक व्यवसाय क्षेत्र में नई चुनौतियाँ आ रही है। हाल ही में भुगतान प्रणालियों में स्मार्ट फोन का उपयोग, ई-कॉमर्स के बढ़ने तथा कई अच्छे नवोन्मेषी उत्पाद/मोबाइल ऐप शुरू हो जाने के कारण ये बैंकिंग व्यवसाय का अत्यंत आवश्यक पहलू बन गई है।

डेबिट कार्ड्स: 31 मार्च 2018 को लगभग 26 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्डों के साथ आपका बैंक भारत में डेबिट कार्ड जारी करने के मामले में अग्रणी बना हुआ है। डेबिट कार्ड में पैठ बनाने की दृष्टि से 31 मार्च 2018 को एसबीआई का बाजार हिस्सा 32.35% है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने के दृष्टिकोण से, आपके बैंक ने डेबिट कार्ड के उपयोग को अंतरित करने के बारे में ग्राहकों के लिए एक केंद्रित कार्यनीति अपनाई है जिसके अंतर्गत अग्रणी ई-कॉम और खुदरा विक्रेताओं के सहयोग से नियमित प्रचार/सक्रिय अभियान चला कर एटीएम (नकद निकासी हेतु) से पीओएस /ई-कॉम

वेबसाइट्स के उपयोग की ओर स्थानांतरित किया है। आपके बैंक ने डेबिट कार्डो से संबंधित विभिन्न नवाचार और कार्यक्षमताओं को सफलतापूर्वक आरंभ किया है जैसे; संपर्क रहित डेबिट कार्ड, भारत क्यूआर, सैमसंग पे और वीजा चेक आउट।

ग्राहकों के साथ डिजिटल भागीदारी बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड/ कॉम्बो कार्ड्स प्रारम्भ करने के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, आईआईएम अहमदाबाद, कॉलेज ऑफ इंजीनियरंग-पुणे और अन्य के साथ गठबंधन किया है।

भुगतान लेनदेनों को डिजिटाइज्ञ करने की इन पहलों के कारण न केवल लेनदेनों की लागत कम कर दी है, बल्कि कागज के कम उपयोग के कारण कार्बन फुट-प्रिंट-चिह्न में भी कमी आई है। इन पहलों के फलस्वरूप, आपके बैंक ने डेबिट कार्ड के अपने बाजार हिस्से में सुधार किया है और जो 31 मार्च, 2017 के 29.33% से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 30.40% हो गया है।

स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड्स: स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड्स (एसबीफटीसी) वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, आठ विदेशी मुद्राओं जिनके नाम हैं- जापानीज येन, कनाडियन डॉलर, आस्ट्रेलियन डॉलर, सऊदी रियाल, सिंगापुर डॉलर, यू.एस.डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पौंड के साथ विदेशी यात्रियों को सुरक्षा उपाय, सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रहा है। एसबीफटीसी, मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर बहु-मुद्रा कार्ड भी जारी कर रहा है। प्रारम्भ में, यह चार मुद्राओं अर्थात यूएसडी, जीबीपी, यूरो और एसजीडी में जारी किया गया था। बाद के वर्षों में, इसमें तीन नई मुद्राएं अर्थात एयूडी, सीएडी और एईडी जोड़ी गई। आपका बैंक आक्रामक रूप से एफएफएमसी (पूर्ण फ्लेज्ड मुद्रा विनिमय कर्ताओं) के साथ भी गठबंधन को बढ़ावा दे रहा है।

रुपया प्रीपेड कार्ड: भारत में प्री-पेड कार्ड का उपयोग माल एवं सेवाओं की खरीद के साथ-साथ धन अंतरण में भी बढ़ रहा है।आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹ 950.31 करोड़ के पीपीआई जारी किए हैं जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 122.90% की वृद्धि दर्ज की है।

इंटरप्राइज वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम-स्टेट बैंक रिवार्ड्ज: एसबीआई के ग्राहकों के मध्य डिजिटल ग्रहण को बढ़ाने एवं और अधिक ग्राहकों को एसबीआई प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करने के लिए, आपके बैंक ने लॉयल्टी रिवार्ड्ज कार्यक्रम वर्ष 2015 के दौरान सभी सातों चैनलों पर आरंभ किया था जिसको अब 4 अन्य चैनलों की ओर विस्तारित किया जा रहा है जिसमें योनो भी शामिल है। यह डिजिटल लेनदेन के दोहरे उपयोग को प्रोत्साहित करेगा जिससे ग्राहकों के बीच डिजिटल आदत पैदा करेगा। स्टेट बैंक रिवार्ड्ज को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लागू किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर अथवा आईओएस में ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

मास ट्रांज़िट के डिजिटलीकरण में प्रवेश: तेजी से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन ने भारत में शहरी सार्वजनिक परिवहन को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। "परिवर्तनशील भारत के लिए पसंद का बैंक बनना" के लक्ष्य के साथ, आपके बैंक ने भारत में पारगमन स्थान को बदलने की अपनी यात्रा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(क) आपके बैंक ने एनएचएआई-राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (एनईटीसी)की महत्वाकांक्षी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। आपका बैंक एसबीआई फास्टैग जारी कर रहा है; रेडियो फ्रीक्वेन्सी पहचान प्रौद्योगिकी (आरएफआईडी) पर काम करना और ग्राहकों को सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के टोल प्लाजा में इलेक्ट्रोनिक रूप से टोल का भुगतान करने में सक्षम बना रहा है।

एसबीआई फास्टैग के माध्यम से, ग्राहक इलेक्ट्रोनिक रूप से अपने टोल का भुगतान कर सकते हैं और किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर समर्पित पोर्टल के माध्यम से अपने एसबीआई फास्टैग वॉलेट को ऑनलाइन/रिचार्ज कर सकते हैं। ग्राहक अपने वाहन के लेनदेन के विवरण को भी देख सकते हैं।

आपके बैंक ने 2.7 लाख टैग ग्राहकों को जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान एसबीआई फास्टैग के माध्यम से टोल लेनदेन 68 लाख से अधिक हो गया है और लेनदेन की कुल राशि ₹ 140 करोड़ के स्तर को पार कर गई है।

(ख) माइक्रो-भुगतान को तेजी से डिजिटाइज करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने विभिन्न मेट्रो और ट्रांज़िट परियोजनाओं में भाग लिया है। रुपे प्लेटफॉर्म पर qSPARC तकनीक के आधार पर आपके बैंक को ओपन लूप स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए नागपुर और नोएडा मेट्रो परियोजना से सम्मानित किया गया है।

आपके बैंक ने शहरी विकास विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा कल्पित दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) सर्वत्र कार्ड तैयार किया है। यह कार्ड रुपे प्रीपेड़ कार्ड पर मेट्रो ट्रैवल कार्ड की विशेषाताओं से युक्त है, जिसमें लेनदेन ऑफ लाइन किया जा सकता है । बहु मॉडल पारगमन में किराये के भुगतान के अलावा, यह कार्ड खुदरा भुगतान के साथ-साथ ई-कॉमर्स के लिए विस्तारित उपयोग प्रदान करता है।

2. स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर (व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय समूह)

आपका बैंक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बदलने के माध्यम से भारत को बदलने के लिए गति बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार के लेस-कैस अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य के साथ, आपके बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकृति आधारभूत संरचना का विस्तार किया है और नए भुगतान स्वीकृति समाधानों को बढ़ाया है।

आपका बैंक 20.20% की बाजार हिस्सेदारी के साथ टर्मिनल की संख्या के मामले में देश में शीर्ष अधिग्रहणकर्ता है (भारतीय रिजर्व बैंक के 28 फरवरी, 2018 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार)। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दो नए डिजिटल भुगतान स्वीकृति उत्पादों-भारत क्यू आर और भीम आधार-एसबीआई की शुरुआत की है; और इन प्लेटफॉर्मो पर ऑन-बोर्ड क्रमशः 2.02 लाख और 4.97 लाख व्यापारी मौजूद हैं। आपके बैंक के खोले गए पीओएस की संख्या 31 मार्च, 2017 के 5.09 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 6.10 लाख हो गई है। कुल मिलाकर, मर्चेन्ट भुगतान स्वीकृति स्पर्श केंद्रों की संख्या 31 मार्च। 2018 को 1.96 मिलियन पार कर गई।

अधिग्रहित लेनदेनों का मूल्य वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 68% की वृद्धि के साथ ₹ 1 ट्रिलियन पर पहुँच गया है। आपका बैंक तेल विपणन कंपनियों के खुदरा आउटलेट्स के विक्रय लेन-देनों को डिजिटाइज्ञ करने में 20,000 से अधिक खुदरा आउट लेट्स पर 34000+ पीओएस टर्मिनल खोल कर सफल रहा है।

अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल व्यापारी भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की पैंठ को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने टियर-v और टियर-vi केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। 31 मार्च, 2018 को खोले गए कुल पीओएस टर्मिनलों का लगभग 31% ग्रामीण आर अर्ध सहकारी क्षेत्रों में हैं।

बुनियादी अधिग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के अलावा, आपका बैंक मूल्य वर्धित सेवाएँ भी प्रदान कर रहा है जैसे किः

- डीसीसी - गतिशील मुद्रा रूपांतरण
- ईएमआई सुविधा
- कार्ड धारकों को डेबिट कैश डिस्पेंसेशन के लिए कैश@पीओएस सुविधा

भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमुख निगमों के साथ और सरकारी विभागों के साथ नकद से डिजिटल मोड में अपने परिचालन को डिजिटाइज्ञ करने में सहयोग किया है। आपके बैंक ने डिजिटल स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत भुगतान आधारभूत संरचना बनाई है, जिसमें निगमों और सरकारी विभागों के साथ अपने सिस्टम का अनुकूलन और एकीकरण शामिल है ताकि निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

डिजिटल लेनदेन कुछ उल्लेखनीय एकीकरण भारतीय रेलवे, भारत डाक और ई-जीआरएएस की प्रणालियों के साथ हरियाणा सरकार के साथ हुए हैं।

च. सरकारी व्यवसाय

आपका बैंक परंपरागत रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का वरीयता प्राप्त और मान्यता प्राप्त बैंकर रहा है। सरकारी व्यवसाय में बाजार का नेतृत्व करते हुए, आपका बैंक सरकारी कमीशन में 80% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के उपक्रमों के लिए ई-समाधान के विकास में आपका बैंक सबसे आगे है। इसने सरकारी व्यापार के ऑनलाइन मोड में रूपांतरण की सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दक्षता और पारदर्शिता है। आपका बैंक सरकार की डिजिटल पहलों के साथ तालमेल रखने के लिए सरकार की ई-मार्केटप्लेस जैसी नवीनतम पहलों में सक्रिय हितधारक है तथा निरंतर ई-टेंडरिंग, ई-बीजी, ई-ट्रेड आदि जैसी विशेष रूप से निर्मित तकनीकी समाधानों को विकसित करने में लगा हुआ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018
कुल कारोबार	49,77,798	55,61,295
कमीशन	2,879	3,050

ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण को सुविधा सम्पन्न बनाने और अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित पहलों को वर्ष के दौरान लागू किया गया था:

1. **जीएसटीएन** - जीएसटी संग्रह में 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ जीएसटी के रिफंड के लिए आपके बैंक को एकमात्र बैंकर के रूप में मनोनीत किया गया है।

2. **जीईएम (सरकारी ई-मार्केट प्लेस)** - जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं की सरकारी खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय एकीकरण हेतु सहमति ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. **भारतीय रेलवे** - आपके बैंक को भारतीय रेलवे की आपूर्ति और कार्यों के स्वदेशी अनुबंधों की जगह प्रतिवर्ष ₹ 50,000 करोड़ की अनुमानित राशि के अंतर्देशीय एलसी खुलवाने के लिए सम्मानित किया गया था।

4. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी/एल)** - वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 1,24,881 करोड़ राशि के 28.26 करोड़ से अधिक लेनदेन सफलतापूर्वक डीबीटी हेतु पूर्ण किये गये। आपका बैंक एकमात्र बैंकर है जिसने एलपीजी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)प्रक्रिया में डीबीटीएल के माध्यम से ₹ 23,076 करोड़ राशि के 114.39 करोड़ लेन देन की प्रक्रिया की।

5. **जीसीसीएस** - आपके बैंक ने प्लैटिनम प्रायोजक के रूप में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आकर्षित करते हुए जीसीसीएस 2017 (साइबर स्पेस पर 5 वां वार्षिक वैश्विक सम्मेलन) प्रायोजित किया है।

6. **भारत के वीर पोर्टल (बीकेवी)**-आपका बैंक 8 अर्ध सैन्य बलों के शहीदों के निकटतम संबंधियों के लिए चंदा एकत्र करने के लिए भुगतान सुविधा को सक्षम बनाने के लिए गर्व से गृह मंत्रालय के बीकेवी पोर्टल से जुड़ा हुआ है।

7. **वेतन/विक्रेता भुगतान का ई-मोड में परिवर्तन माइग्रेशन**-

   लोकसभा के वेतन / विक्रेता भुगतान, एमओयूडी (शहरी विकास मंत्रालय) के 80 सीडीडीओ (चेक ड्राइंग और वितरण अधिकारी) एवं 1.84 लाख भारतीय वायु सेना कर्मियों का वेतन भुगतान।

8. **पीओएस (पॉइन्ट ऑफ सेल) टर्मिनल** - आपके बैंक ने भारतीय रेलवे, डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और विदेश मंत्रालय को पीओएस टर्मिनल प्रदान किए हैं।

9. **भीम यूपीआई** - भारतीय रेलवे (भारत भर में रेलवे आरक्षण काउंटर) की यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के लिए समाधान प्रदान किया।

10. **ई-एमआरओ (सैन्य प्राप्तियां आदेश)** - सभी 31 सीडीए / पीसीडीए (नियंत्रक / रक्षा लेखा के प्रिंसिपल नियंत्रक) को शुरू कर दिया गया है।

11. **ई-बीजी (बैंक गारंटी)**- आपका बैंक सरकार के साथ खरीद हेतुबीजी/पीबीजी की ऑनलाइन पुष्टि के लिए ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में अनुकूलन करने वाला पहला बैंक है।

12. **ई-निविदा** - उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राज्य सरकार के विभाग और स्वायत्त निकायों के ई-निविदा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'भारत के वीर' पोर्टल का शुभारंभ

13. **आरएफआईडी फास्टैग**- ओडिशा राज्य परिवहन निगम के साथ उनकी 470 से अधिक बसों के लिए एसबीआई फास्टेग सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के साथ उनकी 750 से अधिक बसों के लिए एसबीआई फास्टेग सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं

14. **ई-ट्रेड** -एलसी को ऑनलाइन खोलने के लिए पीसीडीए, नई दिल्ली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसबीआई के इस पोर्टल के माध्यम से 90% से अधिक एलसी जारी किए जा रहे हैं।

15. **पेंशन भुगतान** - आपका बैंक 16 सीपीपीसी (केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र) के माध्यम से 53.23 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान प्रशासित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान वितरित कुल पेंशन राशि ₹ 1,33,475 करोड़ से अधिक हो गई है। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 2.81 लाख नये पेंशन खाते जोड़े हैं। देश भर में कई पेंशनर जोडो कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

16. **लघु बचत योजनाएं** - आपका बैंक 71.58 लाख से अधिक पीपीएफ तथा 11.64 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खातों को सेवाएं प्रदान कर रहा है,जो सभी अधिकृत बैंकों में सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान 5.31 लाख नए पीपीएफ खाते और 3.66 लाख नए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए।

छ. दक्षता एवं लागत नियंत्रण

बेसल-II मानकों के अंतर्गत उन्नत मापन दृष्टिकोण के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पूंजी की आवश्यकता को कम करने के लिए आपके बैंक ने बैंक की आस्तियों एवं अन्य जोखिमों के लिए एक बीमा कक्ष स्थापित किया है। इससे आपका बैंक बेहतर शर्तों के साथ बीमा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी दरों पर बीमा सुरक्षा पॉलिसी प्राप्त कर सकेगा। इससे बैंक को दावों को समय पर प्रस्तुत करने और बेहतर दावा निपटान करने में भी आसानी होगी। कोट्स/बिड्स के आवेदन केवल उन्हीं बीमा कंपनियों को जारी किए जाते हैं जिनका पिछले तीन वर्षों में कम से कम 50% दावों के निपटान का रिकार्ड हो।

आपके बैंक ने मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ में केंद्रों की शुरुआत करके ग्राहक पूछताछों और उनकी गैर-बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ग्राहक पूछताछ केंद्रों के रूप में एक नवोन्मेषी समर्पित कस्टमर कैयर सेंटर की भी शुरुआत की है। एसबीआई कैयर सेंटर में आपके बैंक को ग्राहकों/आम जनता को खाता संबंधी पूछताछ, सभी उत्पादों, केवाईसी के अद्यतन, आधार, मोबाइल, पैन नम्बर, चेक बुक आवेदन, खाता विवरण, एटीएम कार्ड आवेदन, एटीएम पिन जनरेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाता खोलने, शिकायत दर्ज कराने आदि से संबंधित पूछताछों का जवाब दिया जाएगा और बेहतर ग्राहक सेवा प्रस्तावित की जाएगी।

इस समय 9 मंडलों में लेखन-सामग्री प्रबंधन हेतु आउटसोर्सिंग मॉडल को कार्यान्वित किया गया है। परिसरों, भंडारण, बेकार लेखन-सामग्री मानव शक्ति परिवहन लागत आदि के संबंध में उठने वाली लागत को कम करने के लिए यह परियोजना कार्यान्वित की गई है। निकट भविष्य में आपका बैंक इस परियोजना को सभी मंडलों में लागू करने की प्रक्रिया में है।

एलसीपीसी एओएफ के बाद स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण के अंतर्गत, 31.03.2018 को एलसीपीसी में रखे हुए कुल 15.89 करोड़ खाता खोलने के फॉर्मों में से, आपके बैंक ने 15.74 करोड़ खाता खोलने के फॉर्मों की स्कैनिंग कर ली है (99.05% कार्य पूर्ण), ऐसे 14.73 करोड़ खाता खोलने वाले फॉर्मों की इमेज को बैंक के केंद्रीकृत सर्वर में अंतरित कर दिया गया है। इससे आसान डिजिटल स्टोरेज और परिचालन प्रयोजन हेतु एओएफ डेटा की पुनःप्राप्ति में मदद मिलेगी।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, शाखा परिसरों में ज्यादा भीड़ नहीं होगी और ज्यादा स्थान उपलब्ध होगा तथा ग्राहकों को उनकी सुविधा अनुसार अधिक संतुष्टि प्रदान की जा सकेगी।

2. कॉरपोरेट बैंकिंग समूह

आपका बैंक थोक बैंकिंग व्यवसाय ईकोसिस्टम ग्राहक अनुकूल वित्तीय समाधानों के माध्यम से कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान देता है और इसमें विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देने वाली अनेक टीमें शामिल हैं जिससे आपके बैंक के ग्राहकों को विशिष्ट एवं उनके अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराये जा सके।

क. कॉरपोरेट बैंकिंग

कॉरपोरेट लेखा समूह, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित बड़े कॉर्पोरेट और संस्थानों को कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। कॉर्पोरेट लेखा समूह ₹ 5 बिलियन से अधिक कुल क्रेडिट एक्सपोजर वाले ग्राहकों का ध्यान रखता है।

यह फंड-आधारित और गैर-निधि-आधारित उत्पादों, शुल्क और कमीशन आधारित उत्पादों और सेवाओं, जमा, विदेशी मुद्रा सेवाओं के साथ-साथ डेरिवेटिव भी प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह और वैश्विक बाजार समूह द्वारा प्रदान की गई आरबीआई अनुमत व्युत्पन्न(डेरिवेटिव) व्यवस्था सहित ऋण उत्पादों, जमा, शुल्क और कमीशन-आधारित उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी सेवाओं की एक श्रृंखला सहित कई प्रकार के उत्पादों की पेशकश करता है। यह नकदी प्रबंधन पहल, केंद्रीकृत भुगतान समाधान, डेरिवेटिव उत्पाद, धन प्रबंधन सेवाएं, प्रेषण और संग्रहण सेवाएं, ऑनलाइन कर भुगतान, पूर्ण भुगतान समाधान, बैंक के अन्य समूहों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की क्रॉस-सेलिंग की सुविधा के साथ-साथ व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा, सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और आपूर्ति श्रृंखला वित्त सुविधा भी प्रदान करता है।

कॉरपोरेट लेखा

'कॉरपोरेट लेखा इकाई', भारत में स्थित बैंक के प्रधान कॉरपोरेट ग्राहकों पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है, प्रत्येक कॉरपोरेट/बडें ग्राहक को एक समर्पित लेखा-प्रबंधन-दल सौंप दिया जाता है जिसका नेता एक संबंध प्रबन्धक होता है जो ग्राहक की बैंकिंग आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। कॉरपोरेट लेखा इकाई का लक्ष्य होता है कि वह अपने कॉरपोरेट संबंधों का उपयोग करते हुए निधि आधारित, गैर निधि आधारित और शुल्क आधारित उत्पादों में वृद्धि करें।

बैंक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए केंद्रित विपणन और ग्राहक सेवा सुनिश्चित करता है। कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के अलावा, बहु-स्तरीय पहुंच और प्राधिकरण नियंत्रण के साथ, अन्य डिलीवरी चैनलों में बैंक के व्यापक शाखा नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड पेशकश और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। कॉरपोरेट लेखा इकाइयों की सेवाएं मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में बैंक की विशेष शाखाओं के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

कॉरपोरेट अकाउंट्स यूनिट के कॉरपोरेट लोन पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से निधि आधारित उत्पादों जैसे कि नकद क्रेडिट, कार्यशील पूंजी मांग ऋण, बिल छूट, निर्यात वित्त, कॉर्पोरेट ऋण और परियोजना और कॉर्पोरेट वित्त के लिए सावधि ऋण होते हैं और गैर-निधि आधारित उत्पादों में साखपत्र, बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटी आदि होते हैं। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विभिन्न निवेश उत्पादों जैसे बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचर इत्यादि की बैंक के ग्लोबल मार्केट ग्रुप द्वारा व्यवस्था की जाती है।

कॉरपोरेट लेखा इकाई में ग्राहकों का कुल बकाया ऋण ₹ 3385.78 बिलियन और ₹ 4,118.97 बिलियन निधि आधारित उत्पादों के संबंध में और गैर-निधि आधारित उत्पादों के संबंध में ₹ 1,895.99 बिलियन और ₹ 2,172.88 बिलियन क्रमशः 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2018 को है।

सीएजी अगले 15 वर्षों के रोड मैप में संवहनीय विकास के माध्यम से परिवर्तनशील भारत की दिशा में सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण साधन एवं सहायक रहा है।इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए, सीएजी सड़क और बंदरगाहों (पूरे भारत में कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार को आसान बनाने में योगदान देने) में कई आधारभूत परियोजनाओं, पावर (सभी घरों को बिजली

प्रदान करने की सरकार की सौभाग्य योजना के अनुरूप), अक्षय ऊर्जा (स्थिरता के लिए पवन ऊर्जा, छत पर सौर, जल विद्युत परियोजनाओं सहित) और विभिन्न ईपीसी परियोजनाएं (सरकारी प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन हेतु) का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।

पार्टनर्स टू - टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट

ख. लेनदेन बैंकिंग इकाई

लेनदेन बैंकिंग यूनिट (टीबीयू), एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है, जो ग्राहकों के लिए व्यापक लेनदेन से संबंधित उत्पादों और समाधानों को प्रदान करता है। टीबीयू के उद्देश्य ग्राहकों की बड़ी मात्रा की लेनदेन आवश्यकताओं को अनुकूलित करने के लिए कस्टमाइज्ड एमआईएस, ईआरपी के साथ एकीकरण और समर्पित सिंगल प्वाइंट क्लाइंट सपोर्ट सेल इत्यादि नई तकनीक प्रयासों को अपनाना हैं। अध्ययन और लेनदेन पैटर्न का विश्लेषण बैंक को गैर पारंपरिक तकनीकों को विकसित करने तथा अन्य बैंकिंग आवश्यकताओं जैसे-ग्राहकों के लिए क्रेडिट, फंड प्रबंधन, क्रॉस सेलिंग आदि का आकलन करने के लिए सक्षम बनाता है।

आपका बैंक निगमों, मिड-कॉरपोरेट, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों जैसे एनबीएफसी, बीमा कंपनियां, बैंक, म्यूचुअल फंड और एसएमई ग्राहकों को टीबीयू उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो इनकी निधि प्रबंधन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाता है।

बाजार विकास पर नजर रखकर, आपका बैंक टीबीयू उत्पादों को अद्यतन और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखने के लिए ग्राहकों को प्रौद्योगिकी आधारित संभावित समाधान प्रदान करता है।

हालांकि, कॉरपोरेट ग्राहक और सरकारी ग्राहक (केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों) मुख्य केंद्रित क्षेत्र बन रहे हैं, आपके बैंक ने मौजूदा और साथ ही स्टार्ट-अप व्यवसाय में प्रवेश बढ़ाने के लिए एसएमई क्षेत्र पर बल दिया है।

शुल्क आय वित्त वर्ष 2017 के ₹ 616.96 करोड़ से वित्त वर्ष 2018 में ₹ 824.39 करोड़ बढ़कर वृद्धि 33.62% हो गई, 30% की शुल्क आय वृद्धि पिछले 3 वर्षों में सुसंगत रही है। फीस आय में लगातार पिछले तीन वर्षों से 30% की वृद्धि पर स्थिर रही। वित्त वर्ष 2017 में कुल व्यवसाय ₹ 12,77,580 करोड़ थी जो कि वित्त वर्ष 2018 में ₹ 21,37,369 करोड़ राशि के लेनदेन के साथ 67.30% की वर्षदर वर्ष वृद्धि दर्ज की। द एशियन बैंकर ने आपके बैंक को वित्त वर्ष 2017 के लिए भारत का सर्वत्तम लेनदेन वाला बैंक का सम्मान दिया है।

टीबीयू शुल्क आय (₹ करोड़ में)

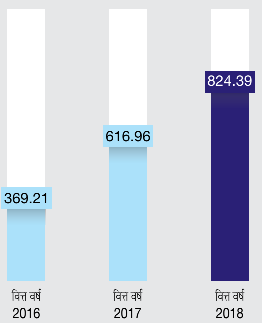

टीबीयू टर्नओवर (₹ करोड़ में)

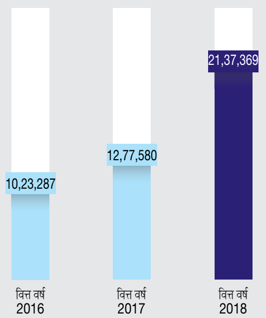

ग. परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय

परियोजना वित्त परिवेश ने क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों की एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें एक तरफ सड़क जैसे क्षेत्रों ने पुनः सुधार के संकेत प्रदर्शित किए हैं जबकि दूसरी तरफ ऊर्जा, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा और टेलीकॉम क्षेत्र समष्टि आर्थिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं। खराब ऋणों और रूकी हुई आधारिक संरचना परियोजनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण प्रवर्तकों और ऋणदाताओं के समग्र मनोभाव में निरुत्साह बना हुआ है। तथापि, सरकार और आरबीआई द्वारा अनेक नई पहलें शुरू की गई हैं और यदि इनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो जाता है, तो वित्त वर्ष 2019 सभी हितधारकों की कुछ आशा बंधा सकता है।

परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय (पीएफएसबीयू) के नाम से जानी जाने वाली आपके बैंक की विशेष व्यवसाय इकाई बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, और विमानपत्तन जैसे आधारभूत संरचना क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके लिए निधियों का प्रबंध करती है। यह न्यूनतम परियोजना लागत की कुछ शर्तों के पूरा होने पर धातु, सीमेंट, तेल और गैस, आदि जैसी गैर-आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। अन्य समूहों की बड़ी राशि के सावधि ऋण प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने में भी यह इकाई सहायता प्रदान करती है। यह इकाई आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए नीति नियामक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देने का कार्य भी करती है। दवाबग्रस्त आस्तियों की संख्या में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दवाबग्रस्त आस्ति प्रबंधन में पीएफएसबीयू की भूमिका में फिर से विस्तार किया गया है।

वर्ष के दौरान, पीएफएसबीयू को शुल्क के रूप में ₹ 176 करोड़ की आय अर्जित हुई है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है।

परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018
परियोजना लागत	77,227	83,434	81,701
परियोजना नामे	59,094	51,227	58,754
संस्वीकृत राशि	18,125	26,557	19,835
समूहन राशि	18,082	5,809	11,937

पार्टनर्स टू - विंड मिल परियोजना

घ. मिड कॉरपोरेट समूह

बैंक का मध्य कॉरपोरेट समूह (एससीजी) अपने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कारोबार करता है। ये कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई (2), हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता (2), मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में स्थित हैं। 31 मार्च 2018 को एससीजी की 55 शाखाएं थीं जिनमें से 21 शाखाएं महानगरीय क्षेत्रों और 34 शाखाएं अन्य शहरी केंद्रों में थीं।

एमसीजी ऋण संविभाग (गैर-खाद्यान देशीय)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2018
एमसीजी ऋण संविभाग (गैर-खाद्यान देशीय)	3,29,772

वित्त वर्ष 2018 के दौरान एमसीजी समूह की समग्र संवृद्धि ₹ 9,433 करोड़ रही और इस प्रकार इसमें 3.20 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2018 को संविभाग की ऋण राशि ₹ 3,29,772 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2017 को यह राशि ₹ 2,94,427 करोड़ रही थी। वर्ष के दौरान एमसीजी ने 80 नए कनेक्शन संस्वीकृत किए है जिनकी कुल निधि आधारित ऋण राशि ₹ 21,551 करोड़ रही।

इस समूह का ट्रेड फाइनैंस (एलसी एवं बीजी) टर्नओवर राशि में 25.96% की वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2018 को यह राशि ₹ 96,469 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 76,589 करोड़ थी। समूह के विदेशी मुद्रा टर्नओवर में 6.22% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2018 को यह राशि ₹ 3,63,084 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 3,41,837 करोड़ थी।

एमसीजी द्वारा आवधिक संरचित चर्चाओं वाले दृष्टिकोण का अनुपालन करता है जिसमें प्रमुख अधिकारियों के बीच विशेष रूप से ब्रेन स्टोर्मिंग सत्रों का आयोजन करना शामिल है जिससे समूह द्वारा प्रबंधित संविभाग की उसके अधिकारियों को बेहतर समझ हो सके। इन चर्चाओं में शीर्ष कार्यपालकों और आधार स्तर के परिचालन अधिकारियों के बीच विचारों एवं अभिमतों का आदान-प्रदान करने से व्यवसाय संवृद्धि और आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन में समूह की आयोजना में उपयोगी रहता है।

यह समूह अपने ग्राहकों को भारत में अपने कारोबार में वृद्धि करने में निरंतर सहयोग दे रहा है और विदेशों में आस्तियां या कंपनियां अधिग्रहण में भी योगदान कर रहा है। इस हेतु विदेशी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों को (चुकौती आश्वासन पत्र, आपाती साख-पत्र समर्थित) ऋण भी दिया जाता है।

ङ. अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

35 देशों में स्थित 206 कार्यालयों का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क

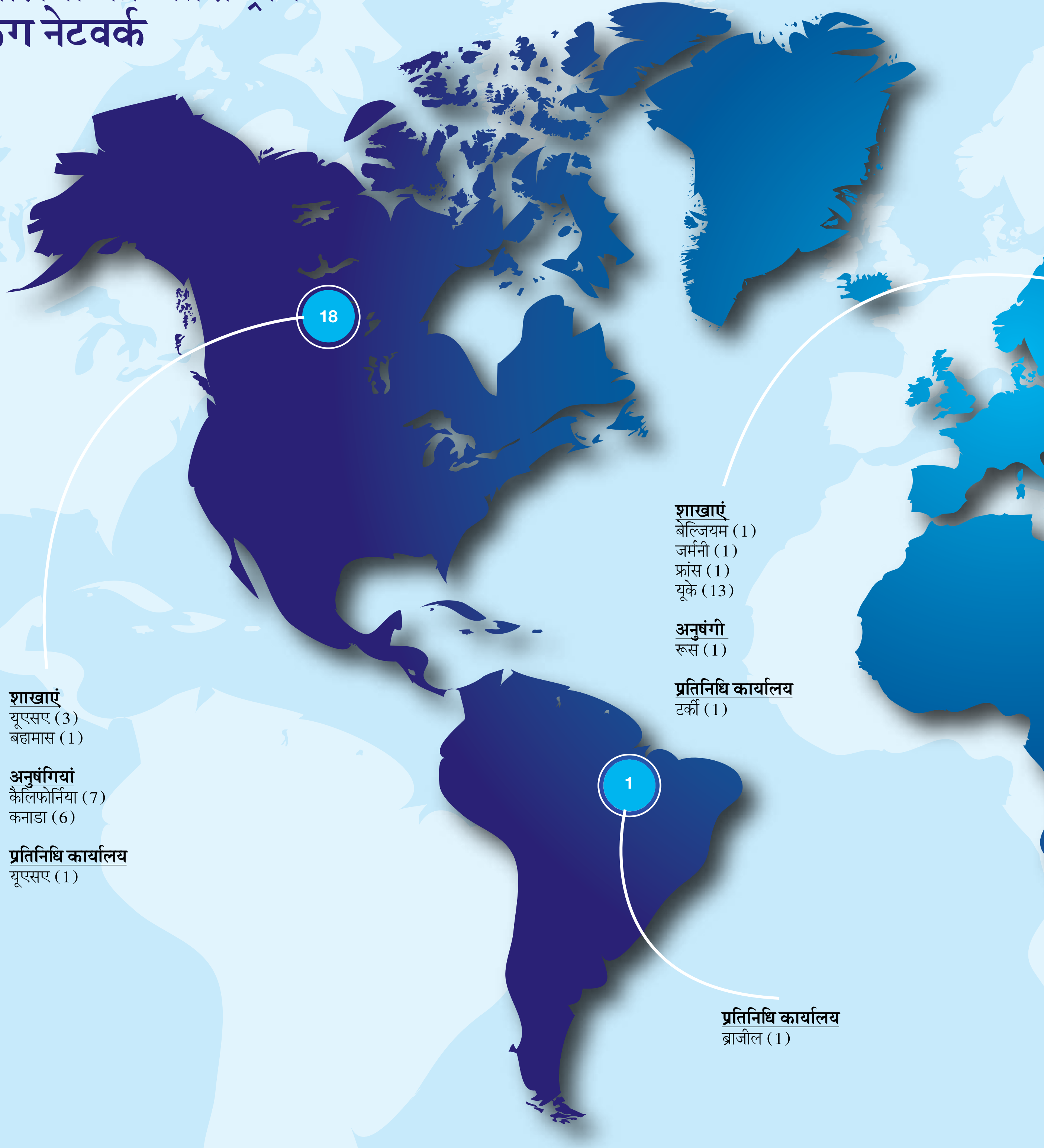

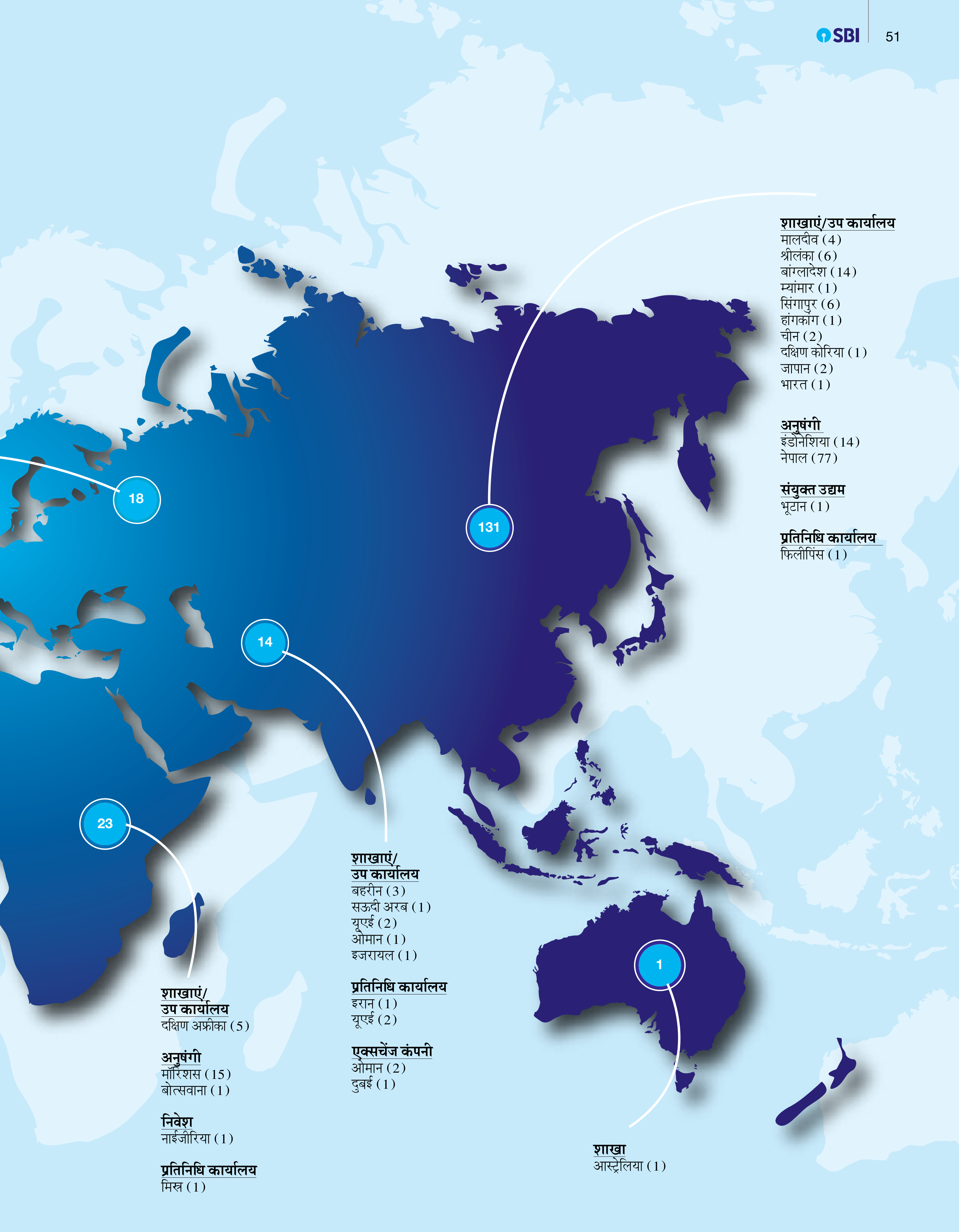
18
131
14
23
1
शाखाएं/उप कार्यालय
मालदीव (4)
श्रीलंका (6)
बांग्लादेश (14)
म्यांमार (1)
सिंगापुर (6)
हांगकांग (1)
चीन (2)
दक्षिण कोरिया (1)
जापान (2)
भारत (1)
अनुषंगी
इंडोनेशिया (14)
नेपाल (77)
संयुक्त उद्यम
भूटान (1)
प्रतिनिधि कार्यालय
फिलीपिंस (1)
शाखाएं/
उप कार्यालय
बहरीन (3)
सऊदी अरब (1)
यूएई (2)
ओमान (1)
इजरायल (1)
प्रतिनिधि कार्यालय
इरान (1)
यूएई (2)
एक्सचेंज कंपनी
ओमान (2)
दुबई (1)
शाखाएं/
उप कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका (5)
अनुषंगी
मॉरिशस (15)
बोत्सवाना (1)
निवेश
नाईजीरिया (1)
प्रतिनिधि कार्यालय
मिस्र (1)
शाखा
आस्ट्रेलिया (1)

आपका बैंक देश भर में विश्वास का प्रतीक रहा है। आपके बैंक ने विश्व भर में अपने पंख पसारे हैं, यह अनिवासी भारतीयों, भारतीय कॉर्पोरेटों, निर्यातकों तथा आयातकों के साथ-साथ स्थानीय जनता व कॉर्पोरेटों के वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करा रहा है।

आपका बैंक विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है, इसने जुलाई 1864 में श्रीलंका के कोलंबो में बैंक ऑफ मद्रास की शाखा खोली। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के मामले में आज एसबीआई सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का अग्रदूत है। विश्व के प्रत्येक समय क्षेत्र में, 35 देशों में हमारे 206 कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह द्वारा किया जाता है। हमारे विदेश स्थित कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

हमारे बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

	31.03.2017 को विदेश स्थित कार्यालय	पिछले 12 माह में खोले गए कार्यालय	पिछले 12 माह में बंद किए गए कार्यालय	31.03.2018 को विदेश स्थित कार्यालय
शाखाएँ/उप कार्यालय/ कार्यालय	74	2	4	72
8 अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के कार्यालय	113	9	-	122
प्रतिनिधि कार्यालय	5	2	-	7
सहयोगी/प्रबंधित विनिमय कंपनियाँ/ निवेश	3	2	-	5
योग	**195**	**15**	**4**	**206**

वित्त वर्ष 2018 के दौरान बैंक ने मालदीव में हुलहुमाले में एक नई शाखा खोली। एसबीआई की एक अनुषंगी एसबीआई नेपाल लिमिटेड ने वर्ष दौरान 7 नई शाखाएँ खोली। इसी अवधि में सिल्हट (बांग्लादेश) तथा दोहा (कतर) शाखाएँ बंद कर दी गईं। साथ ही सहयोगी बैंकों के विलय के कारण 2 प्रबंधित विनिमय कंपनियाँ तथा 2 प्रतिनिधि कार्यालय (दुबई और आबूधाबी) एसबीआई में शामिल हो गए।

31.03.2018 को आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के तुलन पत्र का आकार 59,819 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा निवल लाभ 206 अमेरिकी डॉलर है। बैंक का अंतरराष्ट्रीय समूह निम्नानुसार बैंक के लाभ में लगातार प्रमुख अंशदाता रहा है :

वित्त वर्ष	2015	2016	2017
बैंक के निवल लाभ में विदेशी कार्यालयों का अंशदान (एकल)	24%	42%	27%

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में असीम योगदान दिया है। इसने विभिन्न मोर्चों पर अपनी विशेषज्ञता एवं सेवाएं प्रदान करते हुए अपने विशेषीकृत समूहों के साथ अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्षेपण में अपनी स्थिति को बनाए रखा है, इस प्रकार यह अन्य संचालकों के साथ तालमेल बैठाते हुए अग्रसर भारत के लिए गति प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ये संचालक निम्नवत हैं:

1. क्रेडिट: अनुबद्ध संवृद्धि

आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा में ऋण की व्यवस्था करके भारतीय कॉर्पोरेटों को उनकी संवृद्धि कार्यनीति में सहायता प्रदान की है।

वर्ष के दौरान एसबीआई ने भारतीय कॉर्पोरेटों को 3.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय वित्तपोषण तथा 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सिंडीकेट ऋण दिए।

आपके बैंक को एपीएलएमए (एशिया पेसिफिक लोन मार्किट एसोसिएशन) द्वारा 'सिंडीकेट हाउस ऑफ द ईयर-इंडिया' पुरस्कार से नवाजा गया।

अधोसंरचना भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास का प्रमुख कारक है। बैंक का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह ने बदलते भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरसंचार, बन्दरगाह, उर्वरक तथा विद्युत (पावर) जैसे प्रमुख अधोसंरचना क्षेत्रों को प्रतियोगी दरों पर विदेशी मुद्रा में निधियाँ उपलब्ध कराकर समन्वित प्रयास किए गए।

दूरसंचार : आपका बैंक दूरसंचार के एक प्रमुख खिलाड़ी को बाह्य वाणिज्यिक उधार देने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है।

ऊर्जा- तेल एवं प्रकृतिक गैस : आपका बैंक तेल खोज तथा मार्किटिंग कंपनियों द्वारा विदेशों में अधिग्रहण के निधियन में सक्रिय रहा है। तेल की कीमतों में अस्थिरता के माहौल में कच्चे तेल के नए स्रोतों द्वारा भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य में भारत की मजबूत स्थिति दोनों दृष्टियों से हमारे देश के लिए इन अधिग्रहणों का रणनीतिक महत्व है।

बिजली : आपका बैंक बिजली क्षेत्र की कंपनियों तथा आगे बिजली क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार उपलब्ध कराने में सदैव लीडर रहा है।

बंदरगाह :- 'मेक इन इंडिया' पर दिए जा रहे वर्तमान महत्व को देखते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पण्य व्यापार का हिस्सा तेजी से बढ़ाने की आशा है। अतः देश की व्यापार तथा वाणिज्य परिचालनात्मक दक्षता एवं क्षमता का विस्तार करके उनकी क्षमता की संवृद्धि में बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस परिप्रेक्ष्य में सस्ती लागत पर निधियाँ प्राप्त करने के इरादे से शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी प्रमुख बन्दरगाहों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने भावी कैपेक्स कार्यक्रमों के निधियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक (ईसीबी) का लाभ उठाएँ। आपका बैंक एकीकृत बांदरगाहों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पहलों को समर्थन देने वाले प्रमुख बैंकों में पहला बैंक है। अतः बैंक ने देश की अधोसंरचना को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

उर्वरक : भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने तथा कृषि उत्पादन में देश के आत्मनिर्भर बनाने में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। पाँच वर्षों में किसानों की आय दुगनी करने के भारत सरकार के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के प्रमुख उर्वरक निर्माताओं को आपके बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार उपलब्ध कराया।

2. सहयोगात्मक भागीदारी तथा छवि निर्माण

आपके बैंक की डीआईएफ़सी दुबई शाखा ने दुबई में एक नई परियोजना की संरचना में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की कर भारतीय उद्यमशीलता कौशल तथा तकनीक उन्यन,स्थानीय जनता व प्रवासी भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करने तथा वैश्विक परिदृश्य में भारत की नई छवि गढ़ने में सहयोग किया।

भारत सरकार की मेक्रो इकोनोमिक पहल पर आयोजित संगोष्ठी में बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री बी. श्रीराम चर्चा करते हुए

3. खुदरा एवं विप्रेषण

आपका बैंक अपने विशेषीकृत खुदरा एवं विप्रेषण उत्पादों के माध्यम से विश्व के अनेक भागों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए 'भारत की खिड़की' की तरह रहा है। चूंकि खुदरा एवं विप्रेषण खंड की पेशकश में ग्राहक सेवा में सुधार का मूल आईटी अधोसंरचना है, इसलिए आईटी को संबल देने के लिए एक विस्तृत आईटी कार्यनीति बनाई गई। वर्ष की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

- भारत से नेपाल, इन्डोनेशिया से भारत, कोरिया से भारत, भूटान से भारत विप्रेषण गलियारे जैसे विशिष्ट भुगतान व विप्रेषण गलियारों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर विप्रेषण व्यवसाय कार्यनीति की पुनर्रचना की गई। इसके अतिरिक्त अमेरिका-भारत खंड के लिए तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप तथा 'ऐप्प' आधारित विप्रेषण शुरू किए गए।
- सभी अनुषंगियों तथा विदेशी कार्यालयों में 'फिनेकल' प्लेटफॉर्म पर एफ़ईबीए शुरू किया गया। 21 क्षेत्रों में एसएमएस सुर्पुदगी के लिए 'फिनेकल' एलर्ट सर्वर शुरू किए गए।
- वर्ष के दौरान माले, एसबीआई मारशियस तथा एसबीआई नेपाल में 'इनटच' शाखाएँ खोली गई।
- नेपाली वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए डिजिटल ग्राम पहल आरंभ की गई।
- मारिशस में एटीएम के माध्यम से विप्रेषण शुरू किया गया।
- यूके, मारिशियस, मालदीव, कनाडा , नेपाल तथा श्रीलंका में मोबाइल बैंकिंग शुरू की गई।
- एसबीआई कलिफोर्निया में ऑनलाइन खाता खोलना सुविधा आरंभ की गई।
- एसबीआई यूके के कॉल सेंटर को भारत में स्थानातरित किया गया, इससे लागत में महत्वपूर्ण बचत हुई।
- 'ट्रांसफास्ट रेमिटेन्स एलसीसी, यूएसए के माध्यम से अमेरिका से भारत को विप्रेषण आरम्भ किया गया।
- एसबीआई कनाडा में 'स्टूडेंट जीआईसी' योजना आरंभ की गई, जिससे कनाडा में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को प्रवेश तथा बैंकिंग में सुविधा मिली।

वैश्विक भुगतान एवं सेवाएँ :- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के अंतर्गत एक इकाई वैश्विक भुगतान एवं सेवाएँ (जीपी&एस) में तीन शाखाएँ/कार्यालय शामिल हैं- ग्लोबल लिंक सर्विसेज (जीएलएस), अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा, मुंबई (आईएसबीएम) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा, एर्णाकुलम (आईएसबीई)। यह इकाई विदेश स्थित स्थानों से भारत में ऑनलाइन आवक विप्रेषणों, विदेशी मुद्रा में चैक संग्रहण, वोस्ट्रो खाते खोलना तथा उन्हें मेंटेन करना, एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) लेनदेन तथा बैंक फॉर फ़ॉरेन इकोनोमिक अफेयर (बीएफ़ईए) ऑफ यूएसएसआर सेक्शन में सहायता करती है।

विशेषताएँ :

- मध्य-पूर्व के देशों से भारत को आवक रुपया विप्रेषण को चैनलीकृत करने के लिए 62 विनिमय कंपनियों तथा 6 बैंकों के साथ टाई-अप।
- एएमएलओसीके के माध्यम से विप्रेषण से संबंधित लेनदेन पश्चात समुन्नत मॉनिटरिंग के लिए अनुपालन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया गया।
- वित्त वर्ष 2018 के दौरान घरेलू शाखाओं के लिए 65,765 निर्यात बिल (अमेरिकी डॉलर तथा यूरो मुद्राओं में) तथा 65,232 विदेशी मुद्रा चेकों का संग्रहण किया गया, जिनका कुल मूल्य $ 13,601 मिलियन है।
- वित्त वर्ष 2018 के दौरान जीपी एंड एस ने विभिन्न वैश्विक केंद्रो से प्राप्त अमेरिकी $ 9,746 मिलियन के 14.03 मिलियन ऑनलाइन आवक विप्रेषणों को हैंडल किया।

4. व्यापार वित्त

भारत तथा विश्व के प्रत्येक समय क्षेत्र में परिचालन करने वाले सुसज्जित शाखा नेटवर्क के माध्यम से एसबीआई निर्यातको तथा आयातकों को उत्पादों तथा सेवाओं की व्यापक श्रृंखला से व्यापार सेवाओं का बड़ा संविभाग उपलब्ध कराता रहा है। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अमूह (आईबीजी) के वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जाने वाला व्यापार वित्त अंतर राष्ट्रीय संविभाग का महतपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। शीर्ष वैश्विक बैंकों में से एक एसबीआई भारतीय कॉर्पोरेटों को उनके आयात के लिए कम लागत पर व्यापार ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति में है।

आईबीजी का वैश्विक व्यापार विभाग घरेलू तथा विदेश स्थित कार्यालयों के बीच सुदृढ़ लिंक के रूप में तथा उनके बीच के अंतराल को पाटकर उनसे विदेशी मुद्रा व्यापार प्रवाह को सिनार्जाइज्ञ करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। यह व्यापार संबंधी व्यवसाय के लिए संपर्की /भागीदार बैंक से भी लाभ उठाने का भी प्रयास करता है।

परियोजनाओं को समर्थन देने के अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए हाल ही में नवंबर 2017 में एसबीआई ने 34वें एशियन बैंकर्स संघ वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन एशियाई क्षेत्र में व्यापार, उद्योग निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

एसबीआई भारत-एशिया व्यापार गलियारे का प्रमुख खिलाड़ी है तथा हाल ही में इसे ग्लोबल ट्रेड रिव्यू, लंदन द्वारा '**द बेस्ट ट्रेड फ़ाइनेंस बैंक ऑफ साउथ एशिया**' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब एसबीआई क्षेत्रीय स्तर पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमें पहले से ही गोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 7 वर्ष से 'द बेस्ट ट्रेड फ़ाइनेंस बैंक -इंडिया' पुरस्कार मिल रहा है।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

आपके बैंक ने जापान डेस्क स्थापित किया है जिसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक के मध्यम से जापान व भारत के बीच निवेश प्रावाह को चैनलीकृत करने के लिए फ़ोकल पॉइंट के रूप में कार्य करना है। यह, भारत में निगमित होने की इच्छुक कंपनियों को आवश्यक सूचना / बाज़ार शोध/ कानूनी सहाता उपलब्ध कराएगा। भारत में निवेश के अवसर ढूँढने वाले जापानी कॉर्पोरेटों को उनकी रुचि के क्षेत्रों/उयोगों की पहचान में तथा विश्वसनीय बाज़ार सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। इससे जापान से भारत को प्रत्यक्ष विदेशी विवेश का प्रवाह बढ़ा है।

एसबीआई नेट द कोरिया डेवलपमेंट बैंक (केडीबी)के सहयोग से कोरिया डेस्क की भी स्थापना की है। केडीबी की सहयोग से कोरियाई डेस्क कोरियन कंपनियों को भारतीय बाज़ार के अवसरों से जोड़ता है। यह, भारत में नई व्यावसायिक इकाइयां खोलने में कोरियाई कंपनियों की सहायता करता है। कोरियाई डेस्क ने अधिग्रहण डील में सहायता की है।

जापान डेस्क तथा कोरिया डेस्क के तत्त्वावधान में कॉर्पोरेटों को उनके व्यवसाय में आसानी के लिए निर्बाध ढंग से बने-बनाए उत्पाद तथा सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

जापान डेस्क तथा कोरिया डेस्क भारत मे दी गई विशिष्ट सुविधाएँ जिनहोने आटोमोबाइल, इंजीनिरिंग सामान, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि क्षेत्रों में जापान तथा कोरिया की कंपनियों से उच्च तकनीक कंपनियाँ लाने, भारत में निर्माण सुविधाएँ विकसित करने में सहायता की है, जिससे रोजगार सृजन तथा मेक इन इंडिया अभियानों को सहायता मिली है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पहलें

वास्तविक डिजिटल बैंक के रूप में आपके बैंक ने ग्राहक की पसंद, आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार बने-बनाए उत्पादों की पेशकश कर प्रत्येक ग्राहक को सर्वव्यापी, सरल, आभासी संगठन की संरचना द्वारा डेटा प्राप्त करने तथा उसे कार्रवाई योग्य स्थिति में परिवर्तित करने, प्रक्रिया में नवोन्मेष लाने, उन्हें ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।

विदेश स्थित कार्यालयों में की गए पहलें निम्नानुसार हैं :-

- फिनेकल ई-बैंकिंग अनुप्रयोग (एफ़ईबीए) आईएनबी, कॉर्पोरेट आईएनबी तथा मोबाइल समाधान विदेश स्थित सभी कार्यालयों में लागू किए गए हैं।
- यूके में स्थित संपर्क केंद्र को बेंगलुरु (भारत) में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यूके के ग्राहकों को 24 X 7 X 365 सेवाएँ बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- विदेश स्थित कार्यालयों में ट्रेड वित्त की सभी आवश्यकताओं में सहायता के लिए सभी विदेश स्थित कार्यालयों में बैंक गारंटी, साख पत्र, खारीदार ऋण, एमआरबीए इत्यादि जैसे 22 ट्रेड वित्त उत्पादों हेतु बैक-एंड अनुप्रयोग MiSys Plc (यूके) से e-Trade - ट्रेड वित्त समाधान लागू किया जा चुका है।
- वास्तविक डिजिटल एसबीआई इनटच सुविधा का विस्तार देशी से विदेश स्थित कार्यालयों में किया गया। आज की तारीख में इसे तीन देशों माले,मारशियस तथा नेपाल में आरंभ किया जा चुका है।
- लंदन तथा न्यूयार्क में स्टेंडएलोन स्वीफ्ट केंद्रों को बेहतर नियंत्रण, देखरेख तथा संभावित साइबर हमले से सुरक्षा के लिए वापिस भारत में स्थानांतरित किया गया है।
- ग्राहक की आवश्यकताओं तथा व्यवहार की गहन समझ के लिए सभी विदेश स्थित कार्यालयों में उच्च स्तरीय सीआरएम समाधान लागू किए जा रहे हैं, इनसे दूरस्थ सहायता की बहुत ही कम आवश्यकता होगी।
- बैंक की डिजिटल बैंकिंग कार्यनीति प्रत्येक चीज के लिए इंटरनेट, पसंद में बढ़ोतरी, उपयोगिता तथा अनुभव, सचलता तथा धारण करने योग्य होने के लिए खुली बैंकिंग, जैसी विभिन्न तकनीकी पहलों पर लगातार काम कर रही है। बैंक ने निम्नलिख्त लागू किया है :

उद्यम परियोजना प्रबंधन उपकरण जिसमें प्रत्येक आईटी परियोजना पर नज़र रखी जाती है।

क) ग्राहक की प्राथमिकता अनुसार उत्पाद सुपुर्दगी तथा सफल ग्राहक धारिता के लिए ग्राहक जुड़ाव पर नजर रखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा विश्लेषण।

ख) बैंक ने चयनित रूप से निजी कलाउड का उपयोग शुरू किया है तथा इसके रिकॉर्डो को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रबंधन समाधान के प्रयोग की योजना है।

ग) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संख्यांकिकी (आईबीएस), बैंक एक्सपोजर तथा देश एक्सपोजर के लिए एडीएफ़ (स्वचालित डेटा प्रवाह) के अंतर्गत कोर डेटा से सीधे विनियामक तथा अन्य रिकॉर्ड प्राप्त करना।

आपका बैंक सदैव भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि कार्यनीति का अभिन्न अंग रहा है तथा बदलते भारत को गति देने में संवृद्धि के उद्दीपन व अवसरों में सहायता से एक बार फिर अग्रगामी रहा है।

3. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

विगत कुछ वर्षों से अलाभकारी आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि से सारा बैंकिंग क्षेत्र दबाव में है। एनपीए में वृद्धि तथा सभी खंडों में नए एनपीए जुडने के कारणों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:-

i. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त उठाव तथा वैश्विक वित्त बाज़ार में नकारात्मक धारणा।

ii. घरेलू संवृद्धि में पर्याप्त से कम संवृदि तथा घटता निर्यात।

iii. कोयला खंडों का निरस्त किया जाना।

iv. अन्य कारणों के अलावा मांग तथा बाज़ार विश्वास के कारण प्राप्यो की प्राप्ति में विलंब।

v. स्टील के मूल्यों में उतार-चढ़ाव, क्षमता का कम उपयोग तथा अन्य देशों से सस्ता आयात, देशों द्वारा व्यापार बाधाएँ व कर ढांचा स्टील क्षेत्र में दबाव के कारण हैं।

vi. प्रशुल्क (टेरिफ़) संशोधन में विलंब, पर्यावरण मंजूरी के मुद्दों, भूमि अधिग्रहण, उच्च कुल तकनीकी व वाणिज्यिक (एटी&सी) हानियों तथा डीआईएससीओएमएस की खराब वित्तीय स्थिति के कारण बिजली क्षेत्र दबाव में है।

vii. आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को पूरा होने में देरी तथा प्राप्य दिनों में बढ़ोतरी के साथ लागत में वृद्धि तथा बेबिल डबल्यूआईपी प्रभावित ईबीटीडीए मार्जिन, रुकी हुई परियोजनाएँ, उच्च लाभ मॉडल व प्रवर्तकों/प्रायोजकों को इक्विटी पर अपेक्षित से कम प्रतिलाभ।

viii. कपड़ा, दूरसंचार, चीनी उड्डयन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर दबाव।

आरबीआई की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट-दिसंबर 2017 के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़े हुए स्तर पर रहा, आस्तियों में और अधिक गिरावट के कारण यह और अधिक बढ़ गया। इसके आगे प्रणाली में ऋण में समष्टि दबाव, बैंक समूह तथा खंड स्तर (व्यापक आर्थिक आघात को सहने के लिए भारतीय बैंकों की सहनशीलता) परीक्षण के पूर्वानुमान और खराब छवि प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जीएनपीए (सकल अलाभकारी आस्तियां) स्तर मार्च 2018 में 10.8% तथा सितंबर 2018 में 11.1% तक बढ़ सकता है तथा यदि व्यापक आर्थिक स्थिति और खराब होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। और आगे, ऋण, ब्याज दर, इक्विटी मूल्य तथा तरलता जोखिम के संबंध

में एससीबी की आघात-सहनीयता के अध्ययन हेतु किए गए संवदनशीलता विश्लेषण से पूर्वानुमान है कि एक छोटा सा ऋण झटका अनेक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता तथा लाभकारिता पर प्रभाव डाल सकता है, इनमे से अधिकतर पीएसबी होंगे।

पिछले चार वर्षों के दौरान एनपीए के उतार-चढ़ाव तथा अपलिखित खातों में हुई वसूली को नीचे दिखाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018
सकल एनपीए	56,725	98,173	177,866	223,427
सकल एनपीए (%)	4.25%	6.50%	9.11%	10.91%
निवल एनपीए (%)	2.12%	3.81%	5.19%	5.73%
नई बढ़ोतरी + बकाया में बढ़ोतरी	29,444	64,198	115,932	100,287
नकद वसूली/ अपग्रेडेशन	13,011	6,987	32,283	14,530
अपलेखन	21,313	15,763	27,757	40,196
AUCA में वसूली	2,318	2,859	3,963	5,333
पीसीआर (%)	69.13%	60.69%	61.53%	66.17%

सकल एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का आंशिक कारण हमारे बैंक में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों (e-ABs) तथा भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल) का विलय है, जिसके कारण ₹ 65,523 करोड़ के एनपीए हमारे संविभाग में जुड़ गए।

उद्योग वार एनपीए संविभाग का वितरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

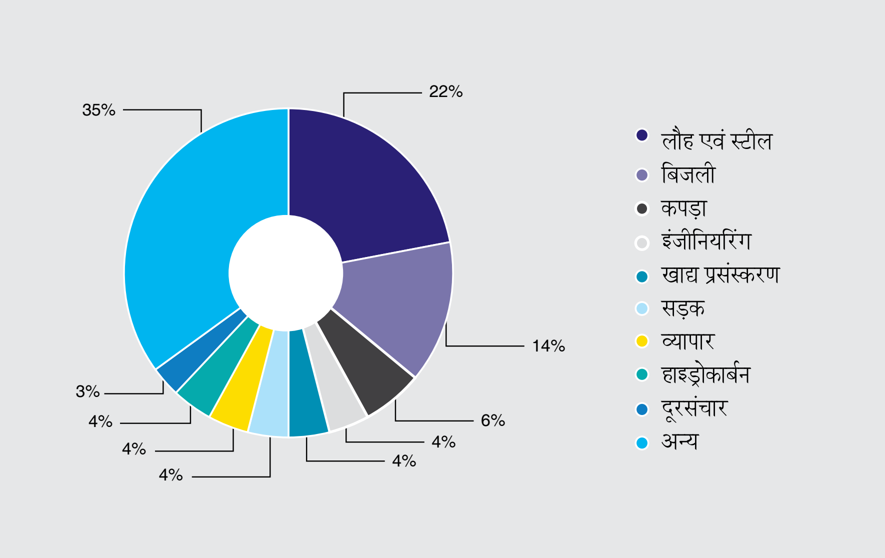

भारत सरकार ने उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए अपने सुधार एजेंडा में एक दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन स्कन्ध (एसएएमवी) गठित करने का निर्देश दिया है। आपका बैंक अत्यंत गर्व का अनुभव करता है कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 2005 के दौरान दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन समूह की स्थापना करके डेढ़ दशक पूर्व ही एक पूर्णतः समर्पित स्कन्ध की स्थापना में अग्रदूत रहा।

दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए समर्पित रूप से केंद्रित रहने के लिए एसएएमजी का नाम बदल कर दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह (एसएआरजी) कर दिया गया। एसएआरजी उच्च मूल्य के एनपीए के प्रभावी समाधान के लिए समर्पित तथा विशेषीकृत स्कन्ध के रूप में कार्य कर रहा है। इस समय इसकी अध्यक्षता एक उप प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है उनके साथ तीन मुख्य महाप्रबंधक प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। एसएआरजी एनपीए के समाधान तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उत्कृष्ठता केंद्र बन गया है। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार देश भर में एसएआरजी की 20 दबाग्रस्त आस्तियां प्रबंधन शाखाएँ (एसएएमबी) तथा 57 दबावग्रस्त आस्तियां वसूली शाखाएँ (एसएआरबी) है तथा ये आपके बैंक के क्रमशः 26.34% तथा 73.16% अलाभकारी आस्तियों (एनपीए) तथा संग्रह खाते के अंतर्गत अग्रिम (एयूसीए) को कवर करती हैं। कठोर वसूली उपायों के साथ-साथ एसएआरजी ने कुछ नवीन पद्धतियाँ भी शुरू की हैं, इससे आपके बैंक को अखिल भारतीय आधार स्तर पर बड़ी संख्या में संपतियों की मेगा ई-नीलामी, ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता की भार रहित संपत्तियों की पहचान तथा न्यायिक निर्णय से पहले संपातियों की कुर्की जैसे क्षेत्रों में सबसे पहले आगे का लाभ प्राप्त है। समाधान के लिए एनसीएलटी को संदर्भित किए गए सभी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए एसएआरजी में एनसीएलटी इकाई का भी गठन किया गया है। अब तक एनसीएलटी को कुल 232 मामले संदर्भित किए गए तथा इनमें से 215 मामलों को स्वीकार किया गया है। 12 खातों की पहली सूची में से एनसीएलटी को संदर्भित कुछ खातों का समाधान वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में हो जाने की आशा है।

एसएआरजी में वसूली का बड़ा भाग ओटीएस/समझौतों से आता है। ऋणकर्ताओं को अपने देयताएँ एक बार में चुकाने का मौका देने के लिए स्कंध समय-समय पर विशेष ओटीएस योजनाएँ (गैर-विवेकाधीन तथा गैर-भेदभाव पूर्ण) ले कर आता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी(एआरसी) को आस्तियों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक समर्पित टीम भी स्थापित की गई है। दबावग्रस्त आस्तियों को इन एआरसी को नकद तथा प्रतिभूति रसीद (एसआर) के आधार पर बेचा जाता है ।

विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से एसएआरजी में एनपीए तथा औका खातों में हुई वसूली नीचे दिखाई गई है:

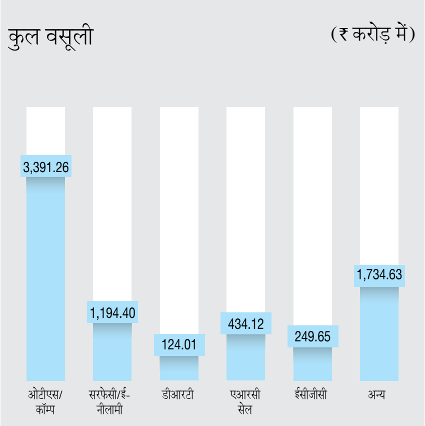

वसूली तथा एनपीए कम करने में भरसक प्रयासों के बावजूद आपके बैंक को कानूनी, कार्यनीतिक निवेशकों की अनुपलब्धता एवं नीलामी के लिए रखी संपतियों के खरीदार न मिलने जैसी बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है। कानूनी बाध्यताओं के लिए आपके बैंक ने ज्ञान संगम, आईबीए इत्यादि जैसे उचित स्तर तथा संगत मंचो पर संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच बनाई है। सरकार तथा आरबीआई ने जहाँ भी आवश्यक हुआ नए कानून बनाने, नए अनुदेश जारी करने तथा वर्तमान क़ानूनों में संशोधन किया है। हाल ही में आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचा जारी किया है जिसमें विभिन्न पुर्नसंरचना योजनाओं जैसे एस4ए, एसडीआर, सीडीआर,5:25 फ्लेक्सि रिस्टरकचरींग को समाप्त किया है। दबावग्रस्त आस्तियों समाधान के लिए संशोधित ढांचा

वैधानिक बाध्यताओं समाप्त करने तथा एनसीएलटी फ्रेमवर्क पर अधिक निर्भरता से संशोधित ढांचा एक कठोर संदेश देता है। वस्तुतः दबावग्रस्त/एनपीए के समाधान के लिए ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने बैंकों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक समयबद्ध तथा पारदर्शी प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराई है। आरंभ में एनसीएलटी को संदर्भित किए गए कुछ खाते समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं।यह माना जा रहा है कि एनसीएलटी को संदर्भित किए गए बड़ी राशि के अधिकतर खातों का समाधान हो जाएगा जिससे इन खातों के मूल्य की उगाही हो जाने के कारण बैंकों को बड़ी हानी से बचाया जा सकेगा। आईबीसी के साथ सामने आई प्रणाली दबावग्रस्त आस्तियों के लिए सुदृढ़ द्वितीयक बाज़ार बना सकती है, जिससे प्रभावकारी मूल्यन तथा खातों का पारदर्शी समाधान कर बैंक के लिए अधिकतम राशि की उगाही की जा सकती है।

4. ट्रेज़री परिचालन

वैश्विक विपणन समूह आपके बैंक के ट्रेजरी कार्य को संभालता है। सांविधिक आरक्षिती आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ यह सुरक्षा, तरलता तथा प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक विपणन समूह के अंतर्गत प्रबंधन की राशि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.6% बढ़कर ₹ 10,26,439 करोड़ हो गई। वैश्विक विपणन समूह विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएँ तथा ग्राहकों को जोखिम प्रबंधन के लिए हेजिंग लिखतें व अनेक सेवानिवृत्ति निधियों को संविभाग प्रबंधन सेवाएं पेश करता है। यह वर्ष एसबीआई की ट्रेजरी के साथ पाँच पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक लि. की ट्रेजरियों के विलय की चुनौती के साथ आरंभ हुआ। कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा 3 अप्रैल 2017 से परिचालन आरंभ कर दिया गया।

क. एसएलआर और गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो

आपके बैंक के ग्लोबल मार्केट्स समूह, बैंक के एसएलआर पोर्टफोलियो के प्रबंधन के साथ-साथ तरलता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के लिए सीआरआर और एचक्यूएलए भी सम्मिलित है। पिछले 2 वर्षों में एक प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, यह वर्ष बढ़ती यील्ड के कारण बॉन्ड बाजारों के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ है। वर्ष के दौरान, आरबीआई ने अगस्त 2017 में रेपो दर 6% में 25 बीपीएस से कटौती की थी, लेकिन तब से दरों में निरंतर स्थिर हैं। 10 वर्ष का बेंचमार्क (6.97% 2026 को देय) पेपर जो 31 मार्च 2017 को 6.69% पर कारोबार कर रहा था, चालू वित्त वर्ष में 28 मार्च 2018 को 7.53% पर समाप्त हुआ। मई 2017 में प्रस्तुत किया गया नया बेंचमार्क (6.79% 2027) पेपर जुलाई 2017 (समापन आधार पर)में 6.41% की कमी के साथ गिर गया, लेकिन शेष अवधि के लिए सुनहरा रहा और 28 मार्च 2018 को 7.55% तक पहुंचने से पहले मार्च 2018 में 7.95% की उच्चतम पहुंच गया। इस तेज वृद्धि के कारण यील्ड में आपके बैंक को निवेश पर प्रावधानों को बढ़ाना पड़ा। रेपो-जीएसईसी विस्तार और वास्तविक ब्याज दरों जैसे ऐतिहासिक मानकों के कारण यील्ड में वृद्धि काफी तेज थी। आगे बढ़ते हुए, हम बाजार को सही करने की उम्मीद करते हैं तथा संभावित रूप से हम इन प्रावधानों में से कुछ की प्रतिलेखन की अनुमति लेते हैं।

दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों से आय

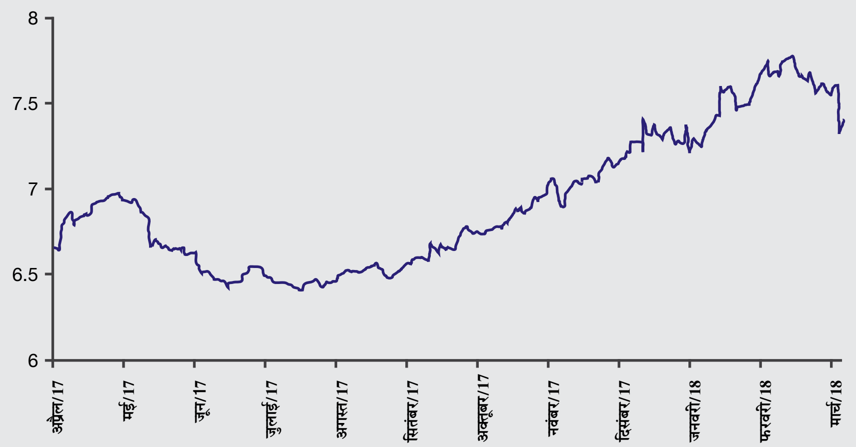

वर्ष के दौरान, ट्रेजरी निवेश से वर्ष दर वर्ष शुद्ध ब्याज आय में 15% की बढ़ोतरी हुई। मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2017 को सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के साथ विलय के कारण ग्लोबल मार्केट्स जी-सेक पोर्टफोलियो में भी 22% की बढोतरी हुई, ।

पोर्टफोलियो यील्ड में सुधार करने और अधिशेष चलनिधि का बेहतर उपयोग करने के लिए, आपके बैंक ने अपने वाणिज्यिक पत्र और कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो को वर्ष दर वर्ष आधार पर लगभग 9% बढ़ा दिया है।

ख. इक्विटी बाज़ार

इक्विटी बाजारों ने वित्तीय वर्ष 2018 में अधिकांशतः अपनी भारी तेजी जारी रखी। लेकिन बजट के बाद वैश्विक इक्विटी बाजारों को देखते हुए, हमने बाजारों में तेज सुधार देखा लेकिन निफ्टी ने अभी भी 10.25% लाभ के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 को समाप्त किया। आपके बैंक ने प्रमुख कार्यक्रमों, वैश्विक और घरेलू बाजार स्थितियों, कंपनियों की त्रैमासिक आय और हमारे शोध द्वारा समर्थित उनके भविष्य की संभावना के आधार पर पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से पुनः संतुलित करने की कार्यनीति का उपयोग करके इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधित किया है। द्वितीयक बाजारों के अतिरिक्त, आपका बैंक पोर्टफोलियो के प्रतिलाभ को सुधारने के लिए आईपीओ में लाभप्रद निवेश करने में निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष इक्विटी निवेश से वर्ष दर वर्ष 112% लाभ वृद्धि प्राप्त की गई है।

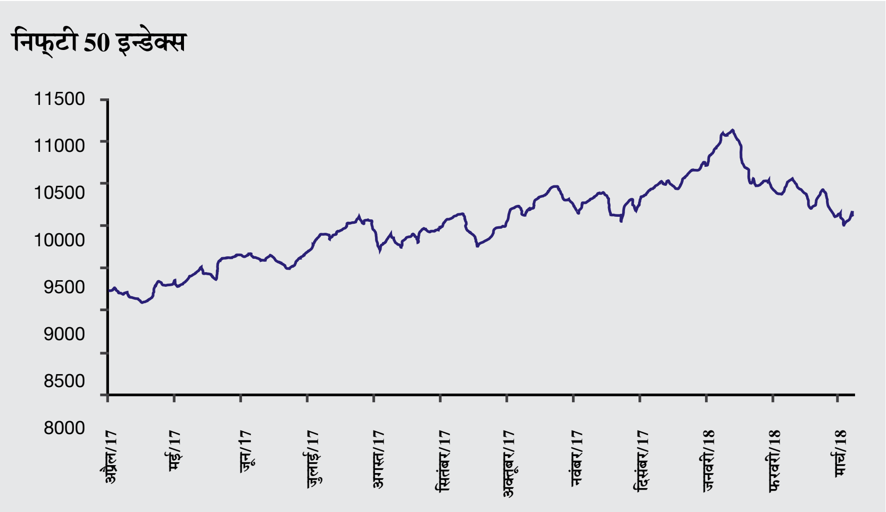

ग. विदेशी मुद्रा बाजार

वैश्विक मार्केट्स समूह आपके बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार को भी संभालता है और इसके द्वारा बाजारों में चलनिधि प्रदान करने के अलावा विकल्पों (ऑप्शन्स), अदला-बदली (स्वैप) और वायदा (फॉरवर्ड)के माध्यम से अपने मुद्रा प्रवाह और जोखिमों की बचाव व्यवस्था के प्रबंधन के लिए ग्राहकों को समाधान प्रदान किया जाता है। समूह आपके बैंक के एफसीएनआर (बी) जमा मूलनिधि (कॉर्पस) का प्रबंधन भी करता है और अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में एफसीएनआर (बी) ऋण तथा प्री एंड पोस्ट शिपमेंट निर्यात वित्त भी प्रदान करता है।

अपने ग्राहकों के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने और परिवर्तनशील भारत के साथ गति बनाए रखने के लिए, आपका बैंक अपने विदेशी मुद्रा व्यापार में आईटी के उपयोग में वृद्धि करता जा रहा है। बड़े वॉल्यूम वाले ग्राहकों के लिए एक नया मंच, 'फोरेक्स एज का इस साल शुभारम्भ किया गया है तथा विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए हमारे पहले के प्लेटफार्मों, ई-फॉरेक्स और एफएक्स-आउट को इसके साथ में रखते हुए, इन उत्पादों को हमारे एक समूह के रूप में रखा गया है। जबकि फोरेक्स एज प्लेटफ़ॉर्म उच्च वॉल्यूम ग्राहकों के लिए है, ई-फ़ॉरेक्स हमारे मध्यम और छोटे कॉर्पोरेट ग्राहकों को विश्व स्तरीय विदेशी मुद्रा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा एफएक्स-आउट खुदरा ग्राहकों के किसी विदेशी मुद्रा अधिकृत शाखा में बिना गए ही विदेशी मुद्रा प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है।

ट्रेजरी मार्केटिंग समूह वैश्विक बाजारों की ग्राहक भागीदारी शाखा है और बैंक के संस्थागत और कॉर्पोरेट ग्राहकों के ट्रेजरी उत्पादों के विपणन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश भर में स्थित 'ट्रेजरी मार्केटिंग यूनिट', ग्राहकों के लिए वैश्विक बाजारों का चेहरा है। वे ग्राहकों के साथ दैनिक आधार पर बातचीत करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, और मूल्य निर्धारण, उत्पाद संरचना और वितरण के लिए अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ समन्वय करते हैं।

मई 2017 में, आपके बैंक ने एफपीआई/एफडीआई व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग एफपीआई डेस्क स्थापित किया है। इन बड़े निवेशकों से व्यवसाय संग्रहण के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं और डेस्क ने कई बड़े एफपीआई ग्राहकों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ निश्चित आय बाजार के लिए 33 प्रतिपक्षकारों हेतु सफलतापूर्वक प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल मार्केट्स समूह के तहत इंटरबैंक मार्केटिंग डेस्क बनाया गया था। यह डेस्क सक्रिय रूप से इन ग्राहकों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का निर्माण और रख रखाव कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स समूह ने ग्राहकों को अपनी मूल्यवर्धित सेवाओं को विस्तारित करने के साथ-साथ अपने निवेश निर्णयों को बढ़ाने के लिए अपनी घरेलू मार्केट रिसर्च टीम भी बढ़ा दी है। हमें यह विश्वास है कि ग्राहकों और प्रतिपक्षियों के साथ संबंध के लिए समर्पित संसाधनों के साथ-साथ हमारे शोध के दायरे और गुणवत्ता में वृद्धि, आपके बैंक के लिए समृद्ध लाभांश वहन करेगी और भविष्य में हमारी नेतृत्व स्थिति को अच्छी तरह से बनाए रखने में हमारी सहायता करेगी।

प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड

2008 में प्राइवेट इक्विटी/वीसीएफ स्पेस नेमैक्वेरी और आईएफसी के साथ संयुक्त उद्यम में अपनी कुल पूंजी प्रतिबद्धताओं का लगभग 96%,1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत-केंद्रित पीई फंड का प्रबंधन करने के लिए निवेश किया है। फंड ने दूरसंचार टावर्स, हवाई अड्डे, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और एनएचएआई रोड आस्ति जैसी 8 आधारभूत संरचना आस्तियों में निवेश किया है। यह वर्तमान में समाप्ति के चरण में है और सफलतापूर्वक दो सड़क आस्तियों का कार्य पूर्ण कर लिया है।

2010 में ओमान इंडिया जॉइन्ट इन्वेस्टमेन्ट फंड (ओआईजेआईएफ) ने ओमान राज्य जनरल रिजर्व फंड के साथ साझेदारी मे एक संयुक्त उद्यम में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड-1 के लिए अपना निवेश पूर्ण कर लिया। फंड-1 ने 2 निवेशित कार्यपूर्ण और 1 आंशिक रूप से पूर्ण कर किया है। फंड -1 की सफलता के आधार पर, दोनों भागीदारों (एसबीआईऔर एसजीआरएफ) ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मूल निधि के साथ फंड-2 लाने का फैसला किया। आज तक, फंड -2 को प्रायोजकों और विभिन्न घरेलू वित्तीय संस्थानों से 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है। फंड-2 वर्तमान में निवेश के लिए विभिन्न अवसरों का आकलन कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान, आपके बैंक ने राष्ट्रीय ई-रिपोजिटरी लिमिटेड में हिस्सेदारी ली तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड में एक अतिरिक्त इक्विटी निवेश किया।

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

आपका बैंक एक त्रुटिहीन उल्लेखनीय रेकार्ड के साथ देश का सबसे बड़ा सेवानिवृत्ति लाभ निधि प्रबंधक है। 31 मार्च 2018 को कुल एयूएम राशि ₹ 4,51,237 करोड़ रही। संबंधित ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपके बैंक को कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन द्वारा नम्बर 1 के निधि प्रबंधक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नम्बर 2 के निधि प्रबंधक (5 निधि प्रबंधकों में से) की उपाधि प्रदान की गई है।

IV सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

क. मानव संसाधन

कार्यनीतिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण घटक है। व्यापार लक्ष्यों के साथ मिलान करने के लिए आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। बैंक का मानव संसाधन दृष्टिकोण समावेशन, सशक्तिकरण और विकास के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है।

बैंक कर्मचारियों को अपनी मूल शक्ति मानता है और उनके प्रदर्शन उन्मुख और उत्कृष्टता संस्कृति पर गर्व है। बैंक अपने स्टाफ सदस्यों के जीवन एवं उनके कार्य अनुभवों को निरंतर समृद्ध बनाने का प्रयास कर उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखता है। आपके बैंक का विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों को केवल एक प्रतिबद्ध और समर्पित कार्य बल से ही पराजित किया जाएगा।

यह वित्तीय वर्ष एसबीआई के अपने 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) के साथ एक इकाई के रूप में ऐतिहासिक एकीकरण के साथ शुरू हुआ। इस एकीकरण ने आपके बैंक को दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में पहुंचा दिया। एकीकरण में सहयोगी बैंकों के लगभग 71,000 नए कर्मचारियों को एसबीआई के लगभग 2,00,000 कर्मचारियों के मौजूदा कार्यबल में समावेशित किया गया। "संगम" जैसी बैंक द्वारा शुरू की गई पहल ने, कर्मचारियों के सुचारु समावेशन में प्रमुख सहायता की। 31.03.2018 को बैंक का संक्षिप्त मानव संसाधन प्रोफाइल निम्नानुसार है :

श्रेणी	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
अधिकारी	81,041	1,07,077
सहयोगी	92,979	1,10,348
अधीनस्थ स्टाफ एवं अन्य	35,547	46,616
कुल	**2,09,567**	**2,64,041**

3. मानव शक्ति आयोजना

आपके बैंक ने मानव संसाधन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानवशक्ति योजना के लिए वैज्ञानिक मॉडल अपनाया है। सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञता और सूक्ष्म कार्यक्षेत्र ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने जॉब फैमिली की अवधारणा प्रस्तुत की जिसका उपयोग सही व्यक्ति को सही नौकरी में रखने के लिए किया जा रहा है। बैंक ने बैंक के भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की आवश्यकता की अपेक्षा की है।समग्र रूप से यह सब प्राप्त करने के लिए तथा भविष्य में मानव संसाधन को मुख्य स्तंभ के रूप में संरचित करने के लिए परियोजना सक्षम को अभिकल्पित किया गया है।

4. कर्मचारी कल्याण योजनाएं

आपका बैंक यह मानता है कि इसका मानव संसाधन व्यावसायिक दक्षता के उच्च मानकों के साथ व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल हो। इसके साथ ही आपका बैंक कर्मचारियों के निजी जीवन का भी ध्यान रखता है। इस उद्देश्य से आपके बैंक ने कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनीय पहल की है। बैंक अपने न्यूनतम और आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण/नियुक्तियों को कम करके अधिकारियों की कठिनाई को कम करने के लिए सक्रिय उपाय भी कर रहा है। नया दृष्टिकोण कर्मचारियों को कार्यस्थल में एक अच्छा और स्वस्थ कार्य वातावरण, पारस्परिक सम्मान और सहानुभूति प्रदान करेगा। तथ्य यह है कि वैश्विक नौकरी साइट 'Indeed.com' ने हाल ही में भारत में काम करने के लिए शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ कार्य-स्थलों में एसबीआई को नामित किया है, जो केवल उस तथ्य को प्रमाणित करता है।

श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष द्वारा एचआर हेल्पलाइन 'संजीवनी' का शुभारंभ

आपका बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे काम को पहचानने और पुरस्कृत करने में विश्वास करता है। बैंक ने एसबीआई जेम्स योजना शुरू की है। वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में संपूर्ण बैंक में कनिष्ट सहयोगियों को रत्न (जेम्स) द्वारा पुरस्कृत कर सकते हैं। इसे कॉर्पोरेट मेमोरी के रूप में दर्ज किया गया है जो संगठन के प्रति कर्मचारियों की निष्ठा और प्रेरणा को बढ़ाता है।

हमारी विभिन्न मानव संसाधन की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के विस्तार और कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि के लिए, आपके बैंक ने 'संजीवनी-एसबीआई एचआर हेल्पलाइन' का शुभारम्भ किया है। एचआर मामलों के त्वरित और सार्थक समाधान प्रदान करने के लिए हमारे कर्मचारियों और मानव संसाधन टीम के बीच इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से दो तरफा संचार माध्यम है। कर्मचारी फोन, एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से संजीवनी से संपर्क कर सकते हैं।

1. विजन, मिशन और मूल्य

आपका बैंक एक स्वतंत्र "नैतिकता और व्यापार आचरण नीति" शुरू करने में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी है। हमने परिचालनात्मक वस्त्रों में हमारे ट्रेडमार्क सदाचारों को बुनने का कार्य किया है। बैंक का पूरा कार्यबल नव निर्मित विजन, मिशन और मूल्य कथनों के लिए प्रतिबद्ध है।

पूरी एसबीआई टीम किसी भी बैंकिंग लेनदेन के लिए देश के लोगों के लिए प्रथम विकल्प बनते हुए परिवर्तशील भारत के लिए सरल, उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका बैंक अपने सम्मानित ग्राहकों को उच्च नैतिकता, पारदर्शिता और विनम्रता के साथ विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में विश्वास करता है। अपने ध्येय के समानान्तर दृष्टि के साथ मानव संसाधन लेनदेन व्यवहारों को विकासात्मक रूप से बढा रहा है।

2. भर्ती

बैंक देश में सबसे अच्छी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। इसने भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया है और बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक सुदृढ़ कर्मचारी मूल्य साध्य विकसित किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 2,220 युवा तकनीकी प्रयोक्ता और ग्राहक अनुकूल परिवीक्षाधीन अधिकारी, और 600 विशेषज्ञ अधिकारियों को लेट्रल अनुबंध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुना।

आपका बैंक हमेशा सर्वोत्तम मानव संसाधन कार्य प्रणालियों को अपनाकर,काम करने के लिए एक आदर्श संगठन के रूप में मानक स्थापित करता है। बैंक ने कर्मचारियों के निकट और प्रिय व्यक्ति की क्षति का सामना करने में सहायता करने के लिए सात दिनों के "शोक अवकाश" की शुरूआत की है। यह अवकाश कर्मचारियों को संकट और दुःख के समय में अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने की अनुमति देता है।

5. महिला-पुरुष अनुपात

लिंग संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। 2,64,041 के कुल कार्यबल में से, लगभग 24% महिलाएँ हैं। महिला कर्मचारी पदानुक्रम के सभी स्तरों के साथ-साथ भौगोलिक विस्तार में भी उपस्थित हैं। लगभग 2400 शाखाओं में महिला अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति रखता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के साथ-साथ रोकथाम के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया गया है।

टीम संरचना

वर्ष	महिला	पुरुष
2016-17	23%	77%
2017-18	24%	76%

6. आरक्षण नीति

आपका बैंक एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार के निर्देशों का सावधानी से पालन करता है। बैंक के पास अपने कार्यबल के सभी संवर्गों के बीच एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। आपका बैंक एससी, एसटी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने का दृष्टिकोण रखता है। बैंक ने एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों का निश्चित समयावधि में निपटारा करने हेतु कॉरपोरेट केंद्र और बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं। बैंक एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए नियमित रूप से भर्ती-पूर्व और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

31 मार्च 2018 को एससी - एसटी-ओबीसी और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	संवर्ग	कुल	प्रतिनिधित्व			
			एससी	एसटी	ओबीसी	दिव्यांग*
1	अधिकारी	1,07,077	18,767	8,340	17,953	1,707
2	कर्मचारी	1,10,348	18,089	9,322	26,269	2,322
3	अधीनस्थ	46,616	11,909	2,946	10,598	290
	कुल	2,64,041	48,765	20,608	54,820	4,319

* दिव्यांग व्यक्ति

7. औद्योगिक संबंध

आपके बैंक के औद्योगिक संबंधों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। कर्मचारी कल्याण की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठाने के अलावा, बैंक हमारे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझने और उनको पूरा करने के लिए एसोसिएशन और यूनियन के साथ रचनात्मक वार्तालाप करता है।

8. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल

आपका बैंक अपने कर्मचारियों के योगदान को पहचानता है जो सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और जब भी आवश्यक हो, सहायता प्रदान करते हैं। इस वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने न केवल मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है बल्कि गंभीर बीमारियों के मामले में सेवानिवृत्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टाफ कल्याण कोष से कुछ फंड भी अलग कर दिया है।

9. सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना

आपका बैंक निरंतर सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यबल में कौशल के महत्व पर बल देता है और निरंतर उन्नयन करता है। बैंक ने कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति और भूमिका के अनुसार विभिन्न पदों के लिए घरेलू ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों को तैयार किया गया है। कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली के साथ उन्हें जोड़कर ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ख. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

आपका बैंक हमेशा एक अध्ययनपरक संगठन रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वर्षों से, आपके बैंक ने एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की है, जो बैंक के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को, न केवल उन्हें अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि उन्हें सीखने में आगे रहने में सक्षम बनाती है और प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करती है। सुविधाओं के संदर्भ में एसबीआई(6 शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों, 54 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन और विकास संस्थान)सामग्री, कार्यक्रम, प्रशिक्षकों आदि आधारभूत अवसंरचना में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा और अद्वितीय है।

व्यक्तिगत विकास और संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए एक सतत, योजनाबद्ध और सक्रिय प्रशिक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक हमेशा प्रयासरत रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नई तकनीकों और पद्धतियों को नियमित रूप से पढ़ाया/सिखाया जाता है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा कर्मचारियों को ज्ञान कर्मियों में रूपान्तरित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे हमारी पहलों को आगे बढ़ा सकें एवं ग्राहक प्रसन्नता और ग्राहक अनुभव में वृद्धि हो। इसके अलावा, तेजी से बदलते बैंकिंग पर्यावरण में, प्रासंगिक रहने के लिए, बैंक सभी नए कर्मचारियों को लगातार तैयार कर रहा है तथा प्रशिक्षण और विकास में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट तकनीकों को अपनाकर मौजूदा कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षित कर रहा है।

'प्रशिक्षण प्रणाली' को परिष्कृत करना- एसबीआई को भविष्य के लिए तैयार करना

चूंकि कार्यबल की गुणवत्ता और क्षमता बैंक के प्रदर्शन और भविष्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए स्व-अध्ययन और कौशल में वृद्धि की संस्कृति की निरंतर आवश्यकता है। इसके अलावा, एक समान तरीके से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु , ई-लर्निंग, ई-ज्ञानशाला और ज्ञान हेल्पलाइन के माध्यम से सीखने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से अपनाया जा रहा है। कर्मचारी स्वामित्व और आंतरिक ब्रांडिंग के निर्माण के लिए जन संचार कार्यक्रमों ने चुनौतियों से निपटने के लिए अतीत में आपके बैंक की सफलतापूर्वक सहायता की है, और यह आगामी नई व्यवस्था का हिस्सा बना रहेगा। बैंक के भविष्य को तैयार करने के उद्देश्य से, कई नई पहल की गई हैं, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

1. संसाधन उपयोग:

संकाय चयन प्रक्रिया: संकाय/प्रशिक्षक के लिए चयन प्रक्रिया को चयनित क्षेत्र/विषय पर आवश्यक योग्यता के साथ-साथ शिक्षण के लिए जुनून और अन्तः प्रेरणा रखने वाले अधिकारियों का चयन करने के उद्देश्य से परिष्कृत किया गया है।

विशिष्ट कार्यक्षेत्र ज्ञान प्रदान करने के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) का विभागीय करण:तेजी से विशिष्ट होती बैंकिंग के साथ, उन संस्थानों को एक आवश्यकता महसूस हुई जो क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, विपणन, ग्रामीण बैंकिंग,आईटी, लीडरशिप, मानव संसाधन इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य क्षेत्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने में विशेषज्ञ हों। इस पृष्ठभूमि में, शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष कार्यक्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्य सौंपा गया है और उनकी विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए फिर से नामकरण किया गया है। प्रत्येक एटीआई को सलाहकार परिषद द्वारा निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक प्रसिद्ध बाहरी विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली के लिए एक शीर्ष सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।

ज्ञानार्जन केंद्रों का केंद्रीकृत नियंत्रण: ज्ञानार्जन केंद्रों का नाम बदलकर "स्टेट बैंक इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट" (एसबीआईएलडी) रखा गया है। ये आईएलडी सर्टिफिकेशन के लिए लघु अवधि के भूमिका आधारित कैप्सूल कार्यक्रम प्रदान करेंगे।

2. क्षमता निर्माण:

- **डेस्कटॉप पर कक्षा-ई-ज्ञानशला:** अपने बैंक के परिचालन कार्यबल को दिन-प्रतिदिन कार्य करने में सहायता करने के लिए गूगल सदृश सर्च इंजन - ई-ज्ञानशाला को विभिन्न सहायक दस्तावेजों के माध्यम से कम समय में ऑनलाइन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिसे ईमेल और प्रिन्ट किया जा सकता है।
- **ई-लर्निंग:** सीखने के लिए, आपका बैंक सभी प्रासंगिक विषयों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों का निर्माण कर, परीक्षणों के माध्यम से स्व मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन के साथ निरंतर अपने ई-लर्निंग पोर्टल में निवेश कर रहा है।
- **क्षमता निर्माण के लिए सर्टिफिकेशन कार्यक्रम:** बैंकिंग उद्योग अभूतपूर्व और निरंतर गति से परिवर्तन देख रहा है। इसलिए, यह अनिवार्य हो जाता है कि हमारा कार्यबल अपने कर्तव्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए नवीनतम ज्ञान और परिचालन दिशानिर्देशों के साथ खुद को सक्रिय रखें। आपका बैंक पहला बैंक है जो बाहरी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के सहयोग से निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार पहल कर रहा है: विदेशी मुद्रा संचालन (IIBF), ट्रेजरी ऑपरेशंस (आईआईबीएफ), जोखिम प्रबंधन (IIBF), लेखा और लेखा परीक्षा (एनआईबीएम), क्रेडिट प्रबंधन (मूडीज)
- **मूडी के सर्टीफिकेशन का शुभारंभ:** वाणिज्यिक ऋण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, बैंक ने 10.10.2017 को मूडी के विश्लेषणके सहयोग से क्रेडिट सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है। सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का शुभारंभ डीएमडी(एसआर) एवं सीडीओ द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीएमडी एवं सीसीओ तथा डीएमडी(सीएजी) भी उपस्थित थे।
- **कर्मचारियों के लिए भूमिका आधारित स्तर सर्टिफिकेशन:** बैंक में सभी भूमिकाओं को लगभग 40 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए हमारे एटीआई द्वारा सर्टिफिकेशन के लिए रोल मैनुअल विकसित किए गए हैं। सहायक महाप्रबंधक स्तर तक सभी कर्मचारियों को भूमिका विशिष्ट सर्टिफिकेशन करने की आवश्यकता होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारी 2018-19 के दौरान कम से कम एक प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

ई-ज्ञानशाला का शुभारंभ

- **कौशल विकास के लिए संस्थागत प्रशिक्षण:** जब एटीआई नियुक्ति से संबंधित डोमेन विशिष्ट,विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, एसबीआईएलडी अलग-अलग स्थानों पर समान रूप से भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- **नेतृत्व विकास:** कोलकाता में आपके बैंक ने "स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप" के रूप में अत्याधुनिक संस्थान स्थापित किया है, जो 23.09.2017 को परिचालित हो गया है। मूल रूप से इसे स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया गया था, जिसका बदलते प्रतिमान में नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः नामकरण किया गया है। एसबीआईएल को विश्व स्तर की आधारभूत संरचना के साथ वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कल्पित, बीएफएसआई क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में प्रारम्भ किया गयाहै। इस सुविधा का उपयोग प्रतिष्ठित संस्थानों (भारत और विदेशों में) के सहयोग से एसबीआई/बीएफएसआई क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

स्टेट बैंक इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप, कोलकाता

इसके अतिरिक्त, आपका बैंक हमारे कार्यकारी वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अतिथि संकाय के रूप में चुने गए बाहरी संकाय/विषय विशेषज्ञों को शामिल कर रहा है। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/बिजनेस स्कूलों से ऐसे बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने से न केवल सहभागियों को दुनिया भर में नेतृत्व और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रणालियों के बारे में पता चल जाएगा बल्कि उन्हें समकालीन प्रबंधकीय/नेतृत्व ज्ञान और कौशल से भी लैंस किया जा सकेगा।

- **प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय पूल:** आपका बैंक सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़ा है जिनके पास विषय का ज्ञान, ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक संप्रेषण कौशल और शिक्षण प्रेरणा है।
- **एटीआई/एसबीआईएलडी द्वारा प्रशिक्षित सहभागी:** 2017-18 के दौरान 1,93,994 एसबीआई कर्मचारियों को कम से कम एक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (एकाधिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त)।
- **अग्रदूत:** यह जन-संचार कार्यक्रम सभी अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2018 के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से, 43,275 अधीनस्थ कर्मचारी, कुल अधीनस्थ कर्मचारियों का 94% है (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के अधीनस्थ कर्मचारियों सहित) को प्रशिक्षित किया गया।

3. नेतृत्व का प्रखर कौशल

- **परिवीक्षाधीन तथा ट्रेनी अधिकारियों के लिए व्यापक विकास योजना:** नव आगन्तुकों को उचित मार्गदर्शन और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा निरंतर सीखने की सुविधा के लिए पीओ/टीओ हेतु प्रशिक्षण नीति संशोधित की गई है।
- **नेतृत्व विकास के लिए योग्यता मूल्यांकन और सर्वांगीण (फीडबैक):** एक नेतृत्व योग्यता रूपरेखा, प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को परिभाषित करने में सहायता करती है। आपके बैंक के पास अपने शीर्ष अधिकारियों के लिए एक पूर्वनिर्धारित नेतृत्व योग्यता रूपरेखा है, जो प्रत्येक ग्रेड के लिए वांछित योग्यताओं और दक्षता स्तर की व्याख्या करता है। सभी टीईजी अधिकारियों को उनके विकास क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आकलन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जा रहा है।

4. प्रशिक्षण का विपणन

- **अन्य बैंकों/उपक्रमों को प्रशिक्षण क्षमता का विपणन करना:** हमारे प्रस्तावित डिजिटल और संरचित प्रशिक्षण जैसे-ई-ज्ञानशाला, ई-लर्निंग और सर्टिफिकेशन कार्यक्रमों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद एटीआई और एसबीआईएलडी में अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जायेगा। अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव है।
- **ई-पाठों का विपणन:** इसी प्रकार, हमारे सामान्य ई-लेसन, जिनकी समृद्ध सामग्री के कारण भारी मांग है, उन्हें भारत और विदेशों के अन्य बैंकों में भी विपणन करने का भी प्रस्ताव है।

5. अनुसंधान

प्रबंधन अनुशासन और फिनटेक के क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता अनुसंधान के लिए एसबीआईएल कोलकाता में एक समर्पित शोध विंग स्थापित किया जा रहा है।

6. सेवानिवृत्तों का अवस्थान्तर

आपका बैंक इस कार्यक्रम को बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर परिवर्तन के साथ सज्जित करने और उन्हें उन्मुख करने के लिए आयोजित करता है तथा यह लंबे समय तक बैंक की सेवा करने के बाद उन्हें एक सुखद और संतोषजनक दूसरी पारी का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

आपका बैंक अपने ग्राहकों को सुपुर्दगी सुविधा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रबल समर्थक है। बैंकिंग लेनदेन को कहीं भी कहीं से संभव बनाने के उद्देश्य से बैंक अपने ग्राहकों को नवोन्मेषी तथा अत्याधुनिक उत्पाद पेश करता रहा है।

ग्राहक को सुविधा प्रदान करने में डिजिटलीकरण तथा परिचालन उत्कृष्टता आपके बैंक की कार्यनीति का केंद्रीय हिस्सा है। इससे टर्न अराउंड समय में कमी आई तथा आपके बैंक के ग्राहकों को लाभ मिला।

क. इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग सरकार/ पीएसयू बड़े तथा मध्यम कॉरपोरेटों की विभिन्न भुगतान, निधि अंतरण, ई-टेंड, ई-नीलामी तथा थोक भुगतान से संबंधित आवश्यकताओं के साथ-साथ खुदरा इंटरनेट बैंकिंग (आरआईएनबी) ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान इस चैनल के माध्यम से 159 करोड़ लेनदेन किए गए।

इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता (संख्या लाख में)

वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018
130	177	220	263	327	479

वित्त वर्ष 2018 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग में आरंभ की गई कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-

- एबीसी ई-खरीदी : एमओपीएस से एकीकृत व्हाइट लेबल ई-टेंडरिंग पोर्टल।
- सीएफ़एमएस आंध्र प्रदेश (ई-कुबेर के लिए एसबीएमओपीएस,जीबीएसएस तथा आरबीआई)
- सीपीडबल्यूडी एकीकरण, निपटान व प्रतिदान
- जीईएम (सरकारी ई-मार्केट स्थल) के साथ एकीकरण
- आईएनबी के माध्यम से पीपीएफ़ खाता नामिती प्रदर्शन
- आईएनबी लेनदेन के लिए ई-मेल एलर्ट-खुदरा
- मास्टरो,मास्टरकार्ड तथा पूर्वभुगतान कार्ड के लिए एलेक्ट्रा एसीएस से बिल डेस्क एसीबी में जाने के लिए MySBIWorld (क्रेडिट कार्ड, म्युच्युअल फंड के साथ एकीकरण।
- दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग के लिए जीएसटीएन के साथ एफ़आरटी-टैक्स का एकीकरणः
  - खुदरा ग्राहक के लिए लाभार्थी जुड़ाव सीमा गणना 1 से बढ़कर 3 हो गई।
  - आईएनबी में सीए के लिए बहु नगरीय चैक बुक जारी करना
  - आईएनबी के माध्यम से 20 पन्नों की चैक बुक का विकल्प

ख. एटीएम

आपका बैंक निम्नलिखित पहलों के माध्यम से बदलते भारत के लिए गति तथा परिवर्तन को अंगीकार कर रहा हैः

- टोकन सेवा के लिए सैमसंग पे सहभागिता- "टैप एंड गो" भुगतान शुरू किया गया। इसे पैन के

रूप में टोकनीकृत किया गया है तथा यह मोबाइल में स्टोर है।

- एसबीआई नेपाल तथा मारिशयस ग्राहकों के लिए INTOUCH तुरंत कार्ड जारीकरण सेवा शुरू की गई।
- डेबिट कार्ड के संबंध में ग्राहक चिंताओं को दूर करने के लिए शाखाओं को डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली (डीसीएमएस) उपलब्ध कराई गई।
- बैंक ने 31 मार्च 2018 तक कुल 39.50 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए हैं , इनमे से करीब 26 करोड़ कार्डों को सक्रिय रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

ग. "YONO" (यू ओनली नीड वन)

"YONO" (यू ओनली नीड वन) भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक महत्वकांक्षी, अग्रणी तथा सुरक्षित पेशकश है, इसे 24 नवंबर 2017 को आरंभ किया गया था।

घ. ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान तथा परियोजना प्रभाव

इस परियोजना में सीआरएम (बिक्री, सेवा तथा मार्किटिंग मॉड्यूलों को समाहित करते हुए), IMPACT प्लेटफॉर्म का विकास, एफ़ओ के लिए सीआरएम तथा अन्य समाधानों (एमडीएम,डीएलपी,एसएएस विश्लेषण, सीआरएम ई-लर्निंग समाधान इत्यादि) को लागू करने के लिए कुल सात रिलीज़ हैं।

वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं :-

- खुदरा (पीबीयू, आरईएचबीयू,एसएमई, कृषि,एमसीएस, एनआरआई) तथा कारपोरेट व्यवसाय खंडों (सीएजी तथा एमसीजी) के लिए लीड मॉड्यूल शुरू किए गए।
- ई-सीआरएम ज्ञानार्जन टूल शुरू किए गए तथा ज्ञानोदय से एकीकृत की गए।
- खुदरा, सीएजी तथा एमसीजी के लिए कस्टमर-360 शुरू किया गया।
- कस्टमर-360 के साथ 'इन्फोर्मेटिका मास्टर डेटा प्रबंधन (एमडीएम) लाइव किया गया; एमडीएम ग्राहक, भूगोल, उत्पाद तथा सेवाओं के मास्टर डेटा को होल्ड करेगा।
- 'नॉन-फानेंशियल सर्विस (एनएफ़एस) अनुरोध मॉड्यूल को सीआरएम में एनेब्ल किया गया: 24 प्रकार के सेवा अनुरोधों को सीआरएम के माध्यम से दर्ज तथा निगरानी की जा सकता है।
- मृतक दावा निपटान अनुरोध को भी सीआरएम माध्यम से दर्ज तथा निगरानी की जा सकता है।
- 13 एफ़ओ में शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई।
- डेटा हानि निरोधक (डीपीएल) एजेंट को घरेलू तथा विदेश स्थित कार्यालयों में स्थापित किया गया।
- संपर्क केंद्रों तथा सेवा मॉड्यूल के भाग के रूप में शिकायत प्रबंधन के लिए सीआरएम को शुरू करने का कार्य प्रगति पर है।
- आने वाले महीनों में सीबीएस तथा सीआरएम के साथ सेवा अनुरोध प्रक्रिया और सीपीसी द्वारा सेवा अनुरोधों को हैंडल करने स्वचालित करने का कार्य।

ड़. वित्तीय समावेशन तथा सरकारी योजनाएँ (एफ़आईजीएस)

वित्त वर्ष 2018 की कुछ गतिविधियां निम्नानुसार हैंः-

- पेट्रोलियम बैंक, चेन स्टोर, मॉल तथा भारतीय रेलवे जैसे गैर-एकल/कॉर्पोरेट मर्चेंट्स को आधार संख्या पर आधारित भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के लिए कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए एसएपी का विकास।
- बैंकिंग प्रतिनिधि(बीसी) चैनल के पास उपलब्ध आरडी, एसटीडीआर को बंद करने में सक्षम बनाने के लिए बीसी चैनल में आरडी,एसटीडीआर में संशोधन।
- आधार पे एप्प से लिए गए डेटा के लिए रेफरल कोड (स्टाफ की भविष्य निधि संख्या/बीसी कोड या आधार संख्या) के लिए फंक्शनलिटी।
- उदारीकृत केवाईसी उत्पाद के अंतर्गत अवयस्क ग्राहकों तथा असम, मेघालय तथा कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में ई-केवाईसी के माध्यम से ग्राहक बनना ।
- गैर-एफ़आई तथा एफ़आई दोनों ग्राहकों के लिए मोबाइल सीडिंग हेतु नई सेवा, मिनी एटीएम एनबल की गई।
- गैर-एफ़आई तथा एफ़आई दोनों ग्राहकों के लिए आधार लिंकिंग के लिए नई सेवा शुरू की गई है।

च. कोर बैंकिंग गतिविधियां :

वर्ष के दौरान, आपके बैंक की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

- ट्रेड वित्त पोषण के लिए शाखाओं में 'एक्सिम एंटरपराइज़ संस्करण शुरू किया गया।
- जीएसटी, एफ़एटीसीए/सीआरएस आधार लिंकिंग जैसे सांविधिक अनुपालनों के लिए परिवर्तन, काम को कम करने तथा कागज रहित बैंकिंग के लिए सीकेवाईसी शुरू किया गया।
- चयनित शाखाओं में इलेक्ट्रोल बॉन्ड उपलब्ध कराए गए।
- एसबीआई के साथ सहयोगी बैंकों के विलय को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। विलय के बाद हमारी 24,000 से अधिक शाखाओं में अब 42.42 करोड़ ग्राहक हैं।

छ. परिचालन तथा तकनीकी समर्थन

विलय के बाद परिचालनों को तर्कसंगत बनाने तथा एक-दूसरे के आस-आस की शाखाओं/कार्यालयों को उपयुक्त समयावधि में कार्यनीतिक स्थल पर विलय करने की आवश्यकता थी ताकि बैंक विलय के लाभ उठा सके।

इस उद्देश्य से, विभिन्न तारीखों को थोक विलय का कार्यक्रम बनाया गया तथा 1805 शाखाओं व 244 प्रशासनिक कार्यालयों को तर्कसंगत किया गया। आशा है कि इससे प्रति वर्ष परिचालन व्यय में ₹ 1,099/- करोड़ की कमी आएगी।

विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर फैले पेंशनरों की सुविधा के लिए आपके बैंक ने सभी 16 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के स्थान पर तथा रक्षा पेंशनरों के लिए एक समर्पित सीपीपीसी इलाहाबाद में स्थापित किया गया है।

पेंशनरों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार हैंः-

- पेंशनर की सुविधा के अनुसार किसी भी शाखा में या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा
- पेंशन क्रेडिट होने के बाद प्रति माह पेंशन का विवरण देते हुए पेंशनर को एसएमएस।
- पेंशन स्लिप किसी भी शाखा, इंटरनेट बैंकिंग, ई-मेल तथा समाधान एप्प के माध्यम से जेनरेट की जा सकती है।
- सभी सीपीपीसी में हेल्पलाइन सुवधा उपलब्ध है।
- प्रत्येक संशोधन के बाद पेंशनर को बकाया गणना शीट उपलब्ध कराई जाती है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित किया जा सकता है।
  - पेंशनर 8008202020 पर "UNHAPPY" एसएमएस भेज सकता है।
  - चौबीसों घंटे सातों दिन उपलब्ध बैंक के संपर्क केंद्र पर 1800110009 पर संपर्क किया जा सकता है।
  - सभी एलएचओ में उपलब्ध नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- ओआरओपी योजना के अंतर्गत रक्षा पेंशनरों की पेंशन का सफलतापूर्वक संशोधन।
- अर्हक (क्वालिफ़ाइंग) सेवा से असंबद्ध करने के बाद रक्षा पेंशनरों को बकाया का भुगतान।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्वायतशासी निकाय श्रेणियों के 38.50 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए 7वें सीपीसी संशोधन पूरे किए गए।
- सहयोगी बैंकों के 9.5 लाख पेंशनरों के पेंशन डेटा का सफल विलय।

ज. परिचालन एवं भुगतान प्रणाली समूह

पूर्वभुगतान कार्ड : आने वाली मेट्रो परियोजनाओं को स्वचालित भाड़ा संग्रह (एएफ़सी) उपलब्ध कराने के लिए आपका बैंक अपने पूर्वभुगतान कार्ड समाधान का लाभ उठा रहा है।

निधि अंतरण तथा निपटान: एनईएफ़टी के माध्यम से जावक निधि अंतरण की संख्या वित्त वर्ष 2017 में 22.97 करोड़ की तुलना में 37.74 % की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 में 31.639 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) 15.19% बाज़ार हिस्से के साथ आपके बैंक ने एनईएफ़टी में स्वयं को लीडर के रूप में स्थापित किया है। आरटीजीएस के माध्यम से जावक निधि अंतरण की संख्या वित्त वर्ष 2017 में 1.11 करोड़ की तुलना में 46.39% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 में 1.625 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) आरटीजीएस में आपके बैंक का बाज़ार हिस्सा 13.36% था।

स्विफ्ट के माध्यम से भेजे गए संदेशों की संख्या वित्त वर्ष 2017 में 26.2 लाख की तुलना में 15.64% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 में 30.3 लाख हो गई।

झ. नवोन्मेषी कार्यक्रम

आपके बैंक द्वारा की गईं आईटी-नवोन्मेष परियोजनाएं तथा गतिविधियां इस प्रकार हैंः

- **उद्यमशीलता योजनाएँ:** आपका बैंक कर्मचारियों को उसी रूप में नवीकृत परियोजनाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जिस रूप में उद्यमी ले रहे हैं। आपके बैंक ने "एसबीआई इंटेलिजेंट वॉइस असिसटेंट-शिवा" विकसित किया है, यह कृत्रिम बुद्धि (एआई), मशीन ज्ञानार्जन(एमएल) तथा प्रकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनपीएल) पर आधारित है।
- **स्टार्ट-अप एंगेजमेंट कार्यक्रम:** फिन-टेक स्टार्ट-अप से प्राप्त उत्पाद/समाधान, उभरती हुई/श्रेष्ठ तकनीक पर आधारित हैं तथा बैंक के लिए उपयोगी हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है। वर्ष के दौरान, 6 स्टार्ट-अप को संबद्ध किया गया। कुछ मामलों में, यूस केस उन्यन किया गया।
- **हैकाथन्स:** वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने YONO के लिए सुरक्षित समाधान, संपदा प्रबंधन तथा चेहरा पहचान जैसे थीम सीएमपी, आवाज़ आधारित प्रामाणिकता/चैटबोट, हस्ताक्षर पहचान, अधिदेश पंजीकरण प्रक्रिया स्वचलन, एआई/एमएल, कोग्नेटिव टेक/आईओटी/बिकन्स का प्रयोग करते हुए स्वचालित वास्तविक समय ग्राहक पहचान तथा अन्य के तीन संपूर्ण (शुरू से अंत तक) हैकाथन्स (कार्य करने योग्य प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने तक विचार प्रस्तुति) आयोजित किए।

ञ. आईटी विशेष परियोजनाएं III

वित्त वर्ष के दौरान, हमारी किसी भी एसबीआई इनटच शाखा में अपना डेबिट कार्ड छापने के लिए एसबीआई ग्राहकों को क्विक फोटो डेबिट कार्ड सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, नेपाल (काठमांडू), मालदीव(माले) तथा मरीशयस में विदेशों में तीन एसबीआई इनटच शाखाएँ स्थापित की गईं।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान, एनआरआई ग्राहकों के लिए ऑनबोर्डिंग व ई-मेल के माध्यम से सुरक्षित ओटीपी; तथा संपदा प्रबंधन अनुप्रयोग में सभी लेनदनों के लिए सुरक्षित ओटीपी उपलब्ध कराई गई है। इसके आगे, 'स्वयं' के निष्पादन, 'स्वयं' लेनदेन की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न स्तरो पर बारकोड आधारित पासबुक छपाई कियोस्क तथा हेल्थ डैशबोर्ड लगाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018 में ब्रांच दर्पण, एक वेब-आधारित एप्लिकेशन का परिचालन शुरू किया गया है। यह आधारिक संरचना, साज-सज्जा, स्वच्छता, नोटिस बोर्डों को प्रदर्शित करना और विभिन्न स्तरों पर नियंत्रकों द्वारा अनुवर्ती निगरानी सहित ग्राहक संतुष्टि के विभिन्न मानदंडों/पहलुओं का स्वतः मूल्यांकन उपलब्ध कराता है।

ट. विश्लेषण

बैंकिंग व्यवसाय का भविष्य डेटा संचालित ही होगा तथा अपने विशाल डेटाबेस से लाभान्वित होने की क्षमता एसबीआई में है।

वित्त वर्ष 2018 में, विश्लेषण टीम द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों की सूची नीचे दी गई है :

1. लागत दक्षता

बैंक की सीआईआर में सुधार के लिए विश्लेषण टीम ने कुछ परियोजनाएँ पूरी की जो इस प्रकार हैंः-

- मुद्रा तिजोरियों का का युक्तिकरण।
- विभिन्न डिजिटल चैनलों में प्रति लेनदेन लागत।
- एसबीआई पीओएस मशीनों का निष्पादन विश्लेषण।
- मिनी मुद्रा प्रशासन इकाई (मिनी-सीएसी) की पहचान।

2. व्यवसाय अवसर

- चालू खातों के लिए 'चर्न परिडिक्शनट मॉडल।
- एसएसबीएल तथा मुद्रा को ऋण के लिए प्रोपेनसिटी मॉडल।
- एचएनआई ग्राहकों के लिए 'चर्न परिडिक्शनट मॉडल।

3. जोखिम प्रबंधन

- नाम की (शैल) कंपनियों की पहचान।

4. नवोन्मेषन

- एटीएम त्रुटि (फाल्ट) पूर्वानुमान से अनुपलब्धता समय में कमी।
- ट्वीट वर्गीकरण।
- कर्मचारी सर्च इंजन।
- क्रॉस सेलिंग (प्रतिविक्रय) आय में वृद्धि के लिए व्यवसाय इकाइयों(बीयू) के साथ समन्वय।

ठ) व्यवसाय आसूचना

व्यवसाय आसूचना किसी भी व्यवसाय का मूल है तथा जीआईटीसी में व्यवसाय आसूचना विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपके बैंक के व्यवसाय आसूचना विभाग ने व्यावसायिक निर्णयों के लिए विभिन्न रिपोर्टों तथा डैशबोर्डों के माध्यम से सही समय पर डेटा उपलब्ध कराया है।

परिचालनात्मक सुविधा और नियंत्रण के लिए बीआईडी द्वारा मोबाइल यंत्रों और डेस्कटॉप पर अनेक नए डैशबोर्ड होस्ट किए हैं। विजुअलाइजेशन तथा प्रयोग की सुविधा के लिए नवीनतम बी आई उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

ड) ऑफिस365

ऑफिस365, आपके बैंक के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता अनुप्रयोगों का समूह उपलब्ध कराता है। सभी स्टेट बैंक प्रयोक्ताओं को सितंबर 2017 में ऑफिस365 पर माइग्रेट किया गया। इससे कर्मचारी बैंक की ई-मेल तथा अन्य सेवाएँ जैसे 'वन ड्राइव', 'स्काइप' इत्यादि को कहीं भी प्राप्त कर सकता है, इससे कार्यालय के डेस्क पर निर्भरता कम हुई है।

अनुप्रयोगों के समूह ऑफिस 365 को आपके बैंक के पुराने ई-मेल समाधान (ईएमएस) के स्थान पर लाया गया है, इसमें बेहतर सहयोग के लिए कर्मचारियों के बीच दस्तावेज़

शेयरिंग की समस्या का भी समाधान करता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम कर्मचारियों को एकीकृत आभासी कार्यस्थल उपलब्ध कराता है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर विभागों तथा टीमों के बीच संप्रेषण तथा सहयोग को बढ़ता है।

ढ. सोशल मीडिया

आपके बैंक ने नवंबर 2013 में सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा पिछले कुछ वर्षों में इसकी सोशल मीडिया कार्यनीति ने लंबी यात्रा तय की है। 'द' फाइनेंशियल ब्रांड' ने अपनी 'पावर 100 बैंक्सट की सूची में लगातार कई वर्षों से आपके बैंक को विश्व में सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले 100 बैंकों में प्रथम स्थान पर रखा है।

सोशल मीडिया पर विभिन्न चर्चाओं से संकेत लेते हुए ग्राहक की पसंद के अनुसार विषय वस्तु सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, चाहे हमारे विभिन्न डिजिटल उत्पादों पर वीडियो हो, महत्वपूर्ण घोषणाएँ हो, डिजिटल उत्पादों के प्रयोग के संबंध में सुरक्षा टिप्स हो या कर बचाने के विकल्प।

आपके बैंक के ट्विटर हैंडल इस वित्त वर्ष के दौरान सात बार 'ब्रांड इक्विटी ट्विटर एडवरटाइजिंग इंडेक्स' में आया। आपका बैंक यूट्यूब पर 10.0 करोड़ व्यू तथा क्वेरा पर 15 लाख व्यू तक पहुँचने वाला पहला भारतीय बैंक है। आपके बैंक ने 'लिंकडेनट पर उपस्थित नई पीढ़ी के व्यावसायिकों के लिए भी सामग्री सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है तथा हम इस पर सबसे अधिक एंगेजिंग बैंकों में से एक हैं। इस वर्ष 'इंसटाग्राम' तथा 'फेसबुक' पर कार्यालयीन (ओफिशियल) पेजों ने देखने-सुनने वालों को 'कहानियों' फीचर्स से बांधना शुरू किया है।

ण. शिकायत प्रबंधन विभाग (जीआईटीसी)

जीआईटीसी में शिकायत प्रबंधन विभाग, डेबिट कार्ड लेनदेन (एटीएम/पीओएस/पीजी), प्रीपेड कार्ड लेनदेन, आईएनबी(कॉरपोरेट एवं खुदरा लेनदेन), मोबाइल बैंकिंग लेनदेन- एसबी एनिवेयर, स्टेट बैंक बड्डी और यूपीआई, एईपीएस (डेबिट कार्ड लेनदेन तथा एसबीआई ई-पे लेनदेन) के संबंध में शिकायत प्रबंधन प्रणाली(सीएमएस) में दर्ज की गई शिकायतों तथा ई-मेल से प्राप्त शिकायतों को हैडल करता है।

विभाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

क) निर्धारित टीएटी (कार्य संपूर्णता समय) के भीतर शिकायतों को हैंडल करना तथा उनका निपटारा करना।

ख) शिकायतों के कारणों का विश्लेषण तथा उपचारात्मक उपाय सुझाना।

ग) शिकायतों की प्रभावी हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए एसबीआई संपर्क केंद्रों, अन्य बैंकों की शिकायत हैंडलिंग टीमों तथा एनपीसीआईएल के साथ समन्वय।

त. आईटी विशेष परियोजना

'ओरेकल फानेंशियल सर्विसेज एप्लिकेशनट (ओएफ़एसएए) : परियोजना की कवरेज को परिभाषित करने वाले प्रमुख मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है :

- 22 मॉड्यूलों में सतत एवं एकीकृत सुपुर्दगी।
- 650 से अधिक ओबीआईईई रिपोर्टों की अंतर्दृष्टि ।
- जोखिम तथा वित्त में 10 विभागों की कवरिंग।
- 250 से अधिक आंतरिक हितधारकों को कवर करना।
- 50 करोड़ खातों को कवर करना।
- 23,500 शाखाओं में
- 27 देशों में फैलाव
- 15 से अधिक डेटा स्रोतों के माध्यम से।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान प्राप्त आईटी -अवार्डो की सूची

'कस्टमर ओबसेशन 2016' के लिए सीआईआई पुरस्कार	1. ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड बैंकिंग इवेंट्स 2. एक्सेलेटर (बीईडीए-टी+ओ)
'स्कॉच' पुरस्कार	1. ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड फॉर बैंकिंग इवेंट्स डेटा 2. एक्सेलेटर (बीईडीए ब्टी+ओ)
'एबीएफ़ रिटेल बैंकिंग अवार्ड 2017'	1. डेबिट कार्ड इनिशिएटिव ऑफ द ईयर--इंडिया
वित्त वर्ष 2017 के लिए 'आईडीबीआरटी बैंकिंग टेक्नॉलोजी' पुरस्कार	1. बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर यूस ऑफ टेक्नोलोजी फॉर फानेंशियल इंक्लूजन एमंग लार्ज बैंक्स 2. बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर इलेक्ट्रोनिक पेमेंट सिस्टम्स एमंग लार्ज बैंक्स
आईडीजी द्वारा 'सीआईओ 100ड	1. बेस्ट सीआईओ
सीएसआई	1. बेस्ट सीआईओ ऑफ द ईयर 2. बेस्ट सीआईओ ऑफ द ईयर-2017 3. बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोग्निटिव टेक्नोलोजिस
'एसोचेम टेक्नोलोजी' पुरस्कार	1. इमर्जिंग टेक्नोलोजी अवार्ड
'ग्रोथ अवार्ड' 2017 के लिए 'स्कॉच अवार्ड टेक्नोलोजी'	1. 5 ऑर्डर ऑफ मेरिट 2. 3 गोल्ड 3. 2 प्लेटिनम 4. 1 बेस्ट टेक्नोलोजी बैंक
'फिनोविटी 2018'	बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड
'आईबीए बैंकिंग टेक्नोलोजी कॉन्फ्रेंस अवार्ड' वित्त वर्ष 2017	1. बेस्ट टेक्नोलोजी बैंक ऑफ द ईयर (लार्ज केटेगीरी बैंक) 2. मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट यूसिंग आईटी (इमोशन ट्रेकर) 3. बेस्ट फानेंशियल इन्क्लुजन इनिशिएटिव्स 4. रनरअप- बेस्ट यूस ऑफ डिजिटल एंड चैनल्स टेक
'ईटी नाऊ बीएफ़एसआई (बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा) अवार्ड 2018	1. बैंकिंग 2. बेस्ट सीआईओ (इंडिविजुअल केटेगीरी)

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन का विहंगावलोकन

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत जोखिम पहचान, जोखिम उपाय, जोखिम निर्धारण, जोखिम न्यूनीकरण शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता एवं पूंजी पर इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बैंक को ऐसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी बैंकिंग व्यवसाय के अभिन्न अंग होते हैं। प्रमुख जोखिमों में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम आते हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम भी शामिल हैं।

आपके बैंक के पास अपने सभी संविभागों में उन जोखिमों के मापन, उनकी निगरानी और इनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतियां और कार्यविधियां मौजूद हैं। ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के अंतर्गत नवीनतम पद्धति को लागू करने में बैंक अग्रणी रहा है। बैंक ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से उद्यम और समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की हैं। ये परियोजनाएं बाहरी परामर्शदाताओं के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं।

बेसल III पूंजी विनियमों से संबंधित आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है और आपका बैंक बेसल III की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप पूंजी कृत है। जोखिम मापन, निगरानी और नियंत्रण कार्यों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कर्तव्यों को अलग करने के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना लागू की गई है। इस संरचना में परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयाँ सशक्त दिखाई देती हैं जिससे प्रौद्योगिकी, जो प्रमुख संचालक है, की सहायता से उद्गम स्थल पर ही जोखिम की पहचान और उसका प्रबंधन किया जा सकेगा। कार्यपालक स्तर पर समितियों तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अपनी नियमित बैठकों में बैंक और एसबीआई समूह में विद्यमान विभिन्न जोखिमों की निगरानी और समीक्षा की जाती है। परिचालन इकाई और व्यवसाय इकाई स्तर पर भी समितियां मौजूद हैं।

1. ऋण जोखिम

किसी प्रत्यक्ष चूक या संविभाग मूल्य में कमी के कारण ऋणियों या अन्य पक्षों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी हानि की आशंका को ऋण जोखिम कहा जाता है। बैंक द्वारा किसी व्यक्ति, गैर-कॉरपोरेट, कॉरपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान या राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले लेनदेन से जोखिम पैदा होते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय

आपके बैंक में ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन का सुदृढ़ मजबूत ढांचा मौजूद है, जिससे ऋण से जुड़े जोखिमों और उनकी मात्रा की जानकारी मिलती है और उन पर निगरानी एवं नियंत्रण भी किया जाता है। एक समर्पित टीम द्वारा संरचनात्मक तरीके से औद्योगिक वातावरण को परखा जाता है, उस पर शोध किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि सभी चिह्नित 39 उद्योगों/क्षेत्रों, जो हमारे देशीय विस्तार का 70% भाग होते हैं, के लिए आपके बैंक का दृष्टिकोण और संवृद्धि का लक्ष्य तय किया जा सके। इन क्षेत्र के जोखिमों की सतत निगरानी की जाती है और आवश्यक होने पर संबंधित उद्योगों की तत्काल समीक्षा की जाती है। कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों की लाभप्रदता, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, आरईआरए (रेरा) कार्यान्वयन, रत्न एवं आभूषण, कुछ वस्तुओं की कीमतों की उथल-पुथल जैसी घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और संभावित जोखिम कम करने के लिए आपके बैंक द्वारा इन परिस्थितियों के प्रति उचित कार्यनीतियां तैयार की गईं। रियल एस्टेट/टेलीकॉम जैसे संवेदनशील/दबाव वाले क्षेत्रों के प्रति ऋण-जोखिम की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की गई। ऊर्जा, टेलीकॉम, आयरन एवं स्टील, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जाती है और नई घटनाओं से व्यवसाय प्रमुखों को अवगत कराया जाता है ताकि वे बेहतर ऋण निर्णय ले सके। विभिन्न स्तरों के परिचालन स्टाफ के लाभ के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान सत्रों का आयोजन किया जाता है। भविष्य की संभावनाओं के आधार पर प्रत्येक उद्योग के लिए ऋण दर सीमा निर्धारित की जाती है।

आपका बैंक उधारकर्तावार ऋण जोखिम का निर्धारण करने के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल और स्कोरकार्ड का प्रयोग करता है। उधारकर्ताओं के आंतरिक ऋण निर्धारण मॉडल बैंक द्वारा ही तैयार किए गए हैं। इनकी समीक्षा हर पहलू की पुष्टि और बाद में उनकी परख करके की जाती है।

आपके बैंक ने लोन ओरिजनेटिंग सॉफ्टवेयर/लोन लाईफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलओएस/ एलएमएसएस के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक आईटी प्लेटफॉर्म अंगीकार किया है। बैंक द्वारा तैयार किए गए मॉडल इस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जिन्हें सीआईबीआईएल और आरबीआई चूककर्ता सूची में शामिल कर दिया जाता है।

पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और पूंजी पर प्रतिलाभ बढ़ाने के क्रम में आपके बैंक के जोखिम आधारित बजटिंग (आरबीबी) लागू की है। जोखिम में छूट और पूंजी पर प्रतिलाभ को ऋण जोखिम पूंजी पर मिलने वाले प्रतिलाभ के आधार पर मापा जाता है। बजटीकृत अग्रिमों के स्तर की उपलब्धि विशेषीकृत लीवर्स की जांच के अध्यधीन रहती है। पूंजीगत जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) ढांचे को जुलाई 2015 से लागू किया गया है। ग्राहक स्तरीय पूंजीगत जोखिम समायोजित लाभ की परिगणना को भी डिजिटलीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, फुटकर ऋणी के निष्पादन की निगरानी और स्कोरिंग के लिए व्यावहारिक मॉडल विकसित किए गए हैं और इन्हें ऋण जोखिम डेटा मार्ट पर दर्शाया गया है। आपके बैंक ने ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए ओरेक्ल "OFSAA" सॉफ्टवेयर की खरीदी की है और इस प्रणाली का कार्यान्वयन शार्टलिस्टेड सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ शुरू किया गया है।

आपके बैंक ने ऋण केंद्रित जोखिम के प्रबंधन हेतु एकल और समूह दोनों प्रकार के ऋणियों के लिए जोखिम संभावी आंतरिक विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को लागू करके एक उन्नत प्रणाली तैयार है। यह सीमाएं ऋणी की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर नियत की जाती है। यह ढांचा विवेकपूर्ण एक्सपोजर शर्तों के विनियामक निर्धारण, जो कि प्रकृति में उत्तम है, से एक कदम आगे है। इन एक्सपोजर शर्तों की एक निर्धारित आवधिकता में नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

आपका बैंक अपने ऋण संविभाग पर अर्धवार्षिक दवाब परीक्षण करता है। इस दवाब परिदृश्य को आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार उद्योग की उत्तम प्रथाओं और बृहत् आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के अनुसार नियमित रूप से अद्यतित करते रहते हैं।

ऋण जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड (एफआईआरबी) के लिए समानांतर संचालन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। इससे प्राप्त डेटा आरबीआई को प्रस्तुत किए जाता है। चूक की संभावना (पीडी), चूक के कारण हुई हानि (एलजीडी) और चूक के कारण हुए एक्सपोजर का अनुमान लगाने के मॉडल आंतरिक रूप से तैयार किए गए हैं। आईआरबी पूंजी की गणना करने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली बाहर से खरीदी है। ऋण जोखिम प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों में आपके बैंक ने पिछले वर्ष स्वतंत्र जोखिम एडवाइजरी (आईआरए) शुरू की है। इसके द्वारा मध्यम एवं उच्च मूल्य वाले ऋण प्रस्तावों की जाँच की जाती है।

2. बाजार जोखिम

विनिमय दर, बाजार दर और इक्विटी की कीमत आदि जैसे बाजार के परिवर्तनकारी कारकों के कारण बैंक के ट्रेडिंग संविभाग के मूल्य में हुए परिवर्तन से बैंक को जो हानि हो सकती है, उसे बाजार जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन में जोखिम और उसकी मात्रा की पहचान, प्रतिरोधक उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है।

बाजारगत जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य विभिन्न सीमाएं निर्धारित करके किया जाता है। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन, मॉडीफाइड ड्युरेशन, पीवी01, स्टॉप लॉस, अपर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, लोअर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, कंसट्रेशन एण्ड एक्सपोजर लिमिट्स ऐसी सीमाओं के उदाहरण हैं।

आपके बैंक ने ट्रेडिंग संविभाग के लिए आस्तियों की श्रेणीवार जोखिम सीमाएं तय की है, जिन पर निरंतर निगाह रखी जाती है।

वर्तमान में बाजारगत जोखिम पूंजी की गणना मानकीकृत मापन विधि (एसएमएम) से की जाती है। बैंक ने बाजारगत जोखिमों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के अंतर्गत आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) पर माइग्रेट करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय का पत्र भेजा है।

वैल्यू ऐट रिस्क (वीएआर) आपके बैंक के ट्रेडिंग संविभाग के जोखिम पर निगरानें रखने का साधन है। उद्यम स्तर के वैल्यू ऐट रिस्क की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। बैक टेस्ट भी दैनिक आधार पर किया जाता है। बाजार जोखिम के लिए वैल्यू ऐट रिस्क की गणना भी दैनिक आधार पर की जाती है। व्यापार संविभाग के तिमाही दवाब परीक्षणों द्वारा वैल्यू ऐट रिस्क तरीके का संवर्धन किया जाता है।

3. परिचालन जोखिम

आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या असफलता से होने वाली हानि को परिचालन जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय

आपके बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख हैं-प्रणालियों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा, पूरे बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता लाना, घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-निर्धारण (आरसीएसए) प्रक्रिया के माध्यम से परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, की इंडीकेटर्स (केआईएस) (की रिस्क इंडीकेटर केआरआईएस को मिलाकर), की कंट्रोल इंडीकेटर्स (केसीआईएस) व की प्रोसेस इंडीकेटर्स (केपीआईएस) के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी सूचना में सुधार लाना, निर्धारण के परिणाम की प्रभावी खोज एवं अनुवर्तन द्वारा जोखिमों का समाधान, जोखिम स्वामित्व का निर्धारण, व्यवसाय युक्ति के साथ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को जोड़ना। ये नीतियां नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त बेहतर पूंजी प्रबंधन सुनिश्चित करती है और बैंक की सेवाओं/उत्पादों/प्रक्रियाओं में सुधार लाती है।

समानांतर रन आधार पर परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने हेतु परिचालन जोखिम के उन्नत मानक दृष्टकोण (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए आपके बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सैद्धांतिक अनुमोदन (एकल आधार पर) प्रदान किया है।

वित्त वर्ष 2018 के लिए बैंक ने स्टैंड अलोन आधार पर बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी रखी है। एएमए के अनुसार पूंजी की गणना भी समानांतर रन आधार पर की गई है।

01 सितंबर को आपके बैंक में जोखिम जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया है। ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्टाफ को प्रशिक्षित कर जोखिम संस्कृति विकसित की जा रही है।

4. उद्योग जोखिम

उद्यम जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है- उपयुक्त युक्ति-रचना के माध्यम से बैंक स्तर पर विभिन्न जोखिमों और जोखिम घटकों के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना। इनमें जोखिम निर्वहन, जोखिम समूहन और जोखिम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश है।

न्यूनीकरण के उपाय

जोखिम की भूमिका को बदलने और उसे व्यावसायिक ध्येय से जोड़ने की कार्यनीति संबंधी हमारे बैंक के विजन के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति लागू की गई है।

एक सुदृढ़ जोखिम प्रोफाइल बनाए रखने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने प्रमुख जोखिम पद्धतियों की सीमाओं को शामिल करते हुए एक जोखिम अभिवृत्ति रूपरेखा तैयार की है। बैंक में एक सुदृढ़ जोखिम निर्धारण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जोखिम निर्धारण संस्कृति रूपरेखा का चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सामान्य एवं दवाबग्रस्त स्थितियों में पूंजी पर्याप्तता की जानकारी हेतु आपका बैंक वार्षिक आधार पर व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को अपनाता है। आईसीएएपी के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संकेद्रण जोखिम जैसे पिलर 2 के जोखिमों सहित ऋण, बाजार और परिचालन आदि पिलर 1 के जोखिम आते हैं।

5. समूह जोखिम

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है समूह की इकाइयों से जोखिम प्रबंधन की मानक प्रक्रियाओं को पूरा करना।

न्यूनीकरण के उपाय

बैंक में समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता और आकस्मिकता निधीयन योजना (सीएफपी), निकटवर्ती समूह व अंतरसमूह लेनदेन एवं एक्सपोजर नीतियां विद्यमान हैं।

समेकित विवेकपूर्ण जोखिमों और समूह जोखिम घटकों की निगरानी भी नियमित रूप से की जाती है। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि के लिए जोखिम आधारित मापदंडों की तिमाही समीक्षा समूह जोखिम प्रबंधन समिति (ईजीआरएमसी)/बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमबीसी) को प्रस्तुत की जाती है।

समूह की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ग्रुप आईसीएएपी) प्रलेख में समूह की इकाइयों द्वारा चिह्नित जोखिमों का निर्धारण, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा सामान्य और दवाबपूर्ण दशाओं में पूंजी निर्धारण सम्मिलित है। समूह की सभी इकाइयां, जहाँ भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा 20% से अधिक है, जिनमें गैर-बैंकिंग इकाइयां भी शामिल हैं, समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया पूरी करती है और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति विद्यमान है।

6. बेसल कार्यान्वयन

नियामक द्वारा आपके बैंक को डी-एसआईबी के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2016 से चरणबद्ध ढंग से आरडब्ल्यूए का 0.60% अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी) रखना होगा। 01 अप्रैल 2019 से यह पूर्णतया लागू होगा। आपके बैंक ने चरणबद्ध तरीके से सीसीबी को भी मेनटेन करना शुरू कर दिया है और यह 31 मार्च 2019 तक 2.5% तक पहुंच जाएगा।

आपके बैंक को वर्ष 2017 के लिए जोखिम प्रबंधन के लिए गोल्डन पिकोक अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

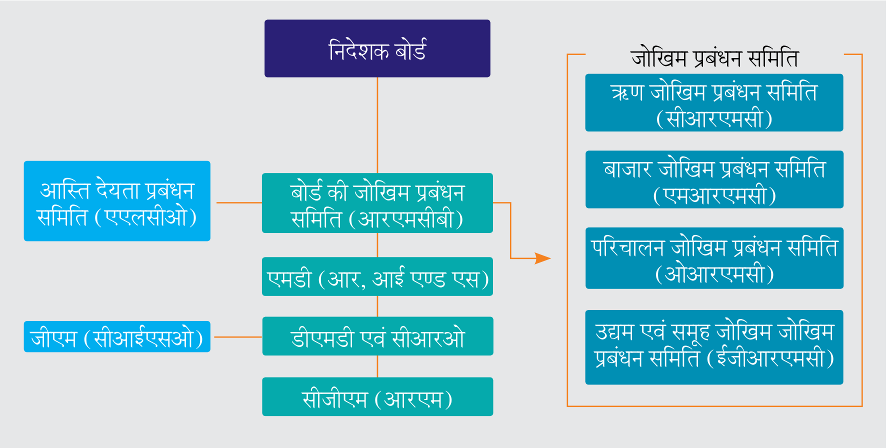

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपका बैंक लेखा-परीक्षा कार्य आंतरिक प्रक्रियाओं और कार्यविधियों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। इस आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके बैंक की सभी परिचालन इकाइयों की व्यापक जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा की जाती है। आपके बैंक का आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग बैंक में पर्याप्त रूप से पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करता है और इसके प्रमुख उप प्रबंध निदेशक होते हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग बैंक की लेखा-परीक्षा समिति के दिशा-निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

तेजी से होते डिजिटलीकरण के साथ कदम मिलाकर बैंक ने विभिन्न प्रकार के लेखा-परीक्षा कार्यों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू किया है और लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में स्वचालन की ओर बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख पहलों में ये भी शामिल हैं :-

क) व्यवसाय इकाइयों की प्रणाली आधारित ऑफसाइट लेनदेन निगरानी एवं संगामी लेखा-परीक्षा करना जिससे नियंत्रणों की सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके।

ख) ऋण की गुणवता आकलन हेतु ₹ 50 लाख और उससे अधिक के ऋणों की संस्वीकृतियों की शीघ्र त्वरित समीक्षा करना।

ग) वेब आधारित जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए), जो कि स्वचालन के बढ़े हुए स्तर के साथ विस्तार योग्य, लचीली एवं मापनीय है।

घ) शाखाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन हेतु अपनी ऑन-लाइन लेखा-परीक्षा और नियंत्रकों द्वारा उसकी जांच करना।

ङ) चिंताओं का आसानी से पता लगाने और प्रबंधन द्वारा अनुपालन की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एमआईएस डैश बोर्ड पर टी+1 आधार पर लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं।

ii. आपके बैंक ने जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए) प्रक्रिया को अपनाया है, जिसमें बैंक द्वारा संचालित विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों के जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर लेखा-परीक्षा की प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लिया जाता है।

iii. आरएफआईए के भाग के रूप में, निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा विभाग विभिन्न प्रकार की लेखा-परीक्षा करता है, अर्थात ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा, होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा) संगामी लेखा-परीक्षा, फेमा लेखा-परीक्षा, बैंक के आउटसोर्स कार्यकलापों की लेखा-परीक्षा, व्यय लेखा-परीक्षा और अनुपालन लेखा-परीक्षा। यह व्यवसाय समूहों की कार्यनीतिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए उनकी प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी करता है।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आईएस लेखा-परीक्षा)

आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग आरएफआईए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का समन्वयकर्ता है, के माध्यम से लेखा-परीक्षित इकाइयों के समस्त परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा करता है। व्यवसाय के प्रकार और जोखिम के आधार पर देशीय शाखाओं को मोटे तौर पर तीन समूहों (समूह 1, 2 और 3) में रखा गया है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान आईएण्डएमए ने आरएफआईए के अंतर्गत 14,638 देशीय शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा की है।

फेमा लेखा-परीक्षा

फेमा लेखा-परीक्षा आरएफआईए के तहत अलग से की जाती है। यह उन अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो विदेशी विनिमय व्यवसाय एवं फेमा/आरबीआई के दिशा-निर्देशों से भलीभांति परिचित होते हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान 430 इकाइयों की फेमा लेखा-परीक्षा की गई।

ऋण लेखा-परीक्षा

ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर निखार लाना है। ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के हर एक वाणिज्यिक ऋण के विवेचनात्मक परीक्षण द्वारा इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक के उच्च जोखिम वाले खातों की अर्धवार्षिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली, चेतावनी संकेतकों के रूप में, व्यवसाय इकाइयों को ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में प्रतिसूचना देती है तथा सुधार के उपाय भी सुझाती है।

संस्वीकृति पश्चात शीघ्र समीक्षा (ईआरएस - बड़े ऋण) - उच्च मूल्य के ऋण क्षेत्र की लेखा-परीक्षा में भी संस्वीकृति/संवर्धन/नवीकरण के 3 से 6 महीनों के अंदर ₹ 5 करोड़ से अधिक के अलग-अलग अग्रिमों की संस्वीकृति-पूर्व और संस्वीकृति प्रक्रिया का ऑफसाइट प्रणाली (ऋण समीक्षा प्रणाली) उपलब्ध है। ऑनलाइन समीक्षा, एटीआर की प्रस्तुति और नियंत्रकों की निगरानी हेतु एलआरएम को एलएलएमएस के साथ जोड़ दिया गया है।

संस्वीकृति पश्चात शीघ्र समीक्षा (ईआरएस - छोटे ऋण) - ₹ 50 लाख से ₹ 5 करोड़ तक की संस्वीकृतियों की समीक्षा की गई थी। इसका उद्देश्य संस्वीकृत किए गए प्रस्तावों में कोई खास जोखिम होने पर उसे प्रारंभिक चरण में ही पकड़ना और उसे कम करने के लिए नियंत्रकों को सूचित करना है।

सूचना प्रणाली और साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा

आवधिक लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में आईटी संबंधित जोखिम का आकलन करने के लिए सभी शाखाओं की सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षा की जाती है। केन्द्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा अर्हताप्राप्त अधिकारियों/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान 86 केन्द्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा की गई। बैंक की आईटी प्रणाली की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित आरबीआई दिशा-निर्देशानुसार, वर्ष 2017-18 से हमने साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा परीक्षा - होम ऑफिस लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 2018 के दौरान, 20 शाखाओं की होम ऑफिस लेखा-परीक्षा की गई। एक प्रतिनिधि कार्यालय और एक अनुषंगी की प्रबंधन लेखा-परीक्षा पूर्ण की गई।

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

संगामी लेखा-परीक्षा मौलिक रूप से नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जो आंतरिक सुदृढ़ लेखा कार्यों को सुव्यवस्थित तथा नियंत्रण को प्रभावी बनाती है। संगामी लेखा-परीक्षा में नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बैंक के अग्रिम एवं अन्य जोखिम सम्मिलित हैं। वेब आधारित समाधान लागू करके संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली को पुनः निर्धारित किया गया है और इसे अधिक कार्यक्षम बनाया गया है।

ऑफ साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

निरंतर ऑफ साइट निगरानी द्वारा लेनदेन लेखा-परीक्षा को और मजबूती प्रदान करने, विपथन को बिना अधिक समय गंवाए पकड़ लेने तथा सुधार कार्रवाई करने हेतु ऑफ-साइट ट्रांजेक्शन मॉनीटरिंग सिस्टम (ओटीएमएस) नाम के वेब आधारित समाधान की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में 37 प्रकार के विपथनों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें सत्यापन हेतु शाखाओं में भेजा जाता है। अपवादों की आवधिक समीक्षा की जाती है और उन्हें आवश्यकता एवं कतिपय रोक के आधार पर बढ़ाया जाता है।

विधिक लेखा-परीक्षा

विधिक लेखा-परीक्षा में ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक उच्च राशि वाले सभी ऋणों और उनके बंधक से संबंधित सभी दस्तावेजों की विधिक लेखा-परीक्षा की गई है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान, 11,100 खातों की विधिक लेखा-परीक्षा पूर्ण की गई।

आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा

आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा इस बात का उचित विश्वास उपलब्ध कराने के लिए की जाती है कि विधिक, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, जो वित्तीय एवं आईटी संबंधी गतिविधियां अन्य पक्षकारों को आउटसोर्स करने के कारण उठ सकती हैं, को कम करने के लिए ऐसी पर्याप्त प्रणालियां एवं कार्यविधियां कार्यान्वित हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान, 57 गतिविधियों को शामिल करते हुए 657 लेखा-परीक्षाएं की गईं। इन गतिविधियों में एटीएम सेवाएं, कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि, वसूली एवं समाधान एजेंट, डोरस्टेप बैंकिंग, चेक प्रिंटिंग आदि शामिल हैं। इस वर्ष 537 वेंडरों को शामिल किया गया।

बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत 58,000 व्यक्तिगत बीसी और सीएसपी की सेवाएं प्राप्त की हैं, जिनकी गतिविधियों की लेखा-परीक्षा की जा रही है और वित्त वर्ष 2018 के दौरान ऐसी 29,038 लेखा-परीक्षाएं की गईं।

प्रबंधन लेखा-परीक्षा

व्यवसाय समूहों, प्रशासनिक कार्यालयों/विभागों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की जाती है और इसमें कार्यनीति, प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की जांच की जाती है। कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय, शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रबंधन लेखा-परीक्षा के दायरे में आते हैं। वित्त वर्ष 2018 के दौरान, प्रबंधन लेखा-परीक्षा के तहत 38 संस्थापनाओं/प्रशासनिक कार्यालयों की लेखा-परीक्षा की गई।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक अनुपालन जोखिम प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और व्यापार संचालन के पैमाने और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अनुपालन कार्य को सुदृढ करने के लिए कई पहले कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण पहले निम्न प्रकार हैंः

अनुमोदित और परिचालित या समीक्षा किए जाने से पहले सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं, नीतियों को विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है।

एक अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें बिजनेस वर्टिकल और सपोर्ट फ़ंक्शंस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, सभी अनुपालन संबंधी मुद्दों पर नजर रखते हैं। समिति नियमित रूप से संपर्क में रहती है और आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) और अन्य नियामक मामलों के सुचारू कार्यान्वयन में सभी संबंधित लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

आरबीआई के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है और परीक्षण सभी को विस्तारित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए नियंत्रण तंत्र स्थापित है।

बैंक के अनुपालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अनुपालन संस्कृति महत्वपूर्ण है और संगठन के विभिन्न संप्रेषण रूपों और बातचीत के माध्यम से इसे सुदृढ किया जा रहा है। बैंक ने अनुपालन पर सत्रों को आयोजित करने में सक्षम प्रशिक्षकों का एक समूह भी बनाया है।

उपर्युक्त सभी अनुपालन कार्य को सुदृढ करने में आपके बैंक की सहायता करेंगे।

घ. एएमएल-सीएफटी उपायः

केवाईसी मानदंडों, एएमएल/सीएफटी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं होने के कारण पैदा होने वाले जोखिम कम करने के लिए, आपके बैंक ने एक बोर्ड अनुमोदित एवं पारदर्शी "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) नीति लागू की है और इस नीति में ग्राहक स्वीकार्यता, ग्राहक पहचान, लेनदेनों की निगरानी, ग्राहक जोखिम वर्गीकरण और एफआईयू-आईएनडी को लेनदेन रिपोर्ट करना शामिल किया गया है। इस नीति को अद्यतन किया जाता है और जब कभी भी आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाता है, अनुवर्तन परिवर्तन ई-परिपत्र के माध्यम से शाखाओं/कार्यालयों को सूचित किए जाते हैं जिससे सभी परिचालन इकाइयों में इनका सख्ती से अनुपालन हो सके। मैनुअल एवं प्रणाली से जुड़ी कार्यप्रद्धति के संयुक्त रूप वाली एक सुदृढ़ प्रणाली लागू की गई है जिससे बैंक में केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आपके बैंक ने आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यक्तिगत ग्राहकों को समान ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित किए हैं। आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर बैंक द्वारा केवाईसी का अद्यतन किया जाता है। खाता खोलने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाया गया है जिससे बैंक की एएमएल और केवाईसी कार्यविधियां सुदृढ़ हो सके।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालनों के प्रति बैंक स्टाफ में बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रयास शुरू किए गए हैं। समस्त स्टाफ में केवाईसी अनुपालन के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठ उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को एएमएल-सीएफटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी शाखाओं/प्रक्रिया केंद्रो और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिज्ञा की जाती है। इसी तरह 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन एवं धोखाधड़ी रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

आपके बैंक ने एक नया धन-शोधन निवारक समाधान (एफआईसीओ) खरीदा है जिसे सभी देशीय और विदेशी शाखाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है और इससे लेनदेनों/स्विफ्ट संदेशों, जोखिम स्कोरिंग और लेनदेन निगरानी की ऑन लाइन स्क्रीनिंग हो सकेगी जिससे भारत में और विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन हो सकेगा।

4. राजभाषा

आपके बैंक ने अपने 42 करोड़ ग्राहकों तक पहुँचने में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई नवोन्मेषी प्रयास किए। इनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैः-

ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान रोस्टर

स्टाफ सदस्यों के राजभाषा ज्ञान की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा विकसित कर कार्यान्वित की गई है, जिसमें वे अपने राजभाषा ज्ञान का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

बैंक कार्यपालकों द्वारा हर महीने की 14 तारीख को अधिकांश पत्राचार और आंतरिक कार्य हिंदी में करना

आपके बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में कार्यपालकों द्वारा हर महीने की 14 तारीख को अपना अधिकांश पत्राचार और आंतरिक कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया गया और इसका नियमित पालन भी किया जा रहा है।

जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

देश भर में स्थित आपके बैंक के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों ने अपने कार्यालयों और शाखाओं के स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए दिसबंर 2017 से जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया है।

हिंदी गृहपत्रिका 'प्रयास' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017

माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017' के तहत 'प्रथम' पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार बैंक के वर्तमान अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार द्वारा ग्रहण किया गया।'प्रयास' को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है।

माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भारत सरकार का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017 प्राप्त करते हुए श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'प्रयास' को प्रथम पुरस्कार

आपके बैंक की हिंदी तिमाही गृह पत्रिका 'प्रयास' को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आशीर्वाद राजभाषा रत्न पुरस्कार 2017

प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा हमारे बैंक को हिंदी में श्रेष्ठ कार्य हेतु विशेष पुरस्कार, हिंदी की श्रेष्ठ गृह पत्रिका श्रेणी में हिंदी पत्रिका 'प्रयास' को विशेष पुरस्कार और हमारे उप प्रबंध निदेशक (मा.सं.) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बहुमूल्य योगदान देने हेतु आशीर्वाद राजभाषा रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है।

आपके बैंक के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार

आपके बैंक के बेंगलूरु, संबलपुर, तिरुपति, गुंटूर, जम्मू, दिल्ली, वडोदरा, जबलपुर और भुवनेश्वर प्रशासनिक कार्यालयों को भी राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

5. विपणन एवं संप्रेषण

विपणन और संप्रेषण (एम एंड सी) विभाग पर सभी ब्रांड और उत्पाद के विपणन और जनसंपर्क के लिए आपके बैंक की ओर से पहल करने का उत्तरदायित्व है। इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य अपने बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए,ब्रांड एसबीआई को भावी ग्राहकों के दिमाग में जगह बनाने के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के बीच ब्रांड की छवि को मजबूत करने के लिए समकालीन विपणन पद्धति को अपनाते हुए प्रयासों को उपयुक्त बनाना है। एमएंडसी विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में बैंक के भारतीय और विदेशी परिचालनों सहित आपके बैंक के विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के डिवीजनों की व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत विपणन कार्यनीतियों को विकसित करना और कार्यान्वित करना शामिल है। इस विभाग में विभिन्न कुशल क्षेत्रों - मीडिया, विपणन संप्रेषण, विज्ञापन और जनसंपर्क के ज्ञानक्षेत्र में कुशल पेशेवर/विशेषज्ञ शामिल हैं।

आपके बैंक ने 5 सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक को विलय करके एक बडी छलांग लगाई है। इस महाविलय के साथ, आपके बैंक ने फिर से ब्रांडिंग का कार्य भी किया है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के मार्गदर्शन में विपणन और संचार विभाग ने ब्रांड को सक्रिय करने के लिए एक ब्रांड पहचान को पुनः उर्जावान करने के कार्य को बढ़ावा दिया ताकि युवाओं के साथ-साथ वैश्विक दर्शकों के लिए प्रासंगिक रह सकें। जबकि प्रसिद्ध एसबीआई नाम चिह्न (मोनोग्राम) को बरकरार रखा गया है तथा एसबीआई शब्द चिह्न के साथ संयोजन करते हुए नवीन ब्रांड पहचान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। मोनोग्राम को अधिक स्पष्टता और उपयोग में आसान बनाने के लिए परिष्कृत किया गया है। एम एंड सी विभाग ने देश भर में नई ब्रांड पहचान के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

री-ब्रांडिंग अभियान के अलावा, एम एंड सी विभाग ने एक और बड़ा अभियान 'होम लोन बैलेंस ट्रांसफर केम्पेन' शुरू किया। विभाग ने 6 अलग-अलग त्यौहारों के लिए 4 उत्पादों को मिलाकर के एकीकृत अभियान भी शुरू किया। इन सभी अभियानों के लिए उचित मीडिया साधनों का उपयोग किया गया था।

जैसा कि आप जानते हैं, आपके बैंक ने नवंबर 2017 में भारत का एकमात्र व्यापक, बहुप्रयोजनीय चैनल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म YONO का शुभारंभ किया। एम एंड सी विभाग ने डिजिटल मीडिया सहित बाजार में गहरी पैठ हेतु कार्यनीति को विकसित करने तथा व्यापक संप्रेषण योजना को कार्यान्वित करने के जरिये इस शुभारंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बैंक के संवहनीयता विभाग के सहयोग से एम एंड सी विभाग ने एक और महत्वपूर्ण पहल 'द ग्रीन मैराथन' - बैंक के कर्मचारियों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बडी पहल की। यह मैराथन 2 महीनों में 6 शहरों में आयोजित की गई थी।

एक परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत विभिन्न पहलुओं में कई बदलाव देख रहा है। नियमित विपणन गतिविधियों के साथ-साथ बैंक के विकास के लिए गति बनाने में सहयोग हेतु, बैंक की विभिन्न डिजिटल पहल को बढ़ावा देना केंद्रित होगा। विभाग की मुख्य जिम्मेदारी ब्रांड एसबीआई को देश के कथित रूप से विभिन्न धाराओं के जनसाधारण के बीच उपयुक्त विपणन एवं संप्रेषण कार्यनीति और उसके कार्यान्वयन द्वारा विपणन के मुख्य स्रोत की भूमिका निभानी होगी।

यह व्यवसाय इकाइयों की कार्यनीति बनाने और लागत प्रभावी विपणन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच बैंक की छवि को प्रसारित करने हेतु विभाग का निरंतर प्रयास होगा। आपका बैंक संयुक्त विपणन प्रयासों के माध्यम से अपनी ब्रांड इक्विटी और बंधुत्व (एफ़िनिटी) बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. सतर्कता तंत्र

आपके बैंक में सतर्कता कार्य के तीन आयाम हैं - निवारक, दंडनीय और सहभागिता। इस वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 तक मेरा ध्येय-भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय पर मनाया गया था। सतर्कता विभाग ने इस वर्ष के विषय से संबंधित संदेशों को फैलाने के लिए पहल की है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के अतर्गत वैकल्पिक चैनलों, आईवीआर, सोशल मीडिया,आरआरबी द्वारा ग्राम

सभा,आरआरबी में सामूहिक प्रतिज्ञा के माध्यम से सभी तक अपनी पहुंच बनाई।

व्हिस्ल ब्लॉवर की अवधारणा भी निवारक सतर्कता के लिए एक और प्रभावी उपकरण है। व्हिस्ल ब्लोअर योजना के तहत किसी भी तरह के कदाचार को उजागर करने के लिए, बैंक द्वारा एक पोर्टल आरम्भ किया गया है। व्हिस्ल ब्लोअर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और इस संबंध में हो रही प्रगति की भी निगरानी कर सकता है। हमारे बैंक में पहले से ही एक सुपरिभाषित व्हिस्ल ब्लोअर नीति है, जो कर्मचारियों दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से दूर रखने के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है। हम व्हिस्ल ब्लोअर की गोपनीयता बनाए रखते हैं और उन्हें सुरक्षा देते हैं ताकि वे बिना डर के गलत कामों के खिलाफ एक प्रभावी उपकरण बने रहे।

जिन शाखाओं में गंभीर प्रकृति की कुछ त्रुटियां देखी गई हैं, पहचान की गई हैं और उनमे इनकी स्वतः जांच की जाती है ताकि संभावित धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच की जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान जांच के लिए कुल 1266 मामले (908 नए मामले) हाथ मे लिए गए, जिनमें से 786 मामले निपटाए जा चुके हैं।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम)

प्रभावी आस्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम), बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संवहनीय और गुणात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य बाजार स्थितियों की निरंतर समीक्षा कर, उससे प्राप्त संकेतों को पकड कर नियामक वातावरण को स्कैन करके और मूल्य सृजन हेतु सक्रिय उपायों को शुरू करके बैलेंस शीट प्रबंधन को सुदृढ करना है।

आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) ब्याज दर और तरलता जोखिम की देखरेख करती है, तुलन पत्र के घटकों की समीक्षा करती है और इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन के लिए मानक स्थापित करती है और लगातार उन पर नजर रखती है। एएलसीओ अन्य बातों के साथ, ब्याज दर परिदृश्य, देयता उत्पादों की वृद्धि के प्रतिमान(पैटर्न), क्रेडिट वृद्धि, बाजार व्यवहार, तरलता प्रबंधन और नियामक निदेर्शों के अनुपालन की समीक्षा करती है। एएलसीओ देयताओं की कीमत निर्धारित करती है तथा नियामक आवश्यकताओं के संदर्भ में उधार दरों के आधार पर वित्त की सीमांत लागत (एमसीएलआर) की मासिक अंतराल पर समीक्षा करती है। आपके बैंक, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शुरू करने में अग्रणी ने संपत्ति और देयता प्रबंधन को रूपान्तरित कर अद्यतित ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिटिकल एप्लिकेशन (ओएफएसएए) को शुरू किया।

शाखाओं को स्थिर निधि संचित करने और धन की लागत के आधार पर उनकी लाभप्रदता के आकलन को प्रोत्साहित करने के लिए, दैनिक औसत शेषराशि के आधार पर फंड ट्रांसफर मूल्य निर्धारण के लिए नये मॉडल को और मूल्य निर्धारण ऋण एवं शाखाओं द्वारा बढाई गई जमाओं के लिए गत्यात्मक बोली/ प्रस्ताव को झुकाने के लिए इसे क्रियान्वित किया गया है।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के स्तर और नकद बहिर्वाह की प्रभावी ढंग से अत्यधिक गत्यात्मक वातावरण में निगरानी की जाती है। नियामक आवश्यकता के अनुसार, आपके बैंक ने दैनिक आधार पर एलसीआर की गणना शुरू कर दी है। एएलसीओ द्वारा महत्वपूर्ण मुद्रा (यूएसडी) में एलसीआर की निगरानी शुरू की गई और समीक्षा की गई है।

गैर-संविदात्मक आस्तियों और देयताओं के व्यवहार पैटर्न का आकलन करने,ग्राहकों के लिए उपलब्ध सन्निहित विकल्प,तुलन पत्रेतर एक्सपोजर्स,संभावित ऋण हानि के प्रभाव आदि पर नियमित अंतराल पर अध्ययन आयोजित किए जाते हैं। वहां से निकाली गए इनपुट का उपयोग तुलनपत्र और तुलन पत्रेतर मदों के प्रभावी प्रबंधन के लिए किया जाता है।

सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के भाग के रूप में,जमाओं, 'संपूर्ण बैंक आस्ति एवं देयता प्रबंधन',संपूर्ण बैंक तनाव तरलता परीक्षण एवं ब्याज दर जोखिमों तथा प्रतिवर्ती तनाव परीक्षण जैसी अवधारणाओं को शुरू करते हुए उनके स्थान पर अद्यतित आन्तरिक नीतियां लागू की जाती हैं। आकस्मिक योजना के भाग के रूप में, उसके स्थान पर आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) आई है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

आपके बैंक ने पूर्व परिभाषित सहन सीमा के साथ,जोखिम आमदनी (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव का आकलन करने के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाया है जो उनके साथ जुड़े जोखिमों को निर्धारित करता है और प्रबंधन को निवल ब्याज आय में ह्रास के संभावित परिदृश्य में उचित निवारक कदम उठाने में सक्षम बनाता है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, आपके बैंक ने मजबूत कार्यप्रणाली, प्रतिक्रियाओं और एक प्रभावी ढांचे के साथ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

8. आचरण नीति एवं व्यवसाय संचालन

बैंकिंग लोगों के विश्वास पर चलती है। यही विश्वास बैंकिंग क्षेत्र से उच्च स्तरीय आचरण की मांग करता है, और इसीलिए गत वर्ष बैंक में मुख्य आचरण नीति अधिकारी के अधीन आचरण नीति एवं व्यवसाय परिचालन विभाग का गठन किया गया, जो इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। आचरण नीति परक अनुकूलन मानव संसाधनों को सशक्त बनाता है। यह किसी विशेष परिस्थिति में यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि - क्या सही है और क्या गलत है।

आपके बैंक का यह दृढ विश्वास है कि नैतिक चरित्र हमारे दिन-प्रतिदिन के निर्णयों से आकारित,प्रबलित और प्रभावित होता है। इस संदर्भ में, नैतिक जागरूकता के निरंतर प्रचार से समग्र परिचालन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और यह बैंक को नैतिक रूप से सुदृढ करके उच्च स्तर पर ले जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्य-प्रणालियों को सीखा जा रहा है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है,विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर नियमित बातचीत के एक भाग के रूप में और आचरण नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है और बैंक में विभिन्न कार्यों में सामन्जस्य की आदर्श भावना विकसित की जा रही है।

शीर्ष प्रबंधन वर्ग के लिए तालमेल पूर्ण एवं उत्साहवर्धक सम्मेलन

आपको बैंक ने अपनी समकालीन छवि को एक कुशल और तकनीक प्रेमी बैंक के रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए पहले ही अपने विजन, मिशन और मूल्यो कथनों को लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद परिवर्तित किया है।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

आपके बैंक का मानना है कि समाज में सुविधाओं से वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के जीवन में भलीभांति सामाजिक परिवर्तन लाना हमारा परम कर्तव्य है। आपके बैंक ने आम जन, विशेष रूप से अत्यंत निर्धन लोगों के हितों का सदैव प्रमुखता से ध्यान रखा है। आपके बैंक ने इस वर्ष के सीएसआर व्यय के लिए बजट के रूप में पिछले वर्ष के निवल लाभ का 1% निर्धारित किया है। बैंक की सीएसआर गतिविधियों का चारों ओर काफी विस्तार हुआ है और इनसे अल्प-सुविधा प्राप्त और बहुत गरीब समुदायों के हजारों लोगों के जीवन में वास्तविक रूप से बदलाव आया है। समुदाय एवं समाज के लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए आपका बैंक निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रमुख क्षेत्र

- स्वास्थ्य सुरक्षा
- शिक्षा
- शौचालय
- कौशल विकास और आजीविका सृजन
- पर्यावरण संरक्षण
- संस्कृति, खेलकूद और अन्य

वित्त वर्ष 2018 के लिए सीएसआर पर खर्च

वित्त वर्ष 2018 के लिए आपके बैंक ने सीएसआर पर ₹ 112.96 करोड़ खर्च किए हैं। यह लगातार छठा वर्ष है जब आपके बैंक का सीएसआर खर्च ₹ 1000 मिलियन के सीमा को पार किया है। क्षेत्रवार खर्च इस प्रकार है :

ध्यान देने योग्य क्षेत्रों पर व्यय (% में)

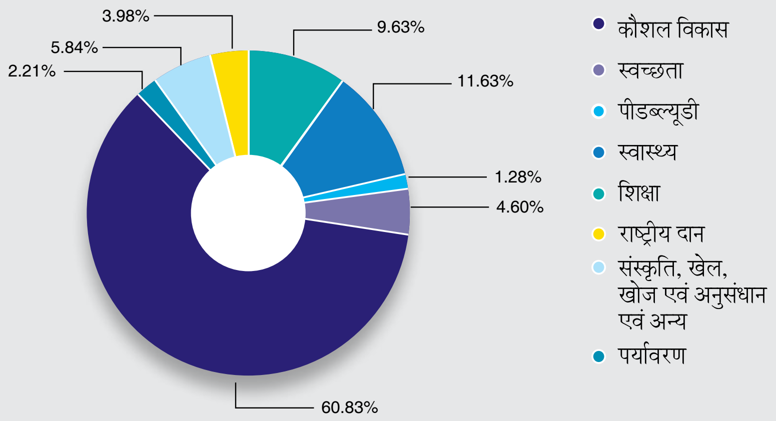

स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग

सरकार ने मार्च 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 अनुमोदित की है जिसका उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभावित स्तर को प्राप्त करना है। इसमें सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तथापि, काफी दिनों से स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियों का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। आपका बैंक आम जन की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए मूलभू आधारिक संरचना उपलब्ध कराता है। समाज के अल्प सुविधा प्राप्त और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, आपके बैंक ने काफी संख्या में हॉस्पिटलों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में आपके बैंक के प्रमुख प्रयास निम्नानुसार हैं:

एम्बुलैंस एवं मेडिकल वैन: आपके बैंक ने 23 धर्मार्थ संस्थाओं को एम्बुलैंस व मेडिकल वैन खरीदने के लिए ₹ 2.88 करोड़ की राशि दान में दी है।

चिकित्सा एवं सर्जिकल उपकरण: आपके बैंक ने विभिन्न चिकित्सा एवं सर्जिकल उपकरण, जैसे स्ट्रेस टेस्ट मशीन, डॉयलेसिस मशीन, बीआईपीएपी वेंटीलैटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन, आर्टिफिशियल लिम्बस, स्वचालित बायो-केमिस्ट्री एनैलिसर्स, सर्जिकल माइक्रोस्कोप्स और रेटीनल उपकरण खरीदने के लिए 35 धर्मार्थ संस्थानों को 5.33 करोड़ की राशि दान में दी है। इससे सुविधाओं से वंचित काफी गरीब रोगियों के लिए अस्पतालों की क्षमता एवं संभाव्यता में सुधार हुआ है।

कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम: आपका बैंक अल्प सुविधा प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए आरोग्यकर और निवारक स्वास्थ्य संबंधी शिविरों का आयोजन करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है:-

- नेत्र-परीक्षण
- कैंसर जाँच
- री-प्रोडक्टिव स्वास्थ्य परीक्षण
- बेसिक स्वास्थ्य परीक्षण (रक्त चाप, एचबी और अन्य)
- मधुमेय परीक्षण
- महिलाओं के लिए मैमोग्राफी
- मोतियाबिन्द ऑपरेशन

शिक्षा में सहयोग

आपका बैंक सुदूरस्थ, अगम्य और कम विकसित क्षेत्रों में कमजोर सामाजिक समूह की शिक्षा के लिए हमेशा सहायता देने का प्रयास करता है। इसमें शामिल किए गए क्षेत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- विभिन्न स्कूलों में कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स दान में दिए गए।
- पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर फिल्टर प्रदान किए गए।
- स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करवाया।
- दिव्यांगों को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया।
- अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों के ट्रांस्पोर्टेशन सुविधाओं के लिए स्कूल बसें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु 82 लाख रुपए दान में दिए गए।

पीने का पानी एवं शौचालय

आपका बैंक सरकार के "स्वच्छ भारत" मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है और इसने देश भर में अनेक पहले शुरू की है जिनमें अन्य के साथ-साथ शौचालयों का निर्माण करना, सैनिटरी नैपकीन वेंडिंग मशीनें और इनसाइनिरेटर्स, डम्पर बिन्स और डस्ट बिन उपलब्ध कराना शामिल है। इसी प्रकार, स्कूलों में पीने के पानी (आर.ओ.) और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्यावरण एवं संवहनीयता

एसबीआई कार्बन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अपघटन से बचने और पर्यावरण की दीर्घकालिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के लिए जिम्मेदारीपूर्ण कार्य हमारे लिए प्राथमिकता है।

आपके बैंक ने ₹ 2.05 करोड़ का योगदान निम्नलिखित के प्रति दिया है :

- सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर वाटर हीटर और सौर स्ट्रीट लैम्प
- वृक्षारोपण
- पार्कों और उद्यानों के रखरखाव
- बैटरी संचालित वाहनों का दान

एसबीआई बाल कल्याण कोष

आपके बैंक ने वर्ष 1983 में एक ट्रस्ट के रूप में एसबीआई बाल कल्याण कोष बनाया था, जो अनाथ एवं निःसहाय जैसे अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों के कल्याण से जुड़ी शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। इस कोष में सदस्यों द्वारा जितना अंशदान किया जाता है, उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान , आपके बैंक ने देश भर में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को ₹ 98 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।

कौशल विकास पहलें और आजीविका सृजन

ग्रामीण स्व-विकास प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): भारत विश्व में सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है जहां उसकी जनसंख्या में 54% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। बढ़ती हुई युवा जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना देश के आर्थिक विकास के प्रमुख घटकों में से एक है। कौशल विकास पहलें प्रशिक्षित मानवश्रम की पूर्ति में सहायता करता है।

आपके बैंक ने देश में बेरोजगारी और युवाओं की अल्परोजगार समस्या को कम करने में मदद करने वाले एक संस्थान के रूप में आपके बैंक ने 151 ग्रामीण स्व-विकास प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की है।

आपके बैंक ने 9 आरएसईटीआई बिल्डिंगों के निर्माण और अन्य आधारिक संरचना सहायता के लिए ₹ 9.03 करोड़ का योगदान किया है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बैंक के सभी 151 आरएसईटीआई संस्थानों को आवर्ती व्यय ₹ 47.52 करोड़ रहा।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अम्मा नन्ना आश्रम को वाहन प्रदान करते हुए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मारुति अनाथ आश्रम वेलफेअर सोसायटी को बस प्रदान की गई

V. अनुषंगियाँ

संपूर्ण भारत में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के मिशन के रूप में, स्टेट बैंक समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, सिक्युरिटी ट्रेडिंग, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर-जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है।

गैर बैंकिग अनुषंगियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनियों के नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित),	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2018 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई केपिटल मार्केट लि.(समेकित)	58.03	100.00	327.32
2	एसबीआईडीएचएफएल लि.	131.52	*69.04	32.07
3	एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	0.10	100.00	3.83
4	एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लि.	137.79	86.18	(3.24)
5	एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि.	18.00	*60.00	1.39

* एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. में - एसबीआई की समूह धारिता 100% (एसबीआई 60%, एसबीआई एमएफ और एसबीआई कैपिटल प्रत्येक की 20%) और एसबीआई डीएफएचआई में स्टेट बैंक की धारिता 72.17% (सहयोगी बैंको के विलय के पश्चात एसबीआई 69.04%, कैपिटल मार्केट 3.13%)।

गैर बैंकिग अनुषंगियाँ संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनियों के नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित),	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2018 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	31.50	63	331
2.	एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	581	74	363
3.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	621.00	62.10	1150
4.	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	52.00	65	26
5.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	159.47	74	396
6.	जीई कैपिटल बिजनेसेज प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	17.46	74	66

* जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन सर्विसेज प्रा. लि. का नाम बदलकर “एसबीआई” बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन सर्विसेज प्रा. लि.ड हो गया है।

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. (एसबीआई कैप)

एसबीआई कैप भारत का प्रमुख निवेश बैंक है, जो विभिन्न ग्राहक वर्गों को तीन उत्पादों के समूहों- आधारभूत संरचना, ईक्विटी पूंजी बाजार, एवं ऋण पूंजी बाजार में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी सेवाएं, स्ट्रक्चर्ड ऋण नियोजन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी, पुनर्संरचना परामर्शी सेवाएं, दबावग्रस्त आस्ति समाधान, आईपीओ, एपीओ अधिकार निर्गम, ऋण एवं हाइब्रिड पूंजी जुटाना शामिल है।

एसबीआई कैप ने अकेले वित्त वर्ष 2018 के ₹ 349.35 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2017 के दौरान उसे ₹ 312.57 करोड़ का कर-पूर्व लाभ हुआ था वित्त वर्ष 2018 में ₹244.64 करोड़ का कर-पश्चात लाभ कमाया जबकि वित्त वर्ष 2017 के दौरान यह राशि ₹ 217.95 करोड़ रही थी। समेकित आधार पर इसने ₹ 327.32 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष यह राशि 251.80 करोड़ रुपये थी।

एसबीआई कैप ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान 225% लाभांश घोषित किया जबकि यह वित्त वर्ष 2017 में 200% रहा था।

क. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में इक्विटी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा म्युचुअल फंड, कर मुक्त बांड, आवास ऋण, ऑटो ऋण, ट्रैक्टर ऋण जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण कार्य में लगी हुई हैं।

एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं हैं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डी-मैट, ई-बैंकिंग, ई-आईपीओ एवं ई-एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एसएसएल के पास इस समय 15 लाख से अधिक ग्राहक हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान इस कंपनी को ₹ 250.35 करोड़ की सकल आय हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2018 के दौरान बढ़कर ₹ 357.56 करोड़ हो गई।

ख. एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड(एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। डीएफआईडी (डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेन्ट) ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के साथ मिलकर ‘नीव फंड’ स्थापित किया है, जिसका प्रबंधन एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल) करेगा। एसवीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य कर रही है।

नीव फंड की प्रारंभिक पेशकश 10 अप्रैल, 2015 को समाप्त हुई और इस फंड की वर्तमान मूलनिधि ₹ 469.39 करोड़ है। फंड का निवेश भारत के चुनिंदा आठ राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता, कृषि सप्लाई चेन जैसे आधारभूत संरचना में किया जाएगा। एसवीएल ने प्रबंधन शुल्क अर्जित करना शुरू किया।

ग. एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)

एसबीआई कैप यूके लिमिटेड जो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एसयूएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के साथ यूके और यूरोप में अपने संबंधों की स्थिति को सुदृढ कर रही है। ये संबंध ही एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पाद हैं।

घ. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)

एसबीआई कैप सिंगापुर लिमिटेड जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एसएसजीएल ने दिसंबर, 2012 से अपना व्यवसाय आरंभ किया है। एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाने वाली कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसे विदेशी मुद्रा वाले बांडों की मार्केटिंग और एसबीआई कैप सिक्यूरिटिज के लिए ग्राहक जुटाने के कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त है।

ङ. एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड(एसटीसीएल) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एसटीसीएल ने 1 अगस्त, 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया है। वित्त वर्ष 2018 के दौरान इसे ₹ 11.90 करोड़ का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2017 के दौरान यह ₹ 11.68 करोड़ रहा। एसटीसीएल ने व्यक्तियों के लिए 'माई विल सर्विस ऑनलाइन' नामक ऑनलाइन विल क्रियेशन सफलता पूर्वक शुरू की है। उसने अपनी 'ट्रस्टी एंटरप्राइस मैनेजमेन्ट सिस्टम' जो इसकी न्यास संबंधी सभी परिचालनों के समाधान से संबद्ध प्रणाली है, को भी सफलता पूर्वक शुरू किया है, और इस तरह न्यासी संबंधी सभी परिचालनों का संपूर्ण स्वचालन करने वाली भारत की पहली एवं एकमात्र कंपनी बन गई।

2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड सबसे बडी प्राथमिक डीलर(पीडी) कंपनी है, जिसकी देशभर में उपस्थिति है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसके लिए प्राथमिक निलामियों में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सहयोग करना और सरकारी प्रतिभूतियों के संबंद्ध में द्वितीयक बाजारों के लिए व्यापक सुविधाएं और चलनिधि उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा यह मनी मार्केट लिखत, गैर-सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखत आदि में भी व्यवसाय में करती है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसकी व्यवसायिक गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित/विनियमित होती है।

कंपनी में एसबीआई समूह का हिस्सा 72.17% है। वित्त वर्ष 2018 में कम्पनी को निवल लाभ ₹ 32.07 करोड़ रहा जबकि वित्त वर्ष 2017 में कंपनी ने ₹ 176.44 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2018 को कुल तुलनपत्र आस्तियां ₹ 5,659.46 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2017 को इनकी राशि ₹ 3187.70 करोड़ रही थी।

3. एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)

एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कार्लाईल समूह का संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई 74% हिस्सेदारी रखती है और सीए रोवर होल्डिंग्स (कार्लाईल के एक सहयोगी) की 26% हिस्सेदारी है। एसबीआईसीपीएसएल एक एनबीएफसी है और भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने के कारोबार में है। वर्ष के दौरान एसबीआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जीई कैपिटल से शेयर खरीदकर 60% से बढाकर 74% कर दी।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी के कार्ड आधार में वर्ष दर वर्ष 37% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2018 को क्रेडिट कार्डों की संख्या 62.58 लाख रही। इसी अवधि के लिए कार्ड पर व्यय में 73% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई है, जो कि रुपये 79,808 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2018 में कंपनी क्रेडिट कार्ड 16% व्यय शेयर और 16.42% कार्ड आधार के साथ दूसरे स्थान पर है (आरबीआई की मार्च 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 13.06% व्यय के मामले में और कार्ड आधार के मामले में 15.34%)। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कर पश्चात लाभ ₹ 363 करोड़ (पीबीटी ₹ 776 करोड़) का दिया। इसमें लेखांकन नीति में हुए परिवर्तनों के कारण एक बारगी प्रतिकूल प्रभाव की राशि ₹ 219.9 करोड़ भी शामिल है। एक बारगी पीबीटी को हटाकर वर्ष दर वर्ष वृद्धि -30% रही।

इस अवधि के दौरान कंपनी ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एसबीआई उन्नति कार्ड ने 48वें SKOCH सम्मेलन में SKOCH अवार्ड जीता।
- 'नंबर 1 कमर्शियल कार्ड इश्यूअर' होने के लिए कॉर्पोरेट टीम को वीआईएसए द्वारा अवार्ड।
- 'एसबीआई कार्ड को सीआईबीआईएल द्वारा एनबीएफ़सी श्रेणी में बेस्ट डेटा क्वालिटी अवार्ड दिया गया।

4. एसबीआई बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईबीपीएमएसएल)

(पूर्व में जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.)

एसबीआईबीपीएमएसएल भारतीय स्टेट बैंक और कार्लाईल समूह का संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई 74% हिस्सेदारी रखती है और सीए रोवर होल्डिंग्स (कार्लाईल के एक सहयोगी) की 26% हिस्सेदारी है। एसबीआईबीपीएमएसएल, एसबीआईसीपीएसएल को बैंक एंड सेवाएँ और समाधान प्रदान करती है। वर्ष के दौरान एसबीआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी वर्तमान भागीदार जीई कैपिटल से शेयर खरीदकर 40% से बढाकर 74% कर दी।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 41% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कर पश्चात लाभ ₹ 66 करोड़ सृजित किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख पहलें आरंभ की हैं:

- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लेनदेनों को सक्षम बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर भारत क्यूआर आरंभ किया गया
- जब ऑनलाइन भुगतान तृतीय पक्ष द्वारा किया जाए तो त्वरित भुगतान क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध रहेगी
- मोबाइल एप्लिकेशन पर नए फीचर्स जैसे कार्ड का पूर्ण विवरण एवं वन क्लिक ऋण तथा फ्लेक्सी-पे-बुकिंग उपलब्ध हैं
- ग्राहकों के लिए डिजिटल एसबीआई मोबाइल ऐप #1 रेटेड मोबाइल एप ।

5. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उद्यम है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के दौरान, 10 की अंकित मूल्य के ₹ 700 के प्रति ईक्विटी शेयर जिनकी कुल राशि ₹ 8,388.73 करोड़ (कर्मचारी छूट के बाद) के माध्यम से 120,000,000 इक्विटी शेयरों काप्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में भारतीय स्टेट बैंक ने तथा बीएनपी परिबास कार्डिफ़ एसए द्वारा क्रमशः 80,000,000 इक्विटी शेयर और 40,000,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री पूरी की गई। 03 अक्टूबर, 2017 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('एनएसई') और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('बीएसई') परकंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हुए।

एसबीआई की भागीदारी 62.1% है और बीएनपी परिबास कार्डिफ़ एस.ए. की 22% है। जबकि शेष 15.9% शेयर जनता के पास हैं। बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए एसबीआई लाइफ के पास एक विशेष बहु-वितरण मॉडल है जिसमें बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस, रिटेल एजेंसी, संस्थागत गठबंधन तथा कॉरपोरेट समाधान वितरण चैनल है।

कंपनी ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2017-18 में निजी बीमा कंपनियों के बीच नए व्यवसाय प्रिमियम में प्रथम स्थान पर रहते हुए दिखा दिया है कि वह बाजार में अग्रणी है।

निजी उद्योग की 26% वृद्धि की तुलना में कंपनी के नए व्यवसाय प्रीमियम में 30% वृद्धि परिलक्षित हुई। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सभी निजी प्लेयरों में एसबीआई लाइफ खुदरा नये व्यवसाय प्रीमियम का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की इसी समयावधि में 20.7% तुलना में 21.8% प्रतिशत रहा।

एसबीआई लाइफ को 31 मार्च, 2018 को ₹ 1,150 करोड का कर पश्चात लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2017 को ₹ 955 करोड रहा। कंपनी के एयूएम ने 31 मार्च, 2018 तक 97,737 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को 116,261 करोड़ पर 19% की वृद्धि दर्ज की।

अपने 825 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यापक पहुंच का उपयोग करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई। वित्त वर्ष, 2018 को कंपनी ने कुल पालिसियों में से 24% पॉलिसियां इस खंड में बेची। कंपनी ने अल्प सुविधा प्राप्त सामाजिक क्षेत्र में 649,599 लोगों का बीमा किया।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों एवं सम्मानों की सूची में निम्नांकित सम्मिलित हैः-

1. डब्ल्यूसीआरसी द्वारा बीमा श्रेणी में ब्रांड ऑफ द ईयर 2016-17 अवार्ड।
2. आईएमआरबी सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, भारत में 15 से अधिक प्रमुख शहरों में किए गए सर्वेक्षण में जीवन बीमा श्रेणी में ग्राहक वफ़ादारी में 1 (संयुक्त रूप से आयोजन में) रैंक दिया गया।
3. जेनपैक के संस्थापक एवं गैर - कार्यपालक, अपाध्यक्ष श्री प्रमोद मसीन की अध्यक्षता में ज्यूरी द्वारा वर्ष 2017 के लिए "बेस्ट प्रोक्टिसेज फॉर इऋ 2017" श्रेणी के अंतर्गत "डीएससीआई एक्सीलेन्स अवार्ड 2017" प्राप्त किया।
4. डन और ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई शिखर सम्मेलन 2018 'में भारत की अग्रणी बीमा कंपनी - लाइफ' (निजी क्षेत्र) ने पुरस्कार प्राप्त किया।
5. द इकोनोमिक टाइम्स ब्रांड इक्विटी - नेल्सन सर्वेक्षण द्वारा लगातार सातवें वर्ष के लिए 'मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड-2017' एक के रूप में घोषितकिया गया।

6. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई एफएमपीएल)

एसबीआई एफएमपीएल एसबीआई म्युचुअल फंड की आस्ति प्रबंधन कंपनी है, जो कि औसत "प्रबंधनाधीन आस्तियों" के मामले में 5वीं सबसे बडी निधि कंपनी है तथा 7.8 मिलियन से अधिक निवेशकों की संख्या के साथ बाजार में सबसे आगे है। एसबीआईएफएमपीएल तेजी से बढ़ रहे ईटीएफ बाजार में 50% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा ईटीएफ प्रबंधक है। एसबीआई एफएमपीएल ने वित्त वर्ष 2018 में ₹ 331.03 करोड का कर- पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2017 में इसने ₹ 224.32 करोड का लाभ अर्जित किया था। दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की औसत "प्रबंधनाधीन आस्तियांट" 9.44% बाजार अंश के साथ ₹ 2,17,649 करोड रही जो मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान 8.58% बाजार अंश के साथ ₹ 1,57,025 करोड थी। कंपनी की एसबीआई निधि प्रबन्धन (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड "नामक मारीशस में एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी है, जो अपतटीय-निधि का प्रबंधन करती है। एसबीआईएफएमपीएल पोर्टफोलियो प्रबन्धन सेवा (पीएमएस) तथा वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) भी प्रदान करती है। वर्ष के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कप्मनी की सकल बिक्री ने ₹ 10,000 करोड़ को पार कर लिया।

7. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

एसबीआई-जीएफएल देश-विदेश में व्यापार के लिए फैक्टरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में सबसे आगे है, कंपनी में एसबीआई की 86.18% की हिस्सेदारी है, कंपनी की सेवाएं बही ऋणों में फंसी राशियों को अन्यत्र उपयोग के लिए उपलब्ध कराने हेतु, एसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, कंपनी फैक्टर्स चैन इन्टरनेशनल की सदस्य है, इसलिए यह 2 फैक्टर मॉडल में निर्यात प्राप्यों में ऋण जोखिम के साथ तालमेल बिठा पाती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को 2.08 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हुआ (पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ ₹ 3.25 करोड़) और ₹ 3.24 करोड़ रुपये की कर-पश्चात हानि हुई (पिछले वर्ष कर पश्चात लाभ ₹ 1.01 करोड़)। वित्त वर्ष 2017-18 के 12 माह के दौरान कुल व्यवसाय ₹ 3,555 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष ₹ 3,047 करोड़ था (पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि)। 31 मार्च, 2018 को एफआईयू स्तर ₹ 1,276 करोड़ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2017 को ₹ 1,059 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2017-18 के माह के दौरान 2 फेक्टर मॉडल के अधीन ईएफ में ईयूआर 59 मिलियन के समान है (पिछले वर्ष में 42 मिलियन)। भारतीय रूपये में ईएफ कुल व्यवसाय 2017-18 के 12 माह के लिए ₹ 452 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹ 321 करोड़ रहा जिसमें कि 41% की वृद्धि थी।

8. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफपीएल)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन मूल निधि का प्रबंधन करने के लिए एसबीआईपीएफपीएल को 8 अन्य के साथ पेंशन फंड प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एसबीआईपीएफपीएल केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त तीन पेंशन फंड प्रबंधकों (पीएफएम) में से एक है। निजी क्षेत्र के पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए नियुक्त आठ पीएफएम में एसबीआईपीएफपीएल, स्टेट बैंक समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। 31 मार्च, 2018 को कंपनी के कुल संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) 31 मार्च, 2107 के 66,723 करोड़ रुपये के मुकाबले 83,488 करोड़ रुपये (25% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि) था।

सरकार ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में एयूएम के मामले में पेंशन फंड प्रबंधकों के बीच अग्रणी स्थिति बनाए रखी। निजी क्षेत्र में कुल एयूएम बाजार हिस्सेदारी 58% थी, जबकि सरकारी क्षेत्र में यह 35% थी।

कंपनी को श्रेणी के तहत वर्ष 2017 के लिए आउटलुक मनी द्वारा ठपेंशन फंड हाउस केटेगरी विजेता में घोषित किया गया था। आउटलुक मनी द्वारा कम्पनी को लगातार तीसरे वर्ष पुरस्कृत किया गया।

9. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईजीआईसी)

एसबीआई-जीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी आस्ट्रेलिया का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 74% है। कंपनी का ध्यान वाजिब कीमत निर्धारण, निष्पक्ष और पारदर्शी दावा प्रबंधन व्यवहारों पर केन्द्रित है। कंपनी की संवृद्धि की आकांक्षा बैंक चैनल, पर निर्भर है जो ऐसे चुनिंदा वैकल्पिक चैनल और उत्पाद विकसित कर रही है, जिससे हमारे व्सवसाय के उद्देश्य और लाभप्रद वृद्धि को पूरा किया जा सके। कंपनी ने मोटर संविभाग में संवृद्धि हासिल करने के लिए तीन बड़े कार उत्पादनकर्ताओं के साथ कार्यनीतिक गठबंधन किया है।

वित्त वर्ष 2017, के दिसम्बर तक सकल लिखित प्रीमियम ₹ 2,520 करोड रहा। सात वर्षों के परिचालन मे वित्त वर्ष 2017 में एसबीआईजी ने पहली बार ₹153 करोड का लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वर्ष-दर-वर्ष 40.6% की संवृद्धि दर्ज की है जब कि उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि 18.9% रही, फसल को शामिल करते हुए जबकि फसल एसबीआईजीआईसी को हटाते हुए संवृद्धि 28.5% दर्ज की गई जबकि उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि दिसंबर, 2017 में 17.3% रही। एसबीआईजीआईसी ने पीएमएफबीवाई योजनाओं में सहभागिता करते हुए फसल बीमा में दिसंबर 2017 को 98.5% की संवृद्धि दर्ज की है जो हमारी सीमाओं को लांघ गया। सभी जनरल बीमा कंपनियों में समग्र बाजार अंश 2,3% और निजी बीमा कर्ताओं में 4.8% रहा। दिसंबर, 2017 में इस उद्योग में बाजार रैंकिंग 14वीं और निजी खिलाड़ियों में 8वीं है। दिसंबर, 2017 में एसबीआईजीआईसी "वैयक्तिक दुर्घटना" में निजी बीमाकर्ताओं में 3रे स्थान पर और इस उद्योग में 5वें स्थान पर है। कंपनी की रैंक "अग्नि" में निजी बीमाकर्ताओं में4थी और इस उद्योग में 8वीं है। स्वास्थ्य व्यवसाय का हिस्सा 11.5% से बढ़कर 12.0% हो गया है जिसके कारण दिसंबर, 2017 में संवृद्धि इस उद्योग की संवृद्धि 19.4% के विरुद्ध 46.9% हो गई है। स्वास्थ्य बीमा की स्थिति इस उद्योग की समग्र स्तर पर 15वें स्थान पर बनी रही।आईएजी ने वृद्धि हेतु अपने हित को 49% बढ़ाने का इरादा जताया है।

एसबीआई जनरल ने "असेवित बाजार पैंठ" और "कमर्शियल लाइंस ग्रोथ लीडरशिप" में इंडिया इंश्योरेंश अवार्ड 2016 जीता है; एसबीआई जनरल को इकोनोमिक टाइम्स द्वारा "बेस्ट ईटी बीएफएसआई अवार्ड्स 2016" से नवाजा गया। कंपनी वित्तवर्ष 2017 में "ग्रीन प्लेस टू वर्क" से प्रमाणित किया जा चुका है।

10. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटिज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई एसजीजीएसएसपीएल)

एसबीआई एसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसायटी जरनल का संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि एसबीआई समूह द्वारा सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकें। एसबीआई एसजी ने निधि प्रबन्धन व्यवसाय की वाणिज्यिक शुरूआत 2010 मे की। इस कंपनी का निवल लाभ वित्त वर्ष 2018 में ₹ 23.03 करोड रहा जो कि वित्त वर्ष 2017 में ₹ 11.74 करोड था। संचित लाभ ₹ 45 करोड रहा।

31 मार्च, 2018 को अभिरक्षाधीन आस्तियां बढकर ₹ 4,82,435 करोड हो गई जो कि मार्च 2017 को ₹ 3,27,158 करोड थी और मार्च, 2018 को प्रबंधनाधीन आस्तियां ₹ 2,54,089 करोड रही जो मार्च 2017 को ₹ 1,83,779 करोड थी।

एसबीआई-एसजी को ग्लोबल कस्टोडियन पत्रिका के "एजेंट बैंक और उभरते बाजार सर्वेक्षण 2017"में भारत में अग्रणी संरक्षकों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है।

एसबीआई-एसजी को 2017 के लिए वैश्विक निवेशक/आईएसएफ सब-कस्टडी सर्वेक्षण में भारत में पहली संरक्षक रेटिंग मिली है।

11. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेन्ट सॉल्यूशन लिमिटेड

17 जून, 2016 को निगमित, एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक को रियल एस्टेट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

कंपनी ने 8 मार्च, 2017 से कुछ बेंचमार्क मूल्यों के लिए अपना अग्रणी परिचालन, भारत में 6 केंद्रों अर्थात ग्रेटर मुंबई और नवी मुंबई, ट्विन सिटी अहमदाबाद और गांधीनगर, ग्रेटर चेन्नई, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, ग्रेटर हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में शुरू किया। कंपनी वर्तमान में निर्माण/इंटीरियर/रेट्रोफिटिंग/क्रय/लीजिंगआदि की 60 से अधिक परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम है।

पायलट परियोजनाओं के सफल संचालन के बाद, कंपनी ने जनवरी 2018 से सभी 6 मंडलों (उपरोक्त छह केंद्रों में स्थित) और कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों में परिसर और संपत्ति से संबंधित गतिविधियों को विस्तारित किया है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य तक अखिल भारतिय स्तर पर अपने परिचालनों का विस्तार का सन्मान है।

12. एसबीआई फाउंडेशन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना कंपनी अधिनियम (2013) की धारा आठ के अंतर्गत कंपनी के रूप में एसबीआई और इसकी सहायक कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों को एक योजनाबद्ध और केंद्रित तरीके से करने के लिए की गई थी।

एसबीआई फाउंडेशन का उद्देश्य अभाव ग्रस्त और कमजोर समुदायों के लिए सामाजिक-आर्थिक कल्याण की दिशा में काम करके समाज को वापस देना है। हम बैंकिंग से परे सेवाएं प्रदान करने के ध्येय के साथ सम्पूर्ण भारत में जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

एसबीआई फाउंडेशन वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और एक समावेशी विकास प्रतिमान बनाकर भारत को बदलने के लिए गति प्रदान करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है जो सभी भारतीयों को देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए बिना किसी क्षेत्रीय, भाषाई,जाति, पंथ, धार्मिक या अन्य बाधाओं के बिना सेवा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2018 के लिए सी एस आर बजट ₹ 20 करोड़ था और अनुदान ₹ 25.71 करोड़ (अनुषंगियों से प्राप्त अनुदान सहित) था ।एस बी आई फाउंडेशन ने ₹ 49.53 करोड़ राशि के 28 प्रस्ताव स्वीकृत किए थे। वर्ष के दौरान कुल वितरण ₹ 27.18 करोड़ रहा।

सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित ध्यान केंदित करने वाले क्षेत्रों में चल रही हैः

क. स्वास्थ्य रक्षा

ग्रामीण आबादी का अधिकांश भाग स्वास्थ्य रक्षा की आधारभूत संरचना की कमी के कारण देश के इन हिस्सों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। एसबीआई फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) लक्ष्य # 3 को सकारात्मक योगदान देने के लिए वचनबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य रक्षा के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करके समाज के वंचित वर्ग के लोगों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के सकारात्मक बदलाव लाये गये हैं।

स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार करने के लिए योगदान देने के लिए, एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं

ए. **शिशु रक्षा**- लाभार्थियों को पूर्ण स्क्रीनिंग सुविधाएं और तत्काल उपचार प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को कम करने की एक परियोजना।

बी. **एसबीआई लाइफ**- लोगों को थैलेसेमिया परीक्षणों की सुविधा के जरिए थैलेसेमिया रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक पहल।

सी. **कैंसर केयर**- एक परियोजना जिसका उद्देश्य महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर को रोकना और नियंत्रित करना है।

डी. **एसबीआई दर्पण**- यह परियोजना सिकल सेल एनीमिया रोगों के नुकसान को कम करने पर काम करती है।

ई. **एसबीआई उम्मीद**- कार्यक्रम का उद्देश्य मोबाइल कॉल के माध्यम से निवारक देखभाल जानकारी प्रदान करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और माताओं और उनके शिशुओं में रूग्णता को कम करना है।

एफ. **एसबीआई आई केयर**ः इस पहल का उद्देश्य भारत के वंचित ग्रामीण इलाकों में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी प्रदान करना है।

ख. शिक्षा

विकास परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली और सिद्ध साधन है। शिक्षा किसी भीव्यक्ति के जीवन के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखी जाती है। संसाधनों की अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत में शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख बाधाएं हैं। एसबीआई फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) लक्ष्य 4ः गुणवत्ता शिक्षा में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से, एसबीआई फाउंडेशन ने नीचे बताए अनुसार विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं;

ए **ज्ञानशाला**-यह शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों (चौथी से आठवीं कक्षा) के लिए माध्यमिक विद्यालय शिक्षा परियोजना है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके जो अन्य विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को अपने स्कूलों में प्राप्त होती है।

बी. **बेटी पढ़ाओ केन्द्र**-इस पहल के तहत,लड़कियों को बुनियादी शिक्षा (पांचवीं कक्षा तक) प्रदान करने के उद्देश्य से बेटी पढ़ाओं केंद्र दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया।

सी. **एसबीआई उड़ान**- यह परियोजना झुग्गी-झोपड़ियों और दूरदराज के इलाकों में बच्चों के लिए कला, शिल्प और खेल विकास के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करती है।

डी. **शिक्षा सहाय**ः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आदिवासी स्कूल का सहयोगकरने के लिए शिक्षा विभाग के तहत एसबीआई फाउंडेशन की परियोजनाओं में से एक है।

ग. पर्यावरण एवं संवहनीयता

एसबीआई कार्बन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।

ए. **वेस्ट ऑफ गोल्ड**- इस परियोजना का उद्देश्य शहर में अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए संवेदनशील युवाओं के कौशल को प्रेरित करना और विकसित करना और उनकी आजीविका के लिए छोटे टिकाऊ व्यवसाय भी विकसित करना है।

ख. **एसबीआई कॉर्बेट**- इस परियोजना के तहत, एसबीआई फाउंडेशन गांवों को एक सतत कचरा प्रबंधन प्रणाली प्रदान कर रहा है और आसपास के स्कूलों और होटलों में जागरूकता प्रदान करने के लिए एसएचजी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

घ. कला, संस्कृति, विरासत और अन्य

संस्कृति और विरासत के संरक्षण के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने और -स्वच्छ आइकोनिक प्लेस' पहल में योगदान देने के लिए, एसबीआई फाउंडेशन ने इस श्रेणी के तहत दो परियोजनाएं शुरू की हैंः

ए) **स्वच्छ आइकोनिक सीएसएमटी**- इस पहल का लक्ष्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई (एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में विरासत भवन के दक्षिण और पूर्वी भाग का संरक्षण और पुनरूद्धार है।

बी) **एसबीआई एकलव्य**- एसबीआई फाउंडेशन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के आश्रम स्कूलों के बच्चों को बुनियादी खेल सुविधा प्रदान कर रहा है।

ङ. दिव्यांगता

संगठित क्षेत्र में बाजार से जुड़े प्रशिक्षण और नौकरियों द्वारा बेहतर आजीविका के अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सक्षम बनाना है। इसलिए, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सक्षम बनाने के लिए हमने कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं-

ए. **प्रोजेक्ट परिवर्तन** - इस पहल का उद्देश्य वंचित और दिव्यांगजनों को बाजार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके कंपनियों में मानकों के अनुसार समावेशित रोजगार के लिए तैयार करना है।

ख. **प्रोजेक्ट एसबीआई श्रवण शक्ति**- इस पहल के तहत, हमने श्रवणबाधित बच्चों को सुनने के लिए कोक्लेयर इम्प्लांट्स उपकरण की सुविधा प्रदान की है।

सी. **प्रोजेक्ट स्वाभिमान**- इस परियोजना का उद्देश्य कौशल केंद्रों की स्थापना और संचालन द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फैलोशिप प्रोग्राम

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में एसबीआई फाउंडेशन द्वारा स्थापित, वित्त पोषित और प्रबंधित एक फैलोशिप कार्यक्रम है। यह ग्रामीण समुदायों के साथ हाथ मिलाकर, अपने संघर्षों के साथ समानुभूति रखने और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा मस्तिष्कों के लिए एक आधार प्रदान करता है।

इस पहल के तहत, एसबीआई फाउंडेशन ने अभिनव परियोजनाओं पर विचार करने और काम करने के लिए फैलोशिप के लिए नामांकन युवाओं को नियुक्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगे प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। वाईएफआई में उत्साही परिवर्तन कर्ताओं का पूर्व छात्र आधार 184 है, 60% पूर्व छात्र फैलोशिप के बाद विकास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

दिव्यांगजन दक्षता केन्द्र

दिव्यांगजनो में से अधिकांश, जीवन की बेहतर गुणवत्ता का नेतृत्व कर सकते हैं, यदि उनके पास समान अवसर हैं और पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावी पहुंच है। दिव्यांग जनों की क्षमताओं की बढ़ती पहचान और समाज में उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें मुख्यधारा जोडने पर बल दिया जा रहा है। दिव्यांगजनो के लिए केंद्रीकृत सहायता केंद्र बनने के लक्ष्य के साथ इसे अवधारणाबद्ध किया गया था।

दिव्यांगजनोके लिए दक्षता केन्द्र प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण और मापनीय सुधार करने के लिए कौशल वृद्धि के माध्यम से दिव्यांगजनो को सशक्त बनाने के साथ-साथ, जो दिव्यांगजनो को उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्य को अनुकूलित करके अधिक उत्पादक और संतोषजनक जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए दक्षता केन्द्र ने दिव्यांगकर्मचारियों और उनके प्रशिक्षकों के लिए 5 समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 07 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भाग लिया।दिव्यांगजनोके लिए दक्षता केन्द्र ने विकलांग कर्मचारियों के समावेशन और सशक्तिकरण के संस्थानिकरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथसमझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दिव्यांगजनोके लिए दक्षता केन्द्र ने दिव्यांगजनों के प्लेसमेंट जुड़े कौशल विकास के लिए विभिन्न शहरों में कौशल केंद्र स्थापित किए हैं।

एसबीआई ग्राम सेवा

भारत गांवों का देश है, और गांवों के समग्र विकास के लिए, एसबीआई फाउंडेशन ने भारत के कई राज्यों में गांवों को नियन्त्रित करने वाली ग्राम पंचायतों को ग्रहण किया है।

सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम के उद्देश्य:

अ. गांवों (परिवारों) को विशिष्ट सरकारी योजनाओं/सेवाओं से जोड़ने और लाभ उठाने के लिए

ब. डिजिटलीकरण पर जोर देना और ऑनलाइन सेवा (ऑनलाइन बैंकिंग सहित) के बारे में जागरूकता पैदा करना

स. गांवों की आधारभूत संरचना में सुधार (कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, सामुदायिक कमरे आदि स्थापित करना)

द. ग्रामीण संपत्ति निर्माण, सामुदायिक विकास इत्यादि के लिए लोगों केसाझेप्रयासों हेतु पंचायत/गांव स्व-शासन को प्रोत्साहित करना और उसके लिए वातावरण बनाए रखना।

य. एकीकृत रूप से गांव केविकास का उद्देश्यपर्यावरण संरक्षण, और आजीविका विकास, ग्राम पंचायत में डिजिटाइजेशन, कौशल विकास और गांवों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है।

पुरस्कार और सम्मान

एसबीआई फाउंडेशन ने सीएसआर पहल के लिए इस वर्ष निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किये हैं:

पुरस्कार का नाम	श्रेणी
सीएसआर में उत्कृष्टता और नेतृत्व के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर अवॉर्ड	सर्वश्रेष्ट सीएसआर गतिविधियां
सीएसआर में उत्कृष्टता और नेतृत्व के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर अवॉर्ड	सीएसआर में नवाचार
सीएसआर में उत्कृष्टता और नेतृत्व के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर अवॉर्ड	सीएसआर लीडरशिप अवार्ड
ईटी नाउ द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवार्ड	सर्वश्रेष्ट सीएसआर गतिविधियां
ईटी नाउ द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवार्ड	सीएसआर में नवाचार
ईटी नाउ द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवार्ड	दिव्यांगजनों के लिए रोजगार प्रोत्साहन
ब्यूरोक्रेसी टूडे एसीएसआर एक्सीलेन्स अवार्ड	वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

VI. उत्तरदायित्व वक्तव्य:

निदेशक बोर्ड एतद द्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा-नीतियों का चयन एवं उनका सुसंगत प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2018 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

VII. आभार

वर्ष के दौरान, श्री एम. डी. माल्या और श्री दीपक आई अमिन अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर दिनांक 25 जून 2017 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(ग) के तहत स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव मल्होत्रा दिनांक 26 जून 2017 से बोर्ड में पुनः नियुक्त किए गए। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(ग) के तहत श्री भाष्कर प्रमाणिक, श्री बसंत सेठ और श्री प्रवीण कुटुम्बे दिनांक 26 जून 2017 से बोर्ड में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए। श्रीमती अंजली चिब दुग्गल, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति पर दिनांक 31 अगस्त 2017 से बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गई और उनके स्थान पर दिनांक 12 सितंबर 2017 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री राजीव कुमार नामित किए गए हैं।

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 6 अक्तूबर 2017 को सेवानिवृत्त हो गई और उनके स्थान पर दिनांक 7 अक्तूबर 2017 से श्री रजनीश कुमार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(घ) के तहत दिनांक 1 फरवरी 2018 से निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित की गई हैं और श्री प्रवीण कुटुम्बे आईआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर दिनांक 8 मार्च 2018 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया।

निदेशक बोर्ड ने पदमुक्त हुई अध्यक्ष, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य और निदेशक श्री एम. डी माल्या, श्री दीपक आई. अमिन, श्रीमती अंजली चिब दुग्गल और श्री प्रवीण कुटुम्बे द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। साथ ही बोर्ड में शामिल हुए नए अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार और निदेशक, श्री भाष्कर प्रमाणिक, श्री बसंत सेठ, श्री राजीव कुमार और डॉ. पुर्णिमा गुप्ता का स्वागत किया।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्धता की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

दिनांक : 22 मई 2018 अध्यक्ष

कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करें, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करें।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करने तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करने के लिए।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करने के लिए।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले ही अपवाद हैं जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:-

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम से (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) किया गया। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड, अपनी शक्तियाँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और अपने कार्य में इन्ही का अनुपालन करता है। इसकी प्रमुख भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी करना;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकतम वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को बोर्ड में आठ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को केंद्रीय बोर्ड की संरचना निम्नानुसार रही :

- धारा 19(क) के अंतर्गत आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष।
- धारा 19(ख) के अंतर्गत आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन प्रबंध निदेशक।
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत आरबीआई की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

निदेशक बोर्ड का गठन सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड को वर्ष में कम से कम छह बैठकें करनी होती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की तेरह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तारीखें : 26.04.2017, 19.05.2017, 27.06.2017, 26.07.2017, 11.08.2017, 27.09. 2017, 25.10. 2017,10.11.2017, 27.12. 2017, 31.01.2018, 09.02.2018, 28.02.2018 तथा 21.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/ चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	06	06
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)	07	07
श्री रजनीश कुमार, एमडी (एनबीजी) (06.10.2017 तक)	06	06
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी	13	13
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी	13	13
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर, आईटी एंड एस	13	12
श्री संजीव मल्होत्रा	13	10
श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	02	02
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	02	02
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	11	10
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 तक)	11	10
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	10	07
डॉ. गिरीश के. अहूजा	13	07
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	13	12
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (01.02.2018 से)	03	03
श्रीमती अंजुलि चिब दुग्गल (31.08.2017 तक)	05	01
श्री राजीव कुमार (12.09.2017 से)	08	00
श्री चन्दन सिन्हा	13	07

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले को डील कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार रही।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/ चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	27	24
2.	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)	25	24
3.	श्री रजनीश कुमार, एमडी (एनबीजी)(06.10.2017 तक)	27	23
4.	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जी बी	52	43
5.	श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी	52	45
6.	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर,आईटी एंड एस	52	51
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	38
8	श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	12	08
9	श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	12	09
10	श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	49	24
11	श्री चंदन सिन्हा	52	30
जिस स्थान पर बैठकें हुई सामान्यतः उस स्थान के निवासी न होने वाले निदेशकगण जो बैठक के दिन बैठक के स्थान पर उपस्थित थे/ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया :			
12	श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	32	32
13	श्री बसंत सेठ (25.06.2017 से)	26	26
14	डॉ. गिरीश के. अहूजा	01	01
15	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	28	28
16	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (01.02.2018 से)	01	01

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं:- बैंक की लेखा-परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति, बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी, इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों की पहचान की समीक्षा तथा निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन करने भरने वाले अभ्यर्थी की 'ठीक व उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा निगरानी में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान पर अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय-समय पर, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। ये समितियाँ बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेती हैं। नामांकन समिति का गठन निदेशक के रूप में शेयरधारकों द्वारा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले अभ्यर्थी की समुचित सावधानी व 'ठीक व उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण तथा जब भी आवश्यक हो बैठक करने के लिए किया गया है। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को किया गया था और पिछली बार इसका पुनर्गठन 21 मार्च 2018 को किया गया। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन (फॉलोअप) की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 अनुपालन;

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लॉंग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित औपचारिक 'ऑडिट चार्टर अथवा 'विचारार्थ विषय' निर्धारित किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2017-18 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2018 को सात सदस्य थे, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके संगठन तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड का लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तिथियाँ : 20.04.2017, 25.04.2017, 18.05.2017, 14.06.2017, 26.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017, 18.10.2017, 09.11.2017, 12.12.2017, 03.01.2018, 09.02.2018 और 14.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
डॉ. गिरीश के. अहूजा, समिति के अध्यक्ष	13	12
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जी बी	13	11
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी (06.10.2017 तक)	07	07
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी आर,आईटी एंड एस (07.10.2017 से)	06	06
श्री एम. डी. मल्या, (25.06.2017 तक)	04	02
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	04	04
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	09	08
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 से)	09	08
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	08	04
श्रीमती अंजुलि चिब दुग्गल (31.08.2017 तक)	06	00
श्री राजीव कुमार (12.09.2017 से)	07	00
श्री चंदन सिन्हा	13	09

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का गठन ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम से संबंधित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति की निगरानी के लिए किया गया। यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में कम से कम चार, प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2017-18 के दौरान इसकी चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 21.06.2017, 18.09.2017, 20.12.2017 और 31.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री संजीव मल्होत्रा, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा, सदस्य (20.03.2018 तक)	03	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी अध्यक्ष (20.03.2018 तक)	03	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी सदस्य (21.03.2018 से)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (07.10.2017 से)	02	02
श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	03	02
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 से)	03	03
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	02	02

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई तथा इसमें छः सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने चार बैठकें की तथा शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की।

वर्ष 2017-18 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2017, 10.07.2017, 11.10.2017 और 17.01.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष (25.06.2017)	01	01
श्री प्रवीण कुटुंबे, समिति के अध्यक्ष (26.06.2017 से 20.03.2018 तक)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, सदस्य (20.03.2018 तक)	04	04
श्री रजनीश कुमार एमडी-एनबीजी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता एमडी-आर एंड डीबी (07.10.2017 से)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर,आईटी एंड एस	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
डॉ. गिरीश के. अहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) : 603
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुई शिकायतों की संख्या : निरंक
लंबित शिकायतों की संख्या (न्यायालय के विचाराधीन शिकायतें) : निरंक
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री संजय अभयंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव) :

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (यदि हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 30.05.2017, 18.08.2017, 16.11.2017 और 28.02.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	* बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी, समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी -आर एंड डी बी, समिति के अध्यक्ष (07.10.2017 से 20.03.2018 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी -आर एंड डी बी, सदस्य (06.10.2017 तक)	02	01
श्री बसंत सेठ समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
श्री बसंत सेठ, सदस्य (27.06.2017 से 20.03.2018 तक)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (25.10.2017 तक)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री बी. श्रीराम एमडी-सी एंड जीबी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	00
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	03
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	03	01
डॉ. गिरीश के. अहूजा	04	04
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	03

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना है। इस समिति का पिछला पुनर्गठन 21 मार्च 2018 को किया गया। इसमें आठ सदस्य हैं तथा अध्यक्षता गैर-कार्यपालक सदस्य द्वारा की जाती। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 11.05.2017, 03.08.2017, 01.11.2017 और 14.02.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी, समिति के अध्यक्ष (20.03.2018 तक)	04	04
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आर एन डीबी (25.10.2017 से)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	02
श्री बसंत सेठ (27.06.2017 से)	03	03
श्री गिरीश के. अहूजा (27.06.2017 से)	03	02
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (22.03.2018 से)	00	00

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

2) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य हैं;

4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

5) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और व्यवसाय संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की छः बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 03.05.2017, 24.08.2017, 04.10.2017, 22.11.2017, 22.02.2018 और 22.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री दीपक आई अमीन, समिति के अध्यक्ष (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक समिति के अध्यक्ष (27.06.2017 से)	05	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी	06	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी (24.10.2017 तक)	03	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी, वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (25.10.2017 से)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस, वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	06	01
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	06	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2017, 26.07.2017, 11.10.2017 और 17.01.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी. के. गुप्ता एमडी- आर एंड डीबी समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 से)	01	01
श्री पी. के. गुप्ता एमडी- आर एंड डीबी वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर, आईटी, एंडएस	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	03
श्री बसंत सेठ (27.06.2017 से)	03	02
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 21 मार्च 2018 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (i) सरकार द्वारा नामित निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (iii) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री बसंत सेठ और डॉ. गिरीश के. अहूजा शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 31 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की पाँच बैठकें हुईं जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों की पहचान के लिए समीक्षा समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-सी एंड जीबी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (ऐसी समिति जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2017-18 के दौरान चार बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की नामांकन समिति गठित करता है।

समिति का पिछला पुनर्गठन 25.04.2018 को किया गया।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) स्थित हो ऐसे प्रत्येक केंद्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष तेरह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 20,000 हजार रुपए का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए का बैठक-शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

1. एसबीआई अधिनियम धारा 19(ग) के अंतर्गत चार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति के लिए जून 2017 में निदेशकों का चुनाव सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष के दौरान नव निर्वाचित निदेशकों के लिए 'ऑन-बोर्डिंग' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अन्य बातों के अलावा इसमें संगठनात्मक संरचना, विभिन्न व्यावसायिक समूहों तथा बैंक के सहयोगियों व अनुषंगियों, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी शामिल थी।

2. बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकनः बोर्ड गवर्नेंस को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाह्य परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली है। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन मानदंड निर्धारित करने में सहायता देने के साथ-साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की है। मूल्यांकन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 21 मार्च 2018 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया। स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड स्तरीय समितियों के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भी किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत बैंक के गवर्नेंस मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास को दोहराया गया और निदेशक बोर्ड तथा अध्यक्ष, बोर्ड एवं मैनेजमेंट के बीच मौजूदा सहयोग में भी भरोसा व्यक्त किया गया।

3. बैंकों के बोर्डों से गवर्नेंस के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए, उद्योग की नवीनतम प्रवृति से कदम मिलकर चलते हुए आगे की राह निर्धारित करने के लिए बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रणनीति नामक एक कार्यनीतिक कार्यशाला (7 जनवरी से 9 जनवरी 2018 तक) आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एक प्रभावी संस्था बनाने के लिए मानव संसाधन चुनौतियों, एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट आस्ति बही बनाने, आस्तियों पर प्रतिफल तथा लाभ पर केंद्रित रह कर तुलन पत्र आबंटन

को अधिकतम करने, आईटी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अनुरूप संवृद्धि के लिए कार्यनीति, अनुषंगियों द्वारा मूल्य सृजन, स्थायी संवृद्धि के केंद्र में ग्राहक सेवा संबंधित विभिन्न विषयों पर मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला के दौरान बोर्ड द्वारा कई कार्यनीतियों, व्यवसाय संवर्धन के लक्ष्यों एवं प्रमुख वित्तीय मानदंडों का निर्धारण किया गया। साथ ही, प्रत्येक व्यवसाय समूह को ऐसी कार्य योजनाएं लक्ष्य सहित तैयार करके कार्यशाला में आने के लिए कहा गया था जिनकी प्रगति की बाद में समीक्षा की जा सके। विस्तृत कार्य योजना कतिपय समय सीमाओं के साथ और जिम्मेदारी निर्वाह तथा विभिन्न महत्वपूर्ण शुरुआतों को लागू करने की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी।

4. निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण आदि के कार्य में बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं:

(i) चार गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 23 से 24 अक्तूबर 2017 के दौरान मुंबई में उन्नत वित्तीय शोध एवं ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-कार्यपालक निदेशकों में विनियामक विकासों, पूंजी आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन, व्यावसायिक कार्यनीति गवर्नेंस मुद्दों इत्यादि बारे में जागरूकता तथा समझ विकसित करना था।

(ii) कॉर्पोरेट गवरनेंस प्रथाओं को सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में दिनांक 27.12.2017 को केंद्रीय बोर्ड की बैठक के दौरान सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी से चर्चा आयोजित की गई।

(iii) जोखिम संस्कृति आकलन फ्रेमवर्क पर मै. अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा केंद्रीय बोर्ड के समक्ष 31.01.2018 को एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुति में बैंक में जोखिम संस्कृति आकलन के उद्देश्य व लाभ, जोखिम संस्कृति के चार पहलू इत्यादि विषयों को शामिल किया गया था।

(iv) ऋण शोधन अक्षम तथा दिवालियापन संहिता 2016 में हुए संशोधनों के संबंध में निदेशकों को नवीनतम जानकारी देने के लिए मै. शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी द्वारा दिनांक 28.02.2018 को बोर्ड के सामने एक प्रस्तुति दी गई।

(v) डिजिटल अपराधशास्त्र पर एक विशेषज्ञ के माध्यम से निदेशक मंडल के लिए सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी जागरूकता पर एक प्रस्तुतीकरण दिनांक 21.03.2018 केंद्रीय बोर्ड की बैठक में कराया गया।

वर्ष 2017-18 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

(राशि रुपए में)

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया	अन्य	कुल
अध्यक्ष					
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)	1393548.39	76427.42	0.00	0.00	1469975.81
श्री रजनीश कुमार (07.10.2017 से)	1348625.81	73968.29	0.00	3000.00	1425594.10
प्रबंध निदेशकगण					
श्री बी. श्रीराम	2614800.00	137277.00	0.00	22000.00	2774077.00
श्री रजनीश कुमार (06.10.2017 तक)	1307400.00	65370.00	0.00	5000.00	1377770.00
श्री पी. के. गुप्ता	2464800.00	129402.00	0.00	14000.00	2608202.00
श्री दिनेश कुमार खारा	2464800.00	129402.00	0.00	2000.00	2596202.00

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 27 जून 2017 को आयोजित वर्ष 2016-17 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री बी. श्रीराम, श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा और डॉ. पुष्पेन्द्र राय, श्री बसंत सेठ और श्री प्रवीण कुटुंबे। वार्षिक महासभा (2015-16) 30 जून 2016 को और वार्षिक महासभा (2014-15) 2 जुलाई 2015 को आयोजित हुई थी।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे वृहत् रूप में बैंक के हितों से संघर्ष की संभावना हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और उसे "बैंक वेबसाइट" पर पर प्रदर्शित की गई है। विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा / पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय के किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक / छमाही / तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक 28.06.2018, समय : अपराह्न 3.00 बजे स्थान : वाई.बी.च्वहाण केंद्र, मुंबई
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2017 से 31.03.2018
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीबद्ध हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था		भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूंजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता		मैसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	:	022-66712001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधे नंबर	:	022-66712198/66712199
ई-मेल पता		sbi_ dbsl@datamaticsbpm.com
फैक्स		(022) 6671 2204
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता		मैसर्स अलंकित एसाइंमेंट्स(01.07.2018 से) आर.आर. हाउस आईडिअल इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू एम्पायर मिल के सामने, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013, भारत
टेलिफोन नंबर	:	(022) 43481300/43481221 / www.alankit.com
ई-मेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्र-व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स		(022) 2285 5348
ई-मेल पता		gm.snb@sbi.co.in investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)		आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-66311776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में संपूर्ण समर्पित शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान पूंजी वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है:

क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 14,999,99,99,859.75 (चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार आठ सौ उनसठ रुपए एवं पचहतर पैसे) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 14,947,78,06,648.75 (चौदह हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़ अठतर लाख छह हजार छह सौ अड़तालीस रुपए एवं पचहतर पैसे) शामिल हैं जो अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) को आबंटित प्रति ₹ 1 के 52,21,93,211 ईक्विटी शेयर के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया था।

ख) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 5,40,600.00 (पाँच लाख चालीस हजार छह सौ रुपए) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5,37,200 (पाँच लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपए) शामिल हैं आस्थगित रखे गए प्रति ₹ 1 के 3400 शेयर को जारी करने से प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया था।

ग) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 8799,99,99,938.00 (आठ हजार सात सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ अठत्तीस

रुपए) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 8770,74,66,227.00 (आठ हजार सात सौ सत्तर करोड़ चोहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ सत्ताईस रुपए) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1 के 29,25,33,741 अधिमान ईक्विटी शेयर के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया था।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2018 को बैंक के पास 1,26,24,898 जीडीआर से संबंधित 12,62,48,980 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,006	242270
जोड़ेः e-SBBJ के शेयर तथा वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	144	17122
योग	1150	259392
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	1450
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	8	1450
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1142	257942

इस के दावा रहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं करते।

लाभांश की परंपरा/लाभांश वितरण नीति

शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति लागू है। यह नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance >>> Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2018 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.74% और एनएसई निफ्टी में 2.38% रहा।

बीएससी पर स्टॉक उतार-चढ़ाव

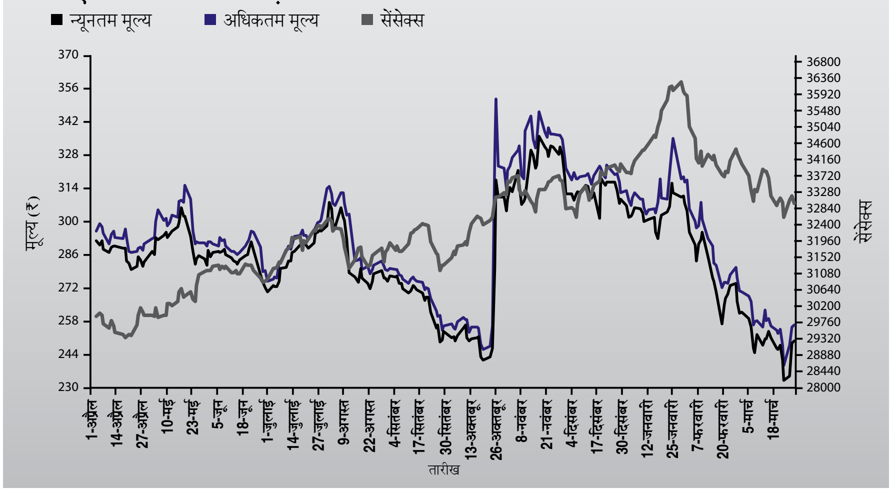

एनएसई पर स्टॉक उतार-चढ़ाव

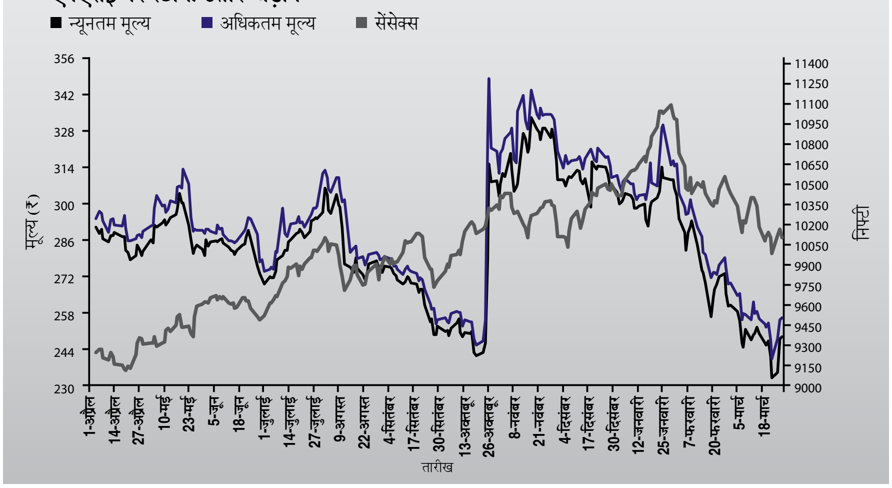

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई		एनएसई		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-17	296.70	281.95	297.35	282.05	46.35	43.50
मई-17	308.15	283.15	308.00	283.15	48.35	44.25
जून-17	294.55	272.55	294.50	272.45	45.20	42.20
जुलाई-17	312.55	273.00	312.50	273.00	48.40	42.00
अगस्त-17	311.10	274.10	311.20	273.90	48.35	42.30
सितंबर-17	277.80	250.45	277.85	250.40	43.30	38.25
अक्तू-17	324.70	242.50	324.90	242.75	49.20	37.35
नवंबर-17	337.40	309.75	337.50	309.55	51.80	47.70
दिसंबर-17	319.85	308.30	319.85	308.40	49.60	48.10
जनवरी-18	329.50	296.15	329.90	296.15	51.60	46.30
फरवरी-18	305.55	267.65	306.05	267.60	47.75	40.65
मार्च-18	263.80	234.60	263.50	234.80	40.65	36.35

बही मूल्य प्रति शेयर ₹199.00

31.03.2018 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.03
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ अन्य कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	12.63
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	10.82
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	1.42
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	11.01
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	6.09
	कुल	**100.00**

31.03.2018 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.03
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	9.84
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.19
4	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल बलेंसड़ फंड (म्यूचुअल फंड)	2.21
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.44
6	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.42
7	एसबीआई मेगनम बलेंसड फंड (म्यूचुअल फंड)	1.30
8	यूरो पेसिफिक ग्रोथ फंड	1.10
9	फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मयूचुअल फंड(म्यूचुअल फंड)	0.64
10	गर्वमेंट ग्लोबल फंड ग्लोबल (एफ़आईआई)	0.63

शेयरों को डीमैट करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है। 31.03.2018 को कुल ईक्विटी पूंजी का 98.91% अर्थात 882,72,05,476 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	877745	3477425729	38.97
सीडीएसएल	511991	5349779747	59.94
भौतिक रूप में	229120	97382058	1.09
कुल	**1618856**	**8924587534**	**100.00**

31 मार्च 2018 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य रु. 1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	रु.में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1611369	99.538	430,847,070	4.828
5001-10000	3888	0.240	27,600,696	0.309
10001-20000	1515	0.094	21,133,498	0.237
20001-30000	452	0.028	11,156,968	0.125
30001-40000	228	0.014	7,985,670	0.089
40001-50000	141	0.009	6,428,058	0.072
50001-100000	305	0.019	22,293,291	0.250
100001 से अधिक	958	0.058	8,397,142,283	94.090
कुल	**1,618,856**	**100.00**	**8,924,587,534**	**100.000**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

बैंक इस समय ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव्स व ब्याज दर फ्यूचर्स एवं एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, फॉरवर्ड दर करार, कैप, फ्लोर तथा कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा किए जाने वाले मुद्रा डेरीवेटिव्स में मुद्रा स्वैप, रुपया-डॉलर ऑप्शनस तथा क्रॉस मुद्रा ऑप्शनस शामिल हैं। बैंक, अपने ग्राहकों को उनके जोखिम से बचाव करने के लिए हेडजिंग उत्पाद पेश करता है और इस जोखिम की सुरक्षा के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। डेरिवेटिव्स का प्रयोग ट्रेडिंग तथा तुलन पत्र मदों की हेजिंग दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन स्थिति भी संचालित करता है, जिसका प्रबंधन विभिन्न प्रकार की लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में बाजार जोखिम निहित होता है अर्थात विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि तथा ऋण जोखिम, प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक सहभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित हैं। इसी प्रकार डेरिवेटव सौदे केवल उन्हीं कॉर्पोरेटों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए ऋण एक्स्पोसर सेमाएँ निर्धारित की गई हैं।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समित (एएलसीओ) इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े बाज़ार जोखिम की पहचान, मापन, मॉनिटरिंग करता है, इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति में निर्धारित अनुपालन की रिपोर्टिंग करता है।

डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन नीति आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है, इसका विवरण अनुसूची 17ः वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 'प्रिन्सिपल एकाउंटिंग पोलिसिसट(पीएपी) में दिया गया है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2018 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री भास्कर प्रमाणिक

(जन्म दिनांक : 20 मार्च 1951)
श्री प्रमाणिक को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे आईआईटी कानपुर से इंजीनिरिंग स्नातक हैं। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग का 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बोर्ड के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होने ओरेकल तथा सन माइक्रोसिस्टम्स के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री बसंत सेठ

(जन्म दिनांक : 16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री सेठ को सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम कॉरपोरेट अभिशासन तथा प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग एवं वित्त में 40 वर्ष का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में आने से पहले वे केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वे सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रहे हैं। उन्होने सिडबी तथा बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

डॉ. गिरीश कुमार अहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)
डॉ. गिरीश कुमार अहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. अहूजा सनदी लेखाकार और अकादमिक हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 46 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 38 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्रीयाँ प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 01 फरवरी 2018 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विशविद्यालय में गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की है, उन्होने बीएससी (गणित) तथा एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनका मुख्य योगदान 'डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइपर ग्राफ' सिद्धांत तथा 'पार्टिशन ग्राफ' के क्षेत्र में है।

श्री राजीव कुमार

(जन्म दिनांकः 19 फरवरी 1960)
श्री राजीव कुमार को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 12 सितंबर 2017 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव कुमार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफ़आरएएल, मुंबई के एक अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2018 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017/ 06.10.2020	अध्यक्षः 02
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	17.07.2014/ 30.09.2018	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
3	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015/ 31.03.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 01
4.	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2016/ 08.08.2019	निदेशक : 02 समिति सदस्य :04
5.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6, मोटाभाई मेंशन, 130, महर्षि कर्वे मार्ग चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
6.	श्री भास्कर प्रमाणिक	आईटी व्यावसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट,लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर-28 गुरुग्राम- 122002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक :02 समिति अध्यक्ष : 01 समिति सदस्य :02
7.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ़्लैट न. 304, कल्पना टावर, 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक :02 समिति सदस्य : 02
8.	डॉ. गिरीश के. अहूजा	सनदी लेखाकर मै. जी के अहूजा एंड कंपनी, ई-64, एलजीएफ़, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048	28.01.2016/ 27.01.2019	निदेशक : 02 समिति अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 03
9.	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ, (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057	28.01.2016/ 27.01.2019	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
10.	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित, ए -1/2 पंचशील एंक्लेव, नई दिल्ली-110017	01.02.2018/ 31.01.2021	निदेशक :01 समिति सदस्य :01
11.	श्री राजीव कुमार भारत सरकार नामिती	सचिव (वित्तीय सेवाएँ), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	12.09.2017/ अगले आदेश तक	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
12.	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	अपर निदेशक काफराल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, 8वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051	28.09.2016/ अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01

अनुलग्नक II ए

31.03.2018 को निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
11	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति- अध्यक्ष वसूली निगरानी बोर्ड समिति-अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	
3	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष	
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	
5	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	
6	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	
7	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड)	
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड-सदस्य	एनआईबीएम वित्त समिति - अध्यक्ष एनआईबीएम स्थायी समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	उपाध्यक्ष,प्रबंधन समिति	
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	
12	भारतीय बैंक एवं वित्त संस्थान	सदस्य-गवर्निंग कॉउसिंल	

2. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति(यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष इरादतन चूककर्ताओं/सहयोग नहीं करने वाले ऋणियों की पहचान समिति-अध्यक्ष
2.	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.	निदेशक	
3.	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर लि.	निदेशक	

3. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति -सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति -सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआई फ़ाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति- सदस्य सीएसआर समिति- सदस्य
3.	एसबीआई लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
4.	एसबीआई जेनेरल इन्शोरेंस कंपनी लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायितत्व समिति - सदस्य तकनीक समिति - सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति- सदस्य
5.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी की महापरिषद- सदस्य

4. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति -सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य निदेशकों की समिति - अध्यक्ष एचआर समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज प्रा. लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
4	एसबीआई कैप वैंचर्स लि.	निदेशक	
5	एसबीआई कैप (यू.के.) लि.	निदेशक	
6	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य एचआर समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
8	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बैंक एश्योरेंस समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य प्रौद्योगिकी समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य

10	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	एचआर उप-समिति - सदस्य
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
13	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विस प्रा. लि.	निदेशक	सलाहकार समिति - सदस्य
14	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यपालक समिति - सदस्य
15	एसबीआई इन्फ्रा मेनेजमेंट प्र. लि.	निदेशक	

5. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेयर फस्ट इंश्योरेंस लि. (श्रीलंका)	निदेशक	-

6. श्री भास्कर प्रमाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	संक्य इन्फोटेक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन व पारिश्रमिक समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
3	टीसीएन एस क्लोथिंग कंपनी	निदेशक	तकनीक समिति - अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति - सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य

7. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	रोटो पंप लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
3	एकाउंट स्कोर इंडिया प्रा. लि.	निदेशक	-

8. डॉ. गिरीश के. अहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य
2	फ्लेअर पब्लिकेशन्स प्रा. लि.	निदेशक	-
3	अंबर इंटरप्राइस इंडिया लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
4	पीआईसीएल (इंडिया) प्रा. लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य

9. डॉ. पुष्पेंद्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यानीति समिति- सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - सदस्य

10. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य

11. श्री राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	

12. श्री चंदन सिन्हा

1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक - III

31.03.2018 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	0
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री पी. के. गुप्ता	4900
4	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
5	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
6	श्री भास्कर प्रमाणिक	15,000
7	श्री बसंत सेठ	5000
8	डॉ. गिरीश के. अहूजा	2000
9	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	0
10	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
11	श्री राजीव कुमार	0
12	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	200000	590000	790000
2	श्री एम. डी. माल्या	40000	110000	150000
3	श्री दीपक आई. अमिन	40000	190000	230000
4	श्री भास्कर प्रमाणिक	200000	580000	780000
5	श्री बसंत सेठ	200000	470000	670000
6	श्री प्रवीण कुटुंबे	140000	400000	540000
7	डॉ. गिरीश के. अहूजा	140000	220000	360000
8	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	240000	550000	790000
9	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	60000	20000	80000
10	श्री चंदन सिन्हा	120000	390000	510000

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2017-18) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएं
(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - यह आवश्यकता गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के मामले है। चूंकि बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष है इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - यह आवश्यकता लेखा परीक्षा योग्यता/संशोधन विकल्प के मामले में है। लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते समय स्टॉक एक्सचेंज में असंशोधित विकल्प के साथ लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
4. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कॉरपोरेट केंद्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 025854

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और यह 4थी रिपोर्ट है। सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर लिंक इनवेस्टर रिलेशन्स पर उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in

बैंक की अनूठी संवहनीयता पहल "एसबीआई ग्रीन मैराथन" का दिनांक 4 फरवरी 2018 को माननीय अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार ने शुभारंभ किया। मैराथन में लगभग 4000 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक स्टाफ और सामान्य जन शामिल हुए।

भारतीय स्टेट बैंक
तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,45,88	797,35,04
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	218236,10,15	187488,71,22
जमाराशियाँ	3	2706343,28,50	2044751,39,47
उधार-राशियाँ	4	362142,07,45	317693,65,83
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	167138,07,68	155235,18,85
योग		**3454751,99,66**	**2705966,30,41**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	150397,18,14	127997,61,77
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	41501,46,05	43974,03,21
निवेश	8	1060986,71,50	765989,63,09
अग्रिम	9	1934880,18,91	1571078,38,11
अचल आस्तियाँ	10	39992,25,11	42918,91,79
अन्य आस्तियाँ	11	226994,19,95	154007,72,44
योग		**3454751,99,66**	**2705966,30,41**
आकस्मिक देयताएँ	12	1162020,69,30	1046440,93,19
उगाही के लिए बिल	-	74027,90,24	65640,42,04
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के. मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 797,43,25,472 इक्विटी शेयर)	892,54,05	797,43,25
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 797,35,04,442 इक्विटी शेयर)	892,45,88	797,35,04
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,26,24,898 (पिछला वर्ष 1,27,01,630) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	**892,45,88**	**797,35,04**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	53969,83,67		50824,60,59	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	11367,14,70		3145,23,08	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			65336,98,37		53969,83,67
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	3688,17,59		2194,78,95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5703,48,29		1493,38,64	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			9391,65,88		3688,17,59
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	55423,23,36		49769,47,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	23718,58,11		5659,92,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,59,96		6,17,07	
			79124,21,51		55423,23,36
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	4428,63,94		6056,24,72	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1482,65,84		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	190,71,05		1627,60,78	
			5720,58,73		4428,63,94

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ *				
अथशेष	38392,85,99		34652,72,18	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	14888,94,48		3740,13,81	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4388,56,60		-	
		48893,23,87		38392,85,99
VI. आरक्षित पुनर्मूल्यन				
अथशेष	31585,64,99		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4670,63,97		31895,24,17	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11408,30,31		309,59,18	
		24847,98,65		31585,64,99
VII. लाभ और हानि खाते की शेष राशि		(15078,56,86)		31,68
* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछला वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति ₹13421,76,76 हजार (पिछला वर्ष ₹10177,67,23 हजार)				
योग		**218236,10,15**		**187488,71,22**

वर्ष के दौरान परिवर्धन में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर प्राप्त हुई प्राप्तियां शामिल हैं।

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	5326,82,76	5507,43,88
(ii) अन्य से	184847,05,92	146913,66,68
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1013774,47,09	758961,38,54
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	15218,78,64	19561,05,68
(ii) अन्य से	1487176,14,09	1113807,84,69
योग	**2706343,28,50**	**2044751,39,47**
ख) I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2599393,43,21	1953300,08,27
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	106949,85,29	91451,31,20
योग	**2706343,28,50**	**2044751,39,47**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		94252,00,00		5000,00,00
(ii) अन्य बैंक		1603,85,43		1475,00,00
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		2411,83,26		69489,26,76
(iv) पूंजीगत लिखत :				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	11835,00,00		9265,00,00	
ख) गौण ऋण	32540,83,80		32406,33,80	
		44375,83,80		41671,33,80
योग		**142643,52,49**		**117635,60,56**
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ				
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त		217543,29,96		194059,42,77
(ii) पूंजीगत लिखत				
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)		1955,25,00		5998,62,50
योग		**219498,54,96**		**200058,05,27**
कुल योग		**362142,07,45**		**317693,65,83**
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं		**106637,02,05**		**77576,26,94**

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	26617,74,90	26666,84,28
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	40734,57,50	35645,54,15
III. उपचित ब्याज	16279,62,96	13080,91,99
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,80,59	2989,77,14
V. अन्य (प्रावधान सहित) *	83503,31,73	76852,11,29
* मानक आस्तियों के लिए ₹12499,46,35 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹13678,23,56 हजार)		
योग	**167138,07,68**	**155235,18,85**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15472,42,20	12030,31,17
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	134924,75,94	115967,30,60
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**150397,18,14**	**127997,61,77**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	48,59,90	190,86,27
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	1614,44,26	6743,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	**1663,04,16**	**6933,86,27**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	28528,09,13	22807,45,51
(ii) अन्य जमा खातों में	1226,43,94	4454,77,98
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	10083,88,82	9777,93,45
योग	**39838,41,89**	**37040,16,94**
कुल योग (I एवं II)	**41501,46,05**	**43974,03,21**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	848395,84,44	575238,70,65
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	10516,69,01	5445,69,97
(iv) डिबेंचर और बांड	77962,93,46	59847,40,25
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)	5077,97,43	11363,45,35
vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)	72882,56,59	72363,63,94
योग	**1014836,00,93**	**724258,90,16**
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	10520,45,85	8821,01,82
(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम	2712,22,30	2643,75,00
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	32918,02,42	30265,96,11
योग	**46150,70,57**	**41730,72,93**
कुल योग (I एवं II)	**1060986,71,50**	**765989,63,09**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1026438,36,91	725421,41,68
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	11602,35,98	1162,51,52
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	**1014836,00,93**	**724258,90,16**
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	46658,94,18	41815,76,58
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	508,23,61	85,03,65
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	**46150,70,57**	**41730,72,93**
कुल योग (III एवं IV)	**1060986,71,50**	**765989,63,09**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	67613,55,55	73997,86,42
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	746252,38,11	605016,33,99
	III.	सावधि ऋण	1121014,25,25	892064,17,70
योग			**1934880,18,91**	**1571078,38,11**
ख)	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1505988,72,17	1206185,33,70
	II.	बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	68651,16,60	82006,91,83
	III.	अप्रतिभूत	360240,30,14	282886,12,58
योग			**1934880,18,91**	**1571078,38,11**
ग)	I.	भारत में अग्रिम		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	448358,95,60	341257,50,06
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	161939,24,46	121630,62,69
		(iii) बैंक	2845,19,97	1404,44,69
		(iv) अन्य	1023464,39,00	823349,18,79
योग			**1636607,79,03**	**1287641,76,23**
	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	77109,63,56	87802,75,38
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	14539,04,35	11672,61,58
		(ख) सिंडीकेट ऋण	120685,86,16	101077,74,18
		(ग) अन्य	85937,85,81	82883,50,74
योग			**298272,39,88**	**283436,61,88**
कुल योग (ग) I+(ग) II			**1934880,18,91**	**1571078,38,11**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	35961,29,86	3634,58,00	
	परिवर्धन :			
	वर्ष के दौरान	1056,24,24	435,79,61	
	पुनर्मूल्यांकन हेतु	4477,39,82	31895,24,17	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11293,40,10	4,31,92	
	अद्यतन मूल्यह्रास			
	लागत पर	614,08,31	579,15,77	
	पुनर्मूल्यांकन पर	308,66,78	309,59,18	
		29278,78,73		35072,54,91
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	21856,35,33	19551,20,04	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9232,65,68	2708,13,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	974,10,05	402,98,43	
	अद्यतन मूल्यह्रास	20192,98,49	14583,91,16	
		9921,92,47		7272,44,17

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
III. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
अद्यतन मूल्यह्रास, प्रावधान सहित	-	-
	-	-
IV. निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)	791,53,91	573,92,71
योग (I, II, III एवं IV)	**39992,25,11**	**42918,91,79**

वर्ष के दौरान परिवर्धन में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर प्राप्त हुई प्राप्तियां शामिल हैं।

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	25714,46,61	18658,87,85
(iii) अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	17546,11,08	8814,18,05
(iv) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	11368,79,19	427,90,49
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	107,05,92	90,80,91
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,64,72	3,91,00
(vii) अन्य *	172253,12,43	126012,04,14
(* नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹ 95643,16,91 हजार (पिछला वर्ष ₹ 59407,22,13 हजार)		
योग	**226994,19,95**	**154007,72,44**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35153,03,00	28971,02,14
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	619,44,30	599,95,40
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	644102,45,28	572601,53,62
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	148866,54,48	131207,73,38
(ख) भारत के बाहर	67469,26,89	71152,10,81
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	121238,94,74	100059,57,31
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	144571,00,61	141849,00,53
* ₹141154,40,39 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹ 139669,75,58 हजार)		
योग	**1162020,69,30**	**1046440,93,19**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	220499,31,56	175518,24,04
	अन्य आय	14	44600,68,71	35460,92,75
	योग		**265100,00,27**	**210979,16,79**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	145645,60,00	113658,50,34
	परिचालन व्यय	16	59943,44,64	46472,76,94
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		66058,41,00	40363,79,25
	योग		**271647,45,64**	**200495,06,53**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		(6547,45,37)	10484,10,26
	आगे लाया गया लाभ		31,68	31,68
	योग		**(12954,82,66)**	**10484,41,94**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		-	3145,23,08
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		3288,87,88	1493,38,64
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		(1165,13,68)	3430,54,64
	चालू वर्ष हेतु लाभांश		-	2108,56,29
	चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		-	306,37,61
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(15078,56,86)	31,68
	योग		**(12954,82,66)**	**10484,41,94**
	प्रति शेयर मूल आय			₹ 13.43
	प्रति शेयर कम की गई आय			₹ 13.43
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	141363,16,78	119510,00,30
II. निवेशों पर आय	70337,61,67	48205,30,54
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2249,99,69	1753,46,71
iv. अन्य	6548,53,42	6049,46,49
योग	**220499,31,56**	**175518,24,04**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	22996,80,04	16276,57,34
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	13423,34,83	10749,61,95
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (निवल)	(1120,61,02)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	(30,03,00)	(37,05,48)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि)	2484,59,52	2388,44,90
VI. विदेश / भारत में स्थित समनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	448,51,70	688,35,40
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII. विविध आय #	6398,06,64	5394,98,64
योग	**44600,68,71**	**35460,92,75**

1 निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल) में ₹ 5436.17 करोड़ (पिछला वर्ष शून्य) की विशेष मदें शामिल हैं।

2 विविध आय में बट्टे खाते में ₹ 5333.20 करोड़ की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 3476.94 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	135725,70,41	105598,75,22
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5312,42,79	3837,46,97
III. अन्य	4607,46,80	4222,28,15
योग	**145645,60,00**	**113658,50,34**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	33178,67,95	26489,28,01
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5140,43,15	3956,86,26
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	518,13,63	411,17,79
IV. विज्ञापन और प्रचार	358,32,54	281,13,58
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	2919,46,63	2293,30,95
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	61,93	86,12
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	289,18,07	216,10,88
VIII. विधि प्रभार	199,03,48	189,56,07
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	867,03,65	759,95,19
X. मरम्मत और अनुरक्षण	826,93,29	639,75,29
XI. बीमा	2759,88,05	1929,23,12
XII. अन्य व्यय	12885,72,27	9305,53,68
योग	**59943,44,64**	**46472,76,94**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोगः

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँः

1. आय निर्धारणः

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण दिखाया गया निम्न के अतिरिक्तः(i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरिवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) “पूंजी आरक्षिती खाते” में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - “पट्टा” के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया हैः

क) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भूत आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेशः

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को “निपटान तिथि”(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधारः

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी: क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय /क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि

को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामला में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान;

ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है);

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँः

-प्रतिभूत भाग

i. एक वर्ष तक - 25%

ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%

iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँः 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैः

ए. प्रभार

बी. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

सी. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरिवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरिवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/ वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जात है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों को स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है।आस्थगित कर आस्तियों का आत्मसात नहीं हुई मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाकर तभी निर्धारण किया जाता है जब इस बात का पक्का प्रमाण हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आयकर व्यय में, प्रचलित कानून के अनुसार, मूल बैंक और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों की राशि के समग्र रूप से जोड़ा गया है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर ‘मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी, कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यतः दुतरफा आधार पर होते है और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियां

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.02%	10.27%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.72%	3.29%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	12.74%	13.56%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.68%	9.82%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.36%	10.35%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.24%	2.76%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	12.60%	13.11%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.03	61.23%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	517,89,88,645	488,23,62,052
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	23,813.69	5,681.00
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	निरंक	निरंक
	ख) पीडीआई:	2,000.00	9,045.50
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है:		
	क) ऋण पूंजी लिखत		
	ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत:	निरंक	निरंक
	ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/ मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	निरंक	निरंक

क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीबीआर. न. बीपी. बीसी. 83/21.06.201 /2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुसार बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

ख) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में बैंक ने अपनी पट्टाकृत संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती राशियों के प्रभाव को रिवर्स कर दिया है, जो पिछले वर्ष ₹ 11,210.94 करोड़ रखा गया था। .

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान, सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक) और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर, बैंक ने पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक लि. के पात्र शेयरधारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वैप अनुपात के अनुसार इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 01.04.2017 को प्रतिफल के रूप में प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 इक्विटी शेयर जारी किए हैं (एसबीबीजे के शेयरधारकों को 4,88,54,308 शेयर, एसबीएम के शेयरधारकों को 1,05,58,379 शेयर, एसबीटी के शेयरधारकों को 3,27,08,543 शेयर और बीएमबीएल के शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को 4,42,31,510 शेयर)।

ख) बैंक को प्रति शेयर ₹ 1/- के 52,21,93,211 इक्विटी शेयर जारी करने के बदले ₹ 14,947.78 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 15,000.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया।

ग) बैंक को रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹ 1/- के 3,400 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹ 0.05 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 0.05 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया।

घ) बैंक को भारत सरकार को जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 29,25,33,741 इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के बदले भारत सरकार से ₹ 8,770.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,659.93 करोड़) की शेयर प्रीमियम राशि सहित ₹ 8,800.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,681.00 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया। ये शेयर भारत सरकार के डिमैट खाते (सीडीएसएल) में दिनांक 03.04.2018 को जमा किए गए और दिनांक 02.04.2018 को एनएसई और दिनांक 03.04.2018 को बीएसई में सूचीबद्ध किए गए।

ङ) शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹ 17.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.17 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.18 को रुपए के समतुल्य	31.03.2017 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला के तहत जारी बॉण्ड -	15.02.2007	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	2,594.00
एमटीएन कार्यक्रम - 14वीं श्रृंखला के तहत जारी बॉण्ड -	26.06.2007	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,459.13
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,955.25	1,945.50
योग			**925 मिलियन अमरीकी डॉलर**	**1,955.25**	**5,998.63**

* बैंक ने दिनांक 15.05.2017 को कॉल ऑप्शन का उपयोग किया है।
# बैंक ने दिनांक 27.06.2017 को कॉल ऑप्शन का उपयोग किया है।
ये बॉण्ड सिंगापुर शेयर बाजार (एसजीएक्स-बॉण्ड्स बोर्ड) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर-1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर-I	100.00	25.11.2009	9.10
3.	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर-1 श्रृंखला I	300.00	18.01.2010	9.15
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर-1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
5.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-I श्रृंखला XII	135.00	24.02.2010	9.20
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-1 श्रृंखला XIII	200.00	20.09.2010	9.05
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III 1 AT 1	2,100	06.09.2016	9.00
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III 1 AT 1 श्रृंखला II	2,500	27.09.2016	8.75
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III AT 1 श्रृंखला III	2,500	25.10.2016	8.39
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III AT 1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
कुल		**11,835.00***		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से जुटाए गए ₹ 2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें से एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹ 550 करोड़ के निवेश को आरबीआई अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय पर प्रतिदेय होते हैं। बकाया गौण ?णों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
3	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II, श्रृंखला VI	500.00	20.03.2012 20.03.2022	9.02	120
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09(III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09(V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
8	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर-II (श्रृंखला VI)	150.00	13.03.2009 13.03.2024	9.15	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2004-05 एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
10	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला IX)	325.00	05.06.2009 05.06.2024	8.39	180
11	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला X)	450.00	21.08.2009 21.08.2024	8.50	180
12	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II (श्रृंखला XI)	475.00	08.09.2009 08.09.2024	8.60	180
13	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
14	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
15	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल-III - अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
16	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II), (निम्न टियर II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
19	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
20	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
21	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल-III - अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120
22	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड्स 2015-16, (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
24	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड - 2011 - रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	3937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
25	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बॉण्ड - 2011 - नॉन रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
26	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक, टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
27	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक, टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
28	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)	515.00	30.03.2016 30.03.2026	8.45	120
29	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल-III - उपर टियर II (श्रृंखला III)	500.00	26.03.2012 26.03.2027	9.25	180
	योग	32,540.84			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	10,26,438.37	7,25,421.42
(ख) भारत से बाहर	46,658.94	41,815.77
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	9,698.21	557.72
(ख) भारत से बाहर	508.24	85.04
iii) पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,904.15	604.80
iv) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	10,14,836.01	7,24,258.90
(ख) भारत से बाहर	46,150.70	41,730.73
2. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	642.76	354.10
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय पर किए गए प्रावधान	9,959.55	552.48
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	16.51	-
iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(5.65)	9.73
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	385.00	254.09
vi) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	10,206.45	642.76

टिप्पणियां :

क) ₹ 40,992.04 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ 18,676.03 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) / एनएससीसीएल / एमसीएक्स / एनएसईआईएल / बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों एवं सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) एसबीआई फाउंडेशन में ₹ 3.00 करोड़ ii) नेपाल बैंक एसबीआई लि. में ₹ 68.47 करोड़ तथा पूंजी लगाने के बावजूद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही बैंक ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि. में अपनी हिस्सेदारी 60% से बढ़ाकर 74% की (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 109,899,999 शेयर खरीद कर ₹ 887.26 करोड़ का निवेश किया) तथा जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. में अपनी हिस्सेदारी 40% से बढ़ाकर 74% की (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 8,024,342 शेयर खरीद कर ₹ 264.07 करोड़ का निवेश किया)

ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुषंगियों तथा सहयोगियों से अपनी हिस्सेदारी बेची

- ₹ 5,436.17 करोड़ के लाभ पर एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के 8,00,00,000 इक्विटी शेयर। अतः बैंक के हिस्सेदारी 70.10%से घटकर 62.10% रह गई।
- ₹ 140.80 करोड़ के लाभ पर द क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के 22,00,000 इक्विटी शेयर। अतः बैंक के हिस्सेदारी 21.20% से घटकर 16.80% रह गई।
- पुनर्खरीद प्रस्ताव के अंतर्गत ₹ 62.93 करोड़ के लाभ पर एसबीआई डीएफएचआई लि. के 19,11,974 शेयर तथा पुनर्खरीद प्रस्ताव के बाद हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

घ) पूर्ववर्ती बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) के अधिग्रहण के बाद, पूर्ववर्ती डीबीएस के आरआरबी बैंक से आरआरबी बन गया।

- कावेरी ग्रामीण बैंक
- मालवा ग्रामीण बैंक
- राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
- तेलांगना ग्रामीण बैंक

2. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BP.BC. 102/21.04.048 /2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 तथा 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए ए एफ एस तथा एच एफ टी में रखे गए निवेशों पर मार्क टू मार्केट हानियों पर प्रावधानों को फैलाने का विकल्प देता है। परिपत्र कहता है कि इन तिमाहियों के लिए प्रावधानीकरण को उस तिमाही से शुरू करते हुए जिस तिमाही में हानि हुई है, को चार तिमाहियों तक फैलाया जा सकता है। बैंक ने संबंधित तिमाहियों में निवेश पर पूरी मार्क टू मार्केट हानि का निर्धारण किया तथा इस विकल्प का उपयोग नहीं किया।

3. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित (अंकित मूल्य की शर्तो पर) :

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च, 2018 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रति भूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ				
	-	94,252.00	11,859.64	94,252.00
	(-)	(99,581.36)	(6,673.82)	(74,235.72)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	7,614.78	1,849.22	7,613.71
	(2,106.15)	(7,251.52)	(3,779.10)	(2,786.85)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ				
	-	83,636.62	26,858.19	138.94
	(55.40)	(1,02,342.25)	(21,178.52)	(6,055.45)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
	-	581.22	573.73	574.07
	(571.45)	(590.18)	(581.28)	(573.39)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

4. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निवेश ग्रेड से नीचे" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"रेटिंग रहित" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	49,524.49	25,424.36	414.14	-	-
		(47,224.95)	(34,926.02)	(836.32)	(462.77)	(762.76)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	72,183.66	66,780.93	-	-	250.00
		(58,179.05)	(49,893.49)	(-)	(-)	(200.00)
(iii)	बैंक	16,540.91	1,927.73	1,988.79	23.62	23.62
		(21,201.42)	(8,494.71)	(1,331.60)	(23.62)	(2,373.63)
(iv)	निजी कारपोरेट	48,275.25	36,182.49	528.49	481.94	24.70
		(35,054.91)	(23,111.85)	(1,156.49)	(658.82)	(164.21)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	7,793.06	-	-	-	-
		(14,010.07)	(-)	(-)	(-)	(-)
(vi)	अन्य	24,304.13	-	991.02	60.07	-
		(16,328.08)	(-)	(974.89)	(848.03)	(-)
vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	6,030.63	-	-	-	-
		(1,247.56)	(-)	(-0.92)	(-)	(-)
	योग	**2,12,590.87**	**1,30,315.51**	**3,922.44**	**565.63**	**298.32**
		(1,90,750.92)	**(1,16,426.07)**	**(4,300.22)**	**(1,993.24)**	**(3,500.60)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख. अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	447.54	146.24
पूर्ववर्ती सहयोगी और बीएमबी के विलय से वृद्धि	4,250.77	348.37
वर्ष के दौरान कमी	103.06	47.07
इतिशेष	4,595.25	447.54
रखे गए कुल प्रावधान	**2,452.30**	**227.85**

5. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

6. प्रतिभूत रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i.	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	10,447.81	-	41.72	10,489.53
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	125.30	-	41.72	167.02
ii.	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	12.15	4.26	-	16.41
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	-	-	-
कुल (i) + (ii)		**10,459.96**	**4.26**	**41.72**	**10,505.94**

7. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2018 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	10,489.53	5,544.08	16.41	22.65	10,505.94	5,566.73
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	5,214.56	281.89	-	-	5,214.56	281.89

18.3 डेरिवेटिव्स:

क. वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप (विनिमय)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	3,60,705.72	1,42,250.44
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	904.42	835.56
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	(-) 555.68	51.70

बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 2998.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9,299.54 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार मूल्य को बही में अंकित नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2018 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	261	10,714.00	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	113	1,534.88	अन्य	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	65	34,194.87	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	30	2,688.53	लिबोर	अस्थिर प्राप्य/स्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	143	26,403.00	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	151	27,320.00	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1789	1,20,068.00	MIBOR	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1900	1,22,473.92	MIBOR	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	41	1,525.00	MIFOR	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	40	1,475.00	MIFOR	अस्थिर भुगतान योग्य/स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	38	7,823.41	लिबोर	स्थिर प्राप्य / अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	35	4,485.11	लिबोर	अस्थिर प्राप्य / स्थिर भुगतान योग्य
	कुल		**3,60,705.72**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	54,611.66	7,819.64
2	31 मार्च, 2018 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	निरंक	538.76
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2017-18 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

ख. मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरिवेटिव्स				
(आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेजिंग के लिए	20,605.24 @	6,968.86 @	49,193.30#	53,721.17 #
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	6,16,447.95	2,02,472.85	3,11,512.42	88,529.27
(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	5,716.35	4,675.49	592.99	574.79
(ख) देयता	5,218.09	1,285.33	1,152.54	565.10
(III) ऋण जोखिम	21,749.61	7,428.09	4,160.44	2,286.34
(IV) ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	-0.14	-0.25	-3.14	-7.60
(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	0.98	0.97	-11.62	46.52
(V) वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
क) हेजिंग पर - अधिकतम- न्यूनतम	- -0.04	- -0.04	2.81 -	2.87 -0.64
ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम - न्यूनतम	1.18 -	1.03 0.04	0.76 -	0.77 -0.11

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2870.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,988.14 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 2,988.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9,299.54 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2018 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 5,859.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,571.57 करोड़) है और 31 मार्च, 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 12,056.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16,955.57 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च, 2018 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 45,442.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53,675.54 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क. अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	5.73%	3.71%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
	(क) अथशेष	1,12,342.99	98,172.80
	(ख) पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त	1,60,303.65	39,071.38
	उप-योग(I)	2,72,646.64	1,37,244.18
	घटाएंः		
	(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,746.09	3,436.91
	(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,277.67	894.48
	(ङ) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	4,537.11	निरंक
	(च) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	35,658.31	20,569.80
	उप- योग(II)	49,219.18	24,901.19
	(च) इतिशेष (I-II)	2,23,427.46	1,12,342.99
iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	58,277.38	55,807.02
	(ख) पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त	61,478.47	3,238.02
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	8,901.15	767.66
	(घ) इतिशेष	1,10,854.70	58,277.38
iv)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	54,065.61	42,365.78
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान जिसमें पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त राशि शामिल हैं।	98,825.17	35,833.35
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	40,318.02	24,133.52
	(घ) इतिशेष	1,12,572.76	54,065.61

एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 67.27) और ₹ 8.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.97 करोड़) है।

ख. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं .63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 में आदेशित अनर्जक आस्तियों के सामने (मानक आस्तियों के सामने किए गए प्रावधानों को छोड़कर) बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के विचलन से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैंः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	1,12,342.99
2	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया सकल एनपीए	1,35,582.12
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	23,239.13
4	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	58,277.38
5	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया निवल एनपीए	75,795.85
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	17,518.47
7	31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	54,065.61
8	31 मार्च, 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया एनपीए हेतु प्रावधान	59,786.27
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	5,720.66
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किए गए कर (पीएटी) पश्चात निवल लाभ	10,484.10
11	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए समायोजित (आनुमानिक) कर (पीएटी) के बाद निवल लाभ	6,743.25

* आरबीआई द्वारा नोट की गई विचलनों के कारण उपर्युक्त पूर्वप्रभावी नई एनपीए का निवल चालू प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

ग. पुनर्संरचित खाते

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल, 2017 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	28	-	68	4	100	81	25	128	19	253
			(62)	(3)	(74)	(3)	(142)	(186)	(46)	(123)	(11)	(366)
		बकाया राशि	7,711.79	-	17,030.68	82.59	24,825.06	5,640.63	204.06	2,464.71	6.88	8,316.28
			(14186.03)	(219.43)	(14045.42)	(236.23)	(28687.11)	(1746.93)	(444.99)	(2148.54)	(31.56)	(4372.02)
		संबंधित प्रावधान	327.32	-	360.74	0.94	689.01	21.94	10.65	113.98	-	146.57
			(779.15)	(13.64)	(411.89)	(0.94)	(1205.62)	(49.49)	(18.24)	(104.21)	(-)	(171.95)
2	1 अप्रैल, 2017 को पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय से प्राप्ति पुनर्संरचित आस्ति	उधारकर्ताओं की सं.	23	4	18	6	51	288	436	2,066	288	3,078
			(-)	(-)	(3)	(-)	(3)	(-)	(3)	(9)	(-)	(12)
		बकाया राशि	3,453.35	220.71	8,499.62	186.82	12,360.50	83.44	188.53	189.35	5.34	466.66
			(64.19)	(23.18)	(236.82)	(-)	(324.18)	(5135.02)	(51.01)	(138.13)	(-)	(5324.16)
		संबंधित प्रावधान	192.47	20.86	15.30	0.03	228.66	27.69	3.80	3.94	0.39	35.82
			(0.36)	(0.19)	(-)	(-)	(0.55)	(0.20)	(0.33)	(2.98)	(-)	(3.51)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	1	-	-1	-	-	1	-	-1	-	-
			(2)	(-1)	(-1)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)
		बकाया राशि	443.42	-	-443.42	-	-	-	-	-	-	-
			(478.88)	(-79.13)	(-399.76)	(-)	(-)	(20.89)	(-17.31)	(-3.58)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	6.33	-	-6.33	-	-	-	-	-	-	-
			(37.06)	(-0.42)	(-36.64)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-11				-11	-43				-43
			(-17)				(-17)	(-50)				(-50)
		बकाया राशि	-5,389.94				-5,389.94	-5,318.42				-5,318.42
			(-1063.82)				(-1063.82)	(-271.96)				(-271.96)
		संबंधित प्रावधान	-209.29				-209.29	-1.80				-1.80
			(-18.74)				(-18.74)	(-2.20)				(-2.20)
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-13	-	11	2	-	-6	5	-3	4	-
			(-16)	(-2)	(15)	(3)	(-)	(-25)	(-3)	(18)	(10)	(-)
		बकाया राशि	-3,336.83	303.58	2,747.62	285.63	-	-235.87	125.95	108.16	1.76	-
			(-4942.66)	(-163.48)	(4860.65)	(245.50)	(-)	(-164.71)	(-54.54)	(206.59)	(12.66)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-36.14	7.65	28.03	0.47	-	-12.02	12.02	-	-	-
			(-288.33)	(-13.41)	(289.39)	(12.35)	(-)	(-8.79)	(1.45)	(7.34)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-20	-1	-31	-4	-56	-273	-297	-2,019	-293	-2,882
			(-3)	(-)	(-23)	(-2)	(-28)	(-31)	(-21)	(-21)	(-2)	(-75)
		बकाया राशि	-2,274.02	-143.78	-11,993.72	-306.20	-14,717.72	-94.19	-140.70	-202.42	-7.16	-444.47
			(-1010.82)	(-)	(-1712.45)	(-399.14)	(-3122.42)	(-825.52)	(-220.09)	(-24.96)	(-37.34)	(-1107.94)
		संबंधित प्रावधान	-273.63	-0.34	-291.54	-1.44	-566.95	-17.58	0.38	-2.51	-	-19.71
			(-182.17)	(-)	(-303.90)	(-12.35)	(-498.42)	(-16.77)	(-9.37)	(-0.55)	(-)	(-26.69)
7	31 मार्च, 2018 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	8	3	65	8	84	48	169	171	18	406
			(28)	(-)	(68)	(4)	(100)	(81)	(25)	(128)	(19)	(253)
		बकाया राशि	607.77	380.51	15,840.78	248.84	17,077.90	75.59	377.84	2,559.80	6.82	3,020.05
			(7711.79)	(-)	(17030.68)	(82.59)	(24825.06)	(5640.65)	(204.06)	(2464.71)	(6.88)	(8316.28)
		संबंधित प्रावधान	7.06	28.17	106.20	-	141.43	18.23	26.85	115.41	0.39	160.88
			(327.32)	(-)	(360.74)	(0.94)	(689.01)	(21.94)	(10.65)	(113.98)	(-)	(146.58)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण		अन्य (3) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	योग (1 + 2 + 3) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल 2017 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	100	206	1,990	49	2,345	209	231	2,186	72	2,698
			(301)	(520)	(2336)	(90)	(3247)	(549)	(569)	(2427)	(104)	(3649)
		बकाया राशि	23,281.14	2,714.14	6,774.45	30.56	32,800.30	36,633.56	2,918.20	26,269.85	120.03	65,941.64
			(23122.42)	(578.73)	(9210.75)	(146.17)	(33058.07)	(39178.48)	(1254.11)	(25470.39)	(424.81)	(66327.79)
		संबंधित प्रावधान	242.27	28.14	174.82	-	445.23	591.54	38.79	649.55	0.94	1,280.82
			(403.03)	(7.13)	(30.54)	(0.03)	(440.73)	(1232.45)	(38.97)	(603.00)	(0.98)	(1875.40)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय से प्राप्त नई पुनर्संरचित आस्ति	उधारकर्ताओं की सं.	30,726	6,219	235	20	37,200	31,037	6,659	2,319	314	40,329
			(7)	(130)	(63)	(5)	(205)	(7)	(133)	(75)	(5)	(220)
		बकाया राशि	8,757.80	3,097.75	9,145.22	121.52	21,122.29	12,294.58	3,506.99	17,834.19	313.68	33,949.44
			(11674.54)	(646.34)	(2029.00)	(6.35)	(14356.24)	(16873.75)	(720.53)	(2403.95)	(6.35)	(20004.58)
		संबंधित प्रावधान	236.33	25.15	93.70	4.23	359.41	456.49	49.80	112.94	4.66	623.89
			(22.76)	(1.05)	(25.60)	(-)	(49.41)	(23.32)	(1.57)	(28.58)	(-)	(53.47)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	5	-3	-2	-	-	7	-3	-4	-	-
			(2)	(2)	(6)	(-10)	(-)	(5)	(1)	(4)	(-10)	(-)
		बकाया राशि	656.33	-605.65	-50.68	-	-	1,099.75	-605.65	-494.10	-	-
			(129.73)	(0.03)	(-129.45)	(-0.31)	(-)	(629.50)	(-96.41)	(-532.78)	(-0.31)	(-)
		संबंधित प्रावधान	3.99	-1.04	-2.95	-	-	10.32	-1.04	-9.28	-	-
			(0.96)	0.00	(-0.96)	(-)	(-)	(38.02)	(-0.42)	(-37.6)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-38				-38	-92				-92
			(-19)				(-19)	(-86)				(-86)
		बकाया राशि	-2,716.15				-2,716.15	-13,424.50				-13,424.50
			(-1747)				(-1747)	(-3082.78)				(-3082.78)
		संबंधित प्रावधान	-14.83				-14.83	-225.93				-225.93
			(-20.25)				(-20.25)	(-41.19)				(-41.19)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडसन	उधारकर्ताओं की सं.	-50	-222	249	23	-	-69	-217	257	29	-
			(-87)	(-222)	(290)	(19)	(-)	(-128)	(-227)	(323)	(32)	(-)
		बकाया राशि	-21,997.58	456.27	20,388.99	1,152.33	-	-25,570.29	885.80	23,244.77	1,439.72	-
			(-3698.54)	(1631.73)	(1752.57)	(314.24)	(-)	(-8805.91)	(1413.70)	(6819.81)	(572.40)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-133.95	52.17	81.52	0.26	-	-182.12	71.84	109.55	0.73	-
			(-102.40)	(23.63)	(78.77)	(-)	(-)	(-399.52)	(11.67)	(375.50)	(12.35)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-30,383	-5,865	-1,378	-47	-37,673	-30,676	-6,163	-3,428	-344	-40,611
			(-104)	(-224)	(-705)	(-55)	(-1088)	(-138)	(-245)	(-643)	(-59)	(-1085)
		बकाया राशि	-3,801.80	-1,728.55	-6,626.80	-338.00	-12,495.16	-6,170.02	-2,013.03	-18,822.94	-651.36	-27,657.35
			(-6200.01)	(142.69)	(-6088.43)	(-435.90)	(-12867.01)	(-8159.48)	(-373.73)	(-7891.51)	(-883.23)	(-17307.95)
		संबंधित प्रावधान	-248.70	-24.28	-176.47	-3.85	-453.30	-539.91	-24.24	-470.52	-5.30	-1,039.97
			(-61.83)	(3.67)	(-40.87)	(-0.03)	(-24.66)	(-261.54)	(-12.99)	(-319.94)	(-12.39)	(-606.86)
7	31 मार्च, 2018 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	360	335	1,094	45	1,834	416	507	1,330	71	2,324
			(100)	(206)	(1990)	(49)	(2345)	(209)	(231)	(2186)	(72)	(2698)
		बकाया राशि	4,179.74	3,933.96	29,631.18	966.41	38,711.28	4,863.08	4,692.31	48,031.77	1,222.07	58,809.23
			(23281.14)	(2714.14)	(6774.45)	(30.56)	(32800.30)	(36633.56)	(2918.20)	(26269.85)	(120.03)	(65941.64)
		संबंधित प्रावधान	85.11	80.14	170.62	0.64	336.51	110.39	135.15	392.24	1.03	638.81
			(242.27)	(28.14)	(174.82)	(-)	(445.23)	(591.54)	(38.79)	(649.55)	(0.94)	(1280.82)

टिप्पणी:

1. बकाया में ₹ 11,165.38 करोड़ की हुई वृद्धि (पिछले वर्ष ₹ 1,922.73 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹ 10,935.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,070.48 करोड़) की बंदी और ₹ 9,266.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,090.33 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।

घ. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	निरंक	निरंक
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों एवं बीएमबी के साथ विलय पर प्राप्त	12,926.65	निरंक
iv) उप कुल (क)	12,926.65	निरंक
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	8,389.54	निरंक
vi) 31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	4,537.11	निरंक

ङ. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	32	38
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	964.72	503.91
iii) समग्र प्रतिफल	1,304.36	516.52
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)#	339.64	12.61

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूप में जमा की गई ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.54 करोड़) की राशि शामिल है।

च. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	5.23

छ. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ज. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	16	31
2) कुल बकाया राशि	1,323.69	938.63
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	1,057.73	487.76

झ. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	12,499.46	13,678.24

ञ. कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

एसडीआर लागू किये गये खातों की संख्या	31 मार्च, 2018 को बकाया राशि		31 मार्च, 2018 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है		31 मार्च, 2018 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ट. मौजूदा ऋण की नमनीय संरचना पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

अवधि	नमनीय संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों की :चंऊच		नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों के एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आवेदन पूर्व नमनीय संरचना (वर्ष)	आवेदन पश्चात नमनीय संरचना (वर्ष)
च्चचआचझ उचएॅचद	6	3,230.38	-	4.43 वर्ष	8.66 वर्ष
पिछला उचएॅचद	2	1,254.32	-	3.55 वर्ष	9.67 वर्ष

ठ. एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन के निर्णय से प्रभावित खातों की संख्या	रिपोटिंग दिनांक पर बकाया		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन लंबित रहने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन होने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ताजा शेयर जारी कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पित हो या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री की बकाया राशि	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ड. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने का फैसला किया है	31 मार्च, 2018 को बकाया राशि		
	मानक रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ढ. 31.03.2018 को अनर्जक आस्तियों (एस 4 ए) की संवहनीय संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

एस4ए प्रयुक्त खाते		बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधानीकृत
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		भाग ए में	भाग बी में	
मानक खाते	7	6,111.29	3,669.15	2,644.31	1,401.28
एनपीए	4	1,786.57	701.22	1,085.35	674.42

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.37%	6.86%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.29%	1.39%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.72%	1.99%
iv. आस्तियों पर आय*	(-) 0.19%	0.41%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	16.70	16.24
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	(-) 243.33	511.10

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	22 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	18,801.34	62,884.68	36,410.72	59,039.39	1,02,902.64	95,934.27	2,68,120.10	5,02,239.16	5,05,095.20	2,82,468.59	7,72,447.20	27,06,343.29
	(24,697.20)	(38,065.95)	(25,980.69)	(42,544.33)	(59,304.31)	(62,862.54)	(1,77,889.82)	(3,50,586.32)	(4,57,630.51)	(2,04,524.39)	(6,00,665.33)	(20,44,751.39)
अग्रिम	9,505.35	22,201.83	23,146.72	96,137.66	47,241.42	61,224.31	1,17,078.25	2,73,529.68	2,87,544.39	2,47,962.40	7,49,308.18	19,34,880.19
	(88,220.08)	(11,902.42)	(10,735.41)	(24,246.23)	(26,857.91)	(33,575.28)	(25,110.19)	(34,647.16)	(5,73,668.96)	(1,30,137.82)	(6,11,976.92)	(15,71,078.38)
निवेश	79.71	1,753.94	7,824.29	7,044.03	41,927.02	29,445.22	33,385.93	55,415.07	1,64,722.92	1,74,516.31	544,872.27	10,60,986.71
	(0.11)	(2,467.87)	(3,533.97)	(9,420.60)	(20,303.63)	(23,030.42)	(65,709.50)	(47,135.41)	(1,00,108.55)	(1,09,188.92)	(3,85,090.65)	(7,65,989.63)
उधार-राशियाँ	217.95	84,918.90	38,244.45	19,866.70	23,856.81	23,304.46	25,422.91	30,492.51	44,182.98	23,658.96	47,975.44	3,62,142.07
	(5,668.32)	(87,457.90)	(8,903.41)	(18,284.39)	(23,097.43)	(24,040.18)	(37,371.23)	(13,169.80)	(20,431.03)	(23,590.79)	(55,679.18)	(3,17,693.66)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	2,410.92	2,875.52	3,525.69	22,501.88	13,481.32	17,334.18	31,977.62	40,927.39	1,45,715.96	74,935.97	37,041.66	3,92,728.11
	(80,272.16)	(1,328.79)	(3,953.60)	(8,351.58)	(9,722.94)	(9,768.94)	(12,432.10)	(32,353.90)	(63,954.10)	(67,312.64)	(40,758.58)	(3,30,209.33)
विदेशी मुद्रा देयताएँ$	877.05	22,146.51	10,534.83	23,488.39	31,245.24	31,360.75	39,865.36	63,595.71	73,874.40	39,418.43	28,029.95	3,64,436.62
	(30,639.24)	(12,268.81)	(10,316.45)	(21,500.13)	(28,558.95)	(30,283.69)	(51,784.89)	(35,556.34)	(46,971.60)	(34,795.54)	(18,202.56)	(3,20,878.20)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान) को दर्शाते हैं

$विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च, 2017 के हैं)

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क. स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	i) आवासीय बंधक	3,03,188.55	2,51,386.94
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	3,03,188.55	2,51,386.94
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसख्या >= 10 लाख) में (i) 28 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष में 28 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 20 लाख रुपए (पिछला वर्ष 20 लाख रुपए)।	1,26,359.38	1,06,094.23
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	82,807.89	36,915.86
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरः	266.05	214.69
	क) आवासीय	266.05	214.69
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	87,233.16	70,703.93
	कुल	**4,73,495.65**	**3,59,221.42**

ख. पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,471.07	4,357.59
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	31.47	5.78
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	1,084.72	15,236.39
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	12,187.75	668.52
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	200.15	0.17
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	3.36	410.19
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	निरंक	निरंक
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	215.00	245.00
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,948.56	1,879.93
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	24,142.08	22,803.57

ग. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	96,534.70	75,637.24	111.18	116.04
बहुत कम	53,321.64	53,117.01	निरंक	निरंक
कम	11,110.42	3,834.73	निरंक	निरंक
मध्यम कम	13,480.60	10,844.54	निरंक	निरंक
मध्यम	4,246.28	8,823.27	निरंक	निरंक
अधिक	8,082.38	4,954.18	निरंक	निरंक
अत्यधिक	3,964.32	4,124.84	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	**1,90,740.34**	**1,61,335.81**	**111.18**	**116.04**

घ. एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही ऋण दिया।

ङ. अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	3,60,240.30	2,82,886.13
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	277.42
ii)	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	277.42

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

-मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) ने ₹ 2.99 करोड़ (600,000 सिंगापुर डॉलर) का अर्थदंड सिंगापुर शाखा पर एमएएस अधिनियम की धारा 27 बी(2) का उल्लंघन होने कारण लगाया।

-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹ 0.40 करोड़ का अर्थदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली नोटों की परख एवं अवरोधन के संबंध में जारी निदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में लगाया गया।

पिछले वर्षः सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा ₹ 0.13 करोड़(8000 ओमनी रियाल) का अर्थदंड मस्कट शाखा पर बैंकिंग लॉ 2000 एवं सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के परिपत्रों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण लगाया गया।

ख. एसजीएल फॉर्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

बैंक पर एसजीएल फॉर्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई भी अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क. लेखा मानक - 5 ''अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व की मदें और लेखा नीतियों' में परिवर्तन''

बैंक ने 1 अप्रैल, 2017 से स्थगित भुगतान गारंटियों को छोडकर, साख पत्र और बैंक गारंटियां जारी करने पर अर्जित कमीशन की बुकिंग के संबंध में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन करते हुए परिवर्तन किया है। अब इनको पूर्व में वसूली आधार के पर मान्य करने के स्थान पर एलसी/बीजी की अवधि के आधार पर मान्य किया जा रहा है।

नीति में हुए परिवर्तन के प्रभाव से, पूर्व वर्ष की तुलना में इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,203.60 करोड़ की कम आय 31 मार्च, 2018 के लिए प्राप्त हुई है। .

ख. लेखा-मानक-15 'कर्मचारी- हितलाभ'

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
वर्तमान सेवा लागत	978.19	715.64	286.07	151.08
ब्याज लागत	6,248.32	4,767.60	713.71	576.31
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	3,610.00	-
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	16,045.22	-	2,526.13	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,338.70	6,525.61	(18.74)	227.95
प्रदत्त लाभ	(4,190.42)	(2,175.52)	(1,535.59)	(996.46)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	4,304.88	709.95	540.75
नियोक्ता द्वारा अंशदान	4,363.79	6,771.00	226.90	674.78
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई आस्तियां	14,742.79	-	2,484.28	-
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	3.09	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,190.42)	(2,175.52)	(1,535.59)	(996.46)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,246.60	(25.96)	182.34
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
कमी/(अधिशेष)	2,536.96	3,264.48	3,731.84	9.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
आस्तियाँ	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	3,731.84	9.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	978.19	715.64	286.07	151.08
ब्याज लागत	6,248.32	4,767.60	713.71	576.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना चालू वर्ष	पेंशन योजना पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजना चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजना पिछला वर्ष
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,908.09)	(4,304.88)	(709.95)	(540.75)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	(3.09)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	902.50	-
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,473.77	4,279.01	7.22	45.61
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	4,792.19	6,654.28	1,199.55	232.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	4,304.88	709.95	540.75
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,246.60	(25.96)	182.34
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5,773.02	6,551.48	683.99	723.09
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,792.19	6,654.28	1,199.55	232.25
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
हस्तांतरित की गई निवल देयता (आस्ति)	1,302.43	-	41.85	-
नियोक्ता का अंशदान	(4,363.79)	(6,771.00)	(226.90)	(674.78)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.57%	21.39%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.32%	24.69%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.55%	14.91%
म्युचुअल फंड	2.49%	2.28%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	2.19%	29.29%
अन्य	9.88%	7.44%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ चालू वर्ष	पेंशन योजनाएँ पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजनाएँ चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजनाएँ पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.76%	7.45%	7.78%	7.27%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.76%	7.45%	7.78%	7.27%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी
ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	6,838.07	7,182.35	7,332.14	7,291.02	12,872.60
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,090.59	7,110.25	6,879.77	7,281.18	9,140.76
अंतर	(252.52)	72.10	452.37	9.84	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	2,707.50
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	(252.52)	72.10	452.37	9.84	1,024.34

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	210.19	(24.69)	326.09	10.62	399.62
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	23.87	106.04	(43.09)	182.34	(25.96)

योजना में अधिशेष / कमी
पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	45,236.99	51,616.04	59,151.41	67,824.90	87,786.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	42,277.01	49,387.97	53,410.37	64,560.42	85,249.60
अंतर	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	7,709.67	1,732.86	5,502.35	3,007.59	4,439.54
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	335.40	2,285.87	(162.93)	2,246.60	(135.07)

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन होने और ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 10.00 लाख से बढ़कर ₹ 20.00 लाख तक होने के फलस्वरूप, ₹ 3,610.00 करोड़ की अतिरिक्त देयता निकली है। आरबीआई ने पत्र सं. डीबीआर. बीपी.9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अनुसार सूचित किया है कि बैंक अपने विवेक से, इस खर्च को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुई तिमाही से लेकर अगली चार तिमाहियों में बांट सकते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि संवर्धित ग्रेच्युटी से संबंधित अपरिशोधित खर्च को टियर-1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

तदनुसार, ₹ 3,610 करोड़ की कुल देयता में से, ₹ 902.50 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए लाभ एवं हानि खाते को नामे की गई है और ₹ 2,707.50 करोड़ की शेष अपरिशोधित देयता अगली तीन तिमाहियों, अर्थात जून-18 तिमाही से दिसंबर 18 तिमाही में प्रभारित की जाएगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ठक्ड्ढस्डि देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	25,921.96	25,159.70
वर्तमान सेवा लागत	942.85	811.36
ब्याज लागत	2,428.48	2,177.60
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,357.28	1,031.10
हस्तांतरित हुई देयता	3,309.05	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	25.56	-
प्रदत्त लाभ	(4,050.55)	(3,257.80)
31 मार्च, 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	29,934.63	25,921.96
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,428.48	2,177.60
अंशदान	2,300.13	1,842.46
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	3,723.65	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,050.55)	(3,257.80)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	185.55	167.65
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	31,502.49	26,915.23
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	29,934.63	25,921.96
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,502.49	26,915.23
कमी/(अधिशेष)	(1,567.86)	(993.27)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,567.86	993.27
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	942.85	811.36
ब्याज लागत	2,428.48	2,177.60
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,428.48)	(2,177.60)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	942.85	811.36
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	942.85	811.36
नियोक्ता का अंशदान	(942.85)	(811.36)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.02%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.04%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	32.73%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	1.62%
अन्य	5.59%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.65%	8.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या च

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी

के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 390.00 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹ 218.15 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

क. संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,754.10	4,375.49
वर्तमान सेवा लागत	208.26	212.74
ब्याज लागत	432.03	343.91
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	1,188.49	-
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	593.08	397.82
प्रदत्त लाभ	(933.78)	(575.86)
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,242.18	4,754.10
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	208.26	212.74
ब्याज लागत	432.03	343.91
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	593.08	397.82
अनुसूची 16 -ठख्रस्ल्व्झ्ड्ड्रर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्ब्ल्ह्ठ्क्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,233.37	954.47
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,754.10	4,375.49
उपरोक्तानुसार व्यय	1,233.37	954.47
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	1,188.49	
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(933.78)	(575.86)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	6,242.18	4,754.10

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 63.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.94 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में ठख्रस्ल्व्झ्ड्ड्रर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्ब्ल्ह्ठ्क्ड शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	(10.88)	15.10
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(27.87)	30.64
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(13.23)	(0.25)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(11.97)	1.45
	योग	**(63.95)**	**(46.94)**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ग. लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

1. खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:

- खजाना (ट्रेजरी)

- कारपोरेट/थोक बैंकिंग

- खुदरा बैंकिंग

- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i) **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii) **कारपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii) **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशीय परिचालन- भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय।

ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेज़री खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र, व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं या उधारियों के रूप उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी व्यवसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	82,020.76	63,280.84	1,11,809.55	-	2,57,111.15
	(63,551.80)	(60,676.63)	(84,411.17)	(-)	(2,08,639.60)
अन-आबंटित आय #					2,552.68 (2339.57)
कुल आय					2,59,663.83 (2,10,979.17)
परिणाम #	48.05 (14,043.57)	38,498.98 (-18,192.09)	19,412.16 (20,864.26)	- (-)	-19,038.77 (16,715.74)
जोंड़ेः अपवादात्मक मदें	5,436.17 (-)	- -	- -	- -	5,436.17 -
परिणाम (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	5,484.22 (14,043.57)	-38,498.98 (-18,192.09)	19,412.16 (20,864.26)	- -	-13,602.60 (16,715.74)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1,925.64 (-1860.58)
कर पूर्व लाभ #					- 15,528.24 (14,855.16)
कर #					- 8,980.79 (4,371.06)
असाधारण लाभ #					निरंक निरंक
निवल लाभ #					-6,547.45 (10,484.10)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	(8,04,449.56)	(9,31,293.68)	(9,54,597.65)	(-)	34,23,431.82 (26,90,340.89)
अन-आबंटित आस्तियां *					31,320.18 (15,625.41)
कुल आस्तियां *					34,54,752.00 (27,05,966.30)
खंड देयताएं *	8,19,731.87	10,48,664.62	13,11,134.57	-	31,79,531.06
	(6,08,747.16)	(8,44,527.74)	(9,97,848.30)	(-)	(24,51,123.20)
अन-आबंटित देयताएँ*					56,092.38 (66,557.04)
कुल देयताएँ *					32,35,623.44 (25,17,680.24)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय #	2,48,361.36	2,00,296.31	11,302.47	10,682.86	2,59,663.83	2,10,979.17
परिणाम #	- 7,891.83	7,637.52	1,344.38	2,846.58	- 6,547.45	10,484.10
आस्तियाँ*	30,69,761.21	23,45,534.83	3,84,990.79	3,60,431.47	34,54,752.00	27,05,966.30
देयताएँ *	28,50,632.65	21,57,248.77	3,84,990.79	3,60,431.47	32,35,623.44	25,17,680.24

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

घ. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक .
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआईडी डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. एसबीआई बिज़नस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (दिनांक 15.12.2017)
    (इसे पहले जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. कहा जाता था)
15. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
16. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
17. एसबीआई फाउंडेशन

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. (14.12.2017 तक)
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक‘
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान-लिमिटेड

.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)
2. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)
3. श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (06.10.2017 तक)
4. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
5. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
6. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, निदेशक प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग समूह)

2 . वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	44.22	निरंक	44.22
	(14.91)	(निरंक)	(14.91)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	67.66	निरंक	67.66
	(81.15)	(निरंक)	(81.15)
गैर-निधि दायित्व (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	205.68	निरंक	205.68
	(29.17)	(निरंक)	(29.17)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	77.10	निरंक	77.10
	(81.15)	(निरंक)	(81.15)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	0.09	निरंक	0.09
	(0.18)	(निरंक)	(0.18)
लाभांश से अर्जित आय	29.24	निरंक	29.24
	(33.83)	(निरंक)	(33.83)
अन्य आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अन्य व्यय	7.66	निरंक	7.66
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	2.05	2.05
	(निरंक)	(1.39)	(1.39)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ङ लेखा-मानक - 19 "पट्टे"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	163.35	282.78
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	535.88	1,145.19
5 वर्ष के पश्चात	246.15	303.09
योग	**945.38**	**1,731.06**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,244.23 करोड़ (पिछले वष ₹ 2,582.72 करोड़) है।

च. लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	95,10,83,092	21,07,27,400
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(6,547.45)	10,484.10
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(7.67)	13.43
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	(7.67)	13.43
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

छ. लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

क. वर्तमान कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 673.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,165.83 करोड़) वर्तमान कर के रूप में डेबिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 9,654.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 337.78 करोड़) आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं।

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 11,365.99 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹ 2,561.87 करोड़) रही, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 2.80 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹ 2,989.77 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 11,368.79. करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 427.90 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (टीडीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	3,454.26	2,332.20
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान$	4,197.64	2,564.22
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	743.57	724.65
बट्टे का परिशोधन	-	2.26
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	13,862.05	-
विदेशी कार्यालयों से	317.04	427.91
योग	22,574.56	6,051.24
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	83.36	219.73
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,315.01	4,305.62
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	3,522.29
विदेशी कार्यालयों से	2.80	2.19
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	117.30	563.28
योग	11,208.57	8,613.11
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	11,365.99	(2,561.87)

$ वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरसीए मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों पर प्रावधान करने के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ₹ 2,461.40 करोड़ निर्धारित किए हैं जिसे अब तक इस वर्ष के परिणामों के अनुवर्ती प्रभाव से आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं समझा गया है।

ज. लेखा मानक - 27 'संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश'

निवेशों में ₹ 67.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78.17 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 0.03	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.#	- (1.07)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	39.60 (39.60)	भारत	30%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 तक किए गए निवेश पर 100% प्रावधान किया है। (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान बैंक ने जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. में अपने अंश को 40% से 74% तक बढा दिया है। इस वृद्धि के बाद, यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से बैंक की अनुषंगी बन गई है।

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 18 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 17 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	153.26	230.72
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	0.60	9.93
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	53.57	118.74
योग	207.43	359.39
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	0.02	0.02
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	68.86	139.84
निवेश	49.47	54.65
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	8.91	44.68
अन्य आस्तियाँ	80.17	120.20
योग	207.43	359.39

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 18 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 17 की स्थिति के अनुसार
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.28	1.52
आय		
अर्जित ब्याज	4.13	9.14
अन्य आय	184.18	366.32
योग	188.31	375.46
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.23	0.71
परिचालन व्यय	119.34	299.69
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	20.24	23.91
योग	139.81	324.31
लाभ	48.50	51.15

ज. लेखा मानक - 28 'आस्तियों की क्षति'

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखांकन मानक 29)

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ट. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	423.34	401.10
पूर्व सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	705.60	98.27
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	227.64	2.10
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	398.14	73.93
इतिशेष	503.16	423.34

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	673.54	4,165.83
- आस्थगित कर	-9,654.33	337.78
- आय कर का प्रतिलेखन	-	-132.54
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	8,087.58	298.39
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	71,374.22	32,905.63
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	-693.99	-658.94
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-3,603.66	2,499.64
अन्य प्रावधान	-124.95	948.00
योग	**66,058.41**	**40,363.79**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	25.14	25.14
पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	168.61	-
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	193.75	25.14

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	46,282	15,335
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	21,59,700	14,68,471
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	21,26,723	14,37,524
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	79,259	46,282

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	-
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	78	42
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	73	39
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	8	3

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इन्हें 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को आकस्मिक देयताएं के रूप में रिकार्ड नहीं किया गया है।

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक सकल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात हेतु 66.17-% का प्रावधान किया गया। (पिछला वर्ष 65.95%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	714.75	491.55
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	212.57	107.20
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.05	0.86
टोकियो मैरिन, एसीई	0.32	0.05
यूनिट ट्रस्ट	0.26	0.04
एआईए सिंगापुर	0.07	0.14
योग	**929.02**	**599.84**

9. जमा राशियों, अग्रिम जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बारह सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,19,585.93	1,24,740.17
बैंक की कुल जमाराशियों में बारह जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.42%	6.10%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बारह सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	1,95,211.00	1,82,031.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बारह ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	7.91%	11.19%

ग. जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बारह उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	3,65,809.00	3,98,050.00
बैंक के कुल जोखिमों में सबसे बड़े बारह उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	12.11%	14.67%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	38,239.70	21,901.53

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क. स.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	188,502.88	20,964.77	11.12	1,30,231.77	7,354.64	5.65
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	99,386.61	16,020.84	16.12	78,050.67	11,536.03	14.78
3	सेवाएँ	74,363.81	7,339.66	9.87	53,723.75	2,378.55	4.43
4	वैयक्तिक ऋण	104,507.85	3,332.33	3.19	89,888.59	972.64	1.08
	उप-योग (क)	466,761.15	47,657.60	10.21	3,51,894.78	22,241.86	6.32
ख.	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3,753.61	301.93	8.04	2,692.79	99.26	3.69
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	906,557.34	162,784.99	17.96	7,89,932.27	82,086.39	10.39
3	सेवाएं	220,925.77	9,264.85	4.19	1,70,032.85	6,704.73	3.94
4	वैयक्तिक ऋण	450,389.43	3,418.09	0.76	3,12,724.85	1,210.75	0.39
	उप-योग (ख)	1,581,626.15	175,769.86	11.11	12,75,382.76	90,101.13	7.06
ग.	**योग (क)+(ख)**	2,048,387.30	223,427.46	10.91	16,27,277.54	1,12,342.99	6.90

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय

(₹ करोड़ में)

क. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,84,990.79	3,60,431.47
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	7,199.29	6,794.16
3.	कुल राजस्व	11,302.47	10,682.86

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

(₹ करोड़ में)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि क. तुलन पत्र बाह्य जोखिम i. प्रथम हानि ii. अन्य ख. तुलन पत्र जोखिम i. प्रथम हानि ii. अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम i. अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ख. तुलन पत्र जोखिम i. अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में	संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क. इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख. नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि क. इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख. नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या प्राप्त/प्रदत्त की गई क्रेडिट इवेंट क. चालू वर्ष से संबंधित ख. पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि) क. अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम ख. क्रेडिट इवेंट भुगतान : * अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) * प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन क. लेनदेनों की संख्या ख. संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया क. लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को) ख. संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	25,469.43	23,296.28
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	25,469.43	23,296.28
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.84%	0.86%
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अधिशेष	1,081.42	880.92
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ को राशि हस्तांतरित की गई जिसमें अधिग्रहण पर पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. से प्राप्त राशि शामिल है।	1,050.31	201.64
घटाः दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा वापिस की गई राशियाँ	6.11	1.14
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष	2,125.62	1,081.42

17. बचाव (हेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च, 2018 के अनुसार ₹ 86.44 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 110.74 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹ 66.49 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 246.98 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके।

एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी प्रवाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्टार-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्प्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

क. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2018 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च, 2017 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)				672,029		658,888		619,383		510,555
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	278,238	13,912	290,650	14,532	243,833	12,192	234,526	11,726	190,776	9,539
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	1,751,396	175,140	1,724,041	172,404	1,727,038	172,704	1,680,569	168,057	1,327,592	132,759
3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमे से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	63	16	13	3	0	0	1	0	0	0
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	556,336	327,440	545,715	325,181	561,715	334,075	581,337	340,759	470,093	282,965
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	30,025	0	29,234	0	7,885	0	3,520	0	3,687	0
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमे से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	150,911	150,911	150,497	150,497	140,940	140,940	151,397	151,397	126,314	126,314
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	43,416	6,376	48,665	7,254	41,979	6,888	59,524	8,219	78,531	10,964
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	39,838	39,838	29,400	29,400	33,360	33,360	28,623	28,623	22,157	22,157
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	563,500	20,659	563,395	20,686	527,855	19,084	551,619	19,851	465,170	16,683
8	कुल नकदी बहिर्गमन नकदी अंतर्वाह	738,817	3,396,878	723,422	3,299,670	722,703	3,299,662	732,014	3,371,843	742,951	
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	0	6,743	0	53,171	0	54,138	0	50,698	0	
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	220,510	202,086	226,044	207,518	227,422	209,011	237,759	214,036	235,209	213,985
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	38,779	28,758	39,193	28,656	47,814	36,762	38,784	29,302	40,317	32,989
12	कुल नकदी अंतर्वाह	266,364	230,844	271,980	236,174	328,407	245,773	330,681	243,338	326,224	246,974
13	कुल एचक्यूएलए		674,894		672,029		658,888		619,383		510,555
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		503,446		483,783		473,470		485,294		354,407
15	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		134.05%		138.91%		139.16%		127.63%		144.06%

नोट 1: आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में समाविष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित और अभारित राशि की गणना 1 जनवरी, 2017 से साधारण दैनिक औसत पर विचार करते हुए और जनवरी-मार्च 2018 तिमाही के लिए 66 डेटा बिन्दुओं को लेते हुए की जानी चाहिए।

नोट 2 : 1 मार्च, 2018 से बैंक ने देशीय एलसीआर की ऑटोमेटेड गणना आरंभ कर दी हैं।

नोट 3 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर स्थिति एसबीआई के स्टैंडअलोन आधार के आंकड़ों पर आधारित है, अर्थात पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं है, जिनका 1 अप्रैल, 2017 को एसबीआई के साथ विलय कर दिया गया है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 90% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 17-18 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 134.05% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 6,74,894 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 93.58% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां कुल स्तर 1 आस्तियां का 96.92% है। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 5.39% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.03% थीं। आरबीआई/सेंट्रल बैंक से प्राप्त होने वाली राशियों में कमी आने से निवल नकदी बहिर्प्रवाह स्थिति में मामूली सी वृद्धि हुई है। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है) 77.98% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च, 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी, 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं भारतीय स्टेट बैंक तथा सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगिया हैं - एसबीआई बोत्सवाना लि., कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, एसबीआई (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया।

तीन महीनों, अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च 2018 के औसत आधार पर 31 मार्च, 2018 को एसबीआई समूह एलसीआर 134.01% बैठता हैः

(₹ करोड़ में)

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2018 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून, 2017 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च, 2017 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)	677442			676830	660869			624950		640508
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	280782	14039	292752	14638	246200	12310	236582	11830	241589	12079
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	1758364	175836	173141	173141	173438	173439	168826	168827	1,704,999	170,500
(3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमे से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	177	44	113	28	89	22	79	19	59	15
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	558884	329566	543376	326347	563068	335048	582760	341749	586666	336902
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	7456	7456
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	30,209	184	29,738	0	7,981	96	3,621	101	3,709	1,236
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमे से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	150,912	150,912	150,499	150,499	140,940	140,940	151,400	151,400	154,037	154,119
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	44,693	6,877	49,790	7,734	43,110	7,359	60,948	8,777	104,556	12,695
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	40,639	40,639	30,292	30,292	34,352	34,352	29,411	29,411	28,620	28,620
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	565,427	20,718	565,264	20,743	529,544	19,137	546,593	19,900	540,151	19,328
8	कुल नकदी बहिर्गमन	3,430,087	738,817	3,396,878	723,422	3,299,670	722,703	3,299,662	732,014	3,371,843	742,951
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,076	1	6,745	1	53,173	1	54,139	0	60,900	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	223,818	203,448	228,905	208,493	230,026	209,832	240,145	215,072	278,044	249,098
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	39,889	29,867	39,611	29,075	48,819	37,767	40,470	30,989	65,560	56,743
12	कुल नकदी अंतर्वाह	270,783	233,316	275,261	237,568	332,019	247,600	334,754	246,061	404,503	305,841
13	कुल एचक्यूएलए		677,442		676,830		660,869		624,950		640,508
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		505,501		485,854		475,103		485,953		437,110
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		134.01%		139.30%		139.10%		128.60%		146.53%

नोट 1 - समुद्र पारीय (ओवरसीज) बैंकिंग अनुषंगियों के लिए 3 महीनों के मासिक औसत डेटा और एसबीआई (स्टैंडअलोन) के लिए दैनिक औसत पर विचार किया गया है।

नोट 2 - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) को शामिल नहीं किया गया है कारण कि इसने दिनांक 02.04.2018 से कार्य करना शुरू किया है।

समूह अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित कर रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भविष्यत अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

19. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 1789 मामलों में ₹ 2532.24 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 837 मामलों में ₹ 2,424.74 करोड़) में से 539 मामलों में ₹ 2359.61 करोड़ (पिछला वर्ष 278 मामलों में ₹ 2,360.37 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है।

20. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹ 9.07 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 48.59 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

22. एमएसएमई ऋणी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई ऋणियों के लिए राहत से संबंधित आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 दिनांक 7 फरवरी, 2018, के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 320.15 करोड़ की बकाया राशि वाले ऋणियों के खातों को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

23. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसियों की खरीदी की है :-

(₹ करोड़ में)

क. सं.	श्रेणी	राशि
1	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	350.00
2	पीएसएलसी कृषि	100.00
3	पीएसएलसी सामान्य	33,485.00
4	पीएसएलसी पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	1,664.00
	कुल	**35,599.00**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने कोई भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

24. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

25. खाद्य ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार एक राज्य सरकार को दीर्घ अवधि खाद्यान ऋण अग्रिम में बकाया के प्रति बैंक ने 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹ 285.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 856 करोड़) है।

26. बैंक की पट्टाकृत संपातियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित का प्रतिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में, बैंक ने कुछ पट्टाकृत संपतियों के मूल्य में पूर्व अवधि में ₹ 11,210.94 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को प्रतिवर्तित किया, जिसका परिणाम ₹ 193.24 करोड़ की पूर्व प्रभारित राशि का प्रतिलेखन है।

27. बैंकिंग अनुषंगियों तथा भारतीय महिला बैंक लि. का विलय

अ. भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2017 और 20 मार्च, 2017 के अनुसार एसबीआई की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के अधिग्रहण और भारतीय महिला बैंक लिं. (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी (यहां इसके बाद प्रभावी तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है)।

उक्त योजना के अनुसार, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के इस प्रभावी तिथि से तुरंत पहले उनके स्वामित्व, कब्जे या अंतरणकर्ता बैंक के अधिकार वाले सभी व्यवसाय, आस्तियां, देयताएं, आरक्षितियां एवं अधिशेष, वर्तमा या आकस्मिक और उक्त संपत्तियों से उठने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल किए हुए समझे जाएंगे और इस प्रभावी तिथि को या इस तिथि से एसबीआई को अंतरित हो जाएंगे (यहां इसके बाद इसे अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है)।

ख. विलय की गई इकाइयों के शेयरधारकों को बैंक के शेयर आवंटित किए गए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

अन्तरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात/निर्गमित
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे)	एसबीबीजे के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 28 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 4,88,54,308 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम)	एसबीएम के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 1,05,58,379 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी)	एसबीटी के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 3,27,08,543 शेयर।
भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल)	प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त बीएमबीएल के 100,00,00,000 शेयरों के बदले प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 4,42,31,510 शेयर का पूर्ण भुगतान किया गया।

आगे, जहां कहीं ऐसा निर्धारित किया गया है, एसबीआई ने इक्विटी शेयरों के आंशिक भाग के हकदारों को नकदी भुगतान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) के संबंध में, जो पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं में किए गए निवेश के बदले उन बैंकों की पूरी शेयर पूंजी रद्द कर दी गई।

ग. बैंक में e-Abs तथा e-BMB के विलय की गणना लेखांकन मानक 14 (एएस 14) ठद्दङ्खद्वद्र के लिए द्वद्दद्धठ्ठस्क्ष्ड तथा अधिग्रहण की अनुमोदित योजना के अनुसार 'ब्याज का समूहन (पूलिंग) पद्धति के अंतर्गत लेखांकित की गई है। इसके अनुसरण में, अंतरणकर्ता बैंकों की ₹ 11,314.75 की आस्ति तथा देयताएँ को बैंक के ₹ 1/- के अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयरों के बदले प्रभावी तारीख को उन बैंकों की उस समय की राशि पर बैंक की बहियों में दर्ज किया गया तथा आंशिक भाग के हकदारों को ₹ 0.25 करोड़ का नकदी भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों में बैंक का निवेश प्रभावी तारीख से समाप्त हो गया। पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. के अंतरणकर्ता बैंकों की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरूपी निवेशों के बीच के निवल अंतर को और शेयरों के आंशिक हकदारों को अदा की गई नकद राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है। अधिग्रहण पर अधिग्रहित की गई निवल आस्तियां निम्नानुसार हैं :

अधिग्रहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	8,596.66	7,328.66	4,669.93	5,242.96	6,858.88	46.64	32,743.73
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	2,002.50	21,453.95	19,167.30	73.59	23,347.74	635.11	66,680.19
निवेश	34,922.37	43,628.77	23,861.63	32,706.10	40,777.06	707.62	1,76,603.55
अग्रिम	64,830.01	79,375.57	34,474.63	70,018.98	48,617.57	567.49	2,97,884.25
अचल आस्तियाँ	1,353.65	1,662.33	1,532.58	1,420.45	995.82	22.68	6,987.51
अन्य आस्तियाँ	4,558.73	9,598.12	5,261.05	13,367.08	5,176.53	50.94	38,012.45
कुल आस्तियाँ (क)	1,16,263.92	1,63,047.40	88,967.12	1,22,829.16	1,25,773.60	2,030.48	6,18,911.68
अधिग्रहित देयताएं							
आरक्षित राशियाँ एवं अधिशेष	4,070.33	8,377.94	2,766.44	1,858.95	2,554.84	-	19,628.50
जमाएँ	1,04,008.73	1,41,898.94	78,474.22	1,00,794.63	1,14,688.90	975.77	5,40,841.19
उधारियाँ	1,553.75	5,619.05	2,648.52	4,071.60	3,035.00	-	16,927.92
अन्य देयताएँ एवं प्रावधानीकरण	4,378.86	6,783.92	4,072.09	11,244.88	3,700.24	19.33	30,199.32
कुल देयताएँ (ख)	**1,14,011.67**	**1,62,679.85**	**87,961.27**	**1,17,970.06**	**1,23,978.98**	**995.10**	**6,07,596.93**
अधिग्रहीत निवल आस्तिया (क-ख)	**2,252.25**	**367.55**	**1,005.85**	**4,859.10**	**1,794.62**	**1,035.38**	**11,314.75**
पूर्ववर्ती डीबीएस और बीएमबीएल की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरुपी निवेशों के बीच निवल अंतर	17.44	-	4.79	-	14.88	1,000.01	1,037.12
घटाएं:							
(क) प्रतिफल के रूप में एसबीआई द्वारा जारी ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयर	4.88	-	1.05	-	3.28	4.43	13.64
(ख) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले में नकदी	0.12	-	0.09	-	0.04	-	0.25
पूंजी आरक्षित राशियों को अंतरित	**12.44**	**-**	**3.65**	**-**	**11.56**	**995.58**	**1,023.23**

28. (क) अप्रैल 18, 2018 को, आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से सूचित किया है कि परिपत्रीय विवेकीय मानदंडों के अनुसार यथा निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम अपेक्षाएं हैं और बैंक अर्थव्यवस्था के दवाबवाले क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में उच्च दर से प्रावधान कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणियों के मानक ऋणों पर ₹ 74.66 करोड़ की राशि का अतिरिक्त सामान्य प्रावधान किया है।

(ख) आरबीआई के पत्र डीबीआर.सं.बीपी.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधान अपेक्षाएं प्रतिभूत भाग के 50% से कम करके 40% तक कर दिया है। वसूली की संभावनाओं के आधार पर, बैंक ने कुछ खातों के संबंध में इस छूट का लाभ उठाया है।

29. आरबीआई ने पत्र आरबीआई 2017-18/131/डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार, दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है, जो सीडीआर,एसडीआर, बाहरी एसडीआर स्वामित्व में परिवर्तन, वर्तमान दीर्घकालीन परियोजना ऋण (5/25 योजना) और एस4ए संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों का तुरंत स्थान ले लेगी। इस संशोधित रूपरेखा के तहत, उन खातों के स्टैंड स्टील लाभों को प्रदान नहीं किया जाएगा, जहां इनमें से कोई भी योजना लागू की गई थी परंतु अभी कार्यान्वित नहीं हुई है और तदनुसार इन खातों का आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण संबंधी आरबीआई के वर्तमान विवेकीय मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है।

30. बैंक ने दिनांक 1 नवंबर, 2017 से देय वेतन संशोधन की बकायाराशि के लिए ₹ 1,659.41 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

31. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आंशिक निवेश की बिक्री पर प्राप्त ₹ 5,436.17 करोड़ शामिल है।

32. (क) 28. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में 1 अप्रैल, 2017 से वर्ष के अंत तक की अवधि में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों व पूर्ववर्ती बीएमबी के परिचालन के परिणाम भी शामिल हैं और इसलिए बैंक के परिणाम इसी अवधि में पिछले वर्ष के परिणामों से तुलनीय नहीं है।

(ख) आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखांकन मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आँकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :			
कर पूर्व निवल लाभ		(15528,24,16)	14855,16,27
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2919,46,63	2293,30,96
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		30,03,00	37,05,49
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		1120,61,02	-
समनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर (लाभ)/हानि		(5639,89,81)	(1755,00,00)
उचित मूल्य में ह्रास एवं अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान		70680,23,69	32246,69,15
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(3603,66,16)	2499,64,29
निवेशों पर मूल्यह्रास/(मूल्य वृद्धि) के लिए प्रावधान		8087,57,43	298,39,39
अन्य प्रावधान जिसमें आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान शामिल है		(124,95,17)	948,00,40
समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में निवेश से प्राप्त आय		(448,51,70)	(688,35,40)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4472,04,27	4195,23,59
		61964,69,04	54930,14,14
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		121022,95,24	314028,95,86
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		42629,85,28	(4640,71,53)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि)/कमी		(136164,12,43)	(188005,00,05)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(136597,79,56)	(139624,65,51)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(2214,19,47)	(7469,50,80)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(29086,42,24)	(18051,26,83)
		(78445,04,14)	11167,95,28
कर वापसी /(कर भुगतान)		(6980,20,58)	(107,63,17)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**(85425,24,72)**	**11060,32,11**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :			
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी		(1104,10,39)	(2631,24,15)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर लाभ / (हानि)		5639,89,81	1755,00,00
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश		448,51,70	688,35,40
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(4104,97,78)	(2960,56,19)
विलय के बाद आंशिक पात्रताओं के लिए पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों का प्रदत नकदी		(25,18)	-
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न /(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**879,08,16**	**(3148,44,94)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि जिसमें शेयर के प्रीमियम शामिल हैं (निवल)		23782,45,47	5674,82,91
पूंजीगत लिखतों का निर्गम/(मोचन) (निवल)		(12603,22,50)	(922,40,00)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(4472,04,27)	(4195,23,59)
कर सहित लाभांशों का भुगतान		(2416,26,71)	(2337,46,38)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	**(ग)**	**4290,91,99**	**(1780,27,06)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवतनों पर प्रभाव	**(घ)**	**1291,94,79**	**(1627,60,78)**
देशीय बैंकिंग अनुषंगियों एवं भारतीय महिला बैंक के विलय होने के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(ङ)**	**98890,28,99**	**-**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**19926,99,21**	**4503,99,33**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**171971,64,98**	**167467,65,65**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**191898,64,19**	**171971,64,98**
टिप्पणी : नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक इस प्रकार हैं :		**31.03.2018**	**31.03.2017**
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		150397,18,14	127997,61,77
बैंक में नकद शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		41501,46,05	43974,03,21
योग		**191898,64,19**	**171971,64,98**

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री बसंत सेठ
डॉ. गिरीश के. अहूजा
श्री चंदन सिन्हा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री भास्कर प्रमाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के 31 मार्च, 2018 की वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:
   - i) केन्द्रीय कार्यालय, 16 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह) केन्द्रीय, दवाबग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;
   - ii) 14,566 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है;
   - iii) विदेश स्थित 51 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 9,033 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3.49%, जमाराशियों में 12.56%, ब्याज आय में 4.62% तथा ब्याज व्यय में 12.85% है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है। ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
   - i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च, 2018 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;
   - ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
   - iii) इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यान देने योग्य विषय :

7. हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-
   - क) नोट सं. 3.2.1.1, ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 2,707.50 करोड़ की अपरिशोधित शेष के संबंध में; और
   - ख) नोट सं. 18(9)(ख), मानक आस्तियों के लिए प्रावधान पर ₹ 2,461.40 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के संबंध में।

   उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं ।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:
   - क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।
   - ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।
   - ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :
   - क) इस रिपोर्ट में उल्लेख किए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण खाता बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
   - ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखा कार्यालयों की खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उस पर उचित ध्यान दिया है।
   - ग) हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार: एम.नं.025854
फर्म पंजी. नं.004532 S

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: एम. नं. 083899
फर्म पंजी. नं. 000257 N

कृते अमित रे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: एम. नं. 070468
फर्म पंजी. नं. 000483 C

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखाकार

के. च. एस. गुरु प्रसाद
भागीदार: एम. नं. 215652
फर्म पंजी. पंजी. नं. 003089 S

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: एम. नं. 110248
फर्म पंजी. नं. 101720 W

कृते मनुभाई एण्ड शाह, एलएलपी
सनदी लेखाकार

हितेश एम.पोमल
भागीदार: एम. नं.106137
फर्म पंजी. नं. 106041W/W100136

कृते चटर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

आर. एन. बसु
भागीदार: एम. नं. 050430
फर्म पंजी. नं. 302114 E

कृते एस. एल. छाजेड़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अभय छाजेड
भागीदार: एम. नं. 079662
फर्म पंजी. नं. 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के. जितेंद्र कुमार
भागीदार: एम. नं. 201825
फर्म पंजी. नं. 000511 S

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस.के.मित्तल
भागीदार: एम. नं. 008506
फर्म पंजी. नं. 001135 N

कृते एम. भास्कर राव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एम. वी. रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: M.No.206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एण्ड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार

आर. सी. पाण्डेय
भागीदार: एम. नं. 070811
फर्म पंजी. नं. 001113N/N500079

कृते मित्तल गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: एम. नं. 070744
फर्म पंजी. नं. 001874 C

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत नियोगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 E

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,45,88	797,35,04
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	229429,48,68	216394,79,86
अल्पांश हित		4615,24,51	6480,64,58
जमाराशियाँ	3	2722178,28,21	2599810,66,19
उधार राशियाँ	4	369079,33,88	336365,66,48
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	290238,19,13	285272,43,87
योग		**3616433,00,29**	**3445121,56,02**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	150769,45,69	161018,61,07
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	44519,65,14	112178,54,46
निवेश	8	1183794,24,19	1027280,86,90
अग्रिम	9	1960118,53,51	1896886,82,01
अचल आस्तियाँ	10	41225,79,26	50940,73,77
अन्य आस्तियाँ	11	236005,32,50	196815,97,81
योग		**3616433,00,29**	**3445121,56,02**
आकस्मिक देयताएँ	12	1166334,80,21	1184907,81,79
संग्रहण के लिए बिल		74060,22,00	77727,05,90
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 797,43,25,472 इक्विटी शेयर)	892,54,05	797,43,25
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 797,35,04,442 इक्विटी शेयर) उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,26,24,898 (पिछला वर्ष 1,27,01,630) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।	892,45,88	797,35,04
योग	**892,45,88**	**797,35,04**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	64753,52,12		61499,16,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1204,52,01		3254,35,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	65958,04,13	-	64753,52,12
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	5246,09,99		3354,19,48	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4332,28,38		1892,26,33	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	30,61	9578,07,76	35,82	5246,09,99
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	55423,23,36		49769,47,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	23718,58,11		5659,92,72	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,59,96	79124,21,51	6,17,07	55423,23,36
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	5073,92,01		6813,62,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1498,80,30		22,09,80	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	193,62,77	6379,09,54	1761,80,78	5073,92,01

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	35593,88,13		1374,03,37	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	662,40,83		34558,77,73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11408,30,31	24847,98,65	338,92,97	35593,88,13
VI राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां				
अथशेष	54644,18,21		53725,75,67	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	3264,59,39		960,88,92	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4425,50,57	53483,27,03	42,46,38	54644,18,21
VII लाभ और हानि खाते की शेष		(9941,19,94)		(4340,03,96)
योग		229429,48,68		216394,79,86

इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹123,66,46 हजार (पिछले वर्ष ₹ 242,83,39 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	5240,84,61	6991,80,91
(ii) अन्य से	185795,42,20	181890,89,78
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1019137,42,48	947361,71,12
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	15027,28,78	19848,97,66
(ii) अन्य से	1496977,30,14	1443717,26,72
योग	**2722178,28,21**	**2599810,66,19**
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2596232,33,79	2491369,62,12
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	125945,94,42	108441,04,07
योग	**2722178,28,21**	**2599810,66,19**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		95394,09,00		5000,00,00
(ii) अन्य बैंक		4822,21,61		4376,17,42
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		4370,23,49		71912,62,74
(iv) पूंजीगत लिखत				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	11835,00,00		11505,00,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	33665,66,40	45500,66,40	42070,76,40	53575,76,40
योग		**150087,20,50**		**134864,56,56**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ				
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		216974,38,38		195439,97,42
(II) पूंजीगत लिखत				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1955,25,00		5998,62,50	
ख) गौण ऋण एवं बांड	62,50,00	2017,75,00	62,50,00	6061,12,50
योग		**218992,13,38**		**201501,09,92**
कुल योग (I व II)		**369079,33,88**		**336365,66,48**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**108384,82,97**		**79426,89,27**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	26667,07,53	31016,63,09
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	100,17,15
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	40734,57,50	36342,34,83
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	15996,01,47	15664,32,19
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5,38,82	3362,04,95
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	115128,68,83	96797,49,57
VII.	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	12717,18,97	16046,7372
VIII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	78989,26,01	85942,68,37
योग		**290238,19,13**	**285272,43,87**

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15796,02,76	14942,25,80
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	134973,42,93	146076,35,27
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ	-	-
योग	**150769,45,69**	**161018,61,07**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	380,85,00	365,03,31
(ख) अन्य जमा खातों में	2275,38,97	43707,37,40
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	1613,94,26	30001,53,04
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	19,45,50
योग	**4270,18,23**	**74093,39,25**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	29445,08,67	24958,30,27
(ii) अन्य जमा खातों में	1550,38,84	4720,03,93
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9253,99,40	8406,81,01
योग	**40249,46,91**	**38085,15,21**
कुल योग (I एवं II)	**44519,65,14**	**112178,54,46**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	898369,89,37	778210,37,55
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9203,62,94	7423,43,57
(iii) शेयर	36902,41,97	30156,08,39
(iv) डिबेंचर और बांड	108220,08,31	84954,01,86
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	3061,30,04	2731,15,94
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	80682,84,64	81382,11,01
योग	**1136440,17,27**	**984857,18,32**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	13318,89,79	10926,92,52
(ii) सहयोगी	113,74,52	110,56,19
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	33921,42,61	31386,19,87
योग	**47354,06,92**	**42423,68,58**
कुल योग (I एवं II)	**1183794,24,19**	**1027280,86,90**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1148190,17,89	987835,48,02
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11750,00,62	2978,29,70
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	**1136440,17,27**	**984857,18,32**
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	47900,20,34	42524,45,77
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	546,13,42	100,77,19
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	**47354,06,92**	**42423,68,58**
कुल योग (III एवं IV)	**1183794,24,19**	**1027280,86,90**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	68767,36,05	79390,60,01
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	758550,41,15	753228,61,48
III. सावधि ऋण	1132800,76,31	1064267,60,52
योग	**1960118,53,51**	**1896886,82,01**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1515859,93,23	1495899,32,42
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	68812,50,75	82409,50,15
II. अप्रतिभूत	375446,09,53	318577 ,99,44
योग	**1960118,53,51**	**1896886,82,01**
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	448358,95,60	471076,83,62
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	161939,24,46	131884,87,37
(iii) बैंक	3280,07,87	2641,74,42
(iv) अन्य	1031896,41,62	993005,12,78
योग	**1645474,69,55**	**1598608,58,19**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	77109,63,56	87892,69,43
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	14668,01,47	11719,22,54
(ख) सिंडीकेट ऋण	124511,75,00	105052,29,85
(ग) अन्य	98354,43,93	93614,02,00
योग	**314643,83,96**	**298278,23,82**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**1960118,53,51**	**1896886,82,01**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	42107,56,59		6505,13,56	
परिवर्धन:				
वर्ष के दौरान	119,06,88		1048,36,09	
पुनर्मूल्यांकन के लिए	-		34558,77,73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	11293,40,10		4,70,79	
अद्यतन मूल्यह्रास				
- लागत पर	666,86,16		731,28,94	
- पुनर्मूल्यांकन पर	308,66,78	29957,70,43	384,87,11	40991,40,54
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	28512,87,72		25746,84,21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4165,17,52		3339,55,38	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1028,30,84		573,51,87	
अद्यतन मूल्यह्रास	21360,19,16	10289,55,24	19269,63,13	9243,24,59
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	117,38,81		122,51,66	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,85,52		9,39,35	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,22,13		14,52,20	
आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	66,55,50		101,51,40	
	53,46,70		15,87,41	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-	53,46,70	4,70,45	11,16,96
IV. निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		925,06,89		694,91,68
योग		**41225,79,26**		**50940,73,77**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	4771,18,77
(II)	अंतर- बैंक समायोजन (निवल)	26,70,13	
(III)	प्रोद्भूत ब्याज	28002,40,66	25611,05,79
(IV)	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	17728,89,88	12295,19,88
(V)	लेखन सामग्री और स्टांप	125,47,34	133,01,28
(VI)	दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	30,41,48	34,19,97
(VII)	आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	11837,70,33	4923,37,87
(VIII)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	95643,16,91	67709,71,52
(IX)	अन्य #	82610,55,77	81338,22,73
योग		**236005,32,50**	**196815,97,81**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 1734,07,01 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 943,41,50 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	35546,03,53	33145,36,29
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	619,44,30	603,35,11
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	644808,04,15	656625,33,39
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	149282,50,36	160434,10,71
	(ख) भारत के बाहर	67762,40,06	75098,54,00
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	121900,95,22	117916,38,53
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	146415,42,59	141084,73,76
योग		**1166334,80,21**	**1184907,81,79**
संग्रहण के लिए बिल		**74060,22,00**	**77727,05,90**

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	228970,27,66	230447,09,96
	अन्य आय	14	77557,24,41	68193,16,59
	योग		**306527,52,07**	**298640,26,55**
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15	146602,98,20	149114,67,40
	परिचालन व्यय	16	96154,37,27	87289,88,19
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		67957,57,98	62626,38,25
	योग		**310714,93,45**	**299030,93,84**
III.	लाभ/(हानि)			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		(4187,41,38)	(390,67,29)
	जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		438,15,98	293,28,42
	घटाएं : अल्पांश हित		807,03,60	(338,62,12)
	समूह के लिए निवल लाभ		(4556,29,00)	241,23,25
	आगे लाया गया शेष		(4340,03,96)	3279,83,29
	योग		**(8896,32,96)**	**3521,06,54**
IV.	विनियोजन			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		59,94,63	3254,35,78
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		921,21,43	2110,21,56
	वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		-	-
	वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		-	2108,56,29
	लाभांश पर कर		63,70,92	387,96,87
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(9941,19,94)	(4340,03,96)
	योग		**(8896,32,96)**	**3521,06,54**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ (5.34)	₹ 0.31
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ (5.34)	₹ 0.31
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	144958,59,17	156790,48,00
II. निवेशों पर आय	75036,61,62	64200,98,24
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2410,75,18	2591,57,08
IV. अन्य	6564,31,69	6864,06,64
योग	**228970,27,66**	**230447,09,96**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	22829,85,38	19701,03,46
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	14170,08,63	13778,42,77
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(1120,61,02)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(30,73,27)	(43,81,46)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2522,45,61	2792,18,63
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	15,45,97	3,85,50
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	2126,48,67	1415,89,43
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	26925,87,69	22243,83,01
X. बट्टे खाते डाले गए खातों में की गई वसूलियां	5522,46,46	4090,89,93
XI. विविध आय	4595,90,29	4210,85,32
योग	**77557,24,41**	**68193,16,59**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	136109,15,67	138786,78,15
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5686,89,92	4617,77,07
III. अन्य	4806,92,61	5710,12,18
योग	**146602,98,20**	**149114,67,40**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	35410,62,16	35691,20,50
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5392,58,19	5270,90,67
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	603,44,87	544,30,58
IV. विज्ञापन और प्रचार	1997,56,23	600,28,87
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	3094,39,40	2911,03,48
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	10,67,70	3,64,95
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	6,53,54	9,52,63
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	296,38,24	311,82,32
VIII. विधि प्रभार	501,90,13	414,86,73
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	1031,49,33	975,44,05
X. मरम्मत और अनुरक्षण	971,89,71	870,95,63
XI. बीमा	2774,59,09	2479,26,16
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1155,03,28	1655,63,91
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	29377,02,59	24228,69,27
XIV. अन्य व्यय	13530,22,81	11322,28,44
योग	**96154,37,27**	**87289,88,19**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फन्ड्स) अधिनियम,1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं की स्थिति में, सामान्यतः विदेशी संस्थाओं के लिए प्रयोज्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को अपनाया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार

1. आय निर्धारण:

1. समूह (जिसमें 28 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

ख. लेखा मानक 21 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, अवसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहाँ आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन- भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के द्वारा संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना के संबंधित लेखा मानक -27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों के लिए किए गए निवेश का लेखाकरण ‘’इक्विटी-पद्धति’’ के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में ‘सहयोगियों’ में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक’’ 23 के अनुसार किया गया है।

ङ. ‘’कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना’’ से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी /सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को किसे अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी-राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (इक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर दिखाया गया है सिवाय निम्न के (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज और (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) “पूजी आरक्षिती खाते” में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - “पट्टा” के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भूत आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को करता है, तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया गया है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया गया है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं हैं।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कांपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा की शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

ङ. असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन:

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए, खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क सबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग:

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एसीएफ) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटियों प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभः

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पोंलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इंनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता:** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता के गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा:

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ङ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा वर्ष जिनके लिए उपचित हो गई है परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है, (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं:
आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन:
प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आई एमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना के दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करते हैं।

न्यासी परिचालन:

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोडकर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

ग. ऑनलाइन ‘’बिल’’ सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारण की निश्चिंतता इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर हो जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन:
जब कभी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परियोजना प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन और रखरखाव संविदाओं से प्राप्त आय को संविदा की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

निवेश:
सभी प्रतिभूतियों में लेन - देन को “निपटान तिथि”(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

1.12 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

1.13 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

1.14 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन - देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के तहत निवेशों की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है और एटीएम श्रेणी के तहत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर और अन्य समूह इकायों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित"** श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँः एएफएस एवं एचएफटी श्रेणिया के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ), (iii) (शेयर), (iv) (बांड एवं ऋणपत्र), (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर), ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैंः

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरणः

क. रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन - देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसायः

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई(निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी की निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकनः

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट ''इक्विटी''के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।
- शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियां(अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)''क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

ii. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवाय भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट ''इक्विटी'' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1(बेसल-3 अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

2. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं। एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

2.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है;

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

2.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैंः

अवमानक आस्तियाँः

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान;
ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है);
iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँः

-प्रतिभूत भाग		
i. एक वर्ष तक	-	25%
ii. एक से तीन वर्ष तक	-	40%
iii. तीन वर्ष से अधिक	-	100%
-अप्रतिभूत भाग		100%
हानिप्रद आस्तियाँः		100%

2.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

2.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

2.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

2.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

2.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैः

अ. प्रभार

ब. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

क. मूलधन

3. अस्थिर प्रावधानः

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथकरूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

4. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधानः

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों, यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5. डेरिवेटिव्सः

5.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरिवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

5.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों। संविदा करते समय और आवधिक अंतरालों पर बचाव की प्रभावकारिता स्थापित की जाती है।

5.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरिवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है।

5.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

5.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

6. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधनः

6.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

6.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

6.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष सुरशित जमा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

6.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

6.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य '1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते डाल दिया गया है।

6.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

6.7 बैंक द्वारा 31 मार्च, 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

6.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

6.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

6.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

6.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

7. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

8. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

9 . विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

9.1 विदेशी मुद्रा लेन - देन

i. विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन - देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि,

जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

9.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

10. कर्मचारी हितलाभ:

10.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

10.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भविष्य निधि, एक हितलाभ सेवानिवृत्त योजना में अंशदान करता है। इस भविष्य निधि का प्रबंध एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम्प्लाईज पीएफ ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत प्रदत्त या देय अंशदान को उस अवधि के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक दर के अनुसार ब्याज देयता की तुलना में अंशदानों पर देय ब्याज में कमी, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

ख. समूह, पृथक ग्रेच्युटी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और एसबीआई आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

एसबीआई ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद एसबीआई में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10 % राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि एसबीआई अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को एसबीआई में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। एसबीआई इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जात है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

10.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

11. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों का आत्मसात नहीं हुई मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाकर तभी निर्धारण किया जाता है जब इस बात का पक्का प्रमाण हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ के सामने की जा सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आयकर व्यय में, प्रचलित कानून के अनुसार, मूल बैंक और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों की राशि के समग्र रूप से जोड़ा गया है।

12. प्रति शेयर आय:

12.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी, कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

13.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

13.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

13.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

13.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

14. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता

के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

15. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

16. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18 (समेकित)

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समेकित विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है, जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित है:

क. अनुषंगियां :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	समूह का हिस्सा (%) पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआईकैप वैंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	72.17	71.58
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	62.10	70.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	74.00	74.00
15)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेस प्रा. लि. @	भारत	74.00	60.00
16)	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.@ (पहले का नाम- जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.)	(भारत	74.00	40.00**
17)	एसबीआई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि. @	भारत	65.00	65.00
18)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्रा. लि. @	भारत	63.00	63.00
19)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
20)	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कनाड़ा बैंक	कनाड़ा	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	100.00
25)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
26)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
28)	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ ऐसी कंपनियां जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं, फिर भी ये वित्तीय विवरणों का समेकन से संबंधित लेखा मानक-21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

* पिछले वर्ष में पूर्ववर्ती पांच अनुषंगियां, अर्थात (i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), (ii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), (iii) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) (iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), (v) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) भी समेकित की गई। दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से इनका एसबीआई में विलय कर दिया गया।

** कृपया नीचे नोट 1.1 (i) का अवलोकन करें।

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड--ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहगोयी :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	लंगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक'	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. Ltd.	भारत	20.05	24.42
20)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. नोट 8 में यथा उल्लिखित अधिग्रहण के कारण, अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार एसबीआई समूह का हिस्सा बढ़कर एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एक अनुषंगी) में 71.58% से 72.17% तक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (एक सहयोगी) में 26.27% से 35% तक, कावेरी ग्रामीण बैंक (एक सहयोगी) में 31.50% से 35% तक और दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एक सहयोगी) में 24.42% से 24.45% तक बढ़ गया है।

ख. मार्च 2018 के महीने में, एसबीआई ने दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एक सहयोगी) के अपने 4.40% हिस्से को बेच दिया, जिसके कारण एसबीआई समूह का हिस्सा घटकर 24.45% से 20.05% तक हो गया है।

ग. अप्रैल 2017 के महीने में, एसबीआई ने नेपाल एसबीआई बैंक लि. (एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी) में ₹ 68.47 करोड़ के समतुल्य 109.56 करोड़ नेपाल रुपए की पूंजी लगाई है।

इसके अतिरिक्त जनवरी 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने प्रति 100 नेपाल रुपए अंकित मूल्य के 59,13,089 बोनस शेयर एसबीआई को जारी किए। नेपाल एसबीआई बैंक लि. में एसबीआई के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

घ. अगस्त 2017 के महीने में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड (एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी बैंकिंग अनुषंगी) ने यूनाइटेड किंगडम में कार्य करना शुरू कर दिया है। 31 मार्च, 2018 तक इक्विटी में कोई प्रदत्त पूंजी नहीं लगाई गई और इसलिए इस पर समेकन हेतु विचार नहीं किया गया है। इस अनुषंगी ने अप्रैल 2018 माह से अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

ङ सितंबर 2017 के महीने में, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एक अनुषंगी) ने प्रति शेयर ₹ 520 के अपने 27,69,230 इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद की है। एसबीआई और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. से वापसी खरीद वाले शेयरों की संख्या एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड में उनके संबंधित हिस्से के यथानुपात में है। एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड में एसबीआई समूह का हिस्सा अपरिवर्तित रहा है।

च. सितंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने पब्लिक ऑफर के रूप में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक अनुषंगी) के अपने 8% हिस्से को बेच दिया, जिसके कारण इसका हिस्सा घटकर 70.10% से 62.10% तक हो गया।

छ. नवंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने एसबीआई फाउंडेशन (एक अलाभकारी कंपनी) में ₹ 3 करोड़ की पूंजी लगाई है कारण कि यह एक अलाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के तहत निगमित], इसलिए एसबीआई फाउंडेशन पर लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु विचार नहीं किया जा रहा है।

ज. दिसंबर 2017 के महीने में, एसबीआई ने एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लि. (एक अनुषंगी) के अपने हिस्से में वृद्धि की है और इसे 60% से 74% तक कर दिया है (₹ 887.26 करोड़ निवेश करके प्रति ₹ 10/- के 10,98,99,999 शेयर खरीदे)।

झ. 15 दिसंबर, 2017 को, एसबीआई ने जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. (15.12.2017 से पूर्व एक संयुक्त उद्यम) के अपने हिस्से में वृद्धि की और इसे 40% से 74% तक कर दिया (₹ 264.07 करोड़ निवेश करके प्रति ₹ 10/- के 80,24,342 शेयर खरीदे)। परिणामस्वरूप, जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लि. को दिनांक 15 दिसंबर, 2017 से एक अनुषंगी के रूप में समेकित किया गया है और 15 मार्च, 2018 से इसका नाम बदलकर एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. कर दिया गया है।

ञ. फरवरी 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. (एक उप अनुषंगी) में 8.89 करोड़ नेपाल रुपए में पूंजी लगाई है (प्रति 100 नेपाल रुपए मूल्य के 8,88,889 शेयरों के लिए)।

इसके अतिरिक्त मार्च 2018 के महीने में, नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. ने नेपाल एसबीआई बैंक लि. को प्रति 100/- नेपाल रुपए अंकित मूल्य के 1,11,111 बोनस शेयर जारी किए हैं। नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. में एसबीआई समूह का हिस्सा अपरिवर्तित रहा है।

ट. एसबीआई होम फाइनैंस लि. (एक सहयोगी) जिसमें एसबीआई का हिस्सा 25.05% है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वित्तीय विवरण एक अनुषंगी (बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड) के समीक्षित वित्तीय विवरण और एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) तथा एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लि.) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण) शामिल हैं जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है।

2. शेयर पूंजी:

क. वर्ष के दौरान, सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक) और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर, बैंक ने पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक लि. के पात्र शेयरधारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वैप अनुपात के अनुसार इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 01.04.2017 को प्रतिफल के रूप में प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 इक्विटी शेयर जारी किए हैं (एसबीबीजे के शेयरधारकों को 4,88,54,308 शेयर, एसबीएम के शेयरधारकों को 1,05,58,379 शेयर, एसबीटी के शेयरधारकों को 3,27,08,543 शेयर और बीएमबीएल के शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को 4,42,31,510 शेयर)।

ख. बैंक को प्रति शेयर ₹ 1/- के 52,21,93,211 इक्विटी शेयर जारी करने के बदले ₹ 14,947.78 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 15,000.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया।

ग. बैंक को रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹ 1/- के 3,400 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹ 0.05 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹ 0.05 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया।

घ. बैंक को भारत सरकार को जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 29,25,33,741 इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के बदले भारत सरकार से ₹ 8,770.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,659.93 करोड़) की शेयर प्रीमियम राशि सहित ₹ 8,800.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,681.00 करोड़) की आवेदन राशि

प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया। ये शेयर भारत सरकार के डिमैट खाते (सीडीएसएल) में दिनांक 03.04.2018 को जमा किए गए और दिनांक 02.04.2018 को एनएसई और दिनांक 03.04.2018 को बीएसई में सूचीबद्ध किए गए।

ङ शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹ 17.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.17 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखा मानक - 5 "इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन"

एसबीआई ने दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से आस्थगित भुगतान गारंटियों को छोड़कर, साख-पत्र और बैंक गारंटियां पर अर्जित कमीशन की बुकिंग के संबंध में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है। अब ये पूर्व में किए गए वसूली आधार के स्थान पर, एलसी/बीजी की अवधि के अनुसार निर्धारित की जा रही हैं।

नीति में इस परिवर्तन का प्रभाव, पिछली प्रथा की तुलना में 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस शीर्ष के तहत ₹ 1,203.60 करोड़ की सीमा तक कम आय के रूप में परिणीत हुआ है।

3.2 लेखा-मानक-15 'कर्मचारी- हितलाभ'

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.2.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

निम्नलिखित तालिका में लेखा मानक 15 के तहत यथा अपेक्षित नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निर्धारित की गई है (2005 में संशोधित) :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	83,870.13	73,164.38	9,929.61	9,898.33
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	8.70	-
वर्तमान सेवा लागत	978.19	1,285.52	302.75	287.33
ब्याज लागत	6,248.32	5,834.23	722.05	766.59
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	3,614.64	0.01
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	-	-	1.20	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,338.70	8,106.01	(9.83)	263.87
प्रदत्त लाभ	(4,190.43)	(3,360.17)	(1,543.31)	(1,286.52)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**87,786.56**	**83,870.13**	**13,025.81**	**9,929.61**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	6.21	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	5,522.97	717.37	755.56
नियोक्ता द्वारा अंशदान	4,363.81	7,817.68	243.49	876.22
अधिग्रहण/पर हस्तांतरित आस्तियां	-	-	2.01	-
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	3.09	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,190.43)	(3,360.17)	(1,543.32)	(1,286.52)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,505.66	(26.37)	268.79
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**85,249.60**	**79,303.20**	**9,263.16**	**9,863.77**

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
कमी/(अधिशेष)	2,536.96	4,566.93	3,762.65	65.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
आस्तियाँ	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,536.96	4,566.93	3,762.64	65.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	(2,707.50)	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	978.19	1,285.52	302.75	287.33
ब्याज लागत	6,248.32	5,834.23	722.05	766.59
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,908.09)	(5,522.97)	(717.37)	(755.56)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	(3.09)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	0.05	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	1,200.00	907.09	0.01
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	3,473.77	5,600.35	16.54	(4.92)
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल द्वठुँण्ड	**4,792.19**	**8,394.04**	**1231.11**	**293.45**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,908.09	5,522.97	717.37	755.56
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135.07)	2,505.66	(26.37)	268.79
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5773.02	8,028.63	691.00	1,024.35
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**4,566.93**	**6,350.41**	**65.84**	**648.61**
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के लिए समायोजन*	-	-	2.50	-
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,792.19	8,394.04	1231.11	293.45
एसबीआई द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,458.35)	(2,359.84)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
हस्तांतरित निवल देयता/(आस्ति)	-	-	(0.81)	-
नियोक्ता का अंशदान	(4,363.81)	(7,817.68)	(243.49)	(876.22)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**

*एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. (पहले का नाम जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.) के मामले में समेकन की पद्धति में परिवर्तन के कारण समायोजन कुल व्यवसाय समेकन की तुलना में यथानुपातिक व्यवसाय समेकन के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

पेंशन निधि		ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.57%	21.11%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.32%	24.36%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.55%	14.71%
म्यूचुअल फंड	2.49%	2.25%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	2.19%	30.22%
अन्य	9.88%	7.35%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.76%	7.45% to 7.51%	7.78%	7.27% to 7.27%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.76%	7.00% to 8.00%	7.78%	7.00% to 8.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन होने और ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 10.00 लाख से बढ़कर ₹ 20.00 लाख तक होने के फलस्वरूप, ₹ 3,610.00 करोड़ की अतिरिक्त देयता निकली है। आरबीआई ने पत्र सं. डीबीआर. बीपी.9730/21.04.2018 दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अनुसार सूचित किया है कि बैंक अपने विवेक से, इस खर्च को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुई तिमाही से लेकर अगली चार तिमाहियों में बांट सकते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि संवर्धित ग्रेच्युटी से संबंधित अपरिशोधित खर्च को टियर-1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।
तदनुसार, ₹ 3,610 करोड़ की कुल देयता में से, ₹ 902.50 करोड़ की राशि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए लाभ एवं हानि खाते को नामे की गई है और ₹ 2,707.50 करोड़ की शेष अपरिशोधित देयता अगली तीन तिमाहियों, अर्थात जून-18 तिमाही से दिसंबर 18 तिमाही में प्रभारित की जाएगी।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	26,221.36	25,409.49
वर्तमान सेवा लागत	961.65	827.29
ब्याज लागत	2,455.58	2,199.84
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,396.25	1,065.98
हस्तांतरित हुई देयता	3,309.05	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	25.56	-
प्रदत्त लाभ	(4,070.79)	(3,281.24)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	**30,298.66**	**26,221.36**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल, 2017 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	27,221.93	26,240.79
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,455.58	2,199.84
अंशदान	2,357.90	1,893.27
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	3,723.65	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,070.79)	(3,281.24)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	185.98	169.27
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**31,874.25**	**27,221.93**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च, 2018 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,298.66	26,221.36
31 मार्च, 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,874.25	27,221.93
कमी/(अधिशेष)	(1,575.59)	(1,000.57)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,575.59	1,000.57
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	961.65	827.29
ब्याज लागत	2,455.58	2,199.84
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,455.58)	(2,199.84)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	961.65	827.29
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	961.65	827.29

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियोक्ता का अंशदान	(961.65)	(827.29)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	36.91%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.09%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	32.78%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	1.60%
अन्य	5.62%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	चालू वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.65%	8.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. का भविष्य निधि, जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ है, जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है, तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.2.2.1 नियत अंशदान योजना

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.2.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹ 28.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.22 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.2.2.2 अगस्त, 01 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 390.00 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹ 328.69 करोड़ था)।

3.2.3 दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

3.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश) निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,760.15	4,379.90
वर्तमान सेवा लागत	210.14	214.49
ब्याज लागत	432.32	344.17
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	1,188.49	-
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	593.93	398.78
प्रदत्त लाभ	(936.51)	(577.19)
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,248.52	4,760.15

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	210.14	214.49
ब्याज लागत	432.32	344.17
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	593.93	398.78
अनुसूची 16 -ठख्रस्व्ळ्ग्र्द्र्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्र्ब्रठ्ठद्द ठ्ठक्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,236.39	957.44
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,760.15	4,379.67
उपरोक्तानुसार व्यय	1,236.39	957.67
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	1,188.49	-
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(936.51)	(577.19)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,248.52	4,760.15

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.78%	7.27%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹ 36.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 113.95 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

समूह द्वारा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 38.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 20.52 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में ठख्रस्ल्व्ह्युद्दर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्व्त्ठ्द ठुक्ड शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरणः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	(4.20)	19.23
2	रुग्ण अवकाश	3.35	(53.14)
3	रजत जयंती अवार्ड	(12.64)	11.13
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(13.23)	1.32
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(11.97)	0.94
	योग	**(38.69)**	**(20.52)**

3.2.4 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।च

3.3 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'च

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैः-

-खजाना (ट्रेजरी)

- कारपोरेट/थोक बैंकिंग

- खुदरा बैंकिंग

-अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. ट्रेजरी- ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. कारपोरेट/थोकबैंकिंग- कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. खुदरा बैंकिंग- खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. बीमा व्यवसाय - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क. देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

ख. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेज़री खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र, व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं या उधारियों के रूप उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी व्यवसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग	व्यवसाय खंड
आय (विशेष मदों से पूर्व)	82,163.87 (78,525.43)	64,365.45 (83,694.12)	1,11,963.61 (1,06,413.35)	34,088.22 (28,047.53)	8,637.67 (6,174.73)	3,01,218.82 (3,02,855.16)
अन-आबंटित आय						2,571.02 (2,419.27)
घटाएं : अंतर खंडीय आय						2,298.53 (6,634.17)
कुल आय						3,01,491.31 (2,98,640.26)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)	-16.83 (14,559.33)	-38,316.71 (-24,803.47)	19,464.25 (10,826.76)	1,832.28 (1,308.71)	1,680.23 (1,717.58)	-15,356.78 (3,608.91)
जोड़े : विशेष मदें	5,036.21 (-)					5,036.21 (-)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात)	5,019.38 (14,559.33)	-38,316.71 (-24,803.47)	19,464.25 (10,826.76)	1,832.28 (1,308.71)	1,680.23 (1,717.58)	-10,320.57 (3,608.91)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल						-1,924.34 (-2,664.08)
कर-पूर्व लाभ / (हानि)						-12,244.91 (944.83)
कर						-8,057.50 (1,335.50)
असाधारण लाभ						0.00 (0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						-4,187.41 (-390.67)
जोड़े: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						438.16 (293.28)
घटाएं : अल्पांश हित						807.04 (-338.62)
समूह के लिए निवल लाभ / (हानि)						-4,556.29 (241.23)
अन्य सूचना :						
खंड आस्तियां	10,85,909.92 (10,07,725.87)	10,24,506.47 (11,51,526.43)	13,19,933.76 (11,33,220.08)	1,27,099.09 (1,06,318.18)	27,548.89 (18,110.16)	35,84,998.13 (34,16,900.72)
अन-आबंटित आस्तियां						31,434.87 (28,220.84)
कुल आस्तियां						36,16,433.00 (34,45,121.56)
खंड देयताएं	8,10,044.02 (7,09,453.02)	10,63,520.41 (11,03,341.85)	13,11,488.36 (12,14,492.46)	1,19,097.01 (99,646.13)	21,136.24 (12,525.34)	33,25,286.04 (31,39,458.80)
अन-आबंटित देयताएँ						60,825.01 (88,470.61)
कुल देयताएँ						33,86,111.05 (32,27,929.41)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	कुल
आय	2,88,659.38 (2,86,662.86)	12,831.93 (11,977.40)	3,01,491.31 (2,98,640.26)
निवल लाभ / (हानि)	-6,162.65 (-2,871.79)	1,606.36 (3,113.02)	-4,556.29 (241.23)
आस्तियाँ	32,04,196.42 (30,59,467.86)	4,12,236.58 (3,85,653.70)	36,16,433.00 (34,45,121.56)
देयताएँ	29,78,268.42 (28,46,368.69)	4,07,842.63 (3,81,560.72)	33,86,111.05 (32,27,929.41)

(i) आय/व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/देयताएं 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार है।

(ii) कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.4 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.4.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. (14.12.2017 तक)
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक'
10 पूर्वांचल बैंकच
11 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12 उत्कल ग्रामीण बैंक
13 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14 वनांचल ग्रामीण बैंक
15 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16 तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17 कावेरी ग्रामीण बैंक
18 मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

19 दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20 बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
21 एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)
2. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)
3. श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (06.10.2017 तक)
4. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
5. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
6. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, निदेशक प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग समूह)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.4.3 लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष 2017-18 के दौरान लेनदेन			
ब्याज आय	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज व्यय	0.09 (0.18)	- (-)	0.09 (0.18)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	29.24 (33.83)	- (-)	29.24 (33.83)
अन्य आय	0.17 (0.30)	- (-)	0.17 (0.30)
अन्य व्यय	12.31 (11.54)	- (-)	12.31 (11.54)
प्रबंधन संविदा	- (-)	2.05 (1.39)	2.05 (1.39)
मार्च 31, 2018 को बकाया			
देय राशियां			
जमा	44.75 (15.21)	- (-)	44.75 (15.21)
अन्य देयताएं	1.19 (47.99)	- (-)	1.19 (47.99)
प्राप्य राशियां	- (-)	- (-)	- (-)
बैंकों के पास जमाशेष	67.66 (81.15)	- (-)	67.66 (81.15)
निवेश	- (0.41)	- (-)	- (0.41)
अग्रिम	0.07 (0.07)	- (-)	0.07 (0.07)
अन्य आस्तियां			
वर्ष के दौरान अधिकतम बकायाराशि			
उधारराशियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	206.21 (29.48)	- (-)	206.21 (29.48)
अन्य देयताएं	119.61 (55.33)	- (-)	119.61 (55.33)
बैंकों के पास शेष राशियां	- (-)	- (-)	- (-)
अग्रिम	0.62 (0.42)	- (-)	0.62 (0.42)
निवेश	77.10 (81.15)	- (-)	77.10 (81.15)
अन्य आस्तियां	0.07 (0.07)	- (-)	0.07 (0.07)
गैर-निधि वचनबद्धताएं (एलसी/बीजी)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

वर्ष के दौरान अन्य पक्ष से संबंधित लेनदेनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

3.5 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.5.1 वित्तीय पट्टा

अप्रैल 01, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां : वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	17.26	4.87
1 से 5 वर्ष	56.06	9.35
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	73.32	14.22
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	4.77	0.97
1 से 5 वर्ष	13.19	1.36
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	17.96	2.33
न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	12.49	3.90
1 से 5 वर्ष	42.87	7.99
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**55.36**	**11.89**

3.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है :

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	208.15	307.04
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	613.63	1,189.15
5 वर्ष के पश्चात	252.46	310.99
योग	**1,074.24**	**1,807.18**

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 3,289.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,615.41 करोड़) है।

3.6 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित निवल लाभ/(हानि) को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	95,10,83,092	21,07,27,400
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	853,30,51,135	780,37,67,851
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	(4,556.29)	241.23
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(5.34)	0.31
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	(5.34)	0.31
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.7 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) आस्थगित कर के कारण वर्ष के दौरान ' 9804.79 करोड़ की राशि को लाभ एवं हानि खाते में जमा की गई है (पिछले वर्ष ' 3,507.06 करोड़ जमा की गई) on account of deferred tax.

ii) आस्थगित कर आस्तियां और प्रमुख मदों की देयताओं का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	3,486.07	2,769.18
अग्रिमों के लिए प्रावधान र	4,415.43	2,974.42
संचित हानियों पर	13,889.32	5,281.99
अन्य आस्तियों/वीआरएस/अन्य देयता के लिए प्रावधान	743.57	724.65
बट्टे का परिशोधन	7.31	61.89
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	14.91	3.89
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण डीटीए	317.04	427.91
अन्य	200.25	393.12
योग	23,073.90	12,637.05

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	89.71	277.04
प्रतिभूतियों पर उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज	6,315.01	5,045.06
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,645.01
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	117.30	563.28
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण डीटीएल	2.80	2.19
अन्य	26.66	543.14
कुल	11,241.58	11,075.72
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	11,832.32	1,561.33

$ वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरसीए मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों पर प्रावधान करने के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ₹ 2,461.40 करोड़ निर्धारित किए हैं जिसे अब तक इस वर्ष के परिणामों के अनुवर्ती प्रभाव से आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं समझा गया है।

3.8 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति":

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.9 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिकताएं देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'

- **लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	1,758.40	5427.24
	- आस्थगित कर	(9,804.79)	(3,507.06)
	- आय कर का प्रतिलेखन	(11.11)	(584.68)
ख)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	72,217.65	57,155.07
ग)	अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	(691.67)	(1,238.32)
घ)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(3,584.56)	2,191.63
ङ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	8,177.30	1,721.96
च)	अन्य प्रावधान	(103.65)	1,460.54
	योग	**67,957.58**	**62,626.38**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

- **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक अधिशेष	193.76	193.76
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	इतिशेष	193.76	193.76

- आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल बैंक और उसके विभिन्न अनुषंगियां एक पक्ष है। समूह आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा समूह उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपनी सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः एसबीआई अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

▸ आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a)	आरंभिक अधिशेष	1,026.38	719.21
b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	127.43	442.30
c)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	227.72	7.47
d)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	399.80	127.66
e)	इतिशेष	526.29	1,026.38

4 समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. एसबीआई की पट्टाधारित संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का रिवर्सल:

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में, बैंक ने कुछ पट्टाकृत संपतियों के मूल्य में पूर्व अवधि में ₹ 11,210.94 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को प्रतिवर्तित किया, जिसका परिणाम ₹ 193.24 करोड़ की पूर्व प्रभारित राशि का प्रतिलेखन है।

6. आरबीआई ने परिपत्र सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक अप्रैल 2,2018 के अनुसार बैंकों को 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी में धारित निवेशों की बाजार हानियों से संबंधित प्रावधान को फैलाने का विकल्प दिया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि जिस तिमाही में नुकसान हुआ है, उस तिमाही से शुरू करके चार तिमाही तक प्रत्येक तिमाही में समान रूप से प्रावधान को फैलाया जाए। बैंक ने संबंधित तिमाहियों में निवेशों बाजार हानि के लिए संपूर्ण निवल हानि का निर्धारण किया है और उक्त विकल्प को काम में नहीं लिया है।

7. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर. बीपी. बीसीसं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 में दिए गए आदेश के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर) एसबीआई द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के विचलन से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है	1,12,342.99
2	31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है	1,35,582.12
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	23,239.13
4	31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है	58,277.38
5	31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है	75,795.85
6	निवल एनपीए में विचलन (2-1)	17,518.47
7	31 मार्च, 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान, जो एसबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई है।	54,065.61
8	31 मार्च, 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान, जो आरबीआई द्वारा मूल्यांकित की गई है।	59,786.27
9	प्रावधान में विचलन (8-7)*	5,720.66
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एसबीआई का रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ	10,484.10
11	प्रावधानों के विचलन को ध्यान में रखते हुए एसबीआई का समायोजित (कल्पित) कर पश्चात निवल लाभ	6,743.25

* आरबीआई द्वारा नोट किए गए विचलनों के कारण उपर्युक्त उल्लिखित पूर्वप्रभावी नए एनपीए का निवल चालू प्रभाव 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाए गए हैं।

8. पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) और भारतीय महिला बैंक लि. का अधिग्रहण

अ) भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2017 और 20 मार्च, 2017 के अनुसार एसबीआई की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के अधिग्रहण और भारतीय महिला बैंक लिं. (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी (यहां इसके बाद प्रभावी तिथि के रूप में संदर्भित किया गया है)।

उक्त योजना के अनुसार, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के इस प्रभावी तिथि से तुरंत पहले उनके स्वामित्व, कब्जे या अंतरणकर्ता बैंक के अधिकार वाले सभी व्यवसाय, आस्तियां, देयताएं, आरक्षितियां एवं अधिशेष, वर्तमा या आकस्मिक और उक्त संपत्तियों से उठने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल किए हुए समझे जाएंगे और इस प्रभावी तिथि को या इस तिथि से एसबीआई को अंतरित हो जाएंगे (यहां इसके बाद इसे अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है)।

ख) विलय की गई इकाइयों के शेयरधारकों को नीचे यथा उल्लिखित बैंक के शेयर आवंटित किए गए हैं:

अन्तरणकर्ता बैंक का नाम	शेयर विनिमय अनुपात/निर्गमित
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे)	एसबीबीजे के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 28 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 4,88,54,308 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम)	एसबीएम के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 1,05,58,379 शेयर।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी)	एसबीटी के प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के बदले एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 22 शेयर। एसबीआई के प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के कुल 3,27,08,543 शेयर।
भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल)	प्रति शेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त बीएमबीएल के 100,00,00,000 शेयरों के बदले प्रति शेयर ₹ 1/- अंकित मूल्य के 4,42,31,510 शेयर का पूर्ण भुगतान किया गया।

आगे, जहां कहीं ऐसा निर्धारित किया गया है, एसबीआई ने इक्विटी शेयरों के आंशिक भाग के हकदारों को नकदी भुगतान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) के संबंध में, जो पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं में किए गए निवेश के बदले उन बैंकों की पूरी शेयर पूंजी रद्द कर दी गई।

ग) बैंक में e-Abs तथा e-BMB के विलय की गणना लेखांकन मानक 14 (एएस 14) "समेकन के लिए लेखांकन" तथा अधिग्रहण की अनुमोदित योजना के अनुसार 'ब्याज का समूहन (पूलिंग) पद्धति के अंतर्गत लेखांकित की गई है। इसके अनुसरण में, अंतरणकर्ता बैंकों की ₹ 11,314.75 की आस्ति तथा देयताएँ को बैंक के ₹ 1/- के अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयरों के बदले प्रभावी तारीख को उन बैंकों की उस समय की राशि पर बैंक की बहियों में दर्ज किया गया तथा आंशिक भाग के हकदारों को ₹ 0.25 करोड़ का नकदी भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों में बैंक का निवेश प्रभावी तारीख से समाप्त हो गया। पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. के अंतरणकर्ता बैंकों की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरूपी निवेशों के बीच के निवल अंतर को औरशेयरों के आंशिक हकदारों को अदा की गई नकद राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है। अधिग्रहण पर अधिग्रहित की गई निवल आस्तियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

अधिगहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	8,596.66	7,328.66	4,669.93	5,242.96	6,858.88	46.64	32,743.73
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	2,002.50	21,453.95	19,167.30	73.59	23,347.74	635.11	66,680.19
निवेश	34,922.37	43,628.77	23,861.63	32,706.10	40,777.06	707.62	1,76,603.55
अग्रिम	64,830.01	79,375.57	34,474.63	70,018.98	48,617.57	567.49	2,97,884.25
अचल आस्तियाँ	1,353.65	1,662.33	1,532.58	1,420.45	995.82	22.68	6,987.51
अन्य आस्तियाँ	4,558.73	9,598.12	5,261.05	13,367.08	5,176.53	50.94	38,012.45
कुल आस्तियाँ (क)	**1,16,263.92**	**1,63,047.40**	**88,967.12**	**1,22,829.16**	**1,25,773.60**	**2,030.48**	**6,18,911.68**
अधिग्रहित देयताएं							
आरक्षित राशियाँ एवं अधिशेष	4,070.33	8,377.94	2,766.44	1,858.95	2,554.84	-	19,628.50
जमाएँ	1,04,008.73	1,41,898.94	78,474.22	1,00,794.63	1,14,688.90	975.77	5,40,841.19
उधारियाँ	1,553.75	5,619.05	2,648.52	4,071.60	3,035.00	-	16,927.92
अन्य देयताएँ एवं प्रावधानीकरण	4,378.86	6,783.92	4,072.09	11,244.88	3,700.24	19.33	30,199.32
कुल देयताएँ (ख)	**1,14,011.67**	**1,62,679.85**	**87,961.27**	**1,17,970.06**	**1,23,978.98**	**995.10**	**6,07,596.93**

(₹ करोड़ में)

अधिग्रहीत आस्तियां	पूर्ववर्ती एसबीबीजे	पूर्ववर्ती एसबीएच	पूर्ववर्ती एसबीएम	पूर्ववर्ती एसबीपी	पूर्ववर्ती एसबीटी	पूर्ववर्ती बीएमबी	उप-योग
अधिग्रहीत निवल आस्तियाँ (क-ख)	**2,252.25**	**367.55**	**1,005.85**	**4,859.10**	**1,794.62**	**1,035.38**	**11,314.75**
पूर्ववर्ती डीबीएस और बीएमबीएल की शेयर पूंजी और एसबीआई के तदनुरुपी निवेशों के बीच निवल अंतर	17.44	-	4.79	-	14.88	1,000.01	1,037.12
घटाएंः							
(क) प्रतिफल के रूप में एसबीआई द्वारा जारी ₹ 1/- अंकित मूल्य के 13,63,52,740 शेयर	4.88	-	1.05	-	3.28	4.43	13.64
(ख) शेयरों की आंशिक पात्रता के बदले में नकदी	0.12	-	0.09	-	0.04	-	0.25
पूंजी आरक्षित राशियों को अंतरित	12.44	-	3.65	-	11.56	995.58	1,023.23

9. अप्रैल 18, 2017 को, आरबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से सूचित किया है कि परिपत्रीय विवेकीय मानदंडों के अनुसार यथा निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम अपेक्षाएं हैं और बैंक अर्थव्यवस्था के दबाववाले क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के संबंध में उच्च दर से प्रावधान कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणियों के मानक ऋणों पर ₹ 74.66 करोड़ की राशि का अतिरिक्त सामान्य प्रावधान किया है।

10. आरबीआई ने पत्र आरबीआई 2017-18/131/डीबीआर.सं.बीपी. बीसी. 101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार, दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है, जो सीडीआर,एसडीआर, बाहरी एसडीआर स्वामित्व में परिवर्तन, वर्तमान दीर्घकालीन परियोजना ऋण (5/25 योजना) और एस4ए संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों का तुरंत स्थान ले लेगी। इस संशोधित रूपरेखा के तहत, उन खातों के स्टैंड स्टील लाभों को प्रदान नहीं किया जाएगा, जहां इनमें से कोई भी योजना लागू की गई थी परंतु अभी कार्यान्वित नहीं हुई है और तदनुसार इन खातों का आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण संबंधी आरबीआई के वर्तमान विवेकीय मानदंडों के अनुसार एसबीआई द्वारा वर्गीकरण किया गया है।

11. बैंक ने दिनांक 1 नवंबर, 2017 से देय वेतन संशोधन की बकायाराशि के लिए ₹ 1,659.41 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

12. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आंशिक निवेश की बिक्री पर प्राप्त ₹ 5,036.21 करोड़ शामिल है।

13. **प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)**

अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर. सं.बीबी.बीसी.79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर उपयोग में लाने हेतु बैंकों को 31 दिसंबर, 2014 को उनके द्वारा सीसीपीबी में धारित 50% तक अनुमति दी है, जो कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमोदित नीति के तहत हैं। वर्ष के दौरान, एसबीआई ने अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

14. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत आदेश सं. आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार की ₹ 84.32 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ 84.32 करोड़) संवितरित करने और आदेश सं. आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च, 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंट को प्रदत्त आधिक्त कमीशन की ₹ 275.29 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 275.29 करोड़) क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। आगे आईआरडीए ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 को जारी निदेशों को दोहराते हुए दिनांक 11 जनवरी, 2017 को फिर से निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेश/आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश अभी प्राप्त होने बाकी है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

15. एसबीआई द्वारा अनुपालन की गई लेखा नीति के अनुसार लाइफ और जनरल इंश्योरेंस अनुषंगियों में किए गए निवेशों का फिर से उल्लेख करने के बजाय इन्हें आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2016 के अनुसार लेखे में लिया गया है। 31 मार्च, 2018 को बीमा अनुषंगियों के निवेश कुल निवेशों का लगभग 9.87% (पिछले वर्ष 9.35%) भाग है।

16. आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.42/21.01.02/2007-08 के अनुसार, मोचनीय अधिमानी शेयरों को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

17. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अगल-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

18. **क.** 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में पूर्ववर्ती देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) और भारतीय महिला बैंक लि. (बीएमबीएल) के 1 अप्रैल, 2017 से इस वर्ष की समाप्ति तक के परिचालनों के परिणाम शामिल हैं। इसलिए, एसबीआई समूह के परिणाम पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से तुलना योग्य नहीं है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ वर्गीकरण के लिए जहां आवश्यक हुआ है, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप जहां पहली बार प्रकटन किए गए हैं, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व निवल लाभ (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		(12613,79,21)	1576,73,82
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3105,07,10	2914,68,43
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		30,73,27	43,81,46
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		1120,61,02	-
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		(5134,30,14)	(1587,01,92)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		71525,98,80	55916,75,12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		(3584,56,16)	2191,62,66
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		8177,30,33	1721,95,84
अन्य प्रावधान (आकस्मिकताओं के प्रावधान सहित)		(103,64,78)	1460,54,04
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(438,15,98)	(293,28,42)
सहयोगियों के लाभांश		(15,45,97)	(3,85,50)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		4554,43,06	5296,02,56
उप योग		**66624,21,34**	**69237,98,09**
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		121391,84,57	345953,09,75
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		44832,14,90	(22743,77,32)
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(164770,34,41)	(221333,86,62)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(134190,21,63)	(82542,67,86)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(111,91,71)	10789,34,61
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(22273,22,00)	(20576,17,56)
उप योग		**(88497,48,94)**	**78783,93,09**
कर-वापसी (प्रदत्त कर)		(8010,41,70)	(1377,93,39)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	**(96507,90,64)**	**77405,99,70**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		5239,13,69	1585,92,52
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		15,45,97	3,85,50
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		6601,82,54	(4423,70,61)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		(790,65,51)	1,80,36
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	**11065,76,69**	**(2832,12,23)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि शेयर प्रीमियम सहित		23782,45,47	5674,82,91
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		(12118,47,50)	(2289,95,25)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		(4554,43,06)	(5296,02,56)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(2416,26,71)	(2337,46,38)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(143,58,57)	(161,10,37)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		997,46,74	213,24,14
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी	(ग)	**5547,16,37**	**(4196,47,51)**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	(घ)	**1305,17,53**	**(1739,70,98)**
भारतीय महिला बैंक के विलय होने के कारण प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	(ङ)	**681,75,35**	**-**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**(77908,04,70)**	**68637,68,98**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**273197,15,53**	**204559,46,55**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**195289,10,83**	**273197,15,53**

नकदी और नकदी समतुल्य	**31.03.2018**	**31.03.2017**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां	150769,45,69	161018,61,07
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)	44519,65,14	112178,54,46
योग	**195289,10,83**	**273197,15,53**

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854
(फर्म पंजी. सं. 004532 S)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 -''समेकित वित्तीय विवरणटट, लेखा मानक-23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखाटट और लेखा-मानक-27 - ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टटट और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो। ये विवरण अलग-अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

   (क) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,

   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

अन्य मामले

7. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

   (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षितत खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹34,54,752 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹2,65,100 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹19,927 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;

(ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 26 (छब्बीस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 19 (उन्नीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,76,687 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹44,143 करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹2,774 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹435 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं;

(ग) 1 (एक) अनुषंगी की लेखों की समीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनके 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में उसी वर्ष की स्थिति के अनुसार ₹ 312 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 15 करोड़ की कुल आय, ₹ 0.32 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

(घ) 1 (एक) अनुषंगी के अलेखापरीक्षित खाते 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5,308 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 188 करोड़ की कुल आय, ₹ 125 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और ₹ 3 करोड़ के सहयोगियों से लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

8. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकक") की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2018 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

ध्यान देने योग्य विषय

9. हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

क) नोट सं. 3.2.1.1, ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त देयता के कारण ₹ 2,707.50 करोड़ की अपरिशोधित शेष के संबंध में; और

ख) नोट सं. 18(9)(ख), मानक आस्तियों के लिए प्रावधान पर ₹ 2,461.40 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के संबंध में।

उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

पी. आर. प्रसन्ना वर्मा
भागीदार
सं. सं. 025854

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया।

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए है:

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
20	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगीः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
27	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमःनियंत्रक द्वारा समेकनका विषय नहीं है
28	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
37	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था :नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	लांग्पी देहाँगी रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नही	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र मेंउल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दे सके।	15.40	99.72%	विनियामक पूँजी से काटी गई	15.40
2	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन अधीन	लागू नहीं	25.05%	पूर्ण प्रावधान उपलब्ध	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	1,244.38	1,657.02
2	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएं तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	217.63	1620.83
3	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	47.48	49.49
4	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	76.26	133.32
5	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कॉरपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएं	5.17	5.70
6	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	59.52	60.18
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	891.60	5,659.46
8	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएं	3.80	5.61
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	320.58	1151.87
10	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	36.50	37.09
11	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज प्रा. लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएं और फंड अकाउंटिंग सेवाएं सर्विसेज लि.	125.45	131.62
12	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएं	27.03	27.11
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएं	1,018.80	1,290.96
14	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएं	0.85	1.79
15	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड कारोबार	1,814.02	14,893.87
16	जीई कैपीटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	भारत	कार्ड प्रोसेसिंग एंड अदर सर्विसेस	326.40	569.93
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएं	862.69	4,752.45
18	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएं	706.90	5,307.77
19	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएं	233.35	823.56
20	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएं	1,054.85	7,318.96
21	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएं	610.97	2,102.24
22	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएं	761.77	6,530.60
23	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	मर्चेण्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	12.96	13.25
24	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएं	75.54	312.21
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएं	1.94	2..01

$ इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व तथा सरप्लस शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई है:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
		निरंक		

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं :

बीमा संस्था का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		निरंक		

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा :

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलीफोर्निया	नियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी हस्तांतरित करने का एक मात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों का बाइबैक या मूल बैंक को पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी अथवा डेट) हस्तांतरित करने से पूर्व नियामक से पूर्व अनुमति
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	केवल बैंक ऑफ बोत्सवाना से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैंकिंग समूह या समूह कंपनी में नियामक पूंजी का हस्तांतरण अनुमत है। बैंक के द्वारा आज की तिथि में पूंजी के रखरखाव के लिए बोर्ड द्वारा सांविधिक लेखा- परीक्षकों के प्रमाणपत्र के साथ इसे अनुमोदित करवाना है।
एसबीआई मॉरीशस लि.	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को बैंक की पूंजी में कमी कर पैसे अदा करने के लिए विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान या वर्णित पूंजी में कमी करके जैसा कि बैंकिंग अधिनियम तथा मॉरीशस के कंपनीज़ अधिनियम में दिया गया है, के माध्यम से ही की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि ,एसबीआई एमएल के पर्याप्त पूंजी धारण और तरलता अनुपात की विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है। (क) केंद्रीय बैंक को कोई अनुदान (ग्रांट) नहीं है और किसी भी बैंक का होल्ड नहीं है, जब तक कि बैंकिंग लायसेंस रखता है और मॉरीशस में लगातार कार्यरत है, वर्णित पूंजी की राशि अथवा आवंटित पूंजी राशि अथवा 200 मिलियन रुपए के बराबर राशि से कम न हो। (ख) प्रत्येक बैंक मॉरीशस में कार्यरत हो, पूंजी 10% से कम न हो अथवा ऐसा उच्चतर अनुपात और ऐसी बैंक की जोखिम आस्तियां और अन्य प्रकार की जोखिमें केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हों।
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	बैंक को बुक II की बैंक के साथ-साथ विदेशी विनिमय बैंक के रूप में परिचालित किए जाने योग्य बनने के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी धारण करना है। हालांकि, मूल बैंक को लाभांश के रूप में निधियों का हस्तांतरण 31 मार्च, 2018 को पर्याप्त लाभ सृजित करने पर अनुमात होगा।
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल के नियमों के अधीन, कंपनी की आस्तियां और देयताएँ एकांतिक और हस्तांतरणीय नहीं है। अतः बैंकिंग समूह के अंदर निधियों अथवा विनियामक पूंजी का हस्तांतरण संभव नहीं है।
सीआईबीएल	इसमें निधियों अथवा विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएँ नहीं हैं।

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	• भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता हैः

- जोखिम
- परिचालन जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- अनुपालन जोखिम
- पेंशन निधि दायित्व जोखिम
- प्रतिष्ठा जोखिम
- ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम
- निपटान जोखिम
- प्रतिभा जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- देश जोखिम
- नव व्यवसाय जोखिम
- कार्यनीतिक जोखिम
- मॉडल जोखिम
- कंटेजन जोखिम
- प्रतिभूतिकरण जोखिम
- साइबर जोखिम

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता		
• मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो		₹ 1,35,025.34 करोड़
• निवेश का प्रतिभूतिकरण		निरक
		....
	कुल	**₹ 1,35,025.34 करोड़**

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकत • मानक अवधि पद्धति - ब्याज दर जोखिम -विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है) -इक्विटी जोखिम	 ₹ 14,481.78 करोड़ ₹ 173.77 करोड़ ₹ 4,959.00 करोड़ .... **कुल ₹ 19,614.55 करोड़**
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता • मूल संकेतक पद्धति • मानक पद्धति (यदि लागू हो) कुल	 ₹ 17,971,.97 करोड़ निरंक .... **कुल ₹ 17,971.97 करोड़**
(ङ) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपातः • शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)	**दिनांक 31.03.2018 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात**

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1(%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.86	10.53	12.72
भारतीय स्टेट बैंक	9.68	10.36	12.60
एसबीआई (मारीशस) लि.	19.39	19.39	20.47
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	14.79	14.79	16.90
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)	17.60	17.60	18.65
कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को	34.15	34.15	34.15
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	34.04	34.04	34.90
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	14.67	14.67	16.79
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	30.55	30.55	30.86

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

- पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय

अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहाँ :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए "अनियमित" रहता है

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए "अतिदेव" रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

vii. चलनिधि सुविधा की राशि प्रतिभूतिकरण संबंधी दिनांक 1 फरवरी 2006 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्य राशियां भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित श्रेणी' स्थिति

कोई खाता उस स्थिति में अनर्जक '**अनियमित**' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे। यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को '**अनियमित**' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

- बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से, अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

(i.) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमें मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii.) औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में एक ऋण नीति लागू है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवत्ता में अनुचित गिरावट न आए। साथ ही साथ, इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबंधित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹ 10 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	2074462.60	391795.47	2466258.07
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
	विदेशी	307767.00	28249.54	336016.54
	देशीय	1766695.60	363545.93	2130241.53
घ	जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
ङ	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		

(₹करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
च	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (I से iv का योग)			225104.51
	i. अवमानक			50899.22
	ii. संदिग्ध 1			56099.14
	iii संदिग्ध 2			94403.66
	iv. संदिग्ध 3			15502.04
	v. हानिप्रद			8200.45
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			111523.30
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			10.85%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			5.69%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारंभिक शेष			113676.74
	ii) वृद्धि			161475.03
	iii) कमी			50047.26
	iv) अंतिम शेष			225104.51
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारंभिक शेष			54670.69
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			99752.13
	iii) अपलेखन			40808.72
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			32.89
	v) अंतिम शेष			113581.21
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			4737.77
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			2584.12
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारंभिक शेष			649.02
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			6273.35
	जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			0.00
	अपलेखन			159.95
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			235.72
	अंतिम शेष			6526.33
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो बकाया ऋण, अलग से किया गया प्रावधान			143966.31
	निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान; और			
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वार अलग-अलग प्रावधान			
	किया गया हो जिसमें निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान शामिल हो			
	प्रावधान			

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
1	कोयला	2243.57	1240.60	3484.17	2416.80
2	खदान	4911.17	507.39	5418.56	2212.25
3	लोह एवं इस्पात	71119.25	53247.37	124366.62	21967.17
4	धातु उत्पाद	31452.32	4151.94	35604.26	6590.78
5	सभी अभियांत्रिकी	26171.53	12020.85	38192.38	73267.70
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	3322.73	3279.81	6,602.54	3713.83
6	बिजली	3268.46	0.00	3268.46	55.97
7	सूती वस्त्र	24144.32	11327.80	35472.12	1788.00
8	जूट वस्त्र	414.71	61.17	475.88	37.65
9	अन्य वस्त्र	13597.23	3565.10	17162.33	1806.73
10	चीनी	6687.30	678.67	7365.97	1038.73
11	चाय	579.30	173.32	752.62	93.34
12	खाद्य प्रसंस्करण	49482.80	8906.91	58389.71	2423.05
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	3899.65	2548.45	6448.10	2222.45
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	485.34	22.46	507.80	292.20
15	कागज/कागज उत्पाद	3903.85	878.25	4782.10	885.80
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	8257.65	648.08	8905.73	2303.52
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	87274.81	3830.02	91104.83	48873.24
17.1	जिसमें उर्वरक	14339.99	424.05	14764.04	4216.06
17.2	जिसमें पेट्रोरसायन	45727.91	321.86	46049.77	38585.70
17.3	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	9900.18	1904.78	11804.96	1649.65
18	सीमेंट	8203.65	1089.65	9293.30	3550.24
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2429.25	277.68	2706.93	362.01
20	रत्न एवं आभूषण	12693.13	2242.65	14935.78	2488.56
21	निर्माण	24910.98	1823.43	26734.41	6708.64
22	पेट्रोलियम	28474.74	4084.51	32559.25	18721.10
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	9589.81	3628.03	13217.84	6212.10
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2570.21	70.69	2640.90	1241.91
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	222107.72	58206.11	280313.83	91144.46
25.1	जिसमें बिजली	145270.79	31708.25	176979.04	28453.01
25.2	जिसमें दूरसंचार	13059.30	8573.03	21632.33	14616.17
25.3	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	28347.94	9001.68	37349.62	22695.73
26	अन्य उद्योग	262967.80	20928.98	283896.78	49860.96
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	249720.30	9776.92	259497.21	30014.03
28	शेष अग्रिम	687797.26	19167.47	706964.73	13216.08
	योग	**1849358.09**	**225104.50**	**2074462.60**	**391795.47**

तालिका - ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण*

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	15675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15675.47
2	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	32650.39	1548.72	1920.16	1726.33	4719.60	15328.26	23603.34	14302.63	39174.09	134973.52
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	37425.46	1638.56	2960.73	2507.49	791.29	846.38	1075.91	268.25	37.64	47551.71
4	निवेश	14235.50	7192.44	43021.23	29602.85	33704.01	56156.56	166247.81	175314.24	547315.98	1072790.62
5	अग्रिम	58466.85	99014.15	50090.98	54401.62	120962.42	276785.82	291710.82	253998.45	722696.69	1968127.80
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	11.53	40380.96	40395.71
7	अन्य आस्तियां	54482.56	19727.35	17459.44	17325.34	23544.15	19091.24	18747.60	18571.79	40154.02	229103.49
	कुल	**212936.23**	**129121.22**	**115452.54**	**115563.63**	**183721.47**	**368208.26**	**501388.70**	**462466.89**	**1419759.38**	**3508618.32**

*टिप्पणियां:

(i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

(ii) निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल है और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

(iii) उक्त (Bucketing) संरचना में तालिका दिनांक 23 मार्च 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन

- प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, एसएमईआरए,ब्रिकवर्क (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों), इन्फोमेरिक्स, फिच, मूडीज, इन्फोमेरिक्स एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

(i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण

बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैः

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक की क्रमशः दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जोखिमों के लिए निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुद्दे विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जाता है।
- विदेशी प्रभुसत्ता और विदेशी बैंक जोखिमें जोखिम भारित होती हैं जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और इसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
- जहाँ किसी संस्था को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स निर्धारित की जाती है, वहाँ, इस संदर्भ में, जहाँ दो रेटिंग्स होती है, वहां निम्न रेटिंग और तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होती हैं, वहाँ सबसे कम से पहले वाली रेटिंग को दी गई सुविधा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहाँ ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2018 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% से कम जोखिम भार	1632686.41
		100% जोखिम भार	494004.93
		100% से अधिक जोखिम भार	339566.73
		घटाई गई	0.00
		कुल	**2466258.07**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलना पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

  तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता हैः

जहाँ बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपाश्रिक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

  बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

  इस नीति का उदेश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण

(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक

(ii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया

(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं

(vi) विदेशी रेटिंग

(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

(viii) बीमा

(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

(x) सामान्य दिशा-निर्देश

बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;
नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
स्वर्ण
केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/ पी3/एफ3/एअरेटिंग प्राप्त है

- प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता के मुख्य प्रकार स्वीकार और उनकी ऋण-पात्रता

  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

  - सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
  - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण - 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहाँ लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	240264.68
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	17484.86

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा का विवेचन भी शामिल है :	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्र त्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा;	लागू नही
	@संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	
	# कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है:	
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)।	लागू नही
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नही
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नही
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नही
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नही
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के	लागू नही
	लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नही
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक

(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : शेयर/बांड में क्रय-विक्रय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीद गईं:	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

1) बैंक बाजार जोखिम को लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुपालन करता है।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

   क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
   ख) ट्रेडिंग बही के लिए बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा
   ग) निवेश नीति
   घ) ट्रेडिंग नीति
   ङ) दबाव परीक्षण नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण: बाजार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

बैंक बाजार जोखिम पर मानकीकृत माप विधियों के अनुसार पूंजी प्रभार बनाए रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2018
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव्स सहित)	14481.79
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4958.99
विदेशी विनिमय जोखिम	173.77
कुल	**19614.55**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन'

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्राणाधीन का कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ) को रिपोर्ट करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दो का निपटान व्यवसाय मॉडल और संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के साथ समग्र नियंत्रण वाले उनके नियंत्रकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

ख. **भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज और मैनुअल लागू/उपलब्ध हैं।**

नीतियाँ एवं ढांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उदेश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- आई एस नीति
- आई टी नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता, एसबीआई दस्तावेज़
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज:

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)
- बाह्य नुकसान आंकड़ा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं - आपदा रिकवरी योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं
उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्पलेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेम्पलेट प्रारम्भ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आरसीएसए फेज-6 कवायद में मुख्य शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। चालू वित वर्ष के दौरान 10 प्रमुख संकेतकों का निर्धारण किया गया है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- बेसल II में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियाँ विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- बैंक द्वारा ''अनुदेशवालियाँ''' (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं
- विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियों को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल बैंक में विद्यमान है।
- छुट्टी नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन।
- सभी शाखाओं को पर आरडबल्यूए (जोखिम जागरुकता कार्याशाला) का आयोजन।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए/आरएडब्ल्यू से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों का औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति (एएमए) अपनाई गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद है। एएमए के तहत बैंक की पूंजी की गणना एएमए के साथ-साथ उपयोग के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भी की गई है।

डीएफ-9 : एसबीआई समूह बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम:

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूंजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)-केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति देयताओं दोनों की दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	2635.96

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीआई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	26,292.31
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	13,146.16

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन 5% रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

गुणात्मक प्रकटन: दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर पर विनिमय	103996.59	449.90
ख) करेंसी विनिमय	78423.62	1369.39
ग) करेंसी विकल्प	26175.32	304.75
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	198946.19	1991.68
ड.) करेंसी विकल्प	0.00	0.00
च) वायदा दर करार	0.00	0.00
छ) अन्य	0.00	0.00
योग	**407617.82**	**4115.72**

डीएफ -11: पूंजी के घटक

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

31 मार्च 2017 से उपयोग किए जाने वाले बेसल-III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
1	सीधे जारी की गई अहर्ता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबन्धित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	80016.67	A1+B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	112509.48	B1+B2+B7+B8 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिजर्व)	15965.05	B5+75%+B6*45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सी ई टी1 में अनुमत)	802.62	
6	विनियामक सामायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	209293.82	
	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेक पूर्ण मूल्य समायोजन	1734.07	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	63.92	
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	13889.32	
10	आस्थगित कर आस्तियां		
11	कैश फ्लो हेज़ रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	27.60	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	58.02	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1693.50	
26 क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1394.30	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	299.20	
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है		

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्टुमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	**साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन**	17466.43	
29	**साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	191827.39	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	11055.25	
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर		
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	11055.25	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	2185.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	86.36	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	13326.61	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	391.18	
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	391.18	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	12935.43	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44]**	204762.82	
टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	16258.00	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	13582.84	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	148.00	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	12872.50	
51	**विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी**	42861.34	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश	88.01	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	29.39	
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0	
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	117.40	
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	42743.94	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58]**	247506.76	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)**	1945151.99	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1500281.59	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	245181.90	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	199688.50	
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.86	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.53	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.72	
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	7.675	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.875	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.30	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.36	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश		
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	776.16	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
	टयर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं		
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	12872.50	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	18753.52	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा **पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)**	0.00	
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं	40%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	40%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	40%	

टेम्प्लेट के नोट

(₹ करोड़ में)

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	13889.32
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	776.16
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	13889.32
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती की 10% की प्रारंभिक सीमा	0
	के अंतर्गत गणना में शामिल किया गया है, तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	
	जिसमें से : साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0
26b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	12872.50
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन रिजर्व्स	0
	पंक्ति 50 का योग	12872.50

*बी 7 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

डीएफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएं

31.03.2018 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बेसल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	229,,429.49	222,864.61
	आधे से कम हित	4615.24	1751.56
	कुल पूंजी	**234,937.19**	**225,508.63**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,722,178.28**	**2,723,574.19**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	20,268.13	20,268.13
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,701,910.15	2,703,306.06
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	**उधार**	**369,079.34**	**369,103.91**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	95,394.09	95,394.09
	जिनमें : बैंकों से	176,568.31	176,568.31
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,598.53	49,597.93
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	47,518.41	47,543.58
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	290,238.19	171,283.16
	कुल	**3,616,433.00**	**3,489,469.89**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**150,769.46**	**150,648.92**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**44,519.65**	**42,432.89**
ii	**निवेश**	**1,183,794.24**	**1,065,074.66**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	911,688.79	865,596.73
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9,203.63	-
	जिनमें : शेयर	36,911.26	10,532.74
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	141,913.12	113,320.62
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	3,175.05	2,054.58
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	80,902.39	73,569.99
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,960,118.54**	**1,959,947.04**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	80,389.71	80,389.71
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,879,728.83	1,879,557.33
iv	**अचल आस्तियाँ**	**41,225.79**	**40,570.45**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**234,271.25**	**229,061.86**
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	-	-
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	11,837.70	11,800.37
vi	**समेकन पर गुडविल**	**1,734.07**	1,734.07
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियाँ	**3,616,433.00**	**3,489,469.89**

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ क्रमांक
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
क	**पूंजी और देयताएँ-**			
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46	A
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	A1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	229,429.49	222,864.61	B
	जिनमें सांविधिक आरक्षित निधि	65,958.04	65,958.04	B1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	9,578.08	9,578.08	B2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	79,124.21	79,124.21	B3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	-	-	B4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,379.10	6,377.93	B5
	जिनमें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	24,847.99	24,847.99	B6
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	53,483.27	50,297.23	B7
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	(9941.20)	(13,318.87)	B8
	कुल पूंजी	**234,937.19**	**225,508.63**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,722,178.28**	**2,723,574.19**	
	जिनमें: बैंकों में जमाएं	20,268.13	20,268.13	
	जिनमें: ग्राहकों की जमाएं	2,701,910.15	2,703,306.06	
	जिनमे: अन्य जमाएँ (कृपया उल्लिखित करें)	-	-	
iii	**उधार**	**369,079.34**	**369,103.91**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	95,394.09	95,394.09	
	जिनमें : बैंकों से	176,568.31	176,568.31	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,598.53	49,597.73	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	47,518.41	47,543.58	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**290,238.19**	**171,283.16**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**3,616,433.00**	**3,489,469.89**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पासजमाशेष**	**150,769.46**	**150,648.92**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**44,519.65**	**42,432.89**	
ii	**निवेश**	**1,183,794.24**	**1,065,074.66**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	911,688.79	865,596.73	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9,203.63	-	
	जिनमें: शेयर	36,911.26	10,532.74	
	जिनमें: डिबेंचर और बांड	141,913.12	113,320.62	

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ क्रमांक
	जिनमें: अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	3,175.05	2,054.58	
	जिनमें: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	80,902.39	73,569.99	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,960,118.54**	**1,959,947.04**	
	जिनमें: बैंकों को ऋण और अग्रिम	80,389.71	80,389.71	
	जिनमें: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,879,728.83	1,879,557.33	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**41,225.79**	**40,570.45**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**234,271.25**	**221,061.86**	
	जिनमें: गुडविल	-	-	
	जिनमें: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	जिनमें: आस्थगित कर आस्तियाँ	11,837.70	11,800.37	C
vi	**समेकन पर गुडविल**	1,734.07	1,734.07	D
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-	
	कुल आस्तियाँ	**3,616,433.00**	**3,489,469.89**	

डीएफ16- इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में ये भी शामिल हैं :		
	•	ऐसी धारिताएं, जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर;	सहयोगियों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यम में परिपक्वता तक रखी गई एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सभी इक्विटी निवेश किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वभाव के होते हैं।
	•	बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यन एवं लेखांकन संबंधी प्रमुख नीतियों में चर्चा। इसमें इन सभी प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रमुख धारणाओं एवं प्रथाओं को प्रभावित करने वाले मूल्यन सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यन पद्धतियां शामिल हैं।	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी प्रतिभूतियों के लेखांकन एवं मूल्यन की नीतियाँ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 में बताए अनुसार>

31 मार्च 2018 को मात्रात्मक प्रकटीकरण		(₹ करोड़ में)
1	तुलनपत्र में सूचित निवेशों का मूल्य तथा उन निवेशों का वास्तविक मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अलग है।	539.40
2	निवेशों के प्रकार, साथ ही राशि जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:	
	विवरण — **प्रकार** सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड — अनुषंगियां निजी रूप से धारित — सहयोगी,अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम **नोट:इन राशियों में ग्लोबल बाज़ारों की पुस्तकों के निवेश शामिल हैं।**	621.00 4,460.11
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	5596.26
4	न वसूल किया गया लाभ (हानि)	-15.48
5	नवीनतम पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	निरंक
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि	-1.09
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	0.05

तालिका डीएफ-17 : लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र स.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	36164330.00
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1269631.10
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	-
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	250,053.79
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	16377.70
6	तुलनपत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3081725.67
7	अन्य समायोजन	-178576.11
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	**38064279.95**

डीएफ-18 :लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र निवशों पर	
1	तुलनपत्र मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक सहित)	34894698.90
2	बेसल III , टियर 1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां	-178576.11
3	**कुल तुलनपत्र निवेश (डेरीवेटिव्सएवं एसएफटी को छोड़कर) लाइन 1 एवं 2 का योग**	34716122.79
	डेरीवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	35,256.28
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	214,797.51
6	दिए गए डेरिवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौतियां)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	250,053.79
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवल को हिसाब में लिए बिना)	16377.70
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)**	16377.70
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	8920632.57
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-5838906.90
19	तुलनपत्र इतर मदें (लाइन 17 एवं 18 का योग)	3081725.67
	पूंजी एवं कुल जोखिम	
20	**टियर 1 पूंजी**	**2047628.23**
21	**कुल निवेश (लाइन 3, 11, 16 एवं 19 का योग**	**38,064,279.95**
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III का अनुपात	5.38

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की कंपनियों के संबंध में*

(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)

सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

घ) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग - विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.
	एसबीआई-पेमेंट्स सिक्युरिटीज़ सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च 2018 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

एक ग्रीन पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में ग्रीन पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस ''ग्रीन पहल'' में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रानिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbi.igr@alankit.com ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों (शेयरों) का तुरंत ट्रांसफर, प्रतिभूतियों के ट्रांसफर पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं।
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- ईक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरए) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस ''ग्रीन पहल'' का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक

प्रॉक्सी फार्म

फालियो क्र. ____________________

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र____________________

मैं/हम, ____________________

निवासी ____________________

बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के ____________________

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/शेयरों के धारक हैं और एतदद्वारा ____________________

____________________ निवासी ____________________ को (या उसकी

अनुपस्थिति में ____________________ निवासी ____________________ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की ____________________ में दिनांक ____________________

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित____________________ के ____________________ दिवस को

₹ 1 का
रसीदी
टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी, कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फाम, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक :

फोलियो क्रः

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्रः

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नामः ______________________________

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : ______________________________ पिन

कुल धारित शेयरों की संख्या :

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी स्वरूप में होने पर) से तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार हैः हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में)ः

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नामः

पदनामः

सील/मोहरः

नोटः

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारणः

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि.
यूनिट: भारतीय स्टेट बैंक
आर.आर. हाऊस आडियल ईडस्ट्रीयल एस्टेट
न्यू इमपायर मिल्स के सामने
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल पश्चिम,
मुंबई-400 013

टेलिफोन नं. 022-4348 1200 / 1300 / 1221

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i) ____________ (ii) ____________ (iii) ____________
2. वर्तमान पता ____________ ____________ ____________
   पिन: ____________
   टेलि.नं. और मोबाइल नं ____________
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं ____________ (केवल कागजी स्वरुप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: ____________
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम: ____________
   ख. शाखा का नाम: ____________
   (पूरा पता)
   ____
   पिन: ____________
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   | | | | | | | | |
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार: ....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ड. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई है। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   | | | | | | | | | | | | | | |

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना देखें।

you only need one

Life's cluttered. So is your phone.
Too many accounts. Forgotten passwords.
An army of attention-seeking apps.

For you, though, less is more.
Shopping sprees and banking.
Hunger pangs and your love for travel.
You want it all in one single tap.

So why fuss over many,
when all you need is one app?

yono by SBI

Lifestyle & banking, dono.

Download & Register Now
yonosbi.com

Instant Digital A/C
My Dreams
Instant Loans
Spend Analysis
Just-for-you Deals
Life Insurance
Shop Online
Order Food
Book Tickets
Transfer Funds

स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड, मुम्बई
महाराष्ट्र - 400 021, भारत